दशम माला, खंड 35, अंक 23

गुरुवार, 25 अगस्त 1994

3, भाद्र, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 35 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 35, ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 23, गुरुवार, 25 अगस्त, 1994/3 भाद्र, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1
* तारांकित प्रश्न संख्या	441 से 443 से 446	1-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर		28-181
* तारांकित प्रश्न संख्या	442 से 447 से 460	28-54
अतारांकित प्रश्न संख्या	4324 से 4488	54-181
आंध्र प्रदेश में मैडिकल कालेजों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2701 के 11 अगस्त, 1994 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य		181
अध्यक्ष द्वारा घोषणा		182
सभा की सभी कार्यवाहियों को दूरदर्शन पर सीधे प्रसारित करने हेतु लोक सभा में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर का लगाया जाना		182
मुम्बई नगर निगम पार्षद श्री राम दास नायक श्री हत्या के बारे में		182-208
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		209-210
(I) पाकिस्तान की परमाणु क्षमता		
श्री सलमान खुर्शीद		209
(II) मुंबई नगर निगम पार्षद श्री राम दास नायक की हत्या		
श्री राजेश पायलट		283
सभा पटल पर रखे गए पत्र		210-212
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		213
दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत		
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		213
सातवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का घोतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति 213

बारहवां प्रतिवेदन — सभा पटल पर रखा गया

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1 (अनुच्छेद 81,82 और) 170 में संशोधन) पुरः स्थापित

नियम 377 के अधीन मामले 214-217

(एक) केरल स्थित हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, वेल्लोर को उद्योग मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में लाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नित्तला 214

(दो) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी छोड़ने के मूल स्तर को बनाये रखने की आवश्यकता

श्री बीरबल 214

(तीन) उड़ीसा राज्य सरकार को, दक्षिण उड़ीसा विशेषकर गंजाम जिले में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति 215

(चार) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मंडल की विकास परियोजनाओं के संबंध में वन अधिनियम के उपबंधों में ढील देने की आवश्यकता

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी 215

(पांच) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर मुरादाबाद और रामपुर में रेलवे उपरि पुलों के निर्माण की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 216

(छः) बिहार में जोनल रेलवे मुख्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

श्री श्रीमती गिरिजा देवी 216

(सात) अनुसूचित जनजाति के लोगों को उड़ीसा क्योंझर जिले में पेट्रोल पंप खोलने हेतु लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा 217

(आठ) सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के कारण विस्थापित हुए आदिवासी लोगों का पनुर्वास करने और वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए आवंटित धनराशि शीघ्र जारी करने की आवश्यकता

श्री कुमारी सुशीला तिरिया 217

संविधान (पिचासीवां संशोधन) विधेयक, (नौवीं अनुसूची में संशोधन) 218-267

राज्य सभा द्वारा यथापारित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सीताराम केसरी 218

श्री राम विलास पासवान 220

श्री नीतीश कुमार 224

श्री सैयद शहाबुद्दीन 226

श्री सोमजीभाई डामौर 228

श्री दत्तात्रेय बंडारू 228

श्री सैफुद्दीन चौधरी 228

श्री बूटा सिंह 229

श्री इन्द्रजीत गुप्त 230

श्री अब्दूल गफूर 231

श्री सूरज मडंल 231

श्री आर० अन्बारासु 232

श्री रतिलाल वर्मा 232

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट 233

श्री श्रीकान्त जेना 234

श्री चन्द्रजीत यादव 237

श्री पी०जी० नारायणन 240

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 240

श्री अनादि चरण दास 241

श्री पी०सी० थामस 241

डा० कार्तिकेश्वर पात्र 242

प्रो० रासा सिंह रावत 242

श्री प्रताप सिंह 243

श्री विजय कुमार यादव 243-267

खंड 2 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सीताराम केसरी

नियम 193 के अधीन चर्चा 268-283

चीनी के आयात में विलम्ब के कारण इसके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि 268

श्री नीतीश कुमार

मंत्री द्वारा वक्तव्य 283-288

लोक सभा

गुरुवार, 25 अगस्त, 1994/3 भाद्र, 1916 (शक)

लोक सभा 11.00 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयला धोवनशालाएं

[हिन्दी]

*441. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को कोयला धोवनशालाएं स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र से कोयला धोवनशालाएं-स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां, कोल इंडिया लि० (को०इ०लि०) ने "स्व-निर्मित स्व-चालित" आधार पर कोयला वाशरियां स्थापित करने के लिये विदेशी एवं भारतीय पार्टियों से एक विश्वव्यापी निविदा आमंत्रित की है।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) ने कोक्कर कोयला क्षेत्रों तथा अकोक्कर कोयला क्षेत्रों, दोनों में ही वाशरियां स्थापित करने के लिए कई स्थानों को विनिर्दिष्ट किया है, जोकि नीचे दिए गए हैं :—

वाशरी का नाम	स्थान
कलिंगा	उड़ीसा
अनन्ता भरतपुर	उड़ीसा
दीपिका	मध्य प्रदेश
सस्ती	महाराष्ट्र
पारेज	बिहार
टिकॉक	असम
धोरी	बिहार

(ग) और (घ) इस संबंध में आमंत्रित की गई विश्वव्यापी निविदाओं के प्रत्युत्तर में (21) इक्कीस निविदाएं प्राप्त हुई, जिनमें से कोल इंडिया लि० के पास पूर्व अर्हता प्राप्त (14) चौदह निविदाकर्ता हैं।

[हिन्दी]

डा० महादीपक सिंह शाक्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से धोवनशालाओं से संबंधित था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह मानव जीवन से संबंधित है यह देश के विकास कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तम किस्म के कोयले से ही अच्छे उद्योग धंधे चल सकते है —जैसे रेल, सीमेंट, फर्टिलाइजर और ऊर्जा, सभी इसी से संबंधित हैं। अगर उत्तम किस्म का कोयला हम को उपलब्ध हो तो हमारा देश विकास की तरफ बढ़ सकता है और इससे जन-जीवन की समस्यायें सुलझायी जा सकती हैं। आपने इसका राष्ट्रीयकरण किया। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि उत्तम क्वालिटी का कोयला सस्ते दामों पर उपभोक्ताओं को आसानी से प्राप्त हो सके लेकिन हुआ यह कि ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब प्रश्न पर आइये। मैं ऐसे प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये। विस्तृत ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। यहां प्रश्न पूछे जाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

डा० महादीपक सिंह शाक्य : मैं वहीं कह रहा हूं जो आप चाह रहे हैं ···· **(व्यवधान)** 18 फीसदी से बढ़ कर 40 फीसदी कोयले में मिलावट होने लगी है ··· **(व्यवधान)** अब मैं अपने मूल प्रश्न पर आ रहा हूं। आपने बहुत सा विवरण दिया है और धोवनशालायें स्थापित करने का निर्णय किया है। आपने देशी और विदेशी निविदायें आमंत्रित की हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में मांग क्या थी और इस मांग को पूरा करने के लिये कितने मिलियन टन की आवश्यकता थीं ? क्या इस योजना से आपके लक्ष्य की पूर्ति होगी ? अगर नहीं होगी तो उसके लिये आप क्या क्या एक्स्ट्रा उपाय करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, हमें आशा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, सरकार मांग को पूरा करने में सक्षम होगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको सिर्फ प्रश्न पूछने में ही दिलचस्पी है।

[हिन्दी]

डा० महादीपक सिंह शाक्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा सप्लीमैंट्री आपकी इच्छा के अनुकूल बहुत थोड़े शब्दों में करूंगा। आपने कोल कम्पनियां पूरी तरह में प्रतिबंधित की हुई हैं। वे कोयले का यातायात

नहीं कर सकतीं, मार्किटिंग नहीं कर सकती और सेल भी नहीं कर सकती, यानी कि वे कुछ नहीं कर सकती। उनकी स्वतंत्रता हनन करने की आपकी जो मोनोपली है। वह कब समाप्त करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह जानना चाहते हैं कि आप इस संबंध में सरकार के एकाधिकार को कब तक समाप्त कर देंगे।

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, अब इसमें सरकार का एकाधिकार नहीं रहा क्योंकि कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम को पहले ही संशोधित कर दिया गया है और सरकार न केवल कोयला खनन क्षेत्र बल्कि कोयला धोवन क्षेत्र में भी गैर-सरकारी कम्पनियों को आने की अनुमति देने जा रही है। लेकिन फिलहाल सरकार कोयला खानों के सट्टे पर दिए जाने को शक्ति विद्युत केन्द्रों तथा इस्पात संयंत्रों के लिए सीमित कर रही है। अन्य के लिए सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा कोल इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत पंद्रह कोयला धोवनशालाएं हैं। इनमें से तीन धोवनशालाएं पहले भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन थे। क्या यह सच है कि इन तीन धोवनशालाओं के विलय के बाद कोयले की गुणवत्ता तथा इसके उत्पादन में गिरावट आई है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा इस्पात मंत्रालय इन्हें फिर से अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को इसका उत्तर नहीं देना है।

श्री बसुदेव आचार्य : वह इसके लिए इच्छुक हैं क्योंकि उन्होंने मेरे पहले प्रश्न का भी उत्तर दिया है। अतः क्या यह सच है कि इस्पात मंत्रालय इन तीन धोवनशालाओं को दोबारा अपने नियंत्रण में लेना चाहता है ताकि बेहतर धुले हुए कोयले की और अधिक मात्रा का उत्पादन हो सके ? यदि हां, तो कोयला मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी०ए० संगमा : इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनाई गई समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया जिसमें भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रतिनिधि भी शामिल थे। यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण इन धोवनशालाओं को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के मामले में पूर्वाग्रह मुक्त है। लेकिन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस समय इन धोवनशालाओं को भारतीय इस्पात प्राधिकरण को शौंपने की कोई जल्दबाजी अथवा आवश्यकता नहीं है। अतः यथा स्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। यह विशेषज्ञ समिति का निष्कर्ष है। लेकिन यह प्रश्न अभी भी खुला है क्योंकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का अभी भी कहना है कि इस प्रश्न के बारे में वे पूर्वाग्रह मुक्त है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नोर्थ करनपुरा में जो नई वाशरी लगाने की बात थी और इस कोयले के उपयोग के लिए वहां आस्ट्रेलिया के साथ एक थर्मल पावर स्टेशन बनाने की बात थी, उनका एक एग्रीमैण्ट वहां वाशरी लगाने के लिए कोल इंडिया के साथ हुआ है, उसमें क्या प्रगति है और वहां की वाशरी में जो कोयला धोया जायेगा, वह किस पावर स्टेशन में जायेगा ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों की भागीदारी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी। आमंत्रित की गई पहली निविदा विभिन्न फर्मों को पूर्ण अर्हताओं के पहलुओं तक सीमित थी जैसे ऐसी कम्पनियां जो प्राइवेट धोवनशालाओं की स्थापना में भागीदारी करने के लिये इच्छुक हैं। यह प्रारम्भिक अवस्था है। हमने इस आधार पर वैसे 24 आवेदन प्राप्त किए हैं जिसमें से जांच के बाद केवल 14 आवेदन सही पाए गए। वे पूर्व-अर्हताओं के मार्ग-निर्देशों को पूरा करते हैं और इनमें से 11 पार्टियां भारतीय हैं। उनमें से तीन विदेशी पार्टियां हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, अपने यहां के कोयले में धूल की मात्रा बढ़ती देखकर यहां पर एक अलतेकर कमेटी बैठी थी, जिसने यह सुझाव दिया था कि कोयला खनन के विकास के लिए सबसे पहले वाशरी को प्रमोट किया जाय लेकिन आज तक अलतेकर कमेटी की एक भी रिकमेण्डेशन को न मानकर हमारे यहां बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को यह मंत्रालय खर्च करता रहा है और एक भी वाशरी नहीं लगाई गई है। अब प्राइवेट कम्पनियों की वाशरियां कब तक लगेंगी और उनसे विक्रय कब तक होगा ? प्रश्न का दूसरा भाग विक्रय के बारे में है। मूल्य आपने अपने हाथ में रखा है, नियन्त्रण है उसका। मूल्य नियन्त्रण में यदि आप मूल्य बढ़ाते हैं, तो इस प्रकार का कोयला सबसे अधिक बिहार में होता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, आप क्या पुराने दर से बिहार को राशि देते रहेंगे, या बढ़ी हुई रकम में उसकी हिस्सेदारी को आप बढ़ायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा यह सही है कि एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति का गठन 1988 में योजना आयोग द्वारा किया गया। इसे रौंधे समिति कहा गया। समिति से अपेक्षा की गई कि वह इस विशेष पहलु पर विचार करेगी। समिति का निष्कर्ष, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि भारतीय गैर-कोकिंग कोयले में राख की मात्रा काफी अधिक है। इसकी मात्रा 40 प्रतिशत से अधिक है। जिसे कम से कम 34 प्रतिशत पर लाया जाना है। चूंकि राख की मात्रा कम की जानी थी, कोयले के परिष्करण की आवश्यकता पैदा हुई। कोयले से राख की मात्रा को कम किया जाना मात्र ही एक कारण नहीं था, बल्कि और भी कारण जैसे परिवहन लागत पर्यावरण इत्यादि थे।

अतः इस समिति की सिफारिश के आधार पर कोयला धोवनशालाओं की स्थापना किए जाने की आवश्यकता महसूश की गई। इसी समय, सरकार के पास संसाधनों की कमी के कारण हमने जानबूझ कर प्राइवेट पार्टियों को शामिल करने का निर्णय लिया और प्रक्रिंया शुरू हो गई है। मैं कह नहीं सकता कि यह काम कब तक पूरा होगा। यह एक सतत् प्रक्रिया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं 14 फर्में इन एकको को स्थापित करने के लिये योग्य पाई गई हैं। अब प्रक्रिया जारी है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, उत्तर के भाग (ख) में मंत्री महोदय ने कहा कि उड़ीसा में धोवनशालाएं स्थापित करने हेतु दो स्थानों कलिंगा तथा अनन्त भरतपुर का पता लगाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये दो धोवनशालाएं किन जिलों में स्थापित की जाएगी तथा इन दो धोवनशालाओं की क्षमता क्या होगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन दो धोवनशालाओं में कब से काम शुरू हो जाएगा।

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, प्राइवेट लोगों द्वारा धोवनशालाओं की स्थापना के लिए स्थान का पता

लगाना महत्वपूर्ण था। कोल इण्डिया लिमिटेड को भूमि उपलब्ध कराना है तथा धोवनशालाओं को अर्थक्षय बनाने के लिए पर्याप्त विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोयले की सप्लाई भी सुनिश्चित की जानी है। इन सभी बातों को ध्यान में रख कर आज तक केवल सात स्थानों का पता लगाया गया है तथा यहां काम शुरू करने के लिए 14 कम्पनियां योग्यता प्राप्त हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है पता लगाये गये इन सात स्थानों में से दो स्थान उड़ीसा में हैं। लेकिन, मैं खेद व्यक्त करता हूं कि, मुझे उड़ीसा के भूगोल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मेरे विचार से उड़ीसा के माननीय सदस्य यह पता लगाने में समर्थ होंगे कि कलिंगा किस जिले में आता है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, हमें यह जानकारी दी जानी चाहिए ताकि हमें मालूम हों सके कि किस जिले में धोवनशाला स्थापित की जाएगी।

श्री बी०ए० संगमा : इस सम्बन्ध में मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोयला खानों को भी नहीं छोड़ते।

एफ०एम० चैनल और प्रसारण केन्द्र

***443. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने एफ०एम० चैनल और प्रसारण केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और अधिक एफ०एम० चैनल और प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ये कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे; और

(ङ) इनकी स्थापना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) संलग्न विवरण-I में दिए अनुसार।

(ख) से (ङ) जी हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण

25-8-1994 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 443 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत एफ०एम० केन्द्रों/चैनलों की संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8

1	2	3
2.	असम	3
3.	बिहार	6
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	2
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	3
8.	जम्मू और कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	6
10.	केरल	3
11.	मध्य प्रदेश	12
12.	महाराष्ट्र	12
13.	उड़ीसा	3
14.	पंजाब	3
15.	राजस्थान	8
16.	त्रिपुरा	2
17.	तमिलनाडु	1
18.	उत्तर प्रदेश	4
19.	पश्चिम बंगाल	2
20.	दिल्ली	1
	कुल	83

उपर्युक्त 83 स्थलीय एफ०एम० चैनलों के अतिरिक्त, 1-4-1994 से 20 उपग्रह स्काई रेडियो चैनल परिचालित किए गए। ये समग्र देश में घरेलू एफ०एम० रिसीवर्स पर उपयुक्त डिश एंटीना प्रणाली के जरिये ग्रहण किए जा सकते हैं। इनसैट प्रणाली पर प्रसारण हेतु उपलब्ध ट्रांसपोजरों के पुनःसंरूपण के कारण कुछ चैनल अस्थायी रूप से बंद है।

विवरण-II

दिनांक 25-8-1994 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 443 के भाग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित राज्यवार एफ०एम० स्टेशनों/चैनलों को स्थापित करने से संबंधित आकाशवाणी की स्कीमों का ब्यौरा

क्र०सं०	स्थान	शक्ति (कि०वा०)	लक्ष्य	पूंजीगत लागत (ला० रू० में) (ख)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	विशाखापत्तनम (वा०प्र०से०)	2X5	1995-96	358.55
असम				
2.	गुवाहाटी (वा०प्र०से०)	2X5	1995-96	314.30
3.	धुबर्री	2X3	1995-96	286.40
4.	गुवाहाटी (रा०चै०)	2X3	1995-96	297.50
बिहार				
5.	रांची (वि०भा०)	2X5	1995-96	257.20
6.	धनबाद (रा० चै०)	2X3	—	287.21
7.	जमशेदपुर (वा०प्र०से०)	2X5	1995-96	405.53
गुजरात				
8.	अहमदाबाद (वि०भा०)	2X3	1995-96	298.68
9.	वडोदरा	2X3	—	—
10.	जूनागढ़ (रा०चै०)	2X3	—	281.30
हिमाचल प्रदेश				
11.	कुल्लू	3	1994	180.70
हरियाणा				
12.	हिसार	2X3	1995-96	236.54
13.	रोहतक (वा०प्र०से०)	2X5	—	—
जम्मू एवं कश्मीर				
14.	पूंछ	2X3	1994-95	276.80
15.	जम्मू (वा०प्र०से०)	2X5	1995-96	282.40
16.	भदरवाह	2X3	1995-96	321.05

1	2	3	4	5
कर्नाटक				
17.	बीजापुर	2x3	1994-95	294.00
केरल				
18.	त्रिवेन्द्रम (वा०प्र०से०)	2x5	1994-95	294.00
19.	कोचीन (वा०प्र०से०)	2x5	1994-95	325.70
महाराष्ट्र				
20.	नाशिक	2x3	1994-95	276.23
21.	उस्मानाबाद	2x3	1994-95	267.70
22.	बम्बई (रा०चै०)	2x5	1994-95	244.50
मिजोरम				
23.	लुंगलेह	2x3	1994-95	433.25
मेघालय				
24.	जोवई	2x3	1994-95	290.40
मणिपुर				
25.	चुराचांदपुर	2x3	1995-96	300.82
मध्य प्रदेश				
26.	मंडला	1	1995-96	265.65
27.	सराईपल्ली	1	1995-96	265.65
28.	जबलपुर (वा०प्र०से०)	2x5	1995-96	352.25
नागालैण्ड				
29.	मोकोकचुंग	2x3	1994-95	298.20
उड़ीसा				
30.	राउरकेला	2x3	1994-95	311.44
31.	पुरी	3	1995-96	155.25
राजस्थान				
32.	माउण्ट आबू	2x3	1994-95	299.63
33.	जोधपुर (विमा)	2x3	1994-95	259.16

1	2	3	4	5
त्रिपुरा				
34.	लोंगथराई	2X3	—	—
तमिलनाडु				
35.	नागरकोइल	2X5	1994-95	309.45
36.	कोडाइकनाल	2X3	1994-95	410.40
37.	मद्रास (राचै)	2X5	1994-95	246.55
38.	कोयम्बटूर (वाप्रसे)	2X5	1995-96	434.00
उत्तर प्रदेश				
39.	इलाहाबाद (विभा)	2X5	1994-95	291.98
40.	मसूरी	2X5	1994-95	97.50
41.	अलीगढ़	2X5	1995-96	244.00
पश्चिम बंगाल				
42.	शांतिनिकेतन	1	1995-96	265.65
43.	दार्जिलिंग (रिले)	2X5	—	—
44.	सिलीगुड़ी (वाप्रसे)	2X5	1995-96	352.25
45.	माल्दा (राचै)	2X3	--	292.75
46.	कलकत्ता (राचै)	2X5	1994-95	247.70
47.	आसनसोल	2X3	1994-95	235.70
दमन और द्वीव				
48.	दमन	3	1994-95	240.86
पाण्डिचेरी				
49.	कराईकल	2X3	1994-95	300.05
चण्डीगढ़				
50.	चण्डीगढ़	3	1995-96	111.15

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र दोनों में ही आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या सर्वाधिक है, अर्थात दोनों में से प्रत्येक राज्य में 12-12 केन्द्र हैं, जब कि अन्य राज्यों में एक दो अथवा तीन केन्द्र ही हैं। नये प्रस्ताव में भी यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक को चार-चार अतिरिक्त चैनल दिये गये हैं। पश्चिम बंगाल में दो केन्द्र हैं तथा तीन और केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; उत्तर प्रदेश में केवल चार केन्द्र ही हैं तथा तीन और केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, आंध्र प्रदेश में आठ केन्द्र हैं तथा केवल एक और केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है; और कर्नाटक में, यह केन्द्र हैं

और केवल एक और केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार ने क्या मानदंड अपनाये हैं और सरकार इन केन्द्रों को कब तक पूरा करे लेगी।

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, 1990 में नब्बे एफ०एम० केन्द्रों की योजना शुरू की गयी थी, जिनमें से 83 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। जो मानदंड अपनाए गए है उनमें से एक है; अविकसित, पर्वतीय और पिछड़ा क्षेत्र होना और दूसरा मानदंड है वे क्षेत्र जो पहले से चल रहे आकाशवाणी केन्द्रों की वर्तमान प्रसारण क्षमता के दायरे में नहीं आते। अतंर्राष्ट्रीय अपेक्षा के कारण 1977 में केवल एफ०एम० (फ्रीक्वेंसी माड्यूलेशन) केन्द्रों अथवा चैनलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि साधारण ए०एम० चैनलों तथा ए०एम० केन्द्रों की संख्या पहले ही पर्याप्त है। इसलिये प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में जहां वर्तमान आकाशवाणी केन्द्रों के प्रसारण श्रोताओं तक नहीं पहुंच पाते, वहां एफ०एम० केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप 90 में से 83 केन्द्रों पर कार्य शुरू किया गया है।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर बिल्कुल विरोधाभासी है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में से प्रत्येक में जहां 12-12 केन्द्र हैं, वहीं चार-चार और केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या गैर-सरकारी उद्यमियों की गैर सरकारी दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव हैं और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में इसकी अनुमति देते समय कोई विशिष्ट तरीके अपनाये जायेंगे, क्योंकि गैर-सरकारी दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करते समय कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक हैं। इस संबंध में दो मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया गया था मैं जानना चाहूंगा कि उन समितियों की सिफारिशें क्या थीं और क्या सरकार उन सिफारिशों को स्वीकार करने जा रही है। यह कहा जा रहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है अथवा क्या सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र गैर सरकारी एजेंसियों को देने के प्रस्ताव को स्वीकार करने जा रही है।

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, सरकार इसकी जांच कर रही है।

श्री एम०बी०बी०एस० मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर देते हुए कहा है कि सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करने का है कि इन एफ०एम० केन्द्रों के प्रसारण पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में ठीक-ठीक सुने जा सकें। मैं यह देख सकता हूं कि विशाखापत्तनम जिले में तथा ईस्ट गोदावरी जिला क्षेत्र में आदिवासियों का फैलाव काफी दूर-दूर तक हैं। स्थिति यह हैं कि वर्तमान दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम उन भागों में कहीं सुने अथवा देखे नहीं जाते हैं परन्तु क्या विशाखापत्तनम में एफ०एम० केन्द्र की स्थापना के साथ पर्यटक स्थलों अराकू तथा अनन्तगिरि में इस एफ०एम० केन्द्र के प्रसारण पहुंचने लगे हैं ? मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा।

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, इन आकाशवाणी केन्द्रों का प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। जहां तक विशाखापत्तनम जिले का संबंध है, एकबार इन निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा हो जाने पर हम देखेंगे कि क्या कोई क्षेत्र अभी तक छूटे हुए हैं। इन क्षेत्रों को प्रसारण की परिधि में बाद में लाया जायेगा।

[हिन्दी]

कोयले के मूल्य

*441. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1991 से जून, 1994 तक कोयले के उपभोक्ता मूल्यों में अनेक बार वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कोयले की उत्पादन लागत में भी निरन्तर वृद्धि हुई है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की उत्पादन लागत में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० (सिं०को०कं०लि०) द्वारा उत्पादित कोयले की पिटहेड कीमतों में दिसम्बर, 1991 से जून, 1994 की अवधि के दौरान क्रमशः चार तथा पांच बार वृद्धि की गई है।

(ख) से (ङ) विवरण सलग्न है।

विवरण

प्रत्येक वृद्धि के पश्चात् कोयले की औसत कीमतों के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

	कोयले की औसत कीमत (रु० प्रति टन)	
	को०इं०लि०	सिं०को०कं०लि०
27-12-1991	322.00	388.00
17-2-1993	364.00	434.00
19-6-1993	381.00	452.00
1-4-1994		482.00
17-6-1994	401.00	503.00

1990-91 के बाद लागत में हुई प्रतिशत वृद्धि सहित उत्पादन की औसत लागत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	को०इ०लि० लागत (रु० प्रति टन)	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	सिं०को०कं०लि० लागत (रु० प्रति टन)	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
1990-91	277.18	4.72	401.05	19.01
1991-92	301.67	8.84	452.15	12.74
1992-93	334.31	10.82	491.98	8.81
1993-94*	361.89	8.25	487.54	(-)0.9

* आंकड़े अनंतिम

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह स्पष्ट किया गया है कि गत तीन वर्ष में 4-5 बार कोयले की मूल्य वृद्धि की गई है, यानी लगभग 23 प्रतिशत कीमतों में बढ़ौतरी की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 23 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है; उसको ध्यान में रखते हुए क्या मूल्य-आधारित रायल्टी देने के बारे में सरकार विचार कर रही है? बिहार सरकार को पूर्व में 40 प्रतिशत सैस और 5.50 रुपए प्रति टन रायल्टी मिलती थी, जो कोर्ट के निर्णय की अपेक्षा में अभी बंद है। राज्य सरकार 45 प्रतिशत और 55 प्रतिशत कंपाउंड रूप में रायल्टी रखने का केंन्द्र सरकार से अनुरोध करती रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की मांग अनुसार और बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए क्या मूल्य-आधारित रायल्टी देने पर सरकार ने कोई निर्णय लिया है। यदि निर्णय नहीं लिया है तो कब तक निर्णय लेने वाले हैं और किस तारीख से बढ़ी हुई दर से रायल्टी का भुगतान किया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, वर्तमान कानून के अनुसार रायल्टी तीन वर्षों में एक बार बढ़ायी जाती है। रायल्टी की वर्तमान दर तीन वर्षों से लागू है। इसलिये, इसमें संशोधन का समय आ गया है।

डा० मुमताज अंसारी : मंत्री महोदय, वृद्धि दो वर्षों में एक बार होती है, तीन वर्षों में एक बार नहीं।

श्री पी०ए० संगमा : रायल्टी में संशोधन का समय हो गया है। इसलिये सरकार रायल्टी की दर में संशोधन करने के लिये इस पर कोयला उत्पादक राज्यों से विचार-विमर्श करके विचार कर रही है। मैं समय-सीमा नहीं बता पाऊंगा। परन्तु हम इसे यथा संभव शीघ्र करेंगे।

डा० मुमताज अंसारी : कृपया इसे तत्काल करें।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय मंत्री जी का उत्तर रायल्टी के संबंध में संतोषजनक नहीं है। बिहार सरकार को पिछले तीन वर्षों में रायल्टी का पुनर्निर्धारण न हो पाने के कारण 3000 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। मैं स्पेसिफिकली माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मूल्य-आधारित रायल्टी की दर तय करना चाहती हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, बिहार सरकार को इस कानून की भलीभांति जानकारी है कि रॉयल्टी में वृद्धि केवल तीन वर्षों में एक बार की जा सकती है। वास्तव में रॉयल्टी की संशोधित दर केवल 1 अगस्त, 1994 से प्रभावी होगी। इसलिये मैंने कहा कि इसके संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मूल्यों के आधार पर की जायेगी ?

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, प्रत्येक बात पर विचार किया गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिये कि यह नकारात्मक उत्तर नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : कीमत के आधार पर रायल्टी की दर तय करेंगे या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यहीं आपको समझ लेना चाहिए।

[अनुवाद]

विजय एन० पाटील : महोदय, कोयला उत्पादन की लागत में प्रतिवर्ष 10 से 15 प्रतिशत वृद्धि निरंतर हो रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या निजी उद्यमियों को कोयला खानें और धोवनशालाएं स्थापित करने की अनुमति देने से उत्पादन लागत कम होने की संभावना है।

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, यह सच है कि कोयले की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है। वास्तव में पिछले 3-4 वर्षों में, उदाहरणार्थ 1990-91 से 1993-94 तक, उत्पादन लागत में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके बहुत से कारण हैं। मैं एक साधारण उदाहरण देता हूं कि श्रमिक वर्ग को वेतन लागत तथा विभिन्न भत्तों की लागत में किस प्रकार वृद्धि हुई है। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों के फलस्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण तथा अन्तिम वेतन समझौता होने तक श्रमिकों को 100 रुपये की अंतरिम सहायता दिये जाने के कारण 620 करोड़/रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है। यदि हम उत्पादन लागत का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि उत्पादन लागत तो 50 प्रतिशत मजदूरी और ब्याज जैसे घटक ही बैठते है।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने अधिक रायल्टी के लिए अभ्यावेदन दिया है, यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने अधिक रायल्टी के लिए अभ्यावेदन दिया है और उन्होंने रायल्टी बढ़ाने के लिए क्या-क्या कारण दिए हैं ?

श्री पी०ए० संगमा : अधिकांश कोयला उत्पादक राज्यों ने रायल्टी बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन दिया है। इसका यह कारण है कि वे अधिक राजस्व चाहते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : इसमें कोई शक नहीं है कि वे अधिक राजस्व चाहते हैं। परन्तु, मैं इसके कारणों के बारे में जानना चाहता हूं। आप तो, अस्पष्ट उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोयले की रायल्टी दर का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है और राज्य में कोयले की रायल्टी तीन साल में बढ़ाई जाती है और अच्छी क्वालिटी के कोयले का पुनरीक्षण तीन साल में किया जाता है। यह देखा जाता है कि मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी निम्न श्रेणी के कोयले का भंडार है परंतु उसका पुनरीक्षण नहीं किया जाता है जिसकी वजह से राज्य सरकारों को जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। कोयले की दर के साथ-साथ रायल्टी की दर भी उसके साथ जोड़ते हैं तो इस संबंध में कितनी राज्य सरकारों ने आपके पास इस बारे में सुझाव भेजे हैं तो क्या उन राज्यों को रायल्टी की दर मूल्य सूची के आधार पर उनको देने जा रहे हैं अथवा नहीं, यदि हा तो कब तक ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, सभी किस्मों के कोयले की रायल्टी की दर में कोई समानता नहीं है। विभिन्न श्रेणियों के कोयले हैं जैसे ए०, बी०,सी०,डी०,ई० और एफ०। कोयले का सरकारी मूल्य भी कोयले की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित किया जाता हैं। अतः, बेहतर गुणवत्ता वाले कोयला उत्पादक राज्य को अधिक रायल्टी मिलेगी। इसलिए रायल्टी की दर इसकी श्रेणी के हिसाब से बदलती जाती है। परन्तु जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले हम, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान देते हैं।

फिल्मों में अश्लीलता

*445. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों में अश्लीलता और आपत्तिजनक दृश्यों पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से संबद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा फिल्म निर्माताओं के मार्गदर्शन के लिए बनाये गए नए दिशानिर्देश बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए हाल ही में परिचालित किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन नए दिशानिर्देशों की कब तक अंतिम रूप से स्वीकृति दिये जाने और उन्हें लागू किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

चलचित्र की अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख(2) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 6-12-1991 को जारी मार्गनिर्देशों की प्रति अनुबंध-I पर है।

केन्द्रीय सरकार ने कोई और मार्गनिर्देश जारी नहीं किए हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भी कोई नए मार्गनिर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, हाल ही में बंगलौर में हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन

बोर्ड ने ऐसे उदाहरण देते हुए जहां मौजूदा संहिता का पालन किया जा सकता है, मार्गनिर्देशों के व्यावहारिक पहलू में जाने का प्रयत्न किया है। एक फिल्म से दूसरी फिल्म तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य में किसी महत्वपूर्ण विभिन्नता के बिना फिल्मों को जांच करने में अपने पैनल सदस्यों की सहायता करने का यह आंतरिक प्रयास था। इस बैठक में देखने में आए आपत्तिजनक दृश्यों की अंतरिम सूची अनुबंध-2 पर दी गई है।

अनुबंध-I

भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग-2, खंड-3 के उपखण्ड-2 में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 6 दिसम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 805/1/90-एफ (सी) से लिया गया उद्धरण।

सा०का०नि० केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 9(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे :—

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि :—

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाएं;

(ग) प्रमाणन व्यवस्था व सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हों;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि :

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचिज न ठहराई जाएं;

(2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होंने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाएं जाएं जिनमें;

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक हाते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दूरूपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरूप्रयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

(5) ये दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने वाले अथवा उचित ठहराने वाले दृश्यों को न दिखाया जाए;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिससे नीचे प्रवृत्तियो को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं।

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) काम-विकृतियां दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिएं;

(13) सांप्रदायिक, रुढ़िवादी, अवैधानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृतियो को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिएं;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नही किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिएं जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य यां शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिएं जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;

व्याख्या :ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठिता पर आधात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे।''

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाएं जाएं।

3. फिल्म प्रमाणिकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि :—

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है, और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/ अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों को बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदण्ड का उल्लंघन नहीं करते हों।

अनुबंध-2

मार्गनिर्देशों को दर्शाते हुए आपत्तिजनक दृश्यों को अंतरिम सूची।

हिंसा

1. विशेषतः बच्चों, बंदूकों, आदि का प्रयोग करते हुए पूजा स्थलों, अस्पतालों, अनाथालयों में हिंसा।
2. गर्भवती महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, मरीजों, बच्चों पर हिंसा तथा बच्चों का अपहरण।
3. परिचित और संबंधियों द्वारा महिलाओं को थप्पड़ मारना/पीटना/प्रहार करना।
4. चेन दस्तों, उत्पीड़न पहुंचाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस स्टेशन पर हिंसा।
5. जानवरों, चैन तथा बैल्ट का प्रयोग करते हुए हिंसा (अनुकरणीय तरीके की हिंसा)।
6. वेश्यावृत्ति में जबरदस्ती डालने के लिए महिलाओं पर होने वाली हिंसा के दृश्य।
7. चाकू घोंपने, सर काटने, लटकती हुई लाश के दृश्य (पार्श्व अथवा सांकेतिक तरीके से दिखाए जा सकते हैं)।

अश्लीलता

1. ययनित तथा फिल्मी वेशभूषा, मूवमेन्ट विशेषकर पास से लिए गए सीधे शाटों के जरिए गीत और नृत्य दृश्यों में नारी की शरीर रचना को चुनकर अनावृत्त करना, (उदाहरण स्वरूप, वक्षस्थलों, विदलन, जांघों)।

2. नारी शरीर रचना की तरफ संकेत करते हुए द्विअर्थी संवाद (उदाहरणस्वरूप वक्षस्थलों अथवा सेब अथवा अन्य कोई फल)

3. मैथुनिक क्रिया का उत्तेजन (उदाहरण स्वरूप कार, चारपाई को हिलते हुए दिखाना)।

4. नारी तथा पुरूष को एक दूसरे के सामीप्य अथवा एक दूसरे के ऊपर तथा एकदम सामीप्य तथा कमर से नीचे के झटके मारते हुए मैथुन की प्रेरणा को दर्शाना।

5. श्रेणीय झटके, वक्षस्थल को हिलाना, नितम्ब झटके, नारी तथा पुरूष एक दूसरे पर चढ़ें हुए, एक साथ लुढ़कना, नारी शरीर को वक्षस्थल से लेकर जांघों तक रगड़ना, वक्षस्थल से पुरूष को धक्का देना/रगड़ना, आलिंगनबद्ध टांगों सहित एक दूसरे की जांघों और कमर पर बैठना, नारी की स्कर्ट को उठाना तथा उसमें झांकना, नारी की नाभि तथा कमर को भींचना।

6. वक्षस्थलों, नाभि, नितम्बों तथा जांघों के ऊपरी भाग को चूमना तथा अश्लीलता।

7. चोली के अन्दर सिक्के आदि डालना तथा अन्य प्रकार की छेड़खानी जिससे नारी शरीर का छिपाव उजागर हो।

8. नारी के कपड़े उतारना।

संस्थाओं पर आक्रमण

संवैधानिक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त व्यक्तियों जैसे मंत्रियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक और शहरी क्षेत्र में उपायुक्त से लेकर ऊपर के पुलिस अधिकारियों को सांठगांठ करते हुए अथवा अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र विरोधी के रूप में दर्शाना।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : माननीय अध्यक्ष जी, आजकल हम टी०वी० पर बच्चों के साथ पिक्चर देख नहीं पाते हैं, इससे पूरा सदन मेरे साथ सहमत हो सकता हैं अध्यक्ष महोदय, अगर आप भी स्वयं विडियो में पिक्चर देखेंगे तो बच्चों के साथ नहीं देख पायेंगे। सेंसर बोर्ड का निर्माण अश्लीलता और असामाजिक बातों को फिल्मों में रोकने के लिए बनाया गया था। यदि हां तो क्या सेंसर बोर्ड निष्प्रभावी हो गया है और इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार है और इन लोगों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा फिल्म प्रमाणन बोर्ड को समय-समय पर दिए जाने वाले निदेश और सलाह के बारे में विस्तृत जानकारी अनुबंध-एक और अनुबंध-दो में दी गई है।

अब, संसद में, प्रेम में, वाद-विवाद के दौरान गोष्ठियों में, संसद सदस्यों हमारी सभी महिला सांसदों

जोकि परामर्शदाता समिति की सदस्या हैं के साथ-साथ फिल्म समालोचकों के साथ गत ... में हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप उन्हें और निर्देश जारी किए गए हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड इनका अनुपालन करने की कोशिश कर रहा है और बोर्ड अन्य बातों को हटाने की कोशिश भी कर रहा हैं। परन्तु, इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्म स्वीकृत किए जाने के बाद भी इसमें कुछ आपत्तिजनक और अवांछनीय बातें जोड़ कर प्रदर्शित किए जाने के मामले पाए गए हैं। जब इन बातों का पता चलता है तो राज्य सरकारों और राज्य स्तरीय तंत्र द्वारा ऐसे मामले में कार्यवाही की जाती है। कुछ राज्य सरकारों ने इस पर कड़ी कार्यवाही की है। महोदय, पुनः यह सब पोस्टमार्टम जैसा ही है क्योंकि इसका वास्तविक कार्यान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार के पास इसका निचले स्तर पर कार्यान्वित करने अथवा रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं है। कई विडियो फिल्में ऐसी हैं जो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं क्योंकि लोग इन्हें अपने साधारण घरों में देखते है जहां कानून के लम्बे हाथो उनके घरों में एकान्तता भंग करने नहीं पहुंच सकते हैं ?

अतः इन सभी बातों पर जून में राज्यमंत्रियों के साथ चर्चा की गई और संसद सदस्यों, राज्य सूचना मत्रियों के साथ हुई चर्चा के फलस्वरूप केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को जून के बाद और अधिक निर्देश और सलाह दिए गए है। चलचित्र अधिनियम (संशोधन) विधेयक गत दो वर्षों से संसद के समक्ष लम्बित है। मंत्रालय ने इसके स्थायी समिति को सौंप दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है जिसने इसे अधिक कड़ा और दण्डात्मक एवं अधिक निरोधात्मक बना दिया है।

इसलिए, हम संसद सदस्यों, जनता और प्रेस के विचारों के अनुसार इसे यथा सम्भव प्रभावी बनाने के लिए प्रयास करते रहे परन्तु इसे लागू करना केन्द्रीय सरकार के हाथ में नहीं है। अतः इसमे विसंगति है और यह अत्याधिक जटिल मामला है। इसे केवल राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों के सहयोग से ही निपटाया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : जब भी यह प्रश्न उठाया जाता है तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, इस पर काम कुछ नहीं होता है। आज जो फिल्में बनाई जाती हैं वह ज्यादातर नेताओं और पुलिस पर ही होती हैं। मैं दूसरा पूरक प्रश्न यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार ने इस बात का आंकलन किया है कि सेंसर बोर्ड के निष्प्रभावी होने के कारण समाज पर उसका क्या बुरा प्रभाव हुआ है और फिल्मों में अश्लीलता पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकार क्या विशेष कार्रवाई करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, जैसा कि मैंन कहा है कि यह विधेयक गत दो वर्षों से संसद के समक्ष लम्बित है। ऐसे भी कई उदाहरण मिले हैं जिनमें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड क्षेत्रीय और केन्द्रीय स्तर पर कुछ अंश हटाने के लिए जोर देता रहा है। मैं गत दो वर्षों के कुछ आंकड़े दूंगा जिनमें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फीचर फिल्मों गैर फीचर फिल्मों और अन्य फिल्मों में से कुछ हिस्से हटा दिए हैं। इस पर कुछ लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं और न्यायालय द्वारा फिल्मों पर प्रतिबन्ध न लगाने का निर्णय दिए जाने के बाद केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास प्रमाणन पत्र जारी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता है। ये बहुत ही जटिल मामले हैं और अंततः इन फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगां

यदि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर न्यायालयों द्वारा प्रभाव डाला जाता है तो क्या हमें देश के उच्चतम न्यायालयों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानना चाहिए और फिल्म पर कुछ समय बाद प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और यह ऐसा मामला है कि गहन मनन के बाद ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं आपको गत तीन वर्षों के आंकड़े दूंगा। वर्ष 1991 में भारतीय फीचर फिल्मों की कुल 14419 मीटर रील में से भाग 910 मीटर रीले को काटा गया था और विदेशी फीचर फिल्मों की कुल 2096 मीटर रील में से 124 मीटर रील काटी गई थी। 1992 के दौरान भारतीय फीचर फिल्मों की कुल 15273 मीटर रील में से 836 मीटर रील काटी गई थी। और विदेशी फीचर फिल्मों की कुल 1187 मीटर रील में से 80 मीटर रील काटी गई थी। 1993 के दौरान भारतीय फीचर फिल्मों की कुल 12003 मीटर रील में से 812 मीटर रील काटी गई थी और विदेशी फीचर फिल्मों की कुल 1244 मीटर रील में से 174 मीटर रील काटी गई थी। अतः केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अपना कार्य करने का प्रयास कर रहा है।

परन्तु कुछ ऐसे तत्व है जो फिल्म के प्रमाणन के बाद उसमें कुछ और अंश जोड़ देते हैं और इसका कार्यान्वयन राज्य तन्त्र और कानून तन्त्र द्वारा किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती है। इस संबंध में दोनों में सहयोग होना चाहिए। विधेयक राज्यसभा में लम्बित है और यह लोकसभा में आएगा। क्षेत्रीय प्रणालियों को दण्डात्मक और पुलिस की शक्तियां किए जाने की मांग भी गई। यह सम्बन्धित है। यह स्थायी समिति के पास जाएगा जैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, मैं दोनों सभाओं के सुझाव मांगूगा। हम इसे यथासम्भव कठोर बनाएगें। हम माननीय सदस्यों के विचारों का सहर्ष स्वागत करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि सरकार की खुली अर्थ नीति के कारण देश की जनता लिखने और पढ़ने में ज्यादा उलझी हुई है लेकिन आज की फिल्मों को देखने के बाद केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर विश्वास करने को दिल नहीं चाहता है फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जब इस फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा, इसको कुछ और अधिक अधिकार देकर इसमें महिलाओं को सहभागी बनाये जाने पर विचार करेगी ताकि फिल्मों में बढ़ती हुई हिंसा और अश्लीलता पर रोक लग सके ?

श्री के०पी० सिंह देव : जी हां, महोदया हम चाहते है कि 50 प्रतिशत संसद सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मंत्री महोदय के मौखिक उत्तर से यह स्पष्ट है कि अच्छे दिशानिदेशों के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है, अच्छे दिशानिर्देश हैं लेकिन कठिनाई उनके कार्यान्वियम में है। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि सरकार अपने नियंत्रणाधीन दूरदर्शन पर फिल्मों में अश्लीलता दृश्यों को नियंत्रित करने में असमर्थ है। साथ ही मैं पूछना चाहती हूं कि जहां तक निजी टेलीविजन का संबंध है तो केवल टी०वी० के नियमन हेतु लाए गए केवल टी०वी० विधेयक का क्या हुआ।

मेरे प्रश्न का (ख) भाग दूरदर्शन के वाणिज्यिकीकरण से सम्बन्धित है जिसके कारण दर्शकों के साथ ऐसा व्यवहार होता है।

अतः मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास राजस्व अर्जित करने के लिए सर्वाधिक बोली लगाने वालों को समय देने के बजाय गैर-वाणिज्यिक संगठनों, राज्य सरकारों, जिला परिषदों, विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं को अपने कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए बढ़ावा देने की कोई योजना है जो एक विकल्प प्रदान करेगी न कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

श्री के०पी० सिंह देव : जहां तक दूरदर्शन का संबंध है तो मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत नहीं हूं। हो सकता है कि विगत में ऐसा रहा हो। मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि समय के आवंटन के लिए एक योजना थी और एक समिति थी जिसके तहत उन कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति की गई थी जिनको प्रसारण

से पूर्व नहीं देखा गया था। परन्तु सभा में चर्चा हई थी और सांसदों के विचार लिए गए थे। हमने 11 मई को भी संसदीय सौध में चर्चा की थीं। परिणामस्वरूप दूरदर्शन अब ऐसे किसी कार्यक्रम या नृत्य भी अन्य दृश्य के प्रसारण की अनुमति नहीं देता जिनकों प्रसारण से पहले से नहीं देखा गया हो।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : कल शाम, कुछ ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया था जिनमें कुछ विकृतियों को दिखाया गया था जिनको दिखाया जान दिखा निर्देशों में निषेध है।

श्री के०पी० सिंह देव : जहां तक दूरदर्शन विधेयक का संबंध है तो मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। मेरी इच्छा है कि वह इसे पारित कराने में मदद करेंगी क्योंकि यह विधेयक दिसम्बर, 1993 से संसद में बड़ा है। स्थाई समिति अपने विचार पहले ही दे चुकी है। कार्यमंत्रणा इस पर निर्णय लेगी।

अध्यक्ष महोदय : संसद का संदर्भ दिया जा रहा है सरकार को हमें सुझाव देना चाहिए कि विधेयक को चर्चा के लिए सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं संसदीय मामलों के मंत्री के माध्यम से ऐसा करने के लिए कहूंगा। परन्तु वस्तुस्थिति यह है यह गत वर्ष दिसम्बर में पुरःस्थापित किए जाने के बाद में सभा से पड़ा है। इसे जैसे ही सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तों मैं माननीय मंत्री महोदय से इसे यथासम्भव प्रभावी बनाने के लिए कहूंगा। आज एक समाचार आया है। केवल आपरेटर स्वयं चाहते हैं कि बाहर से आने वाले कुछ चैनलों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इन बातों पर ध्यान से सोचना होगा और ससंद में आने से पहले इसके निहितार्थों के बारे में सोचना होगा।

जहां तक वाणिज्यिकीकरण का संबंध है वस्तु स्थिति यह है कि हमे राजस्व की आवश्यकता है क्योंकि दूरदर्शन को अपना राजस्व स्वयं अर्जित करने के लिए कहा गया है। बजट सहायता का 80 प्रतिशत वापस ले लिया गया है। राजस्व के बिना दूरदर्शन अपने व्यापक ढांचे के साथ कार्य नहीं कर सकता है। अतः वाणिज्यिकीकरण कोई बुरी बात नहीं है यदि यह अतिक्रमण नहीं आता या हमारी संवेदन शीलता के विपरीत नहीं हैं। सांसदों और फिल्म आलोचकों के विचारों के उत्तर देने का दूरदर्शन का सतत प्रयास रहता है। यह सर्वाधिक बोली लगाने वालों को नहीं दिया जा रहा हैं। केवल एफ०एम० रेडियों चैनलों को 'पहले आओ-पहले-पाओं' के आधार पर दिया गया था। जो एक चैनल दूरदर्शन को दिया जा रहा था उसे उच्च न्यायालय के विस्तृत कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने इन निर्णय को निरस्त कर दिया है। हम नई योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उसे संचालन से पूर्व उच्चतम न्यायालय को भेजेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हू कि आपने अभी जो आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में महिलाओं को 50 प्रतिशत हिस्सा देंगे, यह अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जब हम लोग पुरानी फिल्में देखते हैं तो उन्हें परिवार के साथ अच्छी तरह से देख सकते हैं लेकिन यह सही बात है कि आज की बनी फिल्में हम परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी दलों की महिला सदस्यगण राष्ट्रपति महोदय से मिली थी। आपने फिल्म सें संबंधित सभी अधिकारियों की एक मीटिंग संसद-सदस्यों के साथ रखी थी जो चार-पांच घंटे चली थी। उसके नतीजे में क्या ठोस परिणाम निकले हैं ?

दूसरी बात यह है कि आपने बताया है कि फिल्म निर्माताओं के मार्गदर्शन के लिए आपके द्वारा नये दिशा निर्देश बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए हाल ही में आपने प्रमाणन पत्र परिचालित किया है, लेकिन जो दिशा निर्देश करने वाला बोर्ड है, उसमें भी क्या आप महिलाओं को स्थान देंगे ?

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : जैसा कि मैंने कहा कि इस बोर्ड में आधी महिला सदस्य होंगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० पी०जे० कुरियन एक व्यक्ति को एक प्रश्न पूछना चाहिए।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, लोग फिल्मों के स्थर को बनाए रखने के बारे में समान रूप से रूचि रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। एक तरफ तो विदेशी टेलीविजन के विभिन्न प्रकार के प्रसारणों से सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है। दूसरी तरफ, देश में निर्मित होने वाली फिल्में हमारे मूल्यों और परम्पराओं को विकृत करने का प्रयास कर रही हैं। आप कृपया दिशा निर्देशों को पढ़े। मैंने दिशा-निर्देशों को पढ़ा है। एक दिशा-निर्देश के अनुसार विकृत भावनाओं को उभारने वाले द्विअर्थी संवादों की अनुमति नहीं है। एक दूसरे दिशा-निर्देश के अनुसार फिल्म बच्चों सहित परिवार के सदस्यों द्वारा एक साथ बैठकर देखने योग्य होनी चाहिए। माननीय मंत्री ने कहा कि 10,000 मीटर लम्बी निर्मित फिल्म में से इतना सा काट लिया गया अथवा हटा दिया गया है यह सही है। परन्तु मैं बांकी बचे हुए हिस्से की बात कह रहा हूं जिसे नहीं हटाया गया।

महोदय, मुझे एक फिल्म देखने का एकबार मौका मिला था।

एक माननीय सदस्य : उस फिल्म का क्या नाम हैं ?

प्रो० पी०जे० कुरियन : मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। ऐसा मेरा अपना विचार है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह एक मलयालम फिल्म है। मुझे शर्म के कारण अपना सर झुकाना पड़ा क्योंकि पूरी फिल्म में द्विअर्थी शब्दों का उपयोग किया गया था। इन शब्दों का बार-बार प्रयोग किया गया था जो मानव स्वभाव की निम्न मनोवृत्ति को संतुष्ट करनी हैं। यह काफी अपमानजनक बात है। मैंने फिल्म देखने के बाद कुछ महीने पहले माननीय मंत्री को भी लिखा मैंने इसके बारे में भी पता किया। ऐसा होता है कि प्रमाणन बोर्ड अल्पावधि की नोटिस पर बैठक करती है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए यह संक्षिप्त तथा स्पष्ट अर्थ में होना चाहिए।

प्रो० पी०जे० कुरियन : ऐसा होता हैं कि प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास में या अन्यत्र जगह पर बोर्ड की बैठक अल्पावधि के नोटिस पर अयोजित की जाती है इनके पास विशेषज्ञ नहीं होते हैं जो क्षेत्रीय भाषा से भली-भांति परिचित हों। वे द्विअर्थी शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। अतएव इन समितियों में क्षेत्रीय भाषाओं के विशेषज्ञ होने चाहिए। मैं विशेषरूप से मलयालम फिल्मों की बात कर रहा हूं जिनमें कई फिल्मों में द्विअर्थी शब्दों का उपयोग होता है जिसके फलस्वरूप ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल होती है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य किस हद से क्षेत्रीय भाषा विशेषरूप से मलयालम भाषा जानते हैं तथा यह भी कि किन-किन भाषाओं में इन द्विअर्थी शब्दों का बार-बार उपयोग होता है ? और यदि ऐसा है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगें ? मैंने आपको भी इस संबंध में लिखा है।

श्री के०पी० सिंह देव : माननीय सदस्य काफी सही हैं। उन्होंने लिखा और मलयालम फिल्म के इस पहलू की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। एक नियम यह है कि द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहां तक कि फिल्म प्रमाणन केन्द्रीय बोर्ड या क्षेत्रीय कार्यालय भी उन्हें अनुमति नहीं देते हैं। अतएव लोग न्यायालय जाते हैं तथा वहां से छूट लेकर आ जाते हैं। जैसा कि उन्होंने सही बताया है कि हमें किसी फिल्म को दिखाने

की अनुमति नहीं देने के लिए हमें इस मामले पर पूरी तरह गौर करना पड़ेगा। सरकार केवल निर्देश दे सकती है या सुझाव दे सकती है। यदि इससे बात नहीं बनती हो तो अंतिम अस्त्र के रूप में फिल्म को दिखाने की अनुमति वापस ली जा सकती है। इस हमें काफी समझ बूझ तथा कड़ी जांच के बाद करना पड़ेगा।

कोयला क्षेत्र

*446. **श्री चेतन पी०एस० चौहान :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों की तुलना में भारत के कोयला क्षेत्र की उत्पादकता कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण क्या है; और

(घ) उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) विश्व के कुछ प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में संबंध में प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली उत्पादकता के संदर्भ में उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(टन में)

देश	भूमिगत	ओपेनकास्ट	सभी खानें	वर्ष
आस्ट्रेलिया	15.60	34.68	23.86	1992
चीन	—	—	1.33	1992
फ्रांस	3.9	—	—	1990-91
जर्मन	5.20	—	—	1992
भारत (को०इ०लि०)	0.55	4.00	1.52	1993-94
(सिं०को०क०लि०)	0.71	4.38	1.05	1993-94
पोलैंड	1.90	—	—	1990-91
अमेरिका	18.00	40.20	26.40	1992
यू०के०	8.76	—	—	1993

(ग) अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में यंत्रिकृत ओपेनकास्ट खानों के संबंध में प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली उत्पादकता तुलनात्मक है। किन्तु भारत में समग्र रूप में प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली/उत्पादकता कम होने के कारण विशेषकर भू-गत खानों में नीचे दर्शाये गए हैं :—

(1) अधिकांश भू-गत खाने पुरानी, विस्तृत तथा श्रमिक द्वारा उत्खनित की जाती है।

(2) बहुत सी भू-गत खानों में निम्न-भू-खनन समस्याएं हैं, जैसे ढलवा तथा बहुल सीमें, आग की बाहुलता तथा पुराने क्रियाकलापों के आसपास के क्षेत्रों में जलमग्नता तथा भू-तल पर निर्मित ढांचे, जिन्हें रेत भराई आदि द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता है, ऐसे अनुत्पादित क्रियाकलापों से निपटने के लिए जिनमें काफी संख्या में श्रमशक्ति को नियोजित करना अपेक्षित है।

(3) श्रमिकों में अनुपस्थिति की उच्च दर।

(4) विभागीय कार्यबल के माध्यम से कार्यशाला, वेयर हाउस, जलापूर्ति, कालोनी अनुरक्षण, आदि के लिए सहायतित सेवाएं मुहैया करना कोयला कंपनियों के लिए अपेक्षित है, जोकि प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली की कुल उत्पादकता के आंकड़ों की कम कार्य निष्पादन की संगणना में सहायता करते हैं।

(5) पूर्वी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में बराम्बार रुकावट तथा विद्युत की कमी जोकि ई०को०लि०, भा०को०को०लि० तथा से०को०लि० की खानों के कार्यचालक को प्रभावित करती हैं।

(घ) कोयला खानों में उत्पादकता में सुधार किए जाने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) लोड हॉल डम्पर तथा साइड डिसचार्ज लोडर को आरंभ करके बोर्ड तथा पिल्लर के क्रियाकलापों का यंत्रिकरण।

(2) ओपेनकास्ट खानों में ड्रैगलाइन, शावेल, डम्पर तथा ड्रिल जैसे उच्च क्षमता के उपकरणों का नियोजन।

(3) आवश्यक आगत तथा सुधरी हुई पद्धति मुहैया करके पावर सपोर्ट लांगवाल उपकरण सहित सभी उपकरणों के कार्य निष्पादन में सुधार करना।

(4) पहले ही चल रही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से श्रमशक्ति का युक्तिकरण तथा नियोजन सहित श्रमशक्ति आयोजन में सुधार किया जाना।

(5) जहां कहीं भी व्यवहार्य हो "आल मैन आल जॉब" की संकल्पना को आरंभ करना।

(6) आवश्यक कार्यशाला सहायता, अतिरिक्त कलपुर्जों, आदि के प्रबंध में सुधार करके उपकरणों की उपलब्धता तथा उपयोगिता में सुधार किया जाना।

(7) भू-गत खानों में बेहतर वायु संबंधी व्यवस्था, उचित प्रकाश तथा संचार की सुधरी पद्धति उपलब्ध कराके कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार किया जाना।

(8) डी०वी०सी० से विद्युत प्राप्त करने के लिए सीधे फीडरों के निर्माण के माध्यम से, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र की कोयला खानों में विद्युत आपूर्ति में सुधार करना तथा चुनिन्दा स्थलों पर ग्रहीत विद्युत संयंत्रों की स्थापना किया जाना।

(9) विभिन्न कोयला कंपनियों में कार्यरत संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से प्रबंधकों, पयर्वेक्षकों तथा कामगारों के बीच विचार-विमर्श की व्यवस्था में सुधार किया जाना।

श्री चेतन पी०एस० चौहान : यह आश्चर्यजनक है कि मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यंत्रीकृत खुले मुहाने की खानों में प्रतिव्यक्ति शिफ्ट उत्पादन की तुलना विकसित देशों में किए जा रहे तत्सम्बंधी की उत्पादन से की जा सकती है। भारत के पास 196 मिलियन मीट्रिक टन का आरक्षित भंडार है। तथा इसमें से 65 मिलियन मीट्रिक टन 150 वर्षों में निकाला जा सकता। कम उत्पादकता तथा उत्पादन का मुख्य कारण इन भागों के उत्तर में दिया हुआ है। मेरे प्रश्न दो भागों में हैं : (क) इन उपायों को लागू करने में क्या समय लगेगा और क्या सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ? और (ख) क्या सरकार के पास इन उपायों को लागू करने के लिए संसाधन है ?

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, खानों में उत्पादकता खानवार अलग-अलग होती है। खुले मुहाने वाले खानों में उत्पादन अलग है तथा भूमिगत खानों में अलग है। 'तुलनात्मक' शब्द का अभिप्राय यह है कि जहां तक खुले खदानों का प्रश्न है जहां पर हमने उन्नत तकनीक लागू किए हैं, हमारी उत्पादकता काफी ज्यादा है। यही वह अर्थ है जिसमें हम इनके द्वारा पहुंचना चाहते हैं। उन क्षेत्रों में जहां पर हमारी श्रम शक्ति ज्यादा लगी है विशेषरूप से भूमिगत खानों में, वहां पर हमारी उत्पादकता काफी कम रही है। उत्पादकता बढ़ाना तथा गिनाए गए उपायों को लागू करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं, कुछ कमद लिए जा रहे हैं तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा होती रही हैं तथा इन समीक्षाओं के बाद हमें अन्य चीजें भी लानी पड़ सकती हैं। अतएव इस प्रकार पूरी प्रक्रिया ही एक अनवरत प्रक्रिया है।

श्री चेतन पी०एस० चौहान : मैंने प्रश्न (ख) के संबंध में जानना चाहा है कि क्या सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हैं क्योंकि आपने द्वारा बताए गए उपाय जो 8 से 10 के बीच हैं, वे सरकार की काफी ज्यादा मंहगे पड़ने वाले हैं। क्या आपके पास इन उपायों को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री पी०ए० संगमा : यह सही है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। योजना आयोग के कार्यकारी समूह ने यह अनुमान लगाया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोयला क्षेत्र की मांग लगभग 20,000 करोड़ रुपये की बराबर होगी। कोयला मंत्रालय ने योजना आयोग से यह कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला क्षेत्र की मांग 19,000 रु० के बराबर होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब योजना को अंतिम रूप दिया गया तो यह 11,000 करोड़ रुपये के बराबर आ गया। अतएव, हमारी अपने अनुमान के आधार पर हमारे पास कोयला क्षेत्र के लिए 8000 करोड़ रुपये से अधिक की कमी है। वस्तुत इसीलिए हम संसद में कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन करने आए तथा रक्षित विद्युत क्षमता के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया।

श्री चेतन पी०एस० चौहान : महोदय, गत बीस वर्षों के दौरान कोयला क्षेत्र पर सरकार का एकाधिकार रहा है, इसमें निवेश 370 करोड़ रुपये से बढ़ कर 13, 132 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा जिसमें 12,762 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन वास्तविक उत्पादन 1973 में 77 मिलियन टन से बढ़कर 1992 के 238 मिलियन टन तक ही पहुंच पाया यह स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र अपने उद्देश्य में सफल नही हो पाया है तथा आशा के अनुरूप इसमें वृद्धि नहीं हो पाई। इस सरकार उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक से मुक्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाना चाहती है।

श्री पी०ए० संगमा : मैंने उस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। हम इसकी सीमित उद्देश्य के लिए अनुमति दे रहे हैं। रक्षित विद्युत क्षमता के लिए जब कोई खास विद्युत संयंत्र रक्षित खान चाहता है, हम इसकी अनुमति देते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे कोयला खदानों में उत्पादकता का प्रश्न है, यहां पर दयनीय स्थिति है। हमारा प्रतिव्यक्ति शिफ्ट उत्पादन अन्य देशों यथा आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि से काफी कम हैं।

मैंने निम्न उत्पादकता के विभिन्न कारणों का अध्ययन किया है। उनमें से एक है, हमारी पुरानी खर्चीली खान अभी भी यांत्रिक रूप से न चलाकर हाथों के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन, महोदय, यह भी एक तथ्य है कि हमारे पास अत्याधुनिक खानें भी हैं जहां काफी उच्च तकनीक वाले मशीन प्रयुक्त की जा रही हैं। इन खानों में निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन खानों में जहां ऐसे अत्याधुनिक उपस्करों का प्रयोग किया जा रहा है, वहां कितना उत्पादन हो रहा है, प्रति व्यक्ति प्रतिपारी उत्पादकता कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, कृपया इसे बड़ा मुद्दा मत बनाइए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। क्या सरकार छोटे निजी विद्युत संयंत्र लगाने पर विचार करेगी ताकि विद्युत अवरोध से अन्य कार्य में बाधा न आए और प्रति व्यक्ति प्रति पारी उत्पादकता भी बढ़े। इसके साथ-साथ श्रमिकों की भागीदारी का भी प्रश्न है। क्या सरकार के पास इसे प्रभावी ढंग से वास्तविक विधेयक में शामिल करने की कोई योजना है ?

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, उत्पादकता की एक स्वीकृत परिभाषा है। उत्पादकता के विषय में अंतिम निष्कर्ष निकालने के मानदण्ड एक देश से दूसरे देश में भिन्न-भिन्न है। मेरे पास विभिन्न देशों में उत्पादकता निर्धारण करने सम्बन्धी फार्मूला है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और वह यह है कि जब हम अपने देश में उत्पादकता का आकलन करते हैं तो हम केवल खनन कार्य में लगी श्रम शक्ति को ही ध्यान में नहीं रखते बल्कि हम उन लोगों को भी ध्यान में रखते हैं जो कार्यालय और यहां तक कि स्कूलों और चिकित्सा सेवा में कार्यरत हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रख कर हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उत्पादकता कितनी है। अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में दूसरे देशों में उत्पादकता निर्धारण के समय केवल उन्हीं लोगों को ध्यान में रखा जाता है जो वास्तव में खान क्षेत्रों में काम करते हैं। और भी बाते हैं। इन सबकी जानकारी देने हेतु समय नहीं है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे देश में खुले मुहाने की खान में प्रतिवर्ष 10 लाख टन उत्पादन के लिए 1050 श्रमिकों की आवश्यकता होती है; जबकि आस्ट्रेलिया में 116 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भूमिगत खान में इतनी ही मात्रा, अर्थात् प्रति वर्ष 10 लाख टन कोयले के उत्पादन के लिए हम छह हजार-लोगों को लगा रहे हैं जबकि आस्ट्रेलिया-में इसके लिए केवल 230 लोगों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमारा उद्योग श्रम सघन है। हमें लोगों को रोजगार देना होता है। अतः अपनी खानों के तीव्र गति से आधुनिकीकरण की हमारी इच्छा के बावजूद संसाधनों की कमी है।

एक और कारक जिस पर हमें ध्यान देना है, वह कोयला खानों से पहले से कार्यरत श्रमिक हैं। हम उन्हें बेरोजगार नहीं कर सकते। इस बात को भी हमें याद रखना होता है।

जहां तक निजी विद्युत संयंत्रों का सम्बन्ध है तो वास्तव में हमने दो बातों को ध्यान में रख कर निर्णय लिया है। पहली बात यह है कि विद्युत उत्पादक से सीधें कोयला खानों को विद्युत की आपूर्ति की जाए। उदाहरण के लिए, आज हम डी०वी०सी० से अपने कोयला खानों के लिए सीधे विद्युत ले रहे हैं। लेकिन एक समय था जबकि विद्युत एक खास राज्य से लेकर आया करती थी। उसमें हमें कुछ समयस्याएं होती थीं। अतः हमनें यह

प्रगतिशील कदम उठाया है। एक बात और है। मैं माननीय सदस्य इस बात से सहमत हूं कि हमने नीतिगत निर्णय लिया है कि जहां भी सम्भव होगा, वहां हम निजी विद्युत एकक लगाएंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, उन्होंने एक बात छोड़ दी है। मैंने प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में पूछा था।

श्री पी०ए० संगमा : प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी के सम्बन्ध में लम्बे समय से बहस चलती आ रही है। हमारे संविधान में हमारी औद्योगिक नीति में और हर जगह प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है। वस्तुतः ऐसा नहीं है कि मैं अपने पूर्ववर्ती साथी की बात का समर्थन करता हूं। मेरे मामले में विधेयक यहां पहले से ही है।

श्री श्रीकान्त जेना : आप एक विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत करते ?

श्री पी०ए० संगमा : जी हां, विधेयक यहां है।

श्री श्रीकान्त जेना : कहां है ?

श्री पी०ए० संगमा : विधेयक संसद में है, राज्य-सभा में है।

श्री श्रीकान्त जेना : आप उसे वहां पारित करा कर यहां क्यों नहीं लाते ?

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक हेतु 80 संशोधन सभा पटल पर रखे हैं। मैं यह सोच रहा हूं कि हम संसद सदस्यों को बुला कर 80 संशोधनों की संख्या को कम कराने की कोशिश करेंगे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर कोई आम सहमति होनी चाहिए। विधेयक पहले से ही संसद के समक्ष है। ···· **(व्यवधान)** ····

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठ जाएं। मंत्री जी इसका उत्तर नहीं देंगें।

डा० मुमताज अंसारी : महोदय, ऊर्जा सम्बन्धी स्थाई समिति और मिश्र समिति ने कोयला कम्पनियों में कम उत्पादकता के विभिन्न कारणों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया है। उन्होंने बताया है कि शीर्ष प्रबन्धन स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार, मिलीभगत, लापरवाही और अक्षमता, कोयला कम्पनियों की कम उत्पादकता के प्रमुख कारण हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन दो समितियों की सिफारिशों को मानेगें। क्या वे दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगें ?

माननीय मंत्री जी ने बताया है। कि संसाधनों की कमी है। पर ऊर्जा सम्बन्धी स्थाई समिति ने बताया है कि 160 परियोजनाओं में से 47 परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया गया है और इस तरह करोड़ों रुपए बर्बाद हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी कठोर कार्यवाही करेंगे और इन सब बातों पर गौर करेंगे ताकि संसाधनों की कमी की स्थिति में — या वह जो कुछ कह रहे हैं — इस तरह की बर्बादी न हो और कार्यकुशलता का वातावरण बने।

श्री पी०ए०संगमा : जब कभी भी मंत्रालय या प्रबन्धन की जानकारी में भ्रष्टाचार के खास-खास मामले लाए जाते हैं तो उनकी जांच की जाती है और दोषी पाए गए व्यक्ति को दंडित किया जाता है। यदि माननीय सदस्य के पास इस तरह का कोई खास दृष्टान्त है, जो मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि उसकी जांच की जाएगी और जैसा उन्होंने सुझाया, दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध निश्चित की कठोर कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि आस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स की

तुलना में हमारे यहां कोयले का उत्पादन कम होता है लेकिन कोयला खानों के नीचे दब कर मरने वालों की दर आस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है, कम है या ज्यादा है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1994 में हिरोशिमा में एशियाड होने वाले हैं ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको आज या कल बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

डा० कृपासिंधु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, सच बात यह है प्रति व्यक्ति प्रतिपारी उत्पादकता कि विकसित देशों के बराबर नहीं है, पर अपने देश में इसकी तुलना की जा सकती है। अतः 1974-75 में इंडियन ओपेन कास्ट माइन्स के ओ०एम०एस० सात से अधिक थे। अब इस वर्ष इसकी संख्या पांच पर क्यों रह गई हैं ? यह सच है कि अंतर-यूनियन प्रतिद्वंद्विता के कारण ये नीचे आ रही हैं। क्या मंत्री जी अपने श्रम विभाग से कुछ उपाय सुझाएंगे ताकि अंतर-यूनियन प्रतिद्वंद्विता कम की जा सके ?

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, मुख्य उत्तर में हमने यह भी स्वीकार किया है कि खानों में गैरहाजिरी काफी ज्यादा है और मैं इसी बात पर कहना चाहूंगा कि श्रम मंत्री के रूप में मैं केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से अपने मतभेद दूर करते रहने और एक नई कार्य संस्कृति विकसित करने की अपील करता रहा हूं। एक बार यदि हम ऐसा कर पाएं तो निश्चित ही हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। इस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विदेशी हथियार

*442. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1994 के "राष्ट्रीय सहारा" में विदेशी हथियारों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को देश में ऐसे स्थानों की कोई जानकारी है; जहां विदेशी हथियारों को चोरी-छिपे एकत्र किया गया है अथवा किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग) तक जी हां, श्रीमान्। सरकार ने संदर्भाधीन समाचार को देखा है। तथापि, बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार किशनगंज में विदेशी-हथियार जमा किए जाने के समाचार की पुष्टि के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस ने, समय-समय पर, देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों में प्रयोग करने के उद्देश्य रखे गए बड़ी मात्रा में विदेशी हथियारों को बरामद किया है।

सरकार स्थिति से अवगत है और उसने तस्करी की गतिविधियों से निपटने के लिए एकीकृत रूप से सतर्कता में बढ़ौतरी करने के लिए संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों और सभी राज्य सरकारों को सतर्क कर दिया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर परिषद

*477. **श्री लाईता उम्ब्रे :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितनी विद्युत परियोजनायें, सड़कें और पुल पुर्वोत्तर परिषद के नियंत्रणाधीन/विचाराधीन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक राज्यवार इसे प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(I) चूंकि एन०ई०सी० परियोजनाएं राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है अतः एन०ई०सी० द्वारा मानीटरिंग सिस्टम बनाया गया है ताकि विभिन्न समयसूचियों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर जिम्मेदारी निश्चित की जा सके, कार्यान्वयन एजेंसियों आदि को धन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(II) नियमित अन्तरालों पर सैक्टर स्तर की बैठकें की जा रही हैं।

(III) योजना आयोग में उत्तर-पूर्व की सड़क परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए एक अर्न्तमन्त्रालयी ग्रुप मौज़द है।

(IV) जब भी आवश्यकता हुई, अतिरिक्त धन मांगा गया है।

विवरण-I

(क) और (ख) वर्ष 1991-94 के दौरान जारी की गई तथा वर्ष 1994-95 में आबंटित की गई धन राशि सहित पावर सैक्टर के अधीन योजनाओं की सूची।

(रुपयों लाखों में)

क्र० सं०	योजनाओं का नाम	द्वारा कार्यान्वित किया गया	राज्य जिसमें स्थित है।	जारी की गई धन राशि			1994-95 में जारी की गई धन राशि	टिप्पणी
				1991-92	1992-93	1993-94		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रंगानाडी हाई० विद्युत परियोजना (3x135 मे०वा०)	एन०ई०ई०पी०सी०ओ०	अरुणाचल प्रदेश	3000.00	4873.74	4265.00	5600.00	—
2.	दोयांग हाई० विद्युत परियोजना (3x25 मे०वा०)	एन०ई०ई०पी०सी०ओ०	नागालैंड	1906.00	1798.625	4701.19	3000.00	—
3.	दोयांग ट्रांसमिशन लाईन (396.50 कि०मी०)	एन०ई०ई०पी०सी०ओ०	असम-नागलैंड और माणिपुर	1001.00	839.00	1161.49	—	पूरी राशि जारी कर दी गई है। 94-95 में पूरी की जानी है।
4.	रंगानाडी ट्रासमिशन लाईन (170 कि०मी०)	एन०ई०ई०पी०सी०ओ०	अरुणाचल प्रदेश	200.00	461.00	746.79	1000.00	—
5.	गोहपुर-ईटानगर ट्रांसमिशन लाईन (42.5 कि०मी०)	एन०ई०ई०पी०सी०ओ०	असम-अरुणाचल	82.00	10.83	—	—	पूरा हो गया है।
6.	आई०आर०एल०डी०सी०	एन०ई०आर०ई०बी०	पूर्वोत्तर राज्य	30.00	—	—	—	पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	समागुढ़ी और मारियानी में रैक्टर्स स्थापित करना (2x12.5 एम०वी०ए०आर० के प्रत्येक स्टेशन में)	ए०एस०ई०बी०	असम	47.00	80.00	278.40	—	संशोधित लागत अनुमान के अनुसार पूरी राशि जारी कर दी गई है। इन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
8.	शिलांग-खिलेरिह्यत ट्रासमिशन लाईन (70 कि०मी०)	एम०एस०ई०बी०	मेघालय	125.00	228.10	131.20	—	—
9.	लुंगले-लांगतलाई ट्रांसमिशन लाईन (57 कि०मी०)	ऊर्जा विभाग, मिजोरम	मिजोरम	50.00	222.37	155.19	—	—
10.	कोहिमा-दोयांग ट्रांसमिशन लाईन (69 कि०मी०)	ऊर्जा विभाग, नागालैंड	नागालैंड	225.00	71.26	222.53	—	—
11.	रोखिया गैस आधारित ऊर्जा परियोजना (2x8 मे०वा०)	ऊर्जा विभाग, त्रिपुरा	त्रिपुरा	—	—	—	2000.00	अगस्त, 1994 के दौरान योजना स्वीकृत की गई।

विवरण

वर्ष 1991-94 के दौरान जारी की गई और वर्ष 1994-95 के दौरान आवंटित की गई धनराशि सहित सड़क (पुलों समेत) योजनाओं की राज्यवार संख्या

(रुपये लाखों में)

राज्य का नाम	योजनाओं की संख्या	जारी की गई निधि			
		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
अरुणाचल प्रदेश	14	2360.00	2105.00	2050.00	2250.00
असम	37	1475.00	1610.00	1749.00	2200.00
मणिपुर	6	1310.00	1595.00	2109.00	1800.00
मेघालय	11	1150.00	775.00	868.00	900.00
मिजोरम	13	1508.00	1795.00	2255.00	1910.00
नागालैंड	10	1611.00	1083.00	1830.00	1980.00
त्रिपुरा	9	625.00	450.00	659.00	920.00

कोयला-कम्पनियां

* 448. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कोयला कंपनियों में लगी पूंजी का विनिवेश करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक कोयला कम्पनी में इस समय सरकार की कितनी पूंजी निविष्ट है;

(घ) क्या सरकार का विचार कोयला उद्योग में निवेश के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० तथा इसकी ॰ ायक कंपनियों में विनिवेश किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में 1993-94 तक 104.37 करोड़ रु० की राशि का विनिवेश म्यूचयल निधियों, बीमा निगमों, बैंकों तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में किया गया है।

(ग) सरकार की 1993-94 तक इक्विटी के रूप में कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०), सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० (सिं०को०कं०लि०) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० (ने०लि०का०लि०) में शेयरधारित को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रु० में)

कंपनी	इक्विटी राशि
कोल इंडिया लि०	6103.44
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०	188.05
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०	1713.41

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार द्वारा दिनांक 9-6-1993 को, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को, विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए, कोयला वाशरियों की स्थापना किए जाने के लिए और अंतिम प्रयोगों के लिए, जोकि समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने हैं, लौह तथा इस्पात निर्मित किए जाने संबंधी पूर्ववर्ती प्रावधानों के अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने के लिए पहले ही संशोधित कर दिया गया है।

कोयला क्षेत्र में, विद्युत का उत्पादन करने के लिए और लौह एवं इस्पात निर्मित करने के लिए कोयले का खनन किए जाने के संबंध में प्राप्त 25 प्रस्तावों में से 14 आवेदकों के लिए कोयला ब्लाकों को विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बाल रोग

*449. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री राम कृपाल यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक फैलने वाले बाल रोगों की रोकथाम हेतु नई योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त दवाईयां उपलब्ध कराने और इनमें बाल रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1992 में शुरू किया गया शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चल रहा है।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधे प्रदान की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

कोयला परियोजनाएं

*450. **श्री नीतीश कुमार :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1993 के अन्त तक देश के कोयला क्षेत्र में अनेक विकास परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं अपनी मूल निर्धारित समय-सारिणी से पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ङ) इसके फलस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) 31-12-1993 की स्थिति के अनुसार 20.0 करोड़ रु० अथवा इससे अधिक की लागत की 78 परियोजनाएं कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन थी। इन 78 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न कारणों से विलंबित हुआ है।

(ङ) 26 विलंबित परियोजनाओं की संशोधित/अनुमानित लागत इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 2222.88 करोड़ रु० की लागत की तुलना में, 3215.48 करोड़ रु० आंकलित की गई है। इस संबंध में लागत में वृद्धि, मुख्यतः संयंत्र और मशीनरी तथा इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक अन्य आगतों की कीमतों में हुई वृद्धि, के कारण हुई है।

(च) कोयला मंत्रालय इन विलंबित परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर घनिष्ठतम निगरानी रख रहा है। कोयला मंत्रालय और कोयला कंपनियां भूमि संबंधी लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित राज्य सरकारों तथा उपकरणों की शीघ्र आपूर्ति/चालू किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उपकरण निर्माताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हैं। कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों को उपचारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। इन अनुवर्ती उपायों को किए जाने के परिणामस्वरूप, विलंबित परियोजनाओं की प्रगति में आने वाली अनेक बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है।

[अनुवाद]

कैंसर नियंत्रण

*451. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों की कैंसर से मृत्यु हुई;

(ख) कैंसर से निपटने के लिए सरकार ने क्या उपाए किए हैं;

(ग) 30 जून, 1994 को देश में कितने कैंसर अस्पताल थे और 1994-95 में उन्हें कितनी राशि आवंटित की गई;

(घ) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान और अधिक कैंसर अस्पताल स्थापित करने की कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ब्यौरेवार सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, अनुमान है कि हर वर्ष 3 लाख से अधिक व्यक्ति कैंसर से मरते हैं।

(ख) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन देश में कैंसर के निवारण, इस रोग का शुरू में पता लगाने और इसकी उपचार की सुविधाओं में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है। तदनुसार वर्ष 1990-91 से कुछ योजनाएं शुरू की गई है।

(ग) देश में 124 कैंसर उपचार केन्द्र है। इस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 9.25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(घ) और (ङ) चुनिंदा मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी स्कंधों का विकास करने के लिए एक योजना शुरू की गई है। संबंधित राज्य सरकार/संस्थान को उपस्करों की खरीद के लिए एक करोड़ रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।

सिंचाई परियोजनाएं

*452. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं में राज्य-वार कितनी कृषि भूमि सम्मिलित की जाएगी; और

(ग) उपरोक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) विवरण-I तथा II संलग्न हैं।

विवरण-I

1-4-1991 से आज की तिथि तक विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	क्रम सं०	उप परियोजना का नाम	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (लाख रु०)	स्वीकृति की तारीख
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	1.	करनूल नहर	31.38	894	03.03.92
	2.	तुंगभद्रा	13.31	332	03.03.92
	3.	निजामसागर	93.62	2305	03.03.92
		उप योग	138.31	3531	
गुजरात	1.	धारोई	12.98	505	21.01.93
	2.	मेशो	6.88	248	21.01.93
	3.	सासोई	4.07	109	28.07.94
	4.	पटदुंगारो		129	28.07.94
	5.	गोंडाली	1.42	46	28.07.94
	6.	जोगावा	6.75	174	28.07.94
	7.	मलान	3.38	116	28.07.94
	8.	हिरन	2.63	90	28.07.94
	9.	खारोड़	1.30	54	28.07.94
		उप-जोड़	44.48	1471	
हरियाणा	1.	विद्यमान सिंचाई प्रणाली के जल प्रबन्ध के सुधार	340.00	(क) 5000 (ख) 6200 (ग) 1000	23.06.92 21.01.93 21.07.94
		उप-जोड़	340.00	12200	
केरल	1.	वाजानी	4.31	115	24.08.92

1	2	3	4	5	6
	2.	पीछी	16.00	369	24.08.92
		उप-योग	20.31	484	
कर्नाटक	1.	शान्ति सागर	2.89	70	23.06.92
	2.	तुंगा	9.32	232	23.06.92
	3.	अंजनपुरा	6.74	134	23.06.92
	4.	अंबलिगोला	3.20	67	23.06.92
	5.	अय्यनकारा	1.57	49	22.09.93
	6.	नया मदगा	2.01	64	22.09.93
	7.	गोंडो	4.60	144	22.09.93
	8.	राया	4.27	136	22.09.93
	9.	गोकक	7.53	240	22.09.93
	10.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर, तुंगभद्रा की वितरणी सं० 12	3.60	115	22.09.93
	11.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर, तुंगभद्रा की वितरणी सं० 13	10.27	328	22.09.93
	12.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर, तुंगभद्रा की वितरणी सं० 14	14.16	452	22.09.93
	13.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर, तुंगभद्रा की वितरणी सं० 15	6.91	220	22.09.93
	14.	बायां तट स्तरीय नहर तुंगभद्रा की वितरणी सं० 31	21.15	558	22.09.93
	15.	बायां तट स्तरीय नहर, तुंगभद्रा की वितरणी सं० 55	7.13	228	22.09.93
	16.	बायां तट स्तरीय नहर, तुंगभद्रा की वितरणी सं० 76	28.93	924	22.09.93
	17.	बायां तट स्तरीय नहर, तुंगभद्रा की वितरणी सं० 85	11.35	362	22.09.93

1	2	3	4	5	6
	18.	बायां तट स्तरीय नहर तुंगभद्रा की वितरणी सं० 89	15.34	491	22.09.93
	19.	बायां तट स्तरीय नहर तुंगभद्रा की वितरणी सं० 98	13.52	413	22.09.93
	20.	मदक मसूर	2.85	91	28.07.94
		उप-योग	177.34	5318	
मध्य प्रदेश	1.	कुंडा	1.00	37	14.05.91
	2.	सकालदा	2.35	64	14.05.91
	3.	सेगवल	1.20	36	14.05.91
	4.	सोनखेदी	1.12	34	14.05.91
	5.	खारुंग	60.00	1664	14.05.91
	6.	गंगुलपारा	4.09	126	14.05.91
	7.	मोरवान	4.00	98	30.05.91
	8.	गगन	1.49	51	26.08.91
	9.	मोला	3.56	105	26.08.91
	10.	ओधा	8.90	220	26.08.91
	11.	पारोंच	2.61	94	03.03.92
	12.	तावा	41.00	1330	21.01.93
		उप-योग	131.32	3859	
उड़ीसा	1.	सालन्दी	10.00	299	19.12.91
	2.	देरजंग	5.95	178	19.12.91
	3.	सलैया	8.44	253	19.12.91
	4.	धानेई	3.83	115	19.12.91
	5.	ऋषिकुलैया	12.62	378	03.03.92
	6.	महानदी डेल्टा-I	10.22	306	26.06.92
	7.	महानदी डेल्टा-II	34.52	1036	26.06.92
	8.	हीराकुड़	24.12	844	21.01.93
		उप-योग	109.70	3409	
राजस्थान	1.	बुछरा	2.02	79	28.07.94
	2.	धोल	6.58	219	28.07.94
	3.	गुधा	10.39	450	28.07.94

1	2	3	4	5	6
	4.	जेतपुरा	3.73	123	28.07.94
	5.	नन्द समन्द	7.88	242	28.07.94
	6.	ओरई	9.26	414	28.07.94
	7.	सैंतल	3.27	127	28.07.94
	8.	उमेद सागर	2.97	134	28.07.94
		उप-योग	46.10	1788	
तमिलनाडु	1.	थोलुडूर	14.91	494	26.08.91
	2.	थिरूकोईलूर	14.34	494	26.08.91
	3.	कृष्णगिरि	5.70	143	26.08.91
	4.	अलियार	20.67	517	26.08.91
	5.	चित्तर	9.64	241	23.06.92
	6.	मंजलर	2.17	54	21.01.93
	7.	पिलवूक्कल	3.66	91	21.01.93
		उप-योग	71.09	2034	
उत्तर प्रदेश	1.	सारदा नहर	454.00	1520	30.05.91
	2.	लोअर गंगा नहर	1035.00	4840	30.05.91
		उप-योग	1489.00	6360	
		कुल-योग	2567.65	40454	

विवरण-II

(ग) राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के तहत कार्यकलाप करने के लिए निधियां राज्य योजना के अंतर्गत आबंटित की जाती हैं। राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के तहत हुए व्यय को भागीदार राज्यों को अगस्त, 1990 तक 70 प्रतिशत और जल प्रबंध घटक के संबंध में सितम्बर, 1990 तक 90 प्रतिशत तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं विशेष अध्ययनों के लिए 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के तहत हुए राज्यवार व्यय का ब्यौरा तथा विश्व बैंक से राज्यों द्वारा प्राप्त की गयी प्रतिपूर्ति के साथ-साथ चालू वर्ष के लिए बजट प्रावधान इस प्रकार है :

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य	व्यय			मार्च, 94 तक विश्व बैंक से प्राप्त कुल प्रतिपूर्ति	बजट प्रावधान 1994-95
		1991-92	92-93	93-94		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	316	642	1620	1956	2500

1	2	3	4	5	6	7
2.	गुजरात	–	–	–	–	250
3.	हरियाणा	–	4526	5200	8461	1000 **
4.	कर्नाटक	110	1611	2356	5563	2500
5.	केरल	175	300	499	164 *	1200
6.	मध्य प्रदेश	292	905	1373	2086	2000
7.	उड़ीसा	020	077	262	180	700
8.	राजस्थान	–	–	–	–	200
9.	तमिलनाडु	1534	2097	2007	5161	2500
10.	उत्तर प्रदेश	–	–	250	46	1000
	कुल	2447	10158	13567	23617	13850

* दिसम्बर, 1994 तक

** वर्ष 1994-95 के दौरान प्राधिकृत व्यय

[हिन्दी]

जल भराव

*453. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जल भराव की समस्या हल करने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की है और चालू वर्ष के लिए राज्यवार कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत देश में राज्यवार शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जल जमाव की समस्या का समाधान करने के लिए केंन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ) जल जमाव की समस्या को हल करने की योजनाएं राज्य संरकारों द्वारा अपनी योजनागत निधियों से शुरू की जाती हैं जो एकमुश्त अनुदान के रूप में उपलब्ध की जाती हैं तथा ये योजना-वार नहीं होती हैं। जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए राज्यों ने अपनी योजनागत निधियों में से विभिन्न उपचारात्मक उपाय किए हैं। इन उपायों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

(I) राज्य भूजल विभाग नियमित आधार पर भूजल स्तरों और मात्रा का लगातार प्रबोधन कर रहा है।

(II) सरकार कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके तथा प्रायोगिक परियोजना अध्ययन शुरू करके भूजल विकास को प्रोत्साहित कर रही है।

बिहार

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 21 जल निकास योजनाएं शुरू की गई थीं। पहले, छठी योजना तक 74 हजार हेक्टेयर भूमि का पुनरूद्धार किया गया था। उत्तरी बिहार में, सातवीं योजना के दौरान कोसी में विशेष जल निकास परियोजना तथा गंडक परियोजना तैयार की गई थी तथा इनका क्रियान्वयन फेजों में किया जा रहा है।

हरियाणा

राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपचारात्मक उपाय इस प्रकार हैं :

(I) नहर प्रणालियों को पक्का करना

विश्व बैंक की सहायता के तहत नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण के फेज-I को पूरा कर लिया गया है तथा फेज-II क्रियान्वित किया जा रहा है।

(II) सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग

सरकार उथले नलकूपों की स्थापना करने तथा नहर जल के साथ संयुक्त रूप से भूमिगत जल के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।

(III) जल निकास प्रणालियों का सुधार

सरकार ने बड़ी संख्या में सतही और उप-सतही नालियों का निर्माण करने की योजना बनाई है। कुछ प्रायोगिक योजनाएं पहले ही शुरू की गई हैं।

(IV) जल प्रबंध प्रक्रियाओं में सुधार

सरकार ने स्प्रिंकलर प्रणाली शुरू करके बेहतर जल प्रबंध प्रक्रियाएं शुरू की हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए दूसरी योजना भी शुरू की जा रही है।

कर्नाटक

उपचारात्मक उपाय के रूप में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने तथा जल स्तर को नीचे लाने के लिए खुली खेत नालियों का निर्माण किया गया है।

मध्य प्रदेश

उपचारात्मक उपाय के रूप में, चंबल कमान के अंतर्गत जल जमाव क्षेत्र की अनेक प्रायोगिक योजनाओं में बांटा गया है तथा सतही जल निकास प्रणाली शुरू करके फेज तरीके से इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र

कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण जल का किफायती प्रयोग करने के लिए सिंचाई की आधुनिक को अपनाने के वास्ते लगातार प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुंआ निर्माण कार्यकलाप बहुत अधिक लोकप्रिय है तथा यह भूजल को कम करने में बहुत अधिक सीमा तक सहायता प्रदान कर रहा है। अनेक जल निकास योजनाओं का भी निर्माण किया जा रहा है तथा कई अन्य योजनाओं को भिन्न-भिन्न नहर कमानों में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा

विश्व बैंक के तत्वावधान में डेल्टा विकास योजना नामक एक एकीकृत व्यापक विकास योजना गई है जिसमें इस प्रकार के अनेक उपचारात्मक उपायों की परिकल्पना की गई है जैसे :

(I) थालों और डेल्टाओं में जल ग्रहण क्षेत्र का विकास करने तथा जल निकास का सुधार।

(II) पुरानी नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण जिसमें विद्यमान पुरानी नहर प्रणालियों आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है जिससे लगभग 40 हेक्टेयर की विद्यमान प्रणाली मुकाबले प्रत्येक 5 हेक्टेयर ब्लाक का नियंत्रण होगा; उच्च संरध्र पहुंचों में नहर प्रणाली को पक्का करना तथा ज्वारीय प्रवेश का नियंत्रण।

(III) भूजल का उपयोग करने के लिए पूरे डेल्टा कमान में बड़ी संख्या में नलकूपों का निर्माण करके सतही और भूजल का संयुक्त प्रयोग जिससे जल स्तर कम किया जा सकेगा।

इस परियोजना को तीन फेजों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

पंजाब

पंजाब सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते वर्ष 1984 के दौरान एक विशेष परियोजना समिति गठित की है। उपर्युक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, विभिन्न अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपाय किए जा रहे हैं। अल्पावधिक उपायों में ये शामिल हैं; सतही नालियों की खुदाई, विद्यमान नालियों की मरम्मत तथा सफाई, राजस्थान नहर, बीकानेर नहर और सरहिंद पोषक को पक्का करना तथा उथले नलकूप लगाना।

इस समस्या से निपटने के लिए दीर्घावधिक उपायों में ये शामिल हैं; माडल प्रयोग, हवाई फोटोग्राफी तथा फसल पद्धति, वन रोपण, मीठे जल के स्तर का पता लगाने आदि के संबंध में अन्य संबंधित अध्ययन।

राजस्थान

राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी परियोजना चरण-I, जिसमें 1.125 हजार हेक्टेयर का प्रभावी क्षेत्र शामिल है, में जल जमाव रोधी उपाय करने के लिए वर्टिकल जल निकास प्रायोगिक परियोजना का एक प्रस्ताव तैयार किया है।

तमिलनाडु

सिचाई विभाग ने तंजाबूर डेल्टा में सिंचाई और जल निकास चैनलों को चौड़ा एवं गहरा करके कुछ सुधार किए हैं। इस समस्त कार्य को फेजों में शुरू करने की योजना है।

उत्तर प्रदेश

किए गए उपाचारात्मक उपाय ये हैं :

(I) सारदा सहायक नहर प्रणाली को पक्का करने का कार्य शुरू किया गया है जिससे जल स्तर की बढ़ती प्रवृत्ति रूक गई है।

(II) सतही जल निकास, विशेष रूप से रिसाव नालियां बनाई गई हैं।

(III) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत जल प्रबंध पद्धतियां बनाई जा रही हैं।

सिंचाई परियोजनाएं

*454. **श्री गुमान मल लोढ़ा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निमार्णाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके पूरा होने में तीन वर्ष से अधिक का विलम्ब हो गया है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं;

(ग) इनके पूरा होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप इनकी लगात में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को वर्तमान समय-सारिणी के अनुसार पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) 158 वृहद, 226 मध्यम और 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण (ई०आर०एम०) परियोजनाएं क्रमशः 54,470 करोड़ रुपए, 4,797 करोड़ रुपए और 6,309 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आठवीं योजना में आगे लाई गई।

उपर्युक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 103 वृहद, 165 मध्यम और 20 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा निदेश स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इनमें से 92 वृहद, 159 मध्यम और 17 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहीं हैं। उनकी लागत क्रमशः लगभग 600%, 400% और 200% बढ़ गई है।

2. लागत और समय अधिक लगने के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक निम्नलिखित हैं :

(I) निर्माण के दौरान मूल्यों में वृद्धि

(II) कार्यान्वयन के दौरान व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीमित अन्वेषण और परिणामस्वरूप परियोजना के विस्तार और डिजाइन में परिवर्तन।

(III) अवसंरचनात्मक सुविधाओं, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पनुर्स्थापन एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय आदि के मूल प्राक्कलनों में मोटा अनुमान/एकमुश्त प्रावधान बाद में अपर्याप्त पाये गये।

(IV) पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होना, भूमि के अधिग्रहण में समस्याएं

(V) *अन्य कारण जैसे श्रम समस्या, ठेका संबंधी समस्याएं,* परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव क *संबंध में सार्वजनिक विरोध किया जाना, विस्थापितों द्वारा आन्दोलन* और प्राकृतिक आपदाएं।

(I) आठवीं योजना में अपनाई गई नीति में जिन निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है उनको पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।

(II) योजना आयोग ने विशिष्ठ परियोजनाओं के लिए सही परिव्यय निर्धारित करना शुरू कर दिया है जिससे परियोजनाओं में निधियों की कमी न हो।

(III) केन्द्रीय जल आयोग को विशिष्ठ वृहद सिंचाई एवं बाह्य सहायता प्राप्त मझौली सिंचाई परियोजनाओं के प्रबोंधन का कार्य सौंपा गया है।

किशोर अपराधियों और महिलाकैदियों के लिए पुनर्वास केन्द्र

*455. **श्री विलास राव नागनाथराव गूंडेवार : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशोर-अपराधियों और महिला कैदियों के लिए देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने पुनर्वास केन्द्र हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान इन केन्द्रों को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) इन केन्द्रों के प्रभावी कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) देश में किशोर अपराधियों तथा महिला-कैदियों के लिए इस प्रकार का कोई पुनर्वास केन्द्र नहीं है तथापि, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के तहत 613 संस्थान काम कर रहे है जिनका राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है। इन गृहों के कर्त्तव्यों और दायित्वों के चार्टर में पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना भी एक अंग है। इसी प्रकार जिलों में महिला कैदियों को पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो राज्य सरकार का विषय है।

किशोर सामाजिक कुसमंजन नियंत्रण और निवारण की योजना के अधीन वर्ष 1994-95 के दौरान 300 लाख रुपए आवंटित किया गया है। यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके व्यय को राज्य सरकार के साथ 50:50 के आधार पर बांटा जाता है।

चूंकि ये संस्थान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाए जाते हैं, अतः उनसे इन्हें प्रभावशाली ढंग से चलाने का आग्रह किया जाता है।

विवरण

उपेक्षित तथा अपराधी बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत संस्थान

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रेक्षण ग्रह	किशोर ग्रह	विशेष ग्रह	उत्तरवर्ती देखभाल संस्थाएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	9	5	2	1	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	–	–	2
3.	असम	7	25	1	1	34
4.	बिहार	10	8	5	2	25

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोवा	2	2	2	—	6
6.	गुजरात	25	5	2	14	45
7.	हरियाणा	3	3	1	1	8
8.	हिमाचल प्रदेश	—	1	1	—	2
9.	कर्नाटक	22	19	—	11	52
10.	केरल	12	5	2	—	19
11.	मध्य प्रदेश	22	2	3	1	28
12.	महाराष्ट्र	45	101	3	3	152
13.	मणिपुर	1	2	1	—	4
14.	मेघालय	1	—	—	—	1
15.	मिजोरम	3	3	—	—	6
16.	नागालैंड	—	1	1	—	2
17.	उड़ीसा	12	2	—	—	14
18.	पंजाब	7	2	1	2	12
19.	राजस्थान	11	4	1	—	16
20.	सिक्किम	1	—	—	—	1
21.	तमिलनाडु	14	17	3	3	37
22.	त्रिपुरा	1	1	—	—	2
23.	उत्तर प्रदेश	59	10	1	—	70
24.	प० बंगाल	7	19	4	6	36
25.	अंडमान और निकोबार	—	—	—	—	—
26.	चंडीगढ़	1	1	1	—	3
27.	दा०और न० हवेली	—	—	—	—	—
28.	दमन और द्वीव	—	—	—	—	—
29.	दिल्ली	3	11	—	—	14
30.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	1	1	1	1	4
	कुल :—	280	251	36	46	613

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

*456. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से गुजरात और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए कन्हीं अन्य राज्यों का भी चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (घ) गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों को तेज करने के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने का एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

आत्म-हत्याएं

*457. **श्री शिव शरण वर्मा :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, आत्महत्या के कितने मामले हुए;

(ख) क्या आत्महत्या करने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरूषों की संख्या अधिक है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष है?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान, देश में, पुरुषों और स्त्रियों द्वारा की गई आत्म-हत्याओं की राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरणों (I से III) में दी गई है। ये आंकड़े, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) को भेजे गए आंकड़ों पर आधारित हैं। स्वयं एन०सी०आर०बी० द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया है।

विवरण-I

वर्ष 1990 के दौरान स्त्री-पुरुषों द्वारा की गई आत्म हत्याओं की कुल संख्या

(राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल आत्म-हत्याएं				
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुषों की प्रतिशतता	स्त्रियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	3308	2358	5666	58.4	41.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	15	40	62.5	37.5
3.	असम	1554	769	2323	66.9	33.1
4.	बिहार	824	604	1428	57.7	42.3
5.	गोवा	152	69	221	68.8	31.2
6.	गुजरात	1340	1348	2688	49.9	50.1
7.	हरियाणा	888	487	1375	64.6	35.4
8.	हिमाचल प्रदेश	74	60	134	55.2	44.8
9.	जम्मू एवं कश्मीर	26	37	63	41.3	58.7
10.	कर्नाटक	4876	3164	8040	60.6	39.4
11.	केरल	5501	2344	7845	70.1	29.9
12.	मध्य प्रदेश	3038	2571	5609	54.2	45.8
13.	महाराष्ट्र	4452	3321	7773	57.3	42.7
14.	मणिपुर	51	8	59	86.4	13.6
15.	मेघालय	23	7	30	76.7	23.3
16.	मिजोरम	20	2	22	90.9	9.1
17.	नागालैण्ड	31	4	35	88.6	11.4
18.	उड़ीसा	1540	1371	2911	52.9	47.1
19.	पंजाब	302	85	387	78.0	22.0
20.	राजस्थान	962	649	1611	59.7	40.3

1	2	3	4	5	6	7
21.	सिक्किम	22	16	38	57.9	42.1
22.	तमिलनाडु	5218	3414	8632	60.4	39.6
23.	त्रिपुरा	365	251	616	59.3	40.7
24.	उत्तर प्रदेश	1852	1275	3127	59.2	40.8
25.	पश्चिम बंगाल	6089	5636	11725	51.9	48.1
	योग (राज्य)	42533	29865	72398	58.7	41.3
संघ शासित क्षेत्र						
26.	अ० एवं नि० द्वीपसमूह	70	44	114	61.4	38.6
27.	चंडीगढ़	30	17	47	63.8	36.2
28.	दादरा एवं नगर हवेली	16	16	32	50.0	50.0
29.	दमन एवं द्वीव	5	5	10	50.0	50.0
30.	दिल्ली	489	343	832	58.8	41.2
31.	लक्षयद्वीप	0	1	1	0.0	100.0
32.	पान्डिचेरी	308	169	477	64.6	35.4
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	918	595	1513	60.7	39.3
	योग (अखिल भारत)	43451	30460	73911	58.8	41.2

स्रोत : भारत में दुर्घटना-मृत्यु एवं आत्म-हत्याएं, प्रकाशन।

विवरण-II

वर्ष 1991 के दौरान स्त्री-पुरुषों द्वारा की गई आत्महत्याओं की कुल संख्या
(राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल आत्म-हत्याएं				
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुषों की प्रतिशतता	स्त्रियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	3636	2507	6143	59.2	40.8

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	21	69	69.6	30.4
3.	असम	1589	697	2286	69.5	30.5
4.	बिहार	743	465	1208	61.5	38.5
5.	गोवा	164	79	243	67.5	32.5
6.	गुजरात	1583	1469	3052	51.9	48.1
7.	हरियाणा	716	401	1117	64.1	35.9
8.	हिमाचल प्रदेश	83	76	159	52.2	47.8
9.	जम्मू एवं कश्मीर	27	22	49	55.1	44.9
10.	कर्नाटक	4878	3435	8313	58.7	41.3
11.	केरल	6089	2320	8409	72.4	27.6
12.	मध्य प्रदेश	3267	2436	5703	57.3	42.7
13.	महाराष्ट्र	5026	3794	8820	57.0	43.0
14.	मणिपुर	23	6	29	79.3	20.7
15.	मेघालय	40	34	74	54.1	45.9
16.	मिजोरम	28	6	34	82.4	17.6
17.	नागालैण्ड	17	1	18	94.4	5.6
18.	उड़ीसा	1532	1573	3105	49.3	50.7
19.	पंजाब	421	168	589	71.5	28.5
20.	राजस्थान	1220	711	1931	63.2	36.8
21.	सिक्किम	28	10	38	73.7	26.3
22.	तमिलनाडु	5793	3877	9670	59.9	40.1
23.	त्रिपुरा	258	218	476	54.2	45.8
24.	उत्तर प्रदेश	1709	1133	2842	60.1	39.9
25.	पश्चिम बंगाल	6396	5958	12354	51.8	48.2
	योग (राज्य)	45314	31417	76731	59.1	40.9
संघ शासित क्षेत्र						
26.	अ० एवं नि० द्वीपसमूह	82	44	126	65.1	34.9
27.	चंडीगढ़	34	20	54	63.0	37.0

1	2	3	4	5	6	7
28.	दादरा एवं नगर हवेली	13	7	20	65.0	35.0
29.	दमन एवं द्वीव	12	8	20	60.0	40.0
30.	दिल्ली	530	458	988	53.6	46.4
31.	लक्षयद्वीप	0	0	0	—	—
32.	पान्डिचेरी	339	172	511	66.3	33.7
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	1010	709	1719	58.8	41.2
	योग (अखिल भारत)	46324	32126	78450	59.0	41.0

स्रोत : भारत में दुर्घटना-मृत्यु एवं आत्म-हत्याएं, प्रकाशन।

विवरण-III

वर्ष 1992 के दौरान स्त्री-पुरुषों द्वारा दी गई आत्महत्याओं की कुल संख्या
(राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल आत्म-हत्याएं				
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुषों की प्रतिशतता	स्त्रियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	3820	2705	6525	58.5	41.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	22	82	73.2	26.8
3.	असम	1895	1072	2967	63.9	36.1
4.	बिहार	678	558	1236	54.9	45.1
5.	गोवा	107	67	174	61.5	38.5
6.	गुजरात	1861	1681	3542	52.5	47.5
7.	हरियाणा	446	252	698	63.9	36.1
8.	हिमाचल प्रदेश	72	64	136	52.9	47.1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	29	30	59	49.2	50.8
10.	कर्नाटक	4811	3325	8136	59.1	40.9

1	2	3	4	5	6	7
11.	केरल	5758	2345	8103	71.1	28.9
12.	मध्य प्रदेश	4137	3093	7230	57.2	42.8
13.	महाराष्ट्र	5217	3841	9058	57.6	42.4
14.	मणिपुर	24	10	34	70.6	29.4
15.	मेघालय	51	19	70	72.9	27.1
16.	मिजोरम	2	1	3	66.7	33.3
17.	नागालैण्ड	30	5	35	85.7	14.3
18.	उड़ीसा	1619	1521	3140	51.6	48.4
19.	पंजाब	380	131	511	74.4	25.6
20.	राजस्थान	1376	875	2251	61.1	38.9
21.	सिक्किम	24	23	47	51.1	48.9
22.	तमिलनाडु	4773	3208	7981	59.8	40.2
23.	त्रिपुरा	253	169	422	60.0	40.0
24.	उत्तर प्रदेश	2011	1313	3324	60.5	39.5
25.	पश्चिम बंगाल	7066	5731	12797	55.2	44.8
	योग (राज्य)	46500	32061	78561	59.2	40.8
संघ शासित क्षेत्र						
26.	अ० एवं नि० द्वीपसमूह	80	45	125	64.0	36.0
27.	चंडीगढ़	25	12	37	67.6	32.4
28.	दादरा एवं नगर हवेली	27	16	43	62.8	37.2
29.	दमन एवं द्वीव	6	5	11	54.5	45.5
30.	दिल्ली	434	353	787	55.1	44.9
31.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	—	—
32.	पान्डिचेरी	409	176	585	69.9	30.1
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	981	607	1588	61.8	38.2
	योग (अखिल भारत)	47481	32668	80149	59.2	40.8

स्रोत : भारत में दुर्घटना-मृत्यु एवं आत्म-हत्याएं, प्रकाशन।

भारत-अमरीका समझौता

*458. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला परियोजनाएं स्थापित करने के संबंध में भारत और अमरीका ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) देश में अमरीका सरकार की सहायता से स्थापित की जाने वाली प्रमुख कोयला परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) किन-किन राज्यों में ये परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी;

(ङ) अमरीकी सरकार द्वारा इन परियोजनाओं में कुल कितना निवेश किया जायेगा; और

(च) क्या इस संबंध में अमरीका द्वारा लगाई गई सभी शर्तें केन्द्रीय सरकार ने पूरी तरह स्वीकार कर ली हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जुलाई, 1994 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा सेक्रेटरी की भारत यात्रा के दौरान अमेरिका के ऊर्जा विभाग तथा भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के बीच खनन ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के एक आशय संबंधी संयुक्त करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) संयुक्त करार में सहयोग के लिए विनिर्दिष्ट कुछ मुख्य क्षेत्र निम्न हैं — संयुक्त परियोजनाओं का संयुक्त योजनाकरण, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तकनीकी और आर्थिक आंकड़ों का आदान-प्रदान, जिसमें साफ कोयले पर प्रभावी लागत आकड़े तथा कोल बेड मिथेन रिकवरी शामिल है, खनन ऊर्जा प्रौद्योगिकी पैरा-मीटरों का संयुक्त तकनीकी मूल्याकंन, जिसमें साफ कोयला उपयोगिता पैरामीटर, प्रौद्योगिकी निदर्शन तथा प्रशिक्षण शामिल है।

(ग) से (ङ) इन ब्यौरों का केवल तभी पता चल सकेगा जबकि विशिष्ट परियोजनाएं विनिर्दिष्ट कर दी जाएगी।

(च) संयुक्त करार में संघ सरकार पर कोइ शर्त नहीं लगाई गई है। किन्तु, संयुक्त करार का अनुपालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के समझौते के निष्पादन होने पर आश्रित है।

कोयले का भण्डार

*459. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है;

(ख) क्या घटिया किस्म के कोयले का भडार बढ़िया किस्म के कोयला-भंडार से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बढ़िया किस्म के कोयले का अधिक खनन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार देश में कोयले के अनुमानित भंडार (1200 मीटर की गहराई तक) 196891.87 मिलियन टन हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। "डी", "ई", "एफ" और "जी" ग्रेडों के कोयले के भंडार "ए", "बी" और "सी" ग्रेडों के कोयले के भंडारों की अपेक्षा अधिक मात्रा में विद्यमान हैं। भारतीय भू-सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार देश में 0.9 मीटर तथा इससे अधिक मोटाई वाली कोयला सीमों, तथा 1200 मीटर की गहराई तक गुणवत्ता-वार कोयले के भंडारों की प्रतिशतता के अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े मिलियन टन में)

प्रमाणित और विनिर्दिष्ट भंडार			अनुमानित भंडार (अवर्गीकृत)
कोक्कर	अकोक्कर		
(सभी ग्रेड)	("ए" "वी" और "सी" ग्रेड)	("डी", "ई" "एफ") और "जी" ग्रेड)	
28013 (14.23%)	22371 (11.36%)	103742 (52.69%)	42766 (21.72%)

(घ) कई नयी कोयला खनन परियोजनाएं, जो "ए", "बी" और "सी" ग्रेडों के कोयले वाली हैं, उन्हें शुरू किया गया है। किन्तु, गुणवत्ता के अलावा, कोयले के भंडारों के दोहन की स्थिति विभिन्न मुद्दों पर निर्भर करती हैं, जैसे — कोयला सीमों की मोटाई तथा ग्रेडियें और अन्य भू-खनन पैरामीटर, जिसमें किसी कोयले के भंडार/ब्लाक में विभिन्न सीमों का परस्पर संरूपण शामिल है।

कोयला क्षेत्र का विकास और विस्तार

*460. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने कोयला क्षेत्रों के विकास और विस्तार के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन कोयला क्षेत्रों का चयन किया गया है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दीर्घकालीन प्रक्षेपण के अनुसार सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में कोयले का उत्पादन 33.5 मिलियन टन के वर्तमान स्तर (1993-94) से आठवीं योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) में 45.50 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। इस प्रयोजनार्थ कोयला कंपनी के कमाण्ड क्षेत्र

में वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारों, साउथ कर्णपुरा तथा नार्थ कर्णपुरा कोलफील्ड्स में खानों का विस्तार एवं विकास करने का विचार किया गया हैं पारेज ओपेनकास्ट (1.75 मि०ट० प्रतिवर्ष) तथा उरमिरी ओपेनकास्ट (1.30 मि०ट० प्रतिवर्ष) जैसी नई परियोजनाओं को सरकार द्वारा आठवीं योजना में स्वीकृति दे दी गई है। के०डी० हैसलांग (विस्तार), झारखंड औपेनकास्ट, आदि जैसी और परियोजनाएं मूल्याकंन तथा समीक्षा के अग्रिम चरण में हैं।

आठवीं योजना के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० हेतु निधियों का अस्थाई नियतन 1750 करोड़ रु० की राशि का है। वर्ष 1994-95 के लिए कोयला कंपनी हेतु 300 करोड़ रु० की राशि का नियतन किया गया है।

बम विस्फोट

4324. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1993 में तीन राजधानी एव एक्सप्रैसों सहित रेल गाड़ियों में बम विस्फोटों की घटनाओं की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) अब तक की गई जांच पड़ताल से अपराध में 21 व्यक्ति संलिप्त पाए गए हैं। जिनमें से 14 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 फरार हैं। फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। जांच-पड़ताल इस माह के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है।

"जी" टी०वी०

4325. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जी" टी०वी० प्रसारण दूरदर्शन की सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए लोकप्रियता में सबसे आगे है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। घरेलू तथा विदेशी उपभोक्ताओं को भुगतान आधार पर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना दूरदर्शन की सामान्य प्रथा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सकों की नियुक्ति

4326. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने गत दो वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति के आधार पर कुछ चिकित्सकों और फार्मासिस्टों की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो मूल राज्य सहित तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है और संघ राज्यक्षेत्र में इनकी नियुक्ति की तारीख क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश-II सिंचाई परियोजना

4327. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के पर्यवेक्षण दलों ने आन्ध्र प्रदेश-II सिंचाई परियोजना पर 1986 में प्रतिकूल टिप्पणियों की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) विश्व बैंक पर्यवेक्षण मिशन ने अगस्त, 1986 में आन्ध्र प्रदेश-II सिंचाई परियोजना का दौरा किया था और परियोजना के पुनर्वास और पुनर्स्थापन उन पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए थे, जिनपर विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने से पहले राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना था, ये टिप्पणियां व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना, इसको कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार का आवश्यक नवीकरण और अपने स्तर पर संगठनात्मक और वित्तीय वचनबद्धताओं, से संबंधित है।

(ग) चूंकि सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, क्रियान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है, अतः केन्द्र सरकार को भूमिका परियोजनाओं की संसाधनों की कमी को पूरा करने के वास्ते वाह्य अभिकरणों से ऋण अथवा अनुदान की व्यवस्था करने और परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने तक ही सीमित है। तदनुसार, आन्ध्र प्रदेश सरकार को सलाह दी गई थी कि वह मिशन को टिप्पणियों की अनुपालना करें। राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप अक्तूबर, 1987 से परियोजना शरू की गई है।

बम्बई का नाम बदलना

4328. **श्री राम नाईक :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार बम्बई का नाम बदल कर मुम्बई करने के विचार से असहमत नहीं है;

(ख) क्या बड़ौदा तथा त्रिवेन्द्रम शहरों को उनके ऐतिहासिक नामों बड़ौदरा तथा तिरुवन्तपुरम के नाम से जाना जाता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के पास बम्बई का पुनः नामकरण मुम्बई करने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(घ) यदि हां, तो कब से लंबित है; और

(ङ) महाराष्ट्र सरकार के इस प्रस्ताव को अब तक अनुमोदित न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 1968 में बड़ोदा शहर का नाम बदलकर बड़ोदरा कर दिया था। केन्द्रीय सरकार ने, त्रिवेनद्रम का नाम बदलकर तिरुवन्तपुरम करने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मामले पर विचार किया गया और प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

एच०आई०वी०रोगी

4329. **श्री खेलन राम जांगड़े :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में अब तक एच०आई०वी० से पीड़ित कितने रोगियों का पता चला है;

(ख) मध्य प्रदेश के कौन-कौन से अस्पतालों में एड्स परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा विदेशी सहायता से मध्य प्रदेश में कोई एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०सी० सिल्वेरा) : (क) 30 जून 1994 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश से उनहत्तर एच०आई०वी० पाजिटिव रोगी सूचित किए गए है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस समय मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एड्स के निवारण एवं नियंत्रण के लिए विश्व बैंक के 84 मिलियन यू०एस० डालर के उदार ऋण से एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तैयार की गई नीतियों में उच्च खतरे का आचरण करने वाले समूहों तथा आम जनता में जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोग/एच०आई०वी० के निवारण के लिए कंडोम को बढ़ावा देना, रक्त निरापदता और रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, एच०आई०वी०/एड्स रोगियों की निगरानी, निदान एवं चिकित्सा प्रबंध के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल है।

विवरण

निगरानी केन्द्र

1. विकृति विज्ञान विभाग, गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल।
2. चैतराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर।

जोनल रक्त जांच केन्द्र

1. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, भोपाल

2. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, उज्जैन
3. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, ग्वालियर
4. रक्त बैंक, चैतरात अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर
5. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, इन्दौर
6. रक्त बैंक, रीवा मेडिकल कालेज, रीवा
7. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बिलासपुर
8. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, जबलपुर
9. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, छिन्दवाड़ा

[अनुवाद]

औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं

4330. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दक्षिण के एक राज्य में क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (घ) देश में तीन क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिनके लिए भूखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में एक ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 2 एकड़ का एक भूखंड दिया है।

[हिन्दी]

विसालपुर परियोजना

4331. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विसालपुर पेयजल एवं सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपयुक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) विसालपुर पेयजल व सिंचाई परियोजना जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति

द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त कर ली जायें। राजस्थान सरकार ने इस संबंध में इन मंत्रालयों द्वारा उठाए गए मुद्दों का अनुपालन संतोषजनक रूप से नहीं किया है।

(ग) इस परियोजना को भारत सरकार की स्वीकृति देने का समय मुख्य तौर पर राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय की टिप्पणियों के संतोषजनक उत्तर तत्काल भेजने पर निर्भर करता है।

गया में आकाशवाणी केन्द्र

4332. **श्री प्रेम चन्द्र राम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में गया में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सतही और भूमिगत जल

4333. **श्री शांता राम पोतदुखे : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सतही और भूमिगत जल संसाधनों के अधिकतम विकास हेतु सतही और भूमिगत-जल के समन्वित उपयोग/हेतु विस्तृत अध्ययन करने के लिए किसी योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए राज्य-वार किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग पर अध्ययन करने के वास्ते सरकार ने 7.43 लाख रुपए की लागत पर एक योजना अनुमोदित की है। इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड ने देश के 6 वृहद नहर कमानों में सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग पर अध्ययन शुरू किए हैं। ये कमान हैं : (i) सारदा सहायक नहर कमान क्षेत्र (उत्तर प्रदेश), (ii) इंदिरा गांधी नहर परियोजना (राजस्थान), (iii) माही कदाना नहर कमान (गुजरात), (iv) हीराकुड कमान (उड़ीसा), (v) तुगंभद्रा कमान परियोजना (आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक) तथा (vi) घाटप्रभा कमान (कर्नाटक)।

(ग) आठवीं योजना में प्रस्तावित परिव्यय 5.00 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

प्रचार सामग्री

4334. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी विभाग अपनी प्रचार सामग्री को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अलावा अन्य सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रकाशित करवाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) अपवादिक परिस्थितियों के अलावा जब कुछ विभागों ने अत्यावश्यकता और समय की कमी के कारण आकस्मिक प्रकृति के कुछ विज्ञापनों को सीधे जारी किया, रेल मंत्रालय के अलावा सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग सामान्यतः विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए अपनी प्रचार सामग्री (विज्ञापनों सहित) भेजते रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित विभागों ने कुछ विज्ञापन सीधे जारी किए हैं :—

(i) वायु सेना तथा सेना स्कंध, रक्षा मंत्रालय;

(ii) योजना आयोग का राष्ट्रीय सूचना केन्द्र;

(iii) अन्तरिक्ष विभाग;

(iv) खाद्य विभाग;

(v) दूरसंचार विभाग;

(vi) आयकर निदेशालय; तथा

(vii) डाक विभाग

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने समय-समय पर सरकार के निर्णय को दोहराते हुए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए अपने विज्ञापन भेजने के लिए लिखा है।

पड़ोसी देशों से टी०वी० कार्यक्रम

4335. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों के टी०वी० कार्यक्रमों की बड़ी संख्या में भरमार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो भारत में किन-किन देशों के टी०वी० कार्यक्रम देखे जाते हैं; और

(ग) ये कार्यक्रम किन-किन स्थानों पर देखे जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) हमारी सीमा से सटे क्षेत्रों में तकनीकी स्थिल ओवर के कारण, पाकिस्तान, श्री लंका तथा बंगला देश जैसे पड़ौसी देशों के टी०वी० संकेतों की उपलब्धता के अलावा, हांग-कांग, फिलीपिन्स, यूरोप, संयुक्त राज्य अमरीका तथा ऑस्ट्रेलिया से प्रसारित होने वाले विदेशी सैटेलाइट चैनलों के बहुत-से संकेतों को उपयुक्त डिश एंटीना के जरिए देश के बहुत-से भागों में ग्रहण किया जा सकता है।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

4336. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश को बड़ी और मझौली चालू सिंचाई परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, वित्त पोषण और क्रियान्वयन पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। केंद्रीय सरकार एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में योजना सहायता प्रदान करती है जो किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती है। योजना आयोग के कार्यदल द्वारा संस्तुत निधियों के साथ-साथ वर्ष 1991-92 से उत्तर प्रदेश की राज्य वार्षिक योजनाओं में वृहद एवं मझौली सिंचाई क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार है :

	परिव्यय करोड़ रुपए में	
वर्ष	कार्यदल की सिफारिश	अनुमोदित परिव्यय
1991-92	375.85	305.08
1992-93	406.12	320.10
1993-94	391.50	395.05
1994-95	380.76	— 309.05 (संशोधित परिव्यय)

टी०वी० फिल्म और ड्रामा समारोह

4337. श्री मंजय लाल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे परदे पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टी०वी० फिल्म और ड्रामा समारोह आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रेस सूचना ब्यूरो का आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण

4338. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान प्रेस सूचना ब्यूरो के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण हेतु खर्च की गई राशि बजट आबंटन का कितने प्रतिशत थी;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान पूरी बजट-राशि उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) बजटीय राशि के पूर्ण उपयोग और योजना के अंतर्गत स्कीमों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) 1993-94 के दौरान बजट आबंटन की लगभग 22.72% धनराशि पत्र सूचना कार्यालय के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण हेतु खर्च की गई थी।

(ख) और (ग) 1993-94 हेतु मंजूर बजट अनुदान में पत्र सूचना कार्यालय के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए आबंटित धनराशि का कुछ प्रशासनिक कारणों से पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। 1994-95 के दौरान स्कीमों के कार्यान्वयन और बजटीय आबंटन के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

मंत्रियों पर खर्च

4339. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **गृह मंत्री** 4 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1618 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय संबंधी भत्तों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यात्रा खर्चों की कोई सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) प्रत्येक मंत्री का व्यय संबंधी भत्तों तथा यात्रा खर्चों का विवरण क्या है;

(घ) वर्ष 1991-92 की तुलना में उसके बाद के वर्षों में हुए यात्रा खर्चों में तेजी से वृद्धि का क्या कारण है; और

(ङ) उनके टेलीफोन, फर्नीचर, कार्यालय तथा आवासों की साज-सज्जा तथा सुरक्षा पर अलग-अलग वर्षवार कितना खर्च हुआ ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 में व्यय संबंधी भत्ते की निम्नलिखित दरों, की व्यवस्था की गई है ;

क) प्रधानमंत्री-एक हजार पांच सौ रुपए प्रति माह,

ख) प्रत्येक मंत्री जो केबिनेट का सदस्य हो-एक हजार रुपए प्रतिमाह,

ग) एक राज्य मंत्री- पांच सौ रुपए प्रतिमाह

घ) एक उप मंत्री-तीन सौ रुपए प्रतिमाह।

(ख) मंत्रियों के यात्रा खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यात्रा करते हैं जोकि-अन्तर्ग्रस्त कार्य की प्रकृति, और आवश्यकता पर निर्भर करती है।

(ग) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) हवाई यात्रा किराए की दरों में तथा मंत्रियों द्वारा किए जाने वाले दौरों की संख्या में वृद्धि के कारण यात्रा व्यय में चढ़ाव आया है।

डेंटल कालेज

4340. **श्री एस०बी० सिदनाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1994 को स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार/संघ राज्यवार कितने डेंटल कालेज है;

(ख) भारतीय दंत्य चिकित्सा परिषद द्वारा राज्यवार-संघ राज्यवार कितने कालेजों को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है;

(ग) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-यार अभी तक कितने डेंट्ल कालेज किसी विश्वविद्यालय से सबंद्ध नहीं है; और

(घ) डेंटल कालेज को मान्यता देने के लिए कितने आवेदन भारतीय दंत्य चिकित्सा परिषद के पास लंबित है और इसमें बिलंब के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार देश में 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार 121 डेंटल कालेज चल रहे हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 72 गैर-मान्यता प्राप्त डेंटल कालेज है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) 12 डेंटल कालेज ऐसे है जिन्हें किसी विश्वविद्यालय से सबंद्ध नहीं किया गया है। ये सभी बिहार राज्य में स्थित हैं।

(घ) ऐसे छह आवेदन पत्र भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद में लम्बित पड़े हैं। ये मामले विचार-विमर्श की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण-I

देश में डेंटल कालेजों की संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	15
2.	उत्तर प्रदेश	1
3.	पंजाब	4
4.	आन्ध्र प्रदेश	7
5.	तमिलनाडु	12
6.	पश्चिम बंगाल	2

1	2	3
7.	गुजरात	3
8.	कर्नाटक	42
9.	केरल	2
10.	मध्य प्रदेश	1
*11.	बिहार	15
12.	गोवा	1
13.	हरियाणा	3
14.	असम	1
15.	राजस्थान	1
16.	उड़ीसा	1
17.	जम्मू व कश्मीर	1
18.	दिल्ली	1
19.	पांडिचेरी	2
20.	हिमाचल प्रदेश	1
21.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों वाले कुल कालेजों की संख्या	4
	कुल	121

विवरण-II

गैर-मान्यता प्राप्त कालेजों की संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	9
2.	पंजाब	3
3.	आन्ध्र प्रदेश	6
4.	तमिलनाडु	5
5.	पश्चिम बंगाल	1

1	2	3
6.	गुजरात	2
7.	कर्नाटक	29
8.	बिहार	13
9.	हरियाणा	1
10.	पांडिचेरी	2
11.	हिमाचल प्रदेश	1
	कुल	72

तम्बाकू संबंधी कानून

4341. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से तम्बाकू संबंधी प्रतिबंधात्मक कानून के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोकसभा के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रसूति एवं स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र

4342. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय कितने प्रसूति एवं स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) 1994-95 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने का विचार है;

(ग) क्या इन केन्द्रों हेतु कोई विदेशी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) महाराष्ट्र में प्रसूति एवं स्वास्थ्य परिचर्या 1684 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 9377 उप केन्द्रों 298 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। प्रसूति एवं स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों के रूप में किन्हीं अलग केन्द्रों को नामोदिद्ष्ट नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) ग्रामीण स्वास्थ्य स्कीमों के अंतर्गत 1994-95 में नए प्रसूति एवं स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के लिए यू०एन०एफ०पी०ए०

से 1.5 करोड़ रुपये तथा भारतीय रेड क्रास सोसायटी से 7.8 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए भवनों का पुनः निर्माण शामिल है।

[हिन्दी]

सफाई-कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग

4343. **श्री आनन्द अहिरवार : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के विचारार्थ विषय, उद्देश्य, कार्य संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसरण में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नामक एक आयोग की दिनांक 12-8-1994 को स्थापना कर दी गई है जो उसे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करेगा तथा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित में से सभी अथवा किसी कार्य का निष्पादन करेगा :—

(1) एक समयबद्ध कार्य योजना के अधीन सफाई कर्मचारियों के लिए अवसरों, सुविधाओं तथा दर्जे की असमानता के उन्मूलन के लिए विशेष कार्य योजना पर केन्द्र सरकार को सिफारिश करना।

(2) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्याकंन तथा अध्ययन और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को बेहतर समन्वय तथा ऐसे कार्यक्रम तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना।

(3) विशिष्ट शिकायतों का अन्वेषण तथा गैर कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर अपनी तरफ से सूचना देना :—

(क) सफाई कर्मचारियों के किसी भी समूह के बारे में कार्यक्रम या योजना बनाना

(ख) निर्णय, मार्गदर्शन अथवा अनुदेश जारी करना जो सफाई कर्मचारियों की कठिनाईयों को कम करने के लिए लक्षित हो।

(ग) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन के उपाय।

(घ) किसी विधि के उपबंधों का सफाई कर्मचारियों पर लागू करना तथा ऐसे मामलों को संबंधित प्राधिकारियों अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के साथ उठाना।

(ङ) सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मामले में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को अवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना जिसमें सफाई कर्मचारियों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयों या निर्योग्यताओं का भी ध्यान रखा जाय।

(च) अन्य कोई मामला जो इसके पास केन्द्र सरकार द्वारा भेजा जाए।

अपने कार्यों के पालन करने में आयोग को किसी सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से किसी मामले के बारे में सूचना मांगने का अधिकार होगा।

आयोग को सौपें गए कार्य 31 मार्च, 1997 तक पूरे होने है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

4344. **श्री पी० कुमारासामी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण के अन्तर्गत जिला स्तर पर वित्तीय सहायता योजना किस तिथि से शुरू की गई;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल बीस जिलों को ही सहायता मिली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला परियोजना स्कीम वर्ष 1990-91 से शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत 20 जिला परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता दी गई है।

राज्य सरकारों को समय-समय पर स्कीम के बारे में बताया जाता है और उन्हें सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी जाती है।

प्रसार भारती विधेयक

4345. **श्री सुधीर गिरि :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद द्वारा पारित प्रसार भारती विधेयक में निहित उद्देश्यों से सहमत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो किस बात पर सहमत नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें निहित प्रावधानों को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रसार भारती विधेयक के स्थान पर कोई अन्य विधेयक लाने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के प्रभावी होने की अवस्था में कार्यात्मक कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार इस अधिनियम को लागू करने से पहले इस अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

लाइफ लाइन एक्सप्रेस

4346. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइफ लाइन एक्सप्रेस को "इंपैक्ट" द्वारा देश में रेलवे की सहायता से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रेलगाड़ी का गतव्य स्थल देश के दक्षिणी भाग तक बढ़ाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) लाइफलाइन एक्सप्रैस इम्पैक्ट इंडिया फाउन्डेशन, जो एक स्वैच्छिक संगठन है, द्वारा चलाई जा रही है। यह रेलगाड़ी निर्धन लोगों को मौके पर नैदानिक और शल्य चिकित्सीय उपचार तथा निशुल्क सहायता व उपकरण प्रदान करने के लिए भारत के गांवों में जाती है। इम्पैक्ट को रेलवे का निकट सहयोग प्राप्त हो रहा है जो इसे तीन बोगियां प्रदान करता है तथा इसे दुलाई, अवरोधन तथा मरम्मत व रखरखाव के खर्च में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह रेलगाड़ी एक स्थान पर लगभग 45 दिन की अवधि के लिए रूकती है। अब तक यह 5 राज्यों के 12 क्षेत्रों में गई है जिसमें से तीन दक्षिण भारत में है।

कटक का आकाशवाणी केन्द्र

4347. **श्री रवि राय :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कटक के आकाशवाणी केन्द्र के गिरते स्तर के संबंध में 8 जून, 1994 के उड़िया दैनिक "समाज" में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले की जांच की गई है और इस रिपोर्ट पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

दूरदर्शन-प्रसारण हेतु धारावाहिक

4348. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन०एस०पी० योजना के अंतर्गत निर्माताओं द्वारा 1990 के दौरान 3544 धारावाहिक दूरदर्शन-प्रसारण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तिम रूप से स्वीकृत धारावाहिकों के निर्माताओं को अपने धारावाहिक प्रसारण हेतु भेजने को कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो कितने निर्माताओं ने प्रत्युतर दिया;

(घ) क्या प्रतीक्षा सूची के धारावाहिकों के निर्माताओं को अपने धारावाहिक भेजने के लिये नहीं कहा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्काल अथवा निकट भविष्य में क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दूरदर्शन द्वारा वरीयता क्रम में रखे गए 118 प्रस्तावों में से 100 धारावाहिकों के "पायलट" प्रस्तुत किए गए थे।

(घ) और (ङ) वरीयताक्रम में रखे गए प्रस्तावों को समायोजित कर लेने के बाद ही, प्राइम-टाइम" के दौरान टेलीकास्ट करने हेतु प्रतीक्षा सूचीगत प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। गैर-प्राइम टाइम" स्लॉटो में टेलीकास्ट करने हेतु उनके प्रस्तावों पर दूरदर्शन द्वारा विचार करने के संबंध में इन पक्षों से किसी ने भी अनुकूल उत्तर नहीं भेजे हैं।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों का निजीकरण

4349. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री सत्य देव सिंह :
श्री भीम सिंह पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सरकारी अस्पतालों का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हत्याकांड की जांच

4350. **श्री शैलेन्द्र महतो :** क्या **गृह मंत्री** बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता की हत्या की सी०बी०आई० द्वारा जांच के बारे में 12 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2592 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड मुक्ति मोर्चा के भूतपूर्व अध्यक्ष की हत्या की केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सी०बी०आई०) द्वारा जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ख) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जांच-पड़ताल पूरी करने के बाद, तीन अभियुक्तो के खिलाफ 5/12-6-1989 को विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय, रांची, में आरोप-पत्र दायर किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पुलिस महानिदेशक, बिहार, से दो फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया है। उनकी चल सम्पत्ति की कुर्की के लिए, कुर्की संबंधी आवश्यक कार्रवाई की गयी। न्यायालय ने भी इन दो अभियुक्तों को उद्‌घोषित अपराधी करार दिया है। मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी की हत्या का मामला

4351. **डा० बसंत पवार :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी हत्याकांड मामले की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस मामले के संबंध में कोई नई गिरफ्तारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जांच कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष जांच दल द्वारा जांच-पड़ताल पूरी कर लिए जाने के बाद, नामोदिष्ट न्यायालय, मद्रास, के समक्ष 20-5-1992 को आरोप पत्र दायर कर दिया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षिक संस्थाएं

4352. **श्री हारापन राय :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियां स्कूल, कालेज तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं का संचालन करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां पर हैं;

(ग) प्रत्येक संस्था में छात्रों तथा शिक्षण तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) ऐसी संस्था ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धन राशि खर्च की ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं। कोल इण्डिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियां स्कूल, कालिज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान नहीं चलाती है। इन्हें संबंधित राज्य सरकारों, स्वतंत्र निकायों या निजी प्रबंधन समितियों द्वारा चलाया जाता है। किन्तु कोयला कंपनियां, कोलफील्ड्स क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक सस्थाओं को अद्य-संरचनात्मक सुविधाओं द्वारा वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराती हैं ताकि कोयला खनिकों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

(ख) से (घ) यह सूचना केन्द्रीय रूप में संकलित नहीं की जाती है। यह बात महसूस की गई है कि सभी सहायक कंपनियों/क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में इस संबंध में सूचना को एकत्र करने तथा संकलित करने में लगने वाले समय, लागत तथा प्रयास उस प्रयोजन के अनुरूप नहीं होंगे जिसके लिए यह सूचना मांगी गई है। किन्तु, विभिन्न कोलफील्ड्स क्षेत्रों में कार्यरत संस्थानों के कंपनी-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा पर हुआ सहायक कंपनी-वार व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

शैक्षणिक संस्थाओं की कंपनी-वार स्थिति

क्र० सं०	संस्थान का स्तर	ईकोलि	भाको कोलि	सेको लि	वेको लि	साई कोलि	मको लि	नाको लि	नाई को	जोड़
1.	प्राइमरी/नर्सरी स्कूल	168	192	107	122	121	17	14	12	753
2.	मिडिल/जूनियर हाई स्कूल	18	77	40	65	67	06	06	01	280
3.	हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूल	09	43	22	30	42	13	02	—	161
4.	सेंट्रल स्कूल	01	04	06	04	07	–	03	01	26
5.	डी०ए०वी०स्कूल	—	04	12		04	–	07	–	27
6.	दिल्ली पब्लिक स्कूल	—	01	—				–	–	01
7.	पौली-टैक०	—	—	—	—	02	–		–	02
8.	आई०टी०आई०		—	—	—	05	—	01	—	06
9.	कालेज	—	06	04	08	05	04	—	—	27
	जोड़ :	196	327	191	229	253	40	33	14	1283

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त, डी०सी०सी० में एक प्राइमरी स्कूल तथा एक जूनियर स्कूल कार्यरत है तथा के०खा०आ०डि०सं०लि० में एक प्राइमरी स्कूल कार्यरत है।

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान सहायक कोयला कंपनियों द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय

(आंकड़े लाख रु० में)

कंपनी	1991-92	1992-93	1993-94
ई०को०लि०	61.26	71.37	85.80
भा०को०को०लि०	41.88	132.26	126.29
से०को०लि०	22.65	210.17	223.00
वे०को०लि०	36.80	107.92	232.00
सा०ई०को०लि०	157.71	172.86	274.00
ना०को०लि०लि०	78.85	123.00	123.00
म०को०लि०	—	69.52	69.27
ना०ई०को०	22.95	18.34	23.17
के०खा०आ०डि०सं०लि०	0.77	—	17.12
जोड़	422.87	905.44	1173.65

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

4353. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कर्मचारियों के साथ कोई बातचीत की है;

(घ) क्या कर्मचारियों ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य सुनिश्चित करने के लिए निश्चित कार्यविधियां हैं। कम्पनी का निदेशक बोर्ड निगम के कामकाज का निरीक्षण करता है। निदेशक बोर्ड में इस मंत्रालय के अधिकारी भी अंशकालिक निदेशक के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंत्रालय द्वारा कंपनी के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सुझाए गए तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुमोदित पैनल से प्रतिनियुक्ति पर एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(ग) से (ङ) कम्पनी का प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मामलों पर उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करता है तथा उनकी शिकायतों के समाधान के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

दूरदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ समझौता

4354. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/एजेंसी के साथ दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी०सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने समूचे यू०के० तथा यूरोप में जी०एस०टी०वी० उपग्रह तथा केबल चैनल पर दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए मैसर्स जी०एस०टी०वी०, लन्दन के साथ एक समझौता किया है। उक्त समझौते के तहत, जो प्रारंभ में 3 साल के लिए वैध है, दूरदर्शन लोगों वाले कार्यक्रमों की पहले 3 मास के लिए निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी और तत्पश्चात जी०एस०टी०वी० दूरदर्शन को प्रत्येक घण्टे के आधार पर भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन इन कार्यक्रमों के जरिये (अंशदान/विज्ञापन/प्रायोजन) अर्जित सकल राजस्व का 10 प्रतिशत प्राप्त करेगा। इस समझौते को दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा 12 मास के नोटिस के जरिये समाप्त किया जा सकता है।

दूरदर्शन द्वारा हिंदी को नया स्वरूप दिया जाना

4355. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दूरदर्शन द्वारा अपने कार्यक्रमों के प्रसारण में हिन्दी को नया स्वरूप प्रदान किए जाने के संबंध में 5 जून, 1994 के हिन्दी दैनिक "आज" में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। उक्त समाचार मद में, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने शोध-पत्र में इस विषय पर निकाले गए निष्कर्षों का उल्लेख है।

(ग) सरकार ने उक्त समाचार की विषय-वस्तु पर ध्यान दिया है।

गंगा-जल

4356. **श्री अनिल बसु : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों के बीच, जहां से होकर गंगा नदी बहती है, गंगा जल के बंटवारे के संबंध में कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या गंगा जल के उपयोग के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा जल की उपलब्धता पर आकाश गंगा परियोजना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कानपुर में नदी पर एक बांध का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो नदी के अनुप्रवाह पर इस बांध का क्या पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) गंगा जल के बंटवारे के संबंध में गंगा थाले के राज्यों के बीच ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गयी है।

(ख) गंगा जल के उपयोग के संबंध में कोई आंकलन नहीं किया गया है।

(ग) गंगा थाला राज्यों से "आकाश-गंगा परियोजना के नाम से कोई योजना केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कानपुर में गंगा नदी पर सिर्फ एक बराज के निर्माण को छोड़कर और कोई बांध बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(च) उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मूल्यांकन के लिए पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

भूतपूर्व सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानि-पेंशन

4357. **श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के अन्तर्गत 21 वीं सेंट्रल इंडिया हार्स के कुछ भूतपूर्व कार्मिकों को पेंशन बहाल करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी पेंशन रोकने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी पेंशन कब तक बहाल कर दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (घ) 32 व्यक्तियों को, उनके द्वारा "21वीं सैंट्रल इंडियां हार्स म्यूटिनी" में भाग लिए जाने के आधार पर भूलबश पेंशन स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार स्वीकृत की गई पेंशन एक ऐसी पुनरीक्षा के आधार पर 29-12-1976 को स्थगित कर दी गई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि इस विद्रोह में भागेदारी तथा भोगे गये कष्ट को, पेंशन की स्वीकृति के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त नहीं है। उनमें से 17 व्यक्तियों ने, सरकार के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 17-1-1990 के निर्णय में, सरकार को निर्देश दिया कि वह इन व्यक्तियों की पेंशन रोकने के कारण के बारे में उन्हें सूचित करें तथा इन्हें, अभ्यावेदन करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करें। उनसे प्राप्त अभ्यावेदनों पर न्यायालय के निदेशानुसार विचार किया गया और पेंशन स्वीकृत करने में सरकार की असमर्थता सूचित करते हुए सकारण आदेश जारी किए गए। रिट याचिका दायर करने वाले 17 व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। जबकि मामला अभी भी न्याया-धीन है, विशेष पेंशन योजना के उपबंधों के अनुसार "21वीं सैन्ट्रल इंड्यिाहार्स म्यूटिनी" में भाग लेने वाले पात्र व्यक्तियों को 1-8-1993 से 900 रु० प्रतिमाह की विशेष पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।

प्रतिभा पलायन

4358. **श्री एन० डेनिस :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 से 1994 के दौरान कितने डाक्टर नौकरी के लिए विदेश गए, और

(ख) सरकार ने इस प्रतिभा पलायन पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस प्रकार के उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त डाक्टरों के लिए पदोन्नति के बेहतर अवसर और भत्ते; तृतीयक परिचर्या अस्पतालों में आधुनिक उपकरण एवं अनुसंधान सुविधाएं मुहैय्या कराना;

(II) उन चिकित्सीय विषयों में अध्ययनों के लिए विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाना जिनमें पहले ही देश में प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित कर ली गई है;

(III) "नो आब्लिगेशन टु रिटर्न टु इंडिया" प्रमाणपत्रों, जो कि अमेरिका प्रव्रजन की प्रक्रिया के लिए पूर्वापेक्षित हैं; को विशेष परिस्थितियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।

मुहुरीचर क्षेत्र

4359. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ विवादास्पद मुहुरीचर क्षेत्र की सीमा कितनी है और इसकी स्थिति क्या है; और

(ख) इस मामले के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) भारत बंगलादेश भूमि-सीमा समझौता, 1974 के अनुसार, मुहुरी नदी (बेलोनिया) सैक्टर में परिसीमांकन करते समय, सीमा का परिसीमांकन मुहुरी नदी के मार्ग की मध्य-धारा के साथ-साथ किया जाना है। यह सीमा एक स्थाई सीमा होगी। मुहुरी नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण मुहुरीछार भू-भाग बना था। नवम्बर, 1993 से बंगलादेश की ओर से गोली-बारी की घटनाएं होती रही हैं। हमने बंगलादेश सरकार को अपनी चिंता राजनैयिक माध्यमों से व्यक्त कर दी है तथा बातचीत के द्वारा मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जलाशय विकास कार्यक्रम

4360. **श्री राजेश कुमार :**
श्री तेज नारायण सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्षा आधारित कृषि के लिए कोई राष्ट्रीय जलाशय विकास कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं

4361. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को चलाने हेतु जर्मनी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय जर्मनी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या उड़ीसा ने राज्य में लिफ्ट सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जर्मनी से इस प्रकार की सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (घ) इस समय, केवल उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई परियोजना 55 मिलियन डच मार्क की जर्मन सहायता से क्रियान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

भूमिगत जल

4362. **श्री भवानी लाल वर्मा :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है जिससे गांवों में लगे कई हैंड पम्प बेकार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ जिलों में भूमिगत/जल स्तर को ऊपर उठाने हेतु केन्द्र सरकार के पास कुछ योजनाएं भेजी है;

(घ) यदि हां, तो अनुमानित लागत के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ये योजनाएं केन्द्र सरकार के पास कब से लम्बित पड़ी हुई हैं। इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) (क) केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भूजल स्तरों में उतार और चढ़ाव दोनों ही स्थितियां पाई गई हैं। राज्य के कुछ भागों में स्थित कुएं/नलकूप/हैडपंप भूजल स्तर में गिरावट आने के कारण बेकार हो जाते हैं।

(ख) दीर्घावधिक विश्लेषण से पता चला है कि मालवा क्षेत्र के कुछ भागों तथा भिंड, मोरेना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के स्थानीय पाकेटों में भूजल स्तर में कमी आई है। गर्मी में जल स्तर में आने वाली गिरावट की स्थिति में पंप के काम करने के लिए यदि पंप को काफी गहरा नहीं लगाया जाता है तो कुएं/नलकूप सूख जाते हैं। कुएं के डिजाइन में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने हैं।

(ग) से (च) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 क्षेत्रों, जहां भूजल स्तर धीरे-धीरे गिर रहा है, में कृत्रिम पुनर्भरण की व्यवहार्यता की जांच करने के वास्ते केंद्रीय भूजल बोर्ड के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से अनुरोध किया था। संबंधित क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण की व्यवहार्यता के संबंध में बोर्ड की टिप्पणियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

जल बंटवारा

4363. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान सरकार से प्राप्त जल बंटवारा संबंधी कितने मामले केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) ये मामले कब से लम्बित हैं और इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इन मामलों को हल किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (ग) जल के बंटवारे के संबंध में राजस्थान सरकार से प्राप्त दो मामले इस समय केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं अर्थात् :

(I) गंगा के बाढ़ जल के व्यपवर्तन के सम्बन्ध में राजस्थान का 1973 का प्रस्ताव, और

(II) 1980 से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच माही नदी के जल का बंटवारा।

जल संसाधनों के विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने हिमालयी नदी विकास घटक का विस्तृत अध्ययन प्रारंभ किया है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्रों को गंगा नदी और इसकी पूर्वी नदियों से अधिशेष जल के व्यपवर्तन को परिकल्पना भी की गई है। उनकी रिपोर्ट आठवीं योजना के अंतर्गत उपलब्ध हो जाने की संभावना है। अन्तर्राज्यीय बैठकों में विचार-विमर्श के जरिए माही नदी जल के बंटवारे के मामले का समाधान करने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

मानवाधिकार आयोग

4364. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में अनेक स्थानों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी यात्राओं के दौरान आयोग को कितनी याचिकाएं/ज्ञापन प्राप्त हुए और वे किस प्रकार के थे;

(घ) इन यात्राओं का क्या निष्कर्ष निकला है;

(ङ) उन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(च) क्या आयोग का विचार निकट भविष्य में ऐसी ही यात्राएं करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) (ख) और (ङ) इस वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, आयोग ने निंम्नलिखित राज्यों का दौरा किया;

राज्य	तारीख	जिन स्थानों का दौरा किया गया	आयोग द्वारा अब तक किया गया व्यय (रुपयों में)
1	2	3	4
1. पंजाब	17 से 20. अप्रैल, 1994	चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर।	1,840/रु०

1		2	3	4
2.	जम्मू और कश्मीर·	4 से 6 जून, 1994	श्रीनगर और जम्मू	27,185/रु०
3.	आंध्र प्रदेश	3 से 9 अगस्त 1994	हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल और नालगौंडा	62,277/रु०

(ग),(घ), (च) और (छ) आयोग को पंजाब दौरे के समय 171, जम्मू एवं कश्मीर के दौरे के समय 46, आंध्र प्रदेश के दौरे के समय 1400 से अधिक याचिकाएं प्राप्त हुई। ये याचिकाएं मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों से संबंधित हैं जिनमें हिरासत में हुई मौतें, लापता हो जाने, पुलिस द्वारा सम्पत्ति पर अवैध कब्जा, बिना वारंट के गिरफ्तारियां, सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों से संबंधित याचिकाओं के अतिरिक्त लोगों को निरुद्ध रखे जाने, भूमि संबंधी विवाद आदि शामिल हैं। जहां पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर से मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं के बारे में मामलों को संज्ञान में लिया गया है, वहीं आंध्र प्रदेश से प्राप्त याचिकाओं की संवीक्षा की जा रही है। आयोग द्वारा पंजाब के दौरे की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास समुचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। अन्य राज्यों का दौरा करने का प्रस्ताव है। आयोग द्वारा बनाए गए यात्राक्रम के अनुसार अगली बार बिहार राज्य का दौरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

कोयला नियंत्रण आदेश

4365. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला नियंत्रण आदेश को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त आदेश के कार्यान्वयन के बाद लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार कोयला नियंत्रण आदेश को वापस लेने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अधीन अभी भी प्रवृत्त है। कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के प्रावधान कोयले के वितरण, कोयले के ग्रेडों के निर्धारण, विभिन्न ग्रेडों के कोयले की कीमतों का निर्धारण, आदि से संबंधित है।

वर्ष 1992 में कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के प्रावधानों में कुछ संशोधन किया गया था। उक्त आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार, जहां तक वास्तविक उपयोगकर्ताओं/का संबंध है, कोयला प्राप्त करने की प्रविधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन, यदि कोई उपभोक्ता एक वास्तविक उपयोगकर्ता के रूप में कोयला प्राप्त करता है तो उसे कोयले को हस्तांतरित करने का पुनः बेचने के लिए कोयला नियंत्रक की पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोयला नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है।

इन संशोधनों के अधीन बिना वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के अधीन उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत बेचा गया कोयला और ऐसा कोक्कर तथा अकोक्कर कोयला जोकि धातुकर्मीय उद्देश्य के लिए अनपेक्षित कोयला असम एवं मेघालय में उत्पादित किया जाता है, वह प्राप्ति, प्रेषण और हस्तांतरण पर नियंत्रण से मुक्त है। लेकिन यह छूट कोल इंडिया लि० या इसकी किसी सहायक कंपनी की किसी खान में उत्पादित कोयले पर लागू नहीं होगी, भले ही वह खानें इन दो राज्यों में ही क्यों नहीं स्थित हो। यह नियंत्रण ग्रहीत उपभोग के लिए निजी कोयला खानों में उत्पादित कोयले पर भी लागू नहीं होता है।

(ग) इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, कोयले का वितरण अब सांविधिक रूप से कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के अंतर्गत नियंत्रित होता है। इस संशोधन का उद्देश्य लाभ कमाने वाले व्यक्तियों द्वारा कोयले के हस्तांतरण को हतोत्साहित करना है। किन्तु, इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) वर्तमान में कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इसके प्रावधान वास्तविक उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण नियमित करने, उपभोक्ताओं को सही ग्रेड के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयले के ग्रेड का निर्धारण करने तथा कोयले के विभिन्न ग्रेडों, आदि की कीमतें निर्धारित करने आदि के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।

महात्मा गांधी पर फिल्म

4366. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और अफ्रीकन ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन ने महात्मा गांधी पर एक फिल्म बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई सहायता प्रदान की है;

(घ) फिल्म के बनने की कब तक सम्भावना है ?

(ङ) फिल्म के बनने की कब तक सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के रचनात्मक वर्षों, जब उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह में अपने प्रयोग शुरू किए थे, पर आधारित "मेकिंग ऑफ ए महात्मा" नामक फिल्म बनाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना दक्षिण अफ्रीका प्रसारण निगम (एस०ए०बी०सी०) तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के बीच एक सहयोग होगी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्म का कार्यकारी निर्माता होगा 1 फिल्म के निर्माण की अनुमानित लागत 4 करोड़ रुपए होने का प्राक्कलन है जिसमें से भारतीय शेयर 2.5 करोड़ रुपये को होगा। फिल्म के निर्माण के लिए भारत सरकार के शेयर को नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। फिल्म की पटकथा तैयार है। रा०फि०वि०नि० तथा एस०ए०बी०सी० के बीच समझौते पर हस्ताक्षर; स्थापन का पता लगाना और कलाकारों का चयन आदि का काम जारी है तथा यह कार्य यथासमय पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि फिल्म को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है तथापि अक्टूबर, 1994 के आस-पास इस फिल्म का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आशा है।

गुजराती में टेली फिल्में

4367. **श्री एन०जे० राठवा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफिल्मों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) स्वीकृति के लिए लंबित गुजराती में टेली फिल्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन, टी०वी० माध्यम के लिए विषय-वस्तु की उपयुक्ता पर आधारित कमीशंड कार्यक्रम श्रेणी के अंतर्गत टेली-फिल्मों के निर्माण हेतु प्रस्तावों पर विचार करता है तथा इनका निरूपण करता है।

(ख) सोलह, श्रीमन्।

(ग) कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये प्रस्ताव उन प्रस्तावों में से हैं, जिनकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रम

4368. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कितने जनजातीय लोग दूरदर्शन के कार्यक्रमों से अभी तक लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि जनजातीय लोगों द्वारा इन कार्यक्रमों को पसन्द किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जनजाति क्षेत्रों में इस तरह का कोई सर्वेक्षण कराने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरदर्शन को विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या के बीच ऐसा अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

सीमा सुरक्षा बल

4369. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल में कितने कार्मिक सेवारत हैं;

(ख) सीमा सुरक्षा बल पर गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि का व्यय हुआ; और

(ग) गैर-सीमा क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल के कितने कार्मिक तैनात हैं और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1,69,795

(ख)

वर्ष	वार्षिक व्यय (रुपए)
1991-92	719,24,29,000
1992-93	805,52,74,000
1993-94	949,13,00,000

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल की तैनातगी की आवश्यकता में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है, और तद्नुसार ही कार्मिकों को तैनात किया जाता है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड को राज सहायता

4370. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को 1981 तक स्वीकृत गैर-योजना ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए राज सहायता के रूप में 58.08 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड पर कितनी ऋण बकाया है; और

(ग) ऋणों पर अब तक राज सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इण्डिया लि० की ओर अभी भी गैर-आयोजना ऋण की 432.64 करोड़ रु० की राशि बकाया है।

(ग) वर्ष 1981 में सरकार ने इसको ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा 1981-82 से 58.08 करोड़ रु० की राशि काल्पनिक ब्याज की आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती है तथा तद्नुसार अधिप्राप्तियों के अंतर्गत प्रविष्टि कर दी जाती है। अतः इस तरह से नकद में कोई अदायगी नहीं की जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

4371. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल होना अनिवार्य होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अंशदान में हाल ही में की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे एक स्वैच्छिक योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) यह योजना केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों को छोड़कर, जिनकी पत्नि/पति रक्षा अथवा रेलवे सेवाओं, राज्य सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के कारपोरेशनों अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से वित्त पोषित निकायों, स्थानीय निकायों और प्राइवेट संगठनों, जो चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं; में कार्यरत है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अंशदान की दरों में वृद्धि के बाद भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेवारत और सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल रूप से एक कल्याण योजना है। यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों हुई वृद्धि के समानुपाती भी नहीं है।

शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण

4372. **श्री ए० अशोक राज :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंधी में अंतिम निर्णय कब तक से लिया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

जाली पासपोर्ट

4373. **श्री तारा सिंह :**
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में देश में जाली पासपोर्ट रखने वाले अनेक व्यक्तियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे पासपोर्टों के मालिकों के बारे में पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) बीस मामले सामने आए हैं। प्रत्येक मामले में ऐसे पासपोर्ट धारक/पासपोर्ट मालिक की ... की गई। इन मामलों की स्थिति इस प्रकार है :—

1.	अन्वेषणाधीन मामले	4
2.	जिन मामलों में आरोप दाखिल किए गए	2
3.	विचारण के लिए लंबित मामले	8
4.	दोष-सिद्धि में समाप्त हुए मामले	4
5.	बंद किए गए मामले	2
		20

अर्द्ध-सैनिक बलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग

4374. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित कार्य बल में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत अथवा अन्य केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक त्वरित कार्य बल तथा राज्य सशस्त्र बलों में अल्पसंख्यक कर्मियों का बल-वार प्रतिशत कितना कितना है; और

(ग) क्या सभी बलों में अल्संख्यको का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की मिश्रित प्रकृति को बनाए रखने की दृष्टि से और सभी क्षेत्रों एवं समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, समुचित प्रचार के बाद देश के विभिन्न भागों में भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं। इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जाते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र उम्मीदवारों को केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलो में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी हो जाए और साथ ही अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों मे, जहा कहीं संभव हो, भर्ती रैलिया आयोजित करने के प्रयास किए जाते हैं।

त्वरित कार्य बल के मामले में, जिसका गठन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नियमित कार्मिकों में से किया गया है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, अन्य केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की अपेक्षा अधिक है। तथापि, प्रतिनिधित्व का प्रतिशत, समय-समय पर, बदलता रहता है।

राज्य सशस्त्र बलों में अल्प-संख्यको के प्रतिनिधित्व से संबंधित डाटा, केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

मलयालम फिल्म

4375. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान (जून तक) राष्ट्रीय नेटवर्क पर कितनी मलयालम फिल्मों के प्रसारण की पेशकश की गई थी;

(ख) निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद प्रसारण में प्राथमिकता देने की औपचारिकताएं क्या हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन पर फिल्मों के जांच के लिए कोई समिति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, दो

(ख) क्षेत्रीय भाषा की बिल्कुल हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली तथा अग्रनन गिनाचली (पैनोरमा) प्रविष्टिगत फिल्मों को, और फिर, प्रदेश पुरस्कार पाने तथा रजत-जयंती मनाने वाली फिल्मों को टेलीकास्ट हेतु वरीयता दी जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। गैर-सरकारी सदस्यों वाली एक समिति इन फिल्मों को परिवार के साथ देखने हेतु, उनकी उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेने के लिए इनका पूर्व दर्शन (प्रिव्यू) कर लेती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

साम्प्रदायिक दंगे

4376. **डा० परशुराम गंगवार :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके द्वारा इस प्रश्न पर सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्, केवल दिसम्बर, 92 से जनवरी, 1993 के दौरान अयोध्या से संबंधित दंगों की अल्पावधि को छोड़कर।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कोयला खनन

4377. **श्री चित्त बसु :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के निजी सगठनों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में खनन कार्य करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों का चयन किया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

दूरदर्शन पर क्षेत्रीय कार्यक्रम

4378. **श्री पी०सी० थामस :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण में वृद्धि की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें पूरे भारत तथा विदेशों में दिखाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय भाषा के उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को उपयुक्त डिश-एण्टीना की सहायता से देश के सभी भागों में देखा जा सकता है।

दूरदर्शन पे-चैनल

4379. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री बलराज पासी :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल आपरेटरों द्वारा चलाये जा रहे वीडियो चैनल के स्थान पर सरकार का "दूरदर्शन पे-चैनल" शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) भुगतान चैनल को शुरू करने की संभाव्यता की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

द्रुत कार्य बल

4380. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के और भी बटालियनों को द्रुत कार्य बल में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बल को स्थिति का तुरंत और प्रभावपूर्ण तरीके से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार प्रदान किए गए है; और

(घ) किन-किन राज्यों में इनको तैनात किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान् त्वरित कार्य बल के कार्मिकों को सुनिश्चित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें विशेष दंगारोधी उपकरणों आदि से लैस किया जाता है।

(घ) त्वरित कार्य बल की बटालियनों, को,देश में जहां कहीं भी जरूतर होती है, वहां तैनात किया जाना होता है।

अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा

4381. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के कितने छात्र गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे गए; और

(ख) सरकार द्वारा इन छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा दिलाने के लिए क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कतिपय अन्य श्रेणियों के छात्रों के लिए कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना, उच्चतर अध्ययनों के लिए डा० अम्बेडकर प्रतिष्ठान की डा० अम्बेडकर समुद्रपारीय छात्रवृत्ति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित तथा दूसरे देशों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों के अतंर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेश भेजे गये अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	छात्रों की संख्या
1991-92	8
1992-93	11
1993-94	12

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के छात्रों के लिए कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं :—

(1) अनुरक्षण भत्ता :—

मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के लिए प्रति वर्ष 5940 अमेरिकी डॉलर निर्धारित पाठ्यक्रमों/पी०एच०डी० में मास्टर की डिग्री हेतु प्रतिवर्ष 6600 अमेरिकी डॉलर।

पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए प्रति वर्ष 7700 अमेरिकी डॉलर

(2) शिक्षण तथा अन्य अनिवार्य विश्वविद्यालय शुल्क तथा चिकित्सा बीमे की किस्त, यदि कोई हो;

(3) पुस्तकों/आवश्यक उपकरणों/अध्ययन दौरों/शोध प्रबंध के टंकण एवं जिल्दसाजी के लिए प्रतिवर्ष 385 अमेरिकी डॉलर तक का आकस्मिक भत्ता;

(4) आकस्मिक यात्रा व्ययों को पूरा करने के लिए 15 अमेरिकी डॉलर तक;

(5) 1100 रु०/-उपकरण भत्ता और

(6) भारत से विदेश तथा वापसी के लिए रियायती हवाई यात्रा।

डा० अम्बेडकर प्रतिष्ठान की समुद्रपारीय अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को उनकी जाति, नस्ल, धर्म और वंश का ध्यान रखे बिना संवैधानिक अध्ययनों एवं समाजशास्त्र तथा विधि एवं संवैधानिक अध्ययनों में स्नातकोत्तर अध्ययनों विधि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा अर्थशास्त्र में पी०एच०डी० और पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन के लिए प्रति वर्ष 8400 अमेरिकी डॉलर अनुरक्षण भत्ते के रूप में, शिक्षण शुल्क तथा विदेशी विश्वविद्यालय को देय अन्य अनिवार्य शुल्कों की पूर्ण प्रतिपूर्ति, भारत से विदेश तथा वापसी रियायती हवाई यात्रा सुविधा तथा प्रति वर्ष 1200 अमेरिकी डॉलर आकस्मिक भत्ते के रूप में प्रदान किये जाते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों एवं बहुपक्षीय करारों के तहत अन्य देशों द्वारा प्रस्तावित तथा वित्त पोषित छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों का भी संचालन किया जाता है। दाता देशों द्वारा वित्त पोषित ऐसी छात्रवृत्तियों/अध्येता वृत्तियों में किसी श्रेणी के छात्रों/शिक्षाविदों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

उपकरणों की खरीद

4382. **श्री मोहन रावले :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल में करोड़ों रुपये मूल्य के उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं की रिपोर्ट मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अस्पताल के उपकरणों की खरीद से संबंधित अनेक दस्तावेज गायब हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसमें शामिल दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाए किए गए है/ किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा नयुक्त की गई विभिन्न समितियों ने 1988 से 1990 की अवधि के दौरान उपकरणों आदि की खरीद में हुई लगभग 40 करोड़ रुपये तक की अनियमितताओं के बारे में बताया है।

(ग) और (घ) डीन, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि कोई 228 फाइलें, जो पहले गुम हुई बताई गई थी, बाद में पुनः तैयार कर ली गई थीं। इस समिति ने इस मामले में आगे जांच करने की सिफारिश की।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्टोर अधिकारी और फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया था। अस्पताल के तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक को स्थानांतरित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे इस मामले की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे।

मुम्बई और कलकत्ता में बम विस्फोट

4383. **श्री सुधीर सावंत :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1993 में मुम्बई और कलकत्ता में हुए बम विस्फोटों में सम्पत्ति के नुकसान का कोई आकलन करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है और उनका पुनर्वास कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो दिए गए मुआवजे और पुनर्वास प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, मुम्बई में हुए विस्फोटों के परिणामस्वरूप लगभग 26.00 करोड़ रु० की सम्पत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। दिए गए मुआवजे के ब्यौरे :—

व्यक्तियों की संख्या		दिया गया अग्रिम (रु० लाखों में)	
(1) 220 मृतकों के उत्तराधिकारियों को		421.20	
(2) जख्मी हुए 507 व्यक्तियों को		27.35	
(3) क्षतिग्रस्त हुई 600 झुग्गियों के लिए		16.87	
(4) नष्ट हुए 41 मकानों/दुकानों के लिए		2.05	
	कुल रुपए	467.47	लाख रु०

कलकत्ता में हुए बम विस्फोटों के बारे में सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

औषधीय वनस्पति

4384. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय औषधीय वनस्पति विकास योजना के अन्तर्गत केरल में कितने सरकारी और गैर सरकारी संगठन औषधीय वनस्पतियों की खेती कर रहे हैं; और

(ख) 1994-95 के दौरान इन संगठनों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) इस समय केरल में 6 सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन हैं तो केन्द्रीय औषधीय पादप विकास तथा खेतीवाड़ी स्कीम के अन्तर्गत शामिल है। पिछले वर्षों में इन संगठनों को 30,000 लाख रुपये की राशि का अनावर्ती अनुदान पहले ही दिया जा चुका है।

(ख) किसी विशिष्ट संगठन के लिए अलग से धन नहीं रखा गया है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर बजट प्रावधान की उपलब्धता की शर्त पर वरीयता के आधार पर विचार किया जाता है।

बाढ़ नियंत्रण और मिट्टी का कटाव

4385. **श्री प्रबीन डेका :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और मिट्टी के कटाव के बारे में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ किसी योजना का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) बाढ़ नियंत्रण और मिट्टी कटाव पर निम्नलिखित तीन योजनाएं हाल के वर्षों में असम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं :

(I) ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से पलासवारी शहर की सुरक्षा-अनुमानित लागत 21.04 करोड़ रुपए।

(II) ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से मुकलमुआ-हाउलिघाट एवं आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा अनुमानित लागत 14.33 करोड़ रुपए।

(III) ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से डिब्रूगढ़ के अपस्ट्रीय वाले नागागुली मैजान क्षेत्र की सुरक्षा

(ग) केन्द्रीय सरकार ने असम सरकार द्वारा क्रियान्वयन के लिए इन योजनाओं की जांच की है एवं उन्हें अनुमोदित किया है।

अहमदाबाद के लिए दूसरा मैट्रो चैनल

4386. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने अहमदाबाद में दूसरा मैट्रो चैनल शुरू करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो यह चैनल कब से कार्य करना शुरू कर देगा;

(ग) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद में इन्सैट से जुड़ा हुआ कोई अर्थ ट्रांसपोन्डर स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह ट्रांसपोंडर कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) अहमदाबाद में दूरदर्शन की मैट्रो चैनल सेवा 2-5-1994 से शुरू की गई थी।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा क्षेत्रीय सेवाओं को अपलिंग करने के लिए शुरू किया गया। एक भू-केन्द्र पहले से ही प्रचालन में है और गुजरात राज्य के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा इस सेवा को रिले किया जा रहा है।

गांधी ग्रामीण इंस्टीट्यूट

4387. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु स्थित गांधी ग्राम इंस्टीट्यूड आफ सरल हेल्थ एंड फेमली वेलफेयर कैन्द्रीय सरकार की शत प्रतिशत अनुदान सहायता से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की है;

(घ) क्या इस इंस्टीट्यूट को गत कुल वर्षों से अनुदान राशि जारी नहीं की गई है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) कुछ समय तक एक सोसाइटी के रूप में कार्य करने के पश्चात गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान को 1969 में एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया। यह संस्थान परिवार कल्याण क्रियाकलापों के लिए तमिलनाडु सरकार के माध्यम से और सीधे केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दी गई धन राशि इस प्रकार है :

	तमिलनाडु सरकार के माध्यम से	सीधे संस्थान को
1991-92	26,29,483	20,70,600
1992-93	x 5,00,000	11,88,000
1993-94	x 2,50,000	18,51,600

x तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अकक्षित लेखों को प्रस्तुत न करने के कारण कम राशि दी गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

बाढ़ नियंत्रण

4388. **श्री जी०एम०सी० बालयोगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार बाढ़ नियंत्रण हेतु कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में प्रमुख नदियों के किनारों को मजबूत बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) चूंकि बाढ़ नियंत्रण राज्यों का विषय है इसलिए बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का वित्त पोषण और प्रबंध राज्यों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार स्वयं अपने संसाधनों से किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार बाढ़ नियंत्रण कार्यों का क्रियान्वयन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है।

विवरण

बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

(रुपए करोड़ में)

राज्य का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	अभयुक्ति
1. असम	20.00	25.00	25.00	ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ प्रबंध के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता।
	0.15	0.70	0.90	आपातिक बाढ़ सुरक्षा कार्यो के लिए विशेष ऋण सहायता।
2. बिहार	0.20	1.20	–	बिहार सरकार को उपलब्ध करायी गयी सहायता अनुदान के रूप में थी।
3. पश्चिम बंगाल			1.0	सहायता, अनुदान सहायता के रूप में थी।
	0.85	0.80	0.40	आपतिक बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए विशेष ऋण सहायता।
4. त्रिपुरा	–	–	0.20	-यही-
5. पंजाब	2.0	1.5	1.5	-यही-

[हिन्दी]

रोगों पर नियंत्रण

4389. **श्री छेदी पासवान :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की गिनती ऐसे राज्य के रूप में की गयी है जहां टी०बी० कुष्ठ और कालाजार के रोगियों की संख्या अधिकतम है और एड्स के मामलों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए बिहार सरकार को क्या केन्द्रीय सहायता दी गई है या देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) बिहार में कुष्ठ और काला आजार के रोगियों के अधिकतम संख्या में पाए जाने की सूचना मिली है लेकिन क्षय रोग के रोगियों की नहीं। अब तक बिहार राज्य से एड्स का कोई रोगी सूचित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) समय पर औषधों की सप्लाई करने के लिए क्षय रोग के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(घ) राज्य का वर्ष 1994-95 के लिए कार्यान्वयन की प्रगति की शर्त पर विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन दी जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	207 लाख रुपये
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	609 लाख रुपये
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	चालू वर्ष के दौरान कोई अनुदान रिलीज नहीं किए गए क्योंकि बिहार राज्य सरकार ने लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र नहीं भेजे है।
काला आजार	1925 लाख रुपये।

म्यानमार और पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थी

4390. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री मंजय लाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) म्यानमार और पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान से कितने वर्ष पूर्व शरणार्थी भारत आए थे;

(ख) इन में से कितने परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका और कितने परिवारों का पुनर्वास किया जाना शेष हैं;

(ग) क्या दोनों देशों के पुनर्वास किए गए परिवारों से संबंधित मामले अभी निपटाए जाने हैं अथवा पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से संबंधित मामलों का ही निपटान अभी शेष हैं; और

(घ) दोनों श्रेणियों के शरणार्थियों के संबंध में कितने मामले शेष हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (घ) विभाजन के परिणाम स्वरूप मार्च, 1958 तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थी भारत में आए। पुन:, आंतरिक गड़बड़ियों के कारण 1-1-1964 और 25-3-1971 के बीच और अधिक शरणार्थी भारत में घुस आए। सभी पात्र शरणार्थियों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पुनर्वासित किया गया, केवल 220 परिवारों को छोड़कर जो "परमानेंट लायबिलिटी होम्स" में ठहरे हुए हैं। 1988 के जनतंत्र समर्थक आन्दोलन के परिणाम स्वरूप म्यांमार से भारत में शरणार्थी आए। उन्हें शरणार्थी राहत दी गई। परिवारों के पुनर्वास संबंधी कोई मुद्दे अब हल किए जाने बाकी नहीं हैं।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेज

4391. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात में सरकारी और गैर सरकारी कितने मेडिकल कालेज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इन राज्यों में कुछ और मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 15 सरकारी और 16 निजी चिकित्सा कालेज तथा गुजरात में 5 सरकारी एवं 1 निजी चिकित्सा कालेज चल रहा है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र इंजीनियरी अकादमी तथा शैक्षणिक अनुसंधान केन्द्र, पुणे की ओर से ताल गांव (द भाइ़े) ताल मवाल, जिला पुणे में एक नया चिकित्सा कालेज खोलने के लिए सरकार को एक मात्र प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए उसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में भेज दिया गया है।

राष्ट्रीय नेताओं पर फिल्म

4392. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नेताओं पर फीचर फिल्में बनाने हेतु कुछ संगठनों और व्यक्तियों से मांगें, प्रस्ताव और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है/निर्णय लिया गया है;

(घ) इसके लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि और सहायता प्रदान की जाएगी;

(ङ) राष्ट्रीय नेताओं पर अब तक तैयार की गई और जारी की गई फीचर फिल्मों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (च) भारत में फीचर फिल्मों का निर्माण अधिकांश रूप से निजी क्षेत्र में किया जाता है और राष्ट्रीय नेताओं पर कुछ फीचर फिल्में बनाई गई हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रम है, को फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए व्यक्तियों और संगठनों से समय-समय पर प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। जिनमें राष्ट्रीय नेताओं पर फिल्म निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव भी शामिल होते हैं।

अभी तक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० ने राष्ट्रीय नेता पर "गांधी" नामक केवल एक फिल्म का निर्माण किया है। जिसे 1983 में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म के निर्माण में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का पूंजी निवेश 6.36 करोड़ रु० था।

वर्तमान में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० कल्याण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनके द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली 6 करोड़ रु० की धनराशि की लागत पर डा० बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक फिल्म का निर्माण कर रहा है।

"मैकिंग ऑफ ए महात्मा" नामक एक फीचर फिल्म के निर्माण के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। यह फिल्म दक्षिण अफ्रीका प्रसारण निगम (एस०ए०बी०सी०) तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० के बीच संयुक्त सह निर्माण होगी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० इस फिल्म का कार्यकारी निर्माता होगा। इस फिल्म के निर्माण की लागत लगभग 4 करोड़ रु० होने का प्राक्कलन है जिसमें से भारतीय शेयर 2.5 करोड़ रु० का होगा।

नर्सिंग स्कूल

4393. **डा० साक्षी जी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूलों के नाम क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूलों की सूची दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूलों की सूची

उत्तर प्रदेश

क्र०सं०	प्रशिक्षण का नाम	जिला	प्रशिक्षण अस्पताल का नाम
1	2	3	4
1.	जी०एन०एम०	आगरा	सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा

1	2	3	4
2.	एम०	आगरा	लेडी लायल और डफरिन अस्पताल, आगरा
3.	जी०एन०एम०	इलाहाबाद	मोतीलाल नेहरू अस्पताल, नकास कोना, इलाहाबाद
4.	एम०एन० एम० (आर)	-तदैव-	कमला नेहरू मैमोरियल अस्पताल, हशीमपुररोड, इलाहाबाद
5.	एम०	-तदैव-	महिला अस्पताल, इलाहाबाद
6.	जी०एन०एम०	-तदैव-	स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद
7.	जी०एन०एम०	बरेली	जिला अस्पताल, बरेली
8.	जी०एन०एम०	-तदैव-	कलारा स्वैन अस्पताल, बरेली
9.	ए०एन०एम० (आर)	देहरादून	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, चन्द्र नगर, देहरादून
10.	जी०एन०एम०	एटा	क्रिश्चियन अस्पताल, कासगंज, एटा-123
11.	ए०एन०एम० (आर)	इटावा	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, इटावा
12.	ए०एन०एम० (आर) जी०एन०एम०	गोरखपुर	जिला अस्पताल, गोरखपुर
13.	ए०एन०एम० (आर)	गोरखपुर	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, मेडिकल कालेज, कैम्पस, गोरखपुर
14.	जी०एन०एम०	झांसी	क्रिश्चियन अस्पताल, जोरकन बाग, झांसी
15.	ए०एन०एम० (आर)	जौनपुर	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, जौनपुर
16.	जी०एन०एम०	कानपुर	लाला लाजपत राय और एसोसिएटिड अस्पताल, कानपुर
17.	जी०एन०एम०	कानपुर	उर्सला हार्समैन मैमोरियल अस्पताल कानपुर
18.	एम०	"	एलाईस हार्समैन मैमोरियल एण्ड डफ्फरिन अस्पताल कानपुर
19.	एन०एम० एम० (आर)	"	सैंट कैथरीन अस्पताल कानपुर
20.	ए०एन०एम० (आर)	"	ए०एन०एम० (एच० डब्ल्यू०) प्रशिक्षण केन्द्र कानपुर
21.	जी०एन०एम० लखनऊ	"	गांधी मैमोरियल एंड एसोशियटड अस्पताल लखनऊ

1	2	3	4
22.	एम०	लखनऊ	महिला अस्पताल लखनऊ
23.	ए०एन०एम० (आर)	"	बलरामपुर अस्पताल लखनऊ
24.	ए०एन०एम० (आर)	"	हैल्थ वरकर्स प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ
25.	जी०एन०एम०	मेरठ	सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल, मेरठ
26.	ए०एन०एम० (आर)	मेरठ	एच० डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, भवानी नगर, मेरठ
27.	जी०एन०एम०	मथुरा	मैथोडिस्ट अस्पताल, जय सिंग पुरा, मथुरा-3
28.	ए०एन०एम (आर)	मिरजापुर	डिस्ट्रीक एंड वूमेन होस्पीटल, हैल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेन्टर, मिरजापुर
29.	ए०एन०एम० (आर)	नैनीताल	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी
30.	जी०एन०एम०	नैनीताल	बी०डी० पांडे अस्पताल, नैनीताल
31.	ए०एन०एम० (आर)	पीलीभीत	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, पीलीभीत
32.	ए०एन०एम० (आर)	पिथोड़ागढ़	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, पिथोड़ागढ़
33.	ए०एन०एम० (आर)	रामपुर	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, रामपुर
34.	ए०एन०एम० (आर)	सहारनपुर	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर
35.	जी०एन०एम०	वाराणसी	सर सुन्दर लाल अस्पताल, वाराणसी-5
36.	एम०	वाराणसी	महिला अस्पात, वाराणसी
37.	ए०एन०एम० (आर)	वाराणसी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, मुकिमगंज, वाराणसी
38.	ए०एन०एम० (आर)	अलमोड़ा	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, अलमोड़ा
39.	ए०एन०एम० (आर)	मुज़फ्फरनगर	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र ए मुजफ्फरनगर
40.	ए०एन०एम० (आर)	बिजनौर	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, बिजनौर
41.	ए०एन०एम०	मेरठ	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, मोदीनगर
42.	ए०एन०एम० (आर)	इलाहाबाद	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद
43.	ए०एन०एम० (आर)	बस्ती	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती
44.	ए०एन०एम० (आर)		एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, बलिया
45.	ए०एन०एम० (आर)	झांसी	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, झांसी

1	2	3	4
46.	ए०एन०एम० (आर)	बरेली	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, बरेली
47.	ए०एन०एम० (आर)	देवरिया	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, देवारिया
48.	ए०एन०एम० (आर)		एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, आजमगढ़
49.	ए०एन०एम० (आर)		एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, गौंडा
50.	ए०एन०एम० (आर)	रायबरेली	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, रायबरेली
51.	ए०एन०एम० (आर)	लखीमपुर खैरी	एच०डब्ल्यू० प्रशिक्षण केन्द्र, लखीमपुर खैरी
52.	ए०एन०एम० (आर)	सीतापुर	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर
53.	ए०एन०एम० (आर)	शाहजहांपुर	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहांपुर
54.	ए०एन०एम० (आर)	पौढ़ीगढ़वाल	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, पौढ़ी-गढ़वाल
55.	ए०एन०एम० (आर)	बहराइच	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच
56.	ए०एन०एम० (आर)	मुरादाबाद	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबाद
57.	ए०एन०एम० (आर)	मथुरा	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, मथुरा
58.	ए०एन०एम० (आर)		स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा
59.	ए०एन०एम० (आर)	प्रतापगढ़	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़
60.	ए०एन०एम० (आर)	सुलतानपुर	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, सुलतानपुर
61.	ए०एन०एम० (आर)		स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, फैजाबाद
62.	ए०एन०एम० (आर)		स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, गायघाट वाराणसी
63.	ए०एन०एम० (आर)		स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगढ़
64.	ए०एन०एम० (आर)	फर्रुखाबाद	स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, फर्रुखाबाद

[हिन्दी]

झारखण्ड मसला

4394. **श्री ललित उरांव :** क्या **गृह मंत्री** झारखण्ड मसले के बारे में 28 जुलाई, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के औपचारिक आदेश के लिए तैयार किए जा रहे झारखण्ड विकास परिषद (जे०ए०डी०सी०) विधेयक के प्रारूप का सारांश क्या है; और

(ख) वर्ष 1989 में गठित श्री बी०एस० लाली की अध्यक्षता वाली झारखण्ड समिति रिपोर्ट के किन-किन मुद्दों पर सरकार ने कार्यवाही की है, किन-किन मुद्दों को अस्वीकार किया गया और किन-किन मुद्दों पर सरकार विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक, 1991 के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं :—

(I) उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना मंडलों को मिलाकर झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना।

(II) परिषद की सदस्यता-मुख्यमंत्री द्वारा नामित व्यक्तियों तथा संसद सदस्यों, विधायकों, जिला परिषदो के अध्यक्षों और नगर पालिकाओं के मेयरों को प्राप्त होगी।

(III) परिषद को कुछ विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कार्यकारी-शक्तियां तथा कराधान की सीमित शक्तियां प्राप्त होंगी।

(IV) परिषद के कृत्यों का निष्पादन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा।

(V) परिषद के पास अपना स्वयं का फंड और बजट होगा।

(VI) राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त होगी कि यदि समिति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अथवा अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहती है तो वह परिषद को भंग कर दे।

(ख) सवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत झारखण्ड खेत्र की जनता की उचित आकांक्षाओं की जांच करने और इनकी पूर्ति के लिए रूपरेखा सुझाने हेतु अगस्त, 1989 में "झारखण्ड मामलों संबंधी समिति" नामक एक व्यापक आधार वाली समिति गठित की गई थी। समिति ने निम्नलिखित तीन विकल्पों पर विचार किया:

(I) झारखण्ड क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देना,

(II) झारखण्ड क्षेत्र को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा देना,

(III) दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद से मिलता-जुलता एक नया स्वायत्त राजनैतिक-प्रशासनिक ढांचा।

उपर्युक्त विकल्पों के बारे में समिति किसी सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक, 1991 में कुछ परिवर्तन सुझाने के लिए राज्य सरकार तथा राजनैतिक दलों के साथ परवर्ती बातचीत के दौरान इस रिपोर्ट के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त अन्य सामग्री का उपयोग किया गया।

[अनुवाद]

विदेशी विज्ञापन कम्पनियां

4395. **श्री फूल चंद वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों को दूरदर्शन पर अपने उत्पाद हेतु विज्ञापन देने की अनुमति देने हेतु सरकार तैयार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा में कुल कितना वार्षिक अनुमानित राजस्व अर्जित होने की आशा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों की संहिता को निम्नलिखित के संबंध में विज्ञापनों के प्रसारण को स्वीकृति प्रदान कर संशोधित किया गया है :–

1. जवाहरात अथवा बहुमूल्य पत्थर,
2. वैबाहिक एजेंसियां।
3. ज्योतिषी/संख्या-संगुनौती;
4. सेबी द्वारा अनुमोदित संचय निधि;
5. हेयर डाई;
6. विदेशी उत्पाद;
7. विदेशी बैंकों सहित वित्तीय सेवाएं।

(ग) विज्ञापनों हेतु भुगतान भारतीय रुपयों में किया जाना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रसारण नीति

4396. **श्री जगमीत सिंह बरार :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय प्रसारण नीति बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) वर्तमान में राष्ट्रीय प्रसारण नीति बनाने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। तथापि, माध्यम विशेषज्ञों की सलाह से इलैक्ट्रोनिक माध्यमों सहित राष्ट्रीय माध्यम नीति पर सैद्धांतिक दस्तावेज/व्यावहारिक दस्तावेज तैयार करने के लिए मंत्रालय से संबंद्ध परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की एक उप समिति गठित की गई है।

दूरदर्शन चैनल पर कार्यक्रम

4397. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चैनल 1 तथा 2 के अतिरिक्त दूरदर्शन के और कितने चैनल कार्यरत हैं;

(ख) इन विभिन्न चैनलों पर कौन-कौन से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं;

(ग) क्या कोई चैनल विशेष रूप से क्षेत्रीय सेवाओं के लिये निर्धारित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी०सिंह देव) : (क) जी, दस।

(ख) से (घ) ये दस उपग्रह चैनल केवल नीचे दर्शायी गई 11 क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए समर्पित हैं :—

चैनल	भाषा
डी०डी०-4	मलयालम
डी०डी०-5	तमिल
डी०डी०-6	उड़िया
डी०डी०-7	बंगला
डी०डी०-8	तेलुगु
डी०डी०-9	कन्नड़
डी०डी०-10	मराठी
डी०डी०-11	गुजराती
डी०डी०-12	पंजाबी तथा कश्मीरी
डी०डी०-13	असमियां तथा अन्य उत्तर-पूर्वी भाषाएं।

साम्प्रदायिक सौहार्द आश्रय-स्थल

4398. **श्री बी०एस० विजयराघवन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्य-वार कितने साम्प्रदायिक सौहार्द आश्रय स्थल खोले गए हैं; और

(ख) इन केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई साम्प्रदायिक सौहार्द आश्रय स्थल नहीं खोला गया है।

[हिन्दी]

विदेशी अंशदान

4399. **श्री वीरेन्द्र सिंह :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से धन प्राप्त करने वाले कुछ संगठनों पर लगी रोक को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) इन संगठनों को 1992, 1993 और 1994 के दौरान कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई; और

(घ) इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) : संस्थाओं द्वारा, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है, सुधारात्मक उपाय किए जाने के उपरान्त सरकार ने विदेशी अभिदाय (विनियमन), 1976 की धारा 10) क्यू के अधीन आदेश को रद्द कर दिया है।

(ग) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए प्राप्त विदेशी अभिदाय, जैसा कि उनके द्वारा सूचित किया गया है, अनुलग्नक में दर्शाया गया है। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976, के अधीन आने वाली संस्थाओं द्वारा वर्ष 1993-94 के लिए प्राप्त विदेशी अभिदाय के संबंध में सूचना मई, 1994 तक दी जानी थी, परन्तु सभी से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः वर्ष 1993-94 के संबंध में विदेशी अभिदाय के आकंड़े उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1994-95 के लिए ऐसी ही सूचना अभी देय नहीं हुई है।

(घ) सरकार इन संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों में विदेशी अभिदाय के उपयोग के बारे में इस संस्थाओं के लेखों की बारीकी से जांच करती है।

विवरण

उन संस्थाओं के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन आदेश रद्द कर दिया गया है।

क्र० सं०	संस्था का नाम और पता	आदेश की तारीख	आदेश रद्द किए जाने की तारीख	निम्नलिखित वर्षों के लिए विदेशी अभिदाय की प्राप्ति।	
				1991-92	1992-93 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	वोछासनवासी श्री अक्षर पुरूषोत्तम संस्था, श्री अक्षरपुरूषोत्तम मंदिर, शाहीबाग, अहमदाबाद (गुजरात)	1-8-89	17-11-89	53.56 लाख रु०	213.36 लाख रु०
2.	कैथोलिक चर्च, सेनापति, मणिपुर	28-4-89	9-3-90	—	—
3.	अनाक्कारा विकास संगम, मकान नं०3, डा० अनाक्कारा, जिला-इदुक्की, केरल।	2-6-87	5-10-90	95,000/-रु०	शून्य
	ओपन आर्म्स, ए०सी०टी० कालेज, लोअर टैंक बैंड रोड़, गांधीनगर, हैदराबाद (आ०प्र०)	28-2-89	15-11-91	—	—
[illegible]	बाबा जगतार सिंह, [illegible] कार सेवा संगठन, तरन-तारन जिला-अमृतसर, (पंजाब)	2[illegible]-8-87	5-5-94	—	—

[अनुवाद]

दंड प्रक्रिया संहिता

4400. **श्री शरत पटनायक :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं को रात्रि के समय गिरफ्तार करने पर रोक लगाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) राज्य सभा में 9 मई, 1994 को पुरः स्थापित दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 के खण्ड 7 में इस बारे में एक प्रावधान मौजूद है।

दिल्ली में अपहृत बच्चों की कथित बिक्री

4401. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में दिल्ली में अपहृत बच्चों की बिक्री की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इस प्रकार के मामलों की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि चालू वर्ष अर्थात् 1-1-1994 से 31-7-1994 तक की अवधि के दौरान, राजधानी में अपहृत बच्चों की बिक्री का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

कोयला माफिया

4402. **श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कम्पनी को गत तीन वर्षों के दौरान माफिया द्वारा कोयले की चोरी के परिणामस्वरूप कम्पनी-वार अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(ख) प्रत्येक सहायक इकाई द्वारा अब तक कितनी हानि को इस अवधि के दौरान बट्टे खाते डाला गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए, और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामलों का निपटारा किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, माफिया द्वारा कोयले की चोरी से कोयला कंपनियों को, यदि कोई हानि हुई है, तो उसका अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि माफिया के माध्यम से की गई चोरी को विनिर्दिष्ट किया जाना संभव नहीं है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) इस संबंध में पिछले 3 वर्षों के दौरान अधिकारियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

दिल्ली दूरदर्शन में कर्मचारी

4403. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 दिसम्बर, 1993 और 31 जून, 1994 के अनुसार दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या भर्ती और पदोन्नतियों के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन किया गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन श्रेणियों में आरक्षण कोटे के पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकारी आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

(घ) इन श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों में 17 पद रिक्त पड़े हुए है।

(ङ) रिक्तियों को भरना एक सतत् प्रक्रिया है। इन रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए कार्रवाइ पहले से ही जारी है।

विवरण

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	30-6-1994 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की सं०	अनु० जाति से सम्बन्धित कर्मचारियों की सं०	अनु० जनजाति से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायक	89	19	02
2.	आशुलिपिक ग्रेड-1	01	—	—
3.	इंजीनियरिंग सहायक	111	20	02
4.	आशुलिपिक ग्रेड-2	02	—	—
5.	ट्रांसमीशन कार्यपालक	06	01	—
6.	मुख्य लिपिक/लेखाकार	05	01	—
7.	हिंदी अनुवादक	01	—	—
8.	अन्वेषक	02	—	—
9.	अनुसंधान सहायक	01	—	—
10.	वरिष्ठ तकनीशियन/मास्ट तकनीशियन	56	23	03
11.	आशुलिपिक ग्रेड-III	10	05	—
12.	सांख्यिकी कम्प्यूटर	01	—	—
13.	स्वागत अधिकारी	01	—	—
14.	लिपिक ग्रेड-I	26	03	—
15.	लिपिक ग्रेड-I के स्थान पर सामान्य सहायक	06	—	—
16.	स्टोर कीपर	04	—	—
17.	लायब्रेरियन	03	—	—
18.	तकनीशियन	52	07	07
19.	लिपिक ग्रेड-II	36	01	—
20.	सारणीकार लिपिक/टेलेक्स आपरेटर/हिंदी टंकक	03	—	—

1	2	3	4	5
21.	गेस्टेटनर आपरेटर वरिष्ठ ग्रेड	02	–	–
22.	मोटर ड्राइवर	21	07	02
23.	गेस्टेटनर आपरेटर कनिष्ठ ग्रेड	01	–	–
24.	लायब्रेरी अटेन्डेट	01	–	–
25.	स्टुडियो अटेन्डेट	04	03	01
26.	हेल्पर	34	10	03
27.	स्टुडियो गार्ड	08	04	–
28.	दफ्तरी	03	01	–
29.	खलासी	22	08	
30.	सोरटर	01	01	–
31.	चपरासी	17	07	–
32.	सुरक्षा गार्ड	18	03	–
33.	फराश	10	03	–
34.	सफाईवाला	13	12	–
35.	समाचार रिपोर्टर	02	–	–
36.	प्रस्तुतकर्ता उदघोषक (कनिष्ठ)	03	–	–
37.	संगीतकार	02	02	–
38.	वादक	09	01	–
39.	फ्लोर सहायक	51	07	01
40.	कैमरामैन ग्रेड 11	62	08	–
41.	सामान्य सहायक	19	–	–
42.	निर्माण सहायक	63	03	01
43.	फ्लोर प्रबंधक	10	–	
44.	प्रोपर्टी सहायक	03	–	–
45.	फिल्म प्रोसेसर	03	–	–

1	2	3	4	5
46.	दर्जी	01	01	–
47.	ग्राफिक सहायक	12	01	–
48.	फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट	05	01	–
49.	प्रकाश सहायक	14	03	01
50.	बढ़ई	14	04	–
51.	पेंटर	07	02	–
52.	दृश्य डिजाईनर	03	–	–
53.	ध्वनि रिकार्डिस्ट	02	–	–
54.	फिल्म सम्पादक	11	–	–
55.	मैक-अप-आर्टिस्ट	01	–	–
56.	मेक-अप-सहायक	06	–	–
57.	समाचार फिल्म लायब्रेरियन	01	01	–
	कुल	875	173	23

हृदय रोग

4404. **श्री पी०सी० चाको :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में लोग हृदय रोग से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्रमशः पुरूषों और स्त्रियों के संबंध में पृथक-पृथक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोम की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना संकलित नहीं की गई है।

(ग) ऐसे जोखिम वाले पहलुओं जिनके कारण हृदय रोग होता है, के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए किया जा रहा है।

उड़ीसा में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

4405. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी हैं;

(ख) वर्ष 1990 से अब तक राज्य के भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले तैयार किए गए है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों के निवास पर छापे मारे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों में कितने आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 119

(ख) 3

(ग) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

1. 1990 के बाद से, उड़ीसा संवर्ग के भा०पु० सेवा के निम्नलिखित तीन अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता के मामले प्रारम्भ किए गए , जो उनकी आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक सम्पत्ति ६. अधिग्रहण के बारे में हैं :—

(I) श्री एन०के० परीजा

(II) श्री बी०एन०जेना (सेवानिवृत्त)

(III) श्री के०सी० महापाल

2. जैसाकि उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है, इन अधिकारियों के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :—

(I) श्री एन०के० परीजा :— उन्हें उड़ीसा सरकार के तारीख 25-6-1990 के आदेश के तहत निलम्बित किया गया था, लेकिन बाद के तारीख 11-11-1992 के आदेश के तहत बहाल कर दिया गया।

(II) श्री बी०एन०जेना :— उन्हें उड़ीसा सरकार के तारीख 25-6-1990 के आदेश के तहत निलम्बित किया गया था और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक शाखा, के समक्ष श्री जेना द्वारा दायर ओ०ए०सं० 524/91 में दिए गए फैसले के बाद, उन्हें बाद में तारीख 11-11-1992 के आदेश के तहत सेवा में बहाल कर दिया गया।

(III) श्री के०सी० महापात्र :— उन्हें, उड़ीसा सरकार के तारीख 25-6-1990 के आदेश के तहत निलम्बित किया गया था, लेकिन 30-12-1990 से सेवा में बहाल किया गया ताकि वे 31-12-1990 से सेवानिवृत हो सकें। श्री महापात्र के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और मामला अब विशेष न्यायालय, कटक, में विचाराणाधीन है।

3. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, 1990 से, उड़ीसा किसी भा०पु०से० अधिकारी के परिसर पर छापा नहीं मारा है।

कोयला धोवनशालाएं

4406. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आस्ट्रेलियाई कंपनियों की सहायता से देश में कुछ कोयला धोवनशालाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आस्ट्रेलियाई कंपनियों द्वारा देश में कोयला धोवनशालाओं की स्थापना हेतु कितनी सहायता देने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। कोल इंडिया लि० (को०इ०लि०) तथा मै० वाइट इंडस्ट्रीज आस्ट्रेलिया लि० के बीच हुए एक करार के अंतर्गत आस्ट्रेलियाई वित्तीय सहायता सहित मै० वाइट इंडस्ट्रीज आस्ट्रेलिया लि० "टर्न-की" आधार पर सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में पिपरवार में कोयला परिष्करण संयंत्र का निर्माण कर रही है। इसके अलावा आस्ट्रेलिया की सहायता से फाइन कोयला की धुलाई के लिए भारत कोकिंग कोल लि० की मूनीडीह वाशरी के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, को०इ०लि० ने "स्व-निर्मित-स्व-चालित" आधार पर कोयला वाशरियों के निर्माणार्थ पार्टियों की पूर्व-अर्हता के लिए एक विश्वव्यापी निविदा परिचालित की है। इस प्रयोजनार्थ एक आस्ट्रेलियाई कंपनी को पूर्व अर्हक किया गया है।

आंध्र प्रदेश में कोयले का दोहन

4407. **श्री एम०बी०वी०एस० मूर्ति :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कोयले के दोहन के लिए केंद्रीय सरकार को कई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार कर लिया है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में कोयले के दोहन के लिए किसी क्षेत्र के बारे में विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आंध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष कुल कितने कोयले की मांग है और केंद्रीय सरकार कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति कर रही है;

(च) क्या केंद्रीय सरकार ने 1994-95 के दौरान राज्य की कोयले की समग्र मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० ने आठवीं योजना (1996-97) के अंतिम वर्ष तक कोयला के उत्पादन के स्तर को 1993-94 के 25.21 मि० टन से बढ़ाकर 28.30 मि०टन तक करने के लिए एक योजना बनाई है, जिससे विद्यमान खानों, चालू परियोजनाओं

तथा नई परियोजनाओं के योगदान से प्राप्त किए जाने की संभावना है। आठवीं योजना में, सरकार ने सिं०को०कं०लि० की दो नई कोयला खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है ये हैं — मेडापल्ली ओपेनकास्ट परियोजना (1.25 मि०ट० प्रतिवर्ष) तथा पदमावती खानी भूमिगत परियोजना (1.20 मि०टन प्रतिवर्ष)। आठवीं योजना के दौरान सरकार के पास मूल्यांकन के अग्रिम चरण में विकसित किए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परियोजना जैसे गौतम खानी ओ०का०परि० रामागुंडम शाफ्ट ब्लाक-टी, आर०के० न्यू (तकनीक), आदि हैं।

(ङ) कोयले की अपेक्षित आवश्यकताओं का मूल्याकंन पूरे देश के लिए किया जाता है और न कि यह राज्यवार किया जाता है। को०इं०लि० तथा सिं०को०कं०लि० द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश में स्थित सभी उपभोक्ताओं को की गई कोयले की कुल आपूर्ति नीचे दर्शायी गई है :—

	(आंकड़े अनंतिम)
सिं०को०कं०लि०	198.75 लाख टन
को०इं०लि०	56.30 लाख टन

(च) और (छ) आठवीं योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की मांग की दीर्घावधि मूल्याकंन के आधार पर सरकार द्वारा कोयला कंपनियों के संबंध में वार्षिक योजना लक्ष्य तथा बजट सं[illegible] आवंटन की राशि निर्धारित की है। वर्ष 1994-95 के लिए सिं०को०कं०लि० के संबंध में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 25.60 मि०टन पर निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार परिव्यय 483.40 करोड़ रु० की राशि का निर्धारित किया गया है, जिसमें विद्यमान खानों के लिए प्रावधान, नई परियोजना, विस्तार कार्यक्रम, खनन क्रियाकलापों के लिए यंत्रिकरण, आदि शामिल हैं। को०इं०लि० तथा सिं०को०कं०लि० में कोयले का उत्पादन क्षेत्रीय कच्चे कोयले की मांग के आधार पर पूरे देश के लिए 268.50 मि०टन निर्धारित किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है।

[हिन्दी]

बाढ़ पूर्वानुमान

4408. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने उत्तर प्रदेश में नदी जल बहाव का सही ढंग से आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गंगा और यमुना में बाढ़ आने संबंधी सूचनां अग्रिम रूप से दी गई थी;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बाढ़ पूर्वानुमान लगाने पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(ज) राज्य में बाढ़ संबंधी सही पूर्वानुमान लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (घ) केंद्रीय जल आयोग उत्तर प्रदेश में 103 नदी मापक केंद्रों पर सतही जल प्रवाह का आकलन कर रहा है तथा मानसून मौसम के दौरान 33 केंद्रों पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। वर्ष 1993 के दौरान उत्तर प्रदेश में जारी किए गए बाढ़ पूर्वानुमान की शुद्धता 96.8 प्रतिशत रही।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में बाढ़ पूर्वानुमान पर हुआ कुल व्यय क्रमश: 393 लाख रुपए, 433 लाख रुपए तथा 452 लाख रुपए है।

(ज) विद्यमान बाढ़ पूर्वानुमान शुद्धता को पर्याप्त माना गया है।

महाराष्ट्र में दूरदर्शन प्रसारण

4409. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में इस समय कार्यरत दूरदर्शन ट्रांसमीटर और स्टूडियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र का कितना क्षेत्र मुम्बई दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है;

(ग) क्या सरकार को राज्य में दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) महाराष्ट्र राज्य के दूरदर्शन नेटवर्क में बम्बई स्थित पूर्ण सुसज्जित कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, नागपुर स्थित सीमित निर्माण सुविधा तथा मैट्रो चैनल सेवा कार्यक्रमों को रिले करने हेतु एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर सहित विभिन्न शक्तियों के 47 ट्रांसमीटर शामिल हैं।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई द्वारा निर्मित और प्रसारित क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रम राज्य के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किए जाते हैं जो राज्य में रहने वाली 81.7% जनसंख्या तथा 69.5% क्षेत्र की टी०वी० सेवा उपलब्ध करवाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) महाराष्ट्र में टी०वी० कवरेज का उन्नयन करने की दृष्टि से 3 कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, 4 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 39 अल्प/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा एक ट्रांसपोजर वर्तमान में राज्य में कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित हैं जो संसाधन, आधारभूत ढांचे और पारस्परिक प्राथमिकताओं की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे।

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ प्रशासन में कर्मचारियों की भर्ती

4410. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों की भर्ती के नियमों की मुख्य बाते क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष श्रेणी-वार तथा स्त्रोत-वार सीधे और प्रतिनियुक्ति के आधार पर कितने कर्मचारी भर्ती किये गये; और

(ग) प्रशासन के अधीन इसके अपने कर्मचारी तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस समय कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के गठन से ठीक पूर्व लागू कानून/नियम, संघ शासित क्षेत्र,चण्डीगढ़ में कर्मचारियों की भर्ती के लिए लागू बने रहे हैं। चण्डीगढ़ प्रशासन ने उन सेवाओं को शासित करने के लिए अपने नियम बनाए जिनके बारे में तत्कालीन पंजाब राज्य में ऐसे कोई नियम मौजूद नहीं थे। संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़ के प्रशासक को (जिन्हें मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़ कहा जाता है) विभिन्न विभागों में पदों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए भर्ती नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई थीं। मुद्रणं एवं लेखन सामग्री, वास्तुकला एवं पी०जी०आई० के अलावा अन्य विभागों में पद मुख्य रूप से पंजाब एवं हरियाणा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर दूरदर्शन

4411. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर दूरदर्शन विभिन्न मदों की खरीद के लिए निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को हाल ही में बंगलौर दूरदर्शन के कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

श्रवण यंत्र

4412. **श्री प्रेमचंद राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अस्पताल के कान, नाक, गला विभाग के अध्यक्ष के निदेश पर सेवारत अथवा सेवा निवृत्त सी०जी०एच०एस० लाभार्थियों द्वारा खरीदें गए श्रवण यंत्र की लागत की आंशिक अथवा पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) पेंशन भोगियों समेत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को श्रवण यंत्र की लागत की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सीमा के अनुसार की जाती है :—

(आंकड़े रुपये में)

बहरेपरन की सीमा	प्रतिपूर्ति की सीमा
पॉकेट प्रकार के श्रवण यंत्र	
हल्का बहरापन	600/-
सामान्य बहरापन	1250/-
सामान्य से गंभीर बहरापन	1950/-
गंभीर बहरापन	1500/-
गंभीरतम बहरापन	2080/-
विशेष प्रकार के श्रवण यंत्र	
कान के पीछे और ए०सी० चश्में	5500/-

अवैध प्रवासी

4413. **श्री एस०बी० सिदनाल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके अवैध प्रवासी होने का संदेह है और जिनके मामले 1 अप्रैल, 1993 तथा 1 अप्रैल, 1994 तक अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित थे;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये जिन्हें न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी नागरिक होने का दोषी पाया;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये जिन्हें न्यायाधिकरणों ने विदेशी नागरिक होने का दोषी नहीं पाया; और

(घ) 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अवैध प्रवासी (निर्धारण) न्यायाधिकरणों में 31 मार्च, 1993 को 13879 मामले, तथा 31 मार्च, 1994 को 13052 मामले लम्बित थे।

(ख) और (ग) वर्ष 1991 से 1993 के दौरान न्यायाधिकरणों द्वारा निपटान कर दिए गए मामलों, तथा उनके द्वारा अवैध प्रवासी पाए गए व्यक्तियों की वर्ष वार संख्या निम्न प्रकार है :—

	1991	1992	1993
न्यायाधिकरणों द्वारा निपटा दिए गए मामले	2939	1157	1436
अवैध प्रवासी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	1457	341	349

(घ) 1 अप्रैल, 1994 की सिथति के अनुसार, सोलह अवैध प्रवासी (निर्धारण) न्यायाधिकरणों तथा एक अवैध प्रवासी (निर्धारण) अपीलीय अधिकरण था।

पानी का निकास

4414. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने तटवर्ती जिलों में जल निकास हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र के तटीय जिलों में जल निकास के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बाढ़ नियंत्रण

4415. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानन्दा बेसिन बाढ़ योजना की अद्यतन अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इस योजना का अब तक कितना कार्य पूरा हुआ है;

(ग) कौन-कौन से कार्य प्रगत्ति पर हैं; और

(घ) इस योजना पर 31 मार्च, 1994 तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) महानंदा बाढ़ नियंत्रण योजना की नवीनतम अनुमानित लागत 2062.91 लाख रुपए हैं।

(ख) इस योजना के तहत बिहार में अभी तक 240.40 किलोमीटर लम्बे तटबंध का निर्माण किया गया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार सरकार ने इस योजना के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है।

(घ) मार्च, 1994 तक इस योजना पर बिहार सरकार द्वारा 2170 लाख रुपए व्यय किये गये।

"वर्ल्ड दिस वीक"

4416. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रम "वर्ल्ड दिस वीक" का प्रसारण बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत वर्ष से प्रसारित किया जा रहा यह कार्यक्रम बौद्धिक वर्ग में काफी लोकप्रिय था और इसके दर्शक चुनिंदा लोग हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के स्थान पर कोई नया कार्यक्रम प्रसारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विस्फोटकों का पकड़ा जाना

4417. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री फूलचंद वर्मा :
श्री राम कापसे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर करीम नगर में विस्फोटकों के पकड़े जाने के बारे में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हा, तो क्या यह जांच पूरी हो गई है,

(ङ) यदि हा, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(छ) यदि नहीं, तो यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (छ) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा 6-1-94 को हुजुराबाद (करीम नगर) के समीप बोरनापल्ली गांव में कोन्द्रा बुचैय्या तथा पिट्टाला नरसैय्या नामक व्यक्तियों के दो पोलट्री फार्मों की तलाशी ली गई। पुलिस द्वारा 524 सन्दूक जिनमें 11,84,250 बिजली के/पुराने/विशेष डिटोनेटर थे, जिलेटिन के 150 सन्दूक (३750) और 175 सन्दूक, जिनमें सेफ्टी फ्यूज वायर की 15,000 क्वायज थीं, तथा जिनको अवैध रूप से रखा गया था, जब्त किए गए। पुलिस ने इस संबंध में कोन्द्रा बुचैय्या पिट्टाला नरसैय्या, चेरला प्रभाकर और अकीनेपल्ली सतैय्या को गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें न्यायिक हिरासत में रख दिया। बाद में ए० श्रीनिवास नामक एक अन्य अभियुक्त ने सत्र न्यायालय, करीमनगर में आत्म समर्पण कर दिया। की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि फार्मशेड्स से बरामद किया गया सामान मैसर्स पद्म श्री एक्सप्लोसिब्स, हुजूराबाद, जिसका स्वामी ए० श्रीनिवास, पुत्र रेडियो सतैय्या उर्फ अकीना पल्ली सतैय्या है, को दिया जाना था। मामले को दर्ज करने के बाद (अपराध संख्या 2/94, थाना हुजूराबाद (करीम नगर), प्रधान विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर, द्वारा अकीनापल्ली के सभी तीनों लाईसेंस रद्द कर दिए गए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले की कोई जांच नहीं की है।

[हिन्दी]

नौकरानियों को संरक्षण

4418. **श्री खेलन राम जांगड़े :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकरानियां अक्सर अपने नियोजनकर्ताओं के अत्याचार और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार बनती है;

(ख) क्या इन प्रताड़नाओं से नौकरानियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई सुरक्षा उपाय है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन नौकरानियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए किसी कानून के निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) नौकरानियों पर उनके नियोजनकर्ताओं द्वारा अत्याचार किए जाने और उन्हें शारीरिक प्रताड़नाएं दिए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) से (ङ) नौकरानियों को संरक्षण प्रदान करने के संबंध में कोई विशिष्ट विधायन नहीं है। तथापि, नौकरानियों द्वारा उन पर अत्याचारों/प्रताड़नाओं के सूचित किए गए विशिष्ट मामलों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

रेडियो और दूरदर्शन

4419. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रेडियो और दूरदर्शन के विकास हेतु राज्य सरकारों से सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क), (ख) और (ग) : केन्द्र सरकार ने राज्य में विद्यमान और स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित आकाशवाणी एवं दूरदर्शन परियोजनाओं हेतु आधारभूत सुविधाएं तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग मांगा है। राज्य सरकार ने अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

4420. **श्री एम० डेनिस :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु से राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन हेतु कितने आवेदन-पत्र निर्णय के लिए लम्बित है;

(ख) क्या उन आवेदकों जो राज्य सरकार की पेंशन पाते हैं और जिनके आवेदन पत्र राज्य सरकार ने अनुसंशित किए हैं; के आवेदन पत्र शीघ्र निर्णय के लिए प्रथम दृष्टया आवेदन पत्र मांगे जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के व्यक्तियों से 31-7-1994 तक प्राप्त हुए सभी आवेदनों पर कम-से-कम एक बार विचार कर लिया गया है और आवेदकों को निर्णय की सूचना दे दी गयी है। तथापि, रद्द किए गए आवेदनों के विरुद्ध अभ्यावेदनों/पुनरीक्षा याचिकाओं का प्राप्त होना जारी है जिन पर गुणा व गुण के आधार पर विचार किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार की पेंशन की मंजूरी के मानदण्ड, स्वतंत्रता सैनिक-सम्मान पेंशन में अन्तर्निहित मानदण्डों के समान नहीं हैं। तथापि, जिन आवेदनों में केन्द्रीय योजना के तहत पात्रता का मानदण्ड पूरा उतरता है और दावा की गई यातनाओं का, राज्य सरकार द्वारा सत्यापन/सिफारिश की जाती है, उन मामलों में केन्द्रीय पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदनों पर विचार किया जाता है।

भूमिगत जल का रिचार्ज

4421. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानसून बारिश के जल की अत्यधिक बर्बादी को कम करने की नीति के एक भाग के रूप में भूमिगत जल का पुनः उपयोग करने हेतु एक केन्द्रीय योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर कितना पूंजीगत परिव्यय होगा;

(ग) इसके अंतर्गत कितने क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा; और

(घ) सबंधित राज्य सरकारों की इस बारे में क्या भूमिका निर्धारित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) जी हां, । सरकार ने 367 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली "भूजल के पुनर्भरण पर अध्ययन" योजना स्वीकृत की है। इस योजना में परिस्रवण सरोवरों, उप-सतही बाँधों, अन्तः क्षेपण कुओं चेक बांधों आदि जैसी पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करके चुने हुए क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक अध्ययनों एवं प्रायोगिक कार्यान्वयन पुनर्भरण अध्ययनों की परिकल्पना की गयी है।

(ग) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के अन्वेषणात्मक अध्ययनों में ये शामिल है महाराष्ट्र के अमरावती और जलगाँव जिलों के संतरेऔर केले उगाने वाले क्षेत्र और कर्नाटक में कोलार जिले के गौरीबिदनूर और मूलबागल तालुकाएं। प्रायोगिक प्रचालन पुनर्भरण अध्ययनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल है।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत परिकल्पिक सिविल कार्य जो केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किये जाने वाले वैज्ञानिक अध्ययनों से भी सम्बद्ध होंगे, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किये जायेंगे।

विदेशी टी० वी० का प्रवेश

4422. **श्री रवि राय :**
श्री एस०एम० लालजान बाशा :
श्री संदीपन भगवान थोरात :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने भारत में विदेशी टी०वी० और रेडियो के प्रवेश के संबंध में अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की रचना, विचारार्थ विषय और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई०एस०आई० की गतिविधियां

4423. **डा० अमृत लाल कालिदास पटेल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई०एस०आई० द्वारा गुजरात और राजस्थान सीमाओं से नकली करेंसी नोट चलाने संबंधी कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है। गुजरात सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

समाचार पत्र और पत्रिकाएं

4424. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से कौन कौन से दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं; और

(ख) कौन-कौन से समाचार पत्र/पत्रिकाएं राज्य में क्रमशः स्थायी रूप से और अस्थायी से पंजीकृत हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) 15-8-1994 तक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास मध्य प्रदेश से 357 दैनिक 1710 साप्ताहिक तथा 246 मासिक पत्र/पत्रिकाएं पंजीकृत थीं। 31-12-1992 तक पंजीकृत उन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के नाम तथा अन्य ब्यौरे "प्रेस इन इंडिया, 1993" नामक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। मध्यप्रदेश से उन दैनिकों/साप्ताहिकों और मासिक पत्रों/ पत्रिकाओं के नाम जो भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास 1993 के दौरान तथा 15-8-1994 तक पंजीकृत थे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ये सभी समाचारपत्र/पत्रिकाएं स्थाई रूप से भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत हैं।

विवरण

मध्यप्रदेश से दैनिक/साप्ताहिक तथा मासिक पत्र/पत्रिकाओं के नाम जो वर्ष 1993 में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत थे।

दैनिक

1. आयोग
2. अमृत वचन
3. दैनिक भास्कर
4. दैनिक भास्कर
5. दैयिक चाणक्य
6. गोल्डन गुज
7. जबलपुर एक्सप्रेस
8. हसती हुई सुबह
9. हैदर हृदय
10. जन भारती प्रहरी
11. खासकर आपका समाचार
12. जन करम
13. कर्ण प्रिया
14. मालव सुता
15. मालवा सांध्य किरण
16. नर्मदा खण्ड
17. नोजा

18. पथरीले शब्द
19. पुलिस जन सहयोग विचार
20. रुद्रमुखी स्वर
21. सांध्य समीक्षक समाचार
22. शब्द सरोवर
23. शांति संदेश समाचार
24. टुडे न्यूज
25. विराट सागर

साप्ताहिक

26. आज का ब्रह्माण्ड
27. अभिव्यक्ति का सूचक
28. अद्‌भुत चैतन्य
29. अगोरी के फूल
30. अग्निहोत्री संदेश
31. अखण्डता का नारा
32. अक्षर मेघ
33. अमृत वचन
34. अनरघा न्यूज
35. अंजाम-ए-फिजा
36. आंखों देखी
37. आप लिखें और दुनिया पढ़े
38. बदलते वक्त की तस्वीर
39. बाजार के भाव
40. भगवान के मंदिर
41. भ्रांति मूलक
42. भिण्ड नाइट
43. भोजताल दर्पण
44. भोजपुर का पारस
45. भोपाल सुपर मेल
46. बिकान
47. बिजालपुर की दुनिया
48. ब्लैक डायमण्ड
49. भोपाली झटके
50. बोलता आईना
51. बुंदेली टाइगर
52. चल रे नौजवान
53. चलती दुनिया
54. चंबल कीर्ति
55. चार लाइन
56. चरैया गांव का समाचार
57. चार दिग दर्शन
58. चौथी क्रांति
59. चौपाल का सच
60. चौथा दूत
61. चाणक्य भारती
62. चेतना पुंज
63. चतुरंग भारत
64. चित्रगुप्त कलम
65. सिटी ऑफ भोपाल
66. सिटी मैन
67. दावचिक समाचार
68. धौसरिया टाइम्स

69. देशभक्त पुलिस
70. देवास के हाथ
71. दुनिया का नाज़
72. दुनिया का तलाश
73. एक लोटती प्रोटती आत्मा
74. गतिविधि दर्शन
75. गौसार वन्धु एक्सप्रेस
76. गिद्ध दृष्टि
77. ग्राम्य जन प्रभात
78. हम लोगों का देश
79. हाशमी की आवाज़
80. इधर-उधर की
81. इंदौर का बादशाह
82. इंदौर नगरी
83. इंदौर की नजर
84. इंदौर शारी दुनिया
85. इनसानियत का रहनुमा
86. जादू का कलम
87. जय लोक
88. जन प्रसार
89. जन जन का पूज्य
90. जय शंकर दर्शन
91. जय महाबली ध्वनि
92. ज्वाहर की माटी
93. जुल्म के खिलाफ संगर्ष
94. कबीर सिदान्त
95. कलम भारती
96. कविता शैली
97. खबर बंधन
98. खाना मान
99. दालावत टाइम्स
100. मधु संदेश
101. मध्य प्रदेश सन्देश
102. महाकाल की आवाज
103. मजदूर को देखो
104. मधार मार्तण्ड
105. मदांय के घरों से
106. मदराता आकाश
107. माटी के स्वर
108. नगर व्यथा
109. नारी जागृति
110. निविदा ही निविदा
111. परखा दर्पण
112. प्रदेश लोक स्वर
113. प्रकाश पुंज
114. पब्लिक टाइम्स ऑफ एम०पी०
115. राजा की चुगल
116. राज्य का बादशाह
117. रामगढ़िया न्यूज
118. रामगढ़ टाइम्स
119. राम रहीम सन्देश
120. राष्ट्रीय जनवाद

121. रौद्र मुखी स्वर
122. रौद्र मुखी स्वर
123. रेवांचल की बात
124. सब दूर की
125. शब्द वेला
126. सागर रथ
127. सहकार दृष्टि
128. सही तहरीर
129. समय मोहन
130. संकल्प पत्रांक
131. साप्ताहिक अष्ट परिक्रमा
132. सरोज वाणी
133. सरोज वाणी
134. साप्ताहिक मध्य प्रदेश आजकल
135. श्री साई न्यूज टाइम
136. सारी संसार
137. शब्द जगत दर्पण
138. शेयर्स बाजार समाचार
139. सिन्धु विकाश
140. सोने की लेखनी
141. सूचना जगत
142. सुलगते नयन
143. स्वर्ण सुमन
144. सुलगते सिन्दूर
145. स्वर विचार दर्पण
146. तकनीकी पक्ष
147. दि वाटर ऑफ इंडिया
148. तीखी निगाहें
149. उबलते विचार
150. तुलसी मानस भारती
151. उदय स्वर संकेत
152. उज्जैन दस्तक
153. उज्जैन ललकार
154. उमंग भरी खबरें
155. वीर छत्तीसगढ़
156. विजय की दुनिया
157. वायस ऑफ उमरिया
158. वर्धमान और वर्तमान

मासिक

159. इंडियन कम्प्यूटर न्यूज़
160. अपना सूरज
161. अमृत केसरी
162. अनुभव का धर्म
163. अंदुमबेर मित्र
164. क्रिच्तान विटनेस
165. धर्म युद्ध समाचार संकेत
166. गूंगों की चीखें
167. मध्य प्रदेश रविवार डाइजेस्ट
168. मध्य प्रदेश सहकारी भूमि
169. मैर दर्शन
170. मशीही अखबार
171. परेशान जिन्दगी

172. रायगढ़ उठान
173. पुष्प युग
174. सुलभा नारी दर्पण
175. तुलसी मानस भारती
176. वर्तमान काल खण्ड
177. रोग निदान

मध्य प्रदेश से दैनिक/साप्ताहिक तथा मासिक पत्र/पत्रिकाओं के नाम जो वर्ष 1994 (13-8-1994 तक) में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत थे।

दैनिक

1. देश की गर्जना
2. सलमा टाइम्स
3. दूरदर्शन समाचार
4. दैनिक फ्री प्रेस
5. कार्ति टाइम्स
6. बिलासपुर सांध्य स्वर
7. मध्य प्रदेश वाणी
8. आजा छत्तीसगढ़
9. चित्रांम वाणी
10. वन समुदाय
11. मध्य प्रदेश वाणी

साप्ताहिक

12. किशान दिग दर्शन
13. लक्की संदेश
14. भिण्ड नाइट
15. प्रेम की एकता
16. जन घोष टाइम्स
17. शेयर डेज़
18. जन वार्तालाप
19. बीत गया सप्ताह
20. खरी-खरी बातें
21. मनुवाणी समाचार
22. मशाल-ए-मेवाड़
23. ज्ञान रंजन समाचार
24. शब्द भेदी कलम
25. सागर में मोती
26. चौथी सत्ता
27. शब्दों का प्रयोग
28. भीड़ की आवाज़
29. वाम गुरू
30. मध्य आकाश
31. संयम विम्ब
32. चर्चा आज की
33. हर पक्ष पूर्ति
34. [illegible]पुर संदेश
35. वर्ण बोध
36. चौथी हलचल
37. वर्ड अभिव्यक्ति
38. पंछी की उड़ान

39. कुर्सी का राजनीतिक चक्रव्यूह
40. कलम की दुनिया
41. विलासपुर प्रतीक
42. कुर्सी दर्पण
43. गरीबों की कलम
44. मालव सेवी
45. स्पष्टवक्ता टाइम्स
46. गोल्ड टाइम्स
47. युवा टंकार टाइम्स
48. पूरिका
49. सदा-ए-हिंद
50. कलम की पूजा
51. अहिल्या का आंगन
52. नयना समाचार संकेत
53. स्याह सफेद
54. यादव क्रानिकल
55. रिपोर्टर रथ
56. दुःख दर्शन
57. गरीबों का पुकारता प्रवक्ता
58. चन्दनवाला टाइम्स
59. क्राइम दर्पण
60. खबर मेल
61. दशपुर ज्वाला
62. शोषण पर प्रहार
63. निर्भीक बाजार
64. पटेरिया की बुलन्द आवाज़
65. स्वतंत्र ऐलान
66. वारडोली स्वर
67. इंडियन फ्यूचर
68. नोलता भारत
69. जन स्वामी दर्पण
70. संदेश प्रवर
71. जी खबरें
72. श्री सौरभ युग संसार

मासिक

73. मध्य भारत परिदृश्य
74. नेशनल लेडी
75. नारी जागृति टाइम्स
76. विद्युत हलचल
77. टेलीफोन एजेण्ट
78. नारी शिक्षा दर्पण
79. मिट्टी के रंग
80. व्यूज़ ओनली
81. निखिल वाणी
82. स्वतंत्र दलित विचार
83. न्यूज एडीटर
84. भारतीय आयुर्वेद समाचार
85. न्यू में टाइम्स
86. पंजाबी दर्पण

अंधेपन की रोकथाम

4425. **श्री आनंद अहिरवार :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधेपन की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम प्रत्येक राज्य में डेनमार्क की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रम से अभी तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) पांच मार्गदर्शी जिलों तथा सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में व्यापक सहायता के अतिरिक्त उपकरणों और वाहनों की खरीद, कार्मिकों, के प्रशिक्षण, राज्य नेत्र विज्ञान कोष्ठों को सुदृढ़ करने और देश भर में एम०आई०एस० का विकास करने के लिए सहायता प्रदान करके डेनिडा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की सहायता कर रहा है।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान 50,44,335 मोतियाबिंद के आपरेशन किए गए।

संगीत और नाटक यूनिटें

4426. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उनके मंत्रालय के प्रचार विभाग की यूनिटों का ब्यौरा क्या है और ये यूनिटें कहां-कहां हैं;

(ख) राजस्थान की संगीत और नाटक यूनिटों का ब्यौरा क्या हैं और ये यूनिटें कहां-कहा हैं;

(ग) 1993-94 के दौरान प्रत्येक यूनिट द्वारा कितने कार्यक्रम प्रस्तुत किए गये, और

(घ) इन यूनिटों पर किए जा रहे वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) राजस्थान में क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) राजस्थान में जोधपुर में अवस्थित गीत एवं नाटक प्रभाग का एक केंद्र है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय केंद्र, भोपाल ने राजस्थान के कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण के लिए 21 निजी ट्रूप्स का उपयोग किया।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण II में दी गयी है।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों तथा जोधपुर केंद्र पर किया गया कुल व्यय क्रमश: 38.42 लाख रु० तथा 23,73,957/रु० था। इसके अतिरिक्त 6,99,058/-रु० की राशि 21 निजी पार्टियो द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों पर खर्च की गई।

विवरण-I

राजस्थान में क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों की सूची :–

1. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
ई-71, चितरंजन मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर-302001.
दूरभाष : 360023

2. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
शिव भवन, 1-बी रोड,
सरदारपुरा, जोधपुर 342003
दूरभाष : 31286

3. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
राधा कृष्ण पुरा रोड
पुलिस लाइन के पीछे,
सीकर-332001

4. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
स्टेशन रोड,
बाड़मेर-344001
दूरभाष : 20097

5. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
43 हिरण मगरी, सेक्टर-3
उदयपुर-313001
दूरभाष : 83742

6. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
जगदीश भवन, गोखले मार्ग,
जिलाध्यक्ष निवास के पास,
अजमेर-305001
दूरभाष : 53190

7. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
सादुल प्रतिभा के पास,
बीकानेर-334001.
दूरभाष : 26735

8. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
जयनारायण व्यास कॉलोनी,
जैसलमेर
दूरभाष : 2336

9. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
580 पटेल नगर,
पुरानी आबादी,
श्रीगंगानगर - 335001.
दूरभाष : 20121

10. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
प्लॉट नं० 156, लाजपत नगर,
स्कीम नं० 2
अलवर
दूरभाष : 20776

11. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
शारधा भवन,
रतनपुर रोड,
डूंगरपुर-314001

12. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
श्री भवन,
रेलवे रोड,
कोटा-324002.
दूरभाष : 25234

13. क्षेत्रीय प्रचार इकाई,
मन टाउन बजरिया,
सवाई माधोपुर - 322001.
दूरभाष : 20341.

विवरण-II

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की यूनिटों द्वारा 1993-94 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की संख्या निम्न प्रकार से है :–

i.	फिल्म प्रदर्शन	—	3,485
ii.	फोटो प्रदर्शनियां	—	2,215
iii.	मौखिक संवाद	—	3,565
iv	विशेष कार्यक्रम (सेमिनार/संगोष्ठी/स्वस्थ्य शिशु प्रतियोगिता आदि)	—	362
	गीत एवं नाटक कार्यक्रम (गीत एवं नाटक प्रभाग की धनराशि से कार्यक्रम)	—	433

गीत एवं नाटक प्रभाग

i. जोधपुर स्थित विभागीय मंडलियों ने 1993-94 के दौरान 252 कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

ii. गीत एवं नाटक प्रभाग के पास पंजीकृत निजी मंडलियों ने 1993-94 के दौरान 1251 तमाशे प्रस्तुत किए।

विदेशी अंशदान

4427. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनो के बारे में सूचना मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस संबंध में अब तक केन्द्रीय सरकार के पास सूचना भेज दी है;

(ग) किन-किन राज्यों ने यह सूचना नहीं भेजी है; और

(घ) इन राज्यों से कब तक यह सूचना भेजने के लिए कहा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

कोयला उत्पादन

4428. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री गुमानमल लोढ़ा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1971-72 और 1992-93 में क्रमशः कितनी-कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ और उसमें से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की प्रतिशतता कितनी थी;

(गा) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान कोयला उद्योग में पूंजी निवेश में तेजी से वृद्धि हुई;

(घ) यदि हां, तो 1971-72 और 1992-93 के दौरान कोयला उद्योग में क्रमशः कितनी पूंजी निवेश किया गया;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान कोयले के उपभोक्ता मूल्य में भारी वृद्धि हुई थी; और

(च) यदि हां, तो 1971-72 और 1992-93 में कोक्कारी और गैर-कोक्कारी कोयले का मूल्य कितना था ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) देश में कोयला उत्पादन 1971-72 में 72.12 मि०टन से बढ़कर 1992-93 में 238.26 मि०टन तक हो गया है। "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के रूप में वर्गीकृत अकोक्कर कोयला सामान्यतया उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। इसके अलावा, असम में उत्पादित कोयला यद्यपि ग्रेड रहित होता है, फिर भी उच्च कैलोरीफिक क्षमता तथा कम राख वाला होने के कारण उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। वर्ष 1992-93 के दौरान कोल इण्डिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में ऐसे कोयले का उत्पादन 72.36 मि०टन था, जो कि कुल कोयला उत्पादन का 30.36 प्रतिशत है। इसी अवधि के दौरान इन कंपनियों में कोक्कर कोयले का उत्पादन 40.83 मि०टन था, जो कि कुल उत्पादन का 17.13 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उद्योग में कुल संचयी पूंजी निवेश 1971-72 तक 240.44 करोड़ रु० था तथा 1992-93 तक 16559.10 करोड़ रु० था।

(ङ) और (च) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 1971-72 तथा 1992-93 के दौरान सभी करों, शुल्कों को आदि को छोड़कर कोक्कर तथा अकोक्कर कोयले की पिट हैड कीमते निम्न प्रकार थीं :

अकोक्कर कोयला बिहार तथा बंगाल क्षेत्र कोयले का ग्रेड	16-1-1972 से प्रभावी कीमत (सभी कीमतों के आकंड़े प्रति टन रु० में) आर०ओ०एम० स्लैक तथा धूल के लिए कीमत	स्टीम रबल तथा एस/नट्स के लिए कीमत
1	2	3
एस०ई०एल०-ए०	38.05	42.75

1	2	3
एस०ई०एल०-बी०	26.56	41.25
ग्रेड-I	33.23	38.00
ग्रेड II	30.54	35.34
गेड III-ए	29.06	33.79
बी	27.89	32.64
ग्रेड एच०एच०	30.56	35.34

गिरिडीह सॉफ्ट कोक सीमा 55.00 रु० से 60.00 रु० तक

गिरिडीह प्रीमीयम :
ग्रेड एच/कोक 175.00 रु०

निम्नलिखित का बाह्य क्षेत्र (म०प्र० तथा महाराष्ट्र)

एस०एल० ग्रेड	म०प्र०	महाराष्ट्र
एस०ई०एल० ग्रेड	36.69	41.00
ग्रेड I	34.00	39.00
ग्रेड II	31.17	36.62
ग्रेड III	30.20	35.64
उड़ीसा क्षेत्र		
एस०ई०एल० ग्रेड	41.54	42.52
ग्रेड I	33.99	34.96
ग्रेड II	31.87	32.87
ग्रेड III	30.90	31.89

सभी राज्यों में उत्पादित आरओएम गैर-लांग फ्लैम कोयला, आंध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैण्ड को छोड़कर, 18-6-1993 से प्रभावी कीमतें निम्न प्रकार थीं :

(रु० प्रति टन में)

कोक्कर कोयला		अकोक्कर कोयला	
1		2	
एसजी-I	996	ग्रेड ए	610

1		2	
एसजी-II	831	बी	557
डब्ल्यू-I	720	सी	487
डब्ल्यू-II	597	डी	386
डब्ल्यू-III	459	ई	306
डब्ल्यू-XII	428	एफ	244
एस०सी०-I	720	जी	174
एस०सी०-II	597		

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

4429. **श्री साईता उम्बे :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनायें गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त निगम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी०सिंह देव) : (क) अलबत्ता इसके लिए कोई नियत मापदंड/विहित अर्हताएं आदि नहीं हैं; फिर भी यह सुनिश्चित करने का सरकार का प्रयास रहता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष के तौर पर सिने क्षेत्र के केवल प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा गैर-सरकारी निदेशक ही नियुक्त किए जाएं।

(ख) से (घ) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव, श्री आर० बसु को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी अध्यक्ष तथा निदेशकों की नियुक्ति हेतु कार्रवाई चल रही है।

मानव अधिकार और टाडा

4430. **श्री हरिन पाठक :** क्या **गृह मंत्री** मानव अधिकार और टाडा के बारे में 17 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3261 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को हाल ही में लखनऊ में आयोजित गोष्ठी में "टाडा" में संशोधन करने के संबंध में की गई सिफारिशें इस बीच हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी०पी०आर०एण्ड०डी०) ने यू०पी० इंस्टीट्यूट आफ जुडिशियल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च लखनऊ को सितम्बर, 1993 में "इम्पलीमेन्टेशन आफ टाडा" नामक एक शोध-परियोजना कार्य सौंपा था। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने अभी तक शोध-पत्र में दिए गए सुझावों पर अपनी टिप्पणियां तैयार नहीं की हैं।

अस्पताल

4431. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्वयंसेवी तथा निःशुल्क अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में नये औषधालयों, अस्पतालों (30 पलंगों की संख्या वाले) की स्थापना करने के लिए निजी स्वयंसेवी संगठनों को 8 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। केन्द्र और राज्य सरकारें तथा संबंधित स्वंयसेवी संस्थान निर्माण और उपकरण की कुल लागत के लिए 40:40:20, आवासीय स्थान की निर्माण लागत के लिए 50:35:15 के अनुपात से अंशदान करते हैं। अन्य योजना नामतः "छोटे परिवार के मानदंड और जनसंख्या नियंत्रण के बढ़ाने की आदर्श योजना" के अन्तर्गत अल्पसेवित और शहरी गन्दी बस्ती के क्षेत्रों मे आपरेशन थियेटर सहित छह पलंगों वाले बन्ध्यकरण बार्ड की स्थापना करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान दिया जाता है। ग्रामीण परियोजना के लिए 7,36,000 रुपये तक और शहरी परियोजना के लिए 7,96,000 रुपये तक का अनुदान है। जहां राजस्व प्राधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि परियोजना क्षेत्र में स्थान किराये पर उपलब्ध नहीं है, वहां 3 लाख रुपये का निर्माण अनुदान अनुमत्य है। 10 प्रतिशत परियोजना लागत संबंधित गैर सरकारी संगठन द्वारा वहन की जानी होती हैं और परिवार नियोजन की अन्य विधियों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त प्रति पलंग प्रतिवर्ष 75 बन्ध्यकरण आपरेशन किए जाने की आशा है।

"जोनल रिजर्व सेंटर"

4432. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का विचार "जोनल रिजर्व सेंटर" गठित करने का है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई नई भर्ती की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में कुछ स्थानों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की रिजर्व फोर्स रखी जाती है जो बल की उपलब्धता और आकस्मिक आवश्यकताओ पर निर्भर करता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला परियोजनाओं को विद्युत आपूर्ति

4433. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान कोयला परियोजनाओं की विद्युत की कुल मांग कितनी थी और केंद्रीय पूल से उन्हें कितनी विद्युत आपूर्ति की गई; और

(ख) सरकार ने कोयला परियोजनाओं को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों में कोयला परियोजनाओं की कुल विद्युत की मांग तथा उसकी आपूर्ति का विवरण नीचे दिया गया है। अधिकांशतः मांग को राज्य/केन्द्रीय सरकार की विद्युत उपयोगिताओं द्वारा पूरा किया जाता है।

(आकंड़े अनंतिम)
(आकंड़े एम०वी०ए० में)

कंपनी	1992-93		1993-94	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
ई०को०लि०	187.50	159.78	188.50	146.30
भा०को०को०लि०	261.00	186.80	188.00	188.60
से०को०लि०	128.50	106.30	102.70	103.00
ना०को०लि०	67.83	67.15	74.67	74.29
सा०ई०को०लि०	117.57	115.80	119.16	117.96
म०को०लि०	46.76	45.82	64.00	63.04
वे०को०लि०	87.00	86.56	89.00	88.64
ना०ई०को०	9.00	7.20	9.00	7.74

(ख) विद्युत की मौसमी कमी ई०को०को०लि०, भा०को०लि०, से०को०लि० तथा ना०ई०को० में महसूस की गई है। इन कंपनियों को विद्युत की उचित मात्रा में आपूर्ति किए जाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/ उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) फीडरों को अलग किया जा रहा है ताकि दामोदर घाटी कारपोरेशन (डी०वी०सी०) के स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप में विद्युत की आपूर्ति प्राप्त की जा सके।

(२). विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थलों पर ग्रहीत विद्युत संयंत्र की स्थापना किया जाना।

(३). उत्पादन करने वाले अभिकरणों के साथ समीप्य समन्वय रखना ताकि विद्युत उत्पादन में सुधार किया जा सके तथा कोयला क्षेत्र को उसकी मांग के अनुसार हिस्सेदारी में वृद्धि की जा सके।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

4434. श्री मोहन रावले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी०आई०एस०एफ०) में भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम निर्धारित लम्बाई 167 से०मी० है;

(ख) क्या एक भारतीय की औसत लम्बाई 167 से०मी० से कम है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती हेतु न्यूनतम लंबाई 167 से०मी० निर्धारित करने के कारण तथा औचित्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्धारित न्यूनतम लम्बाई में कमी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो एक अर्ध-सैनिक बल है, की सचालानात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सहायक उप-निरीक्षक, हैड कांस्टेबल (ड्राईवर) और कांस्टेबल के पदों के लिए, जिस पर सीधी भर्ती की जाती है, न्यूनतम लम्बाई 167 से०मी० रखी गयी है। तथापि, पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों, जनजातियों और आदिवासियों के मामले में न्यूनतम लम्बाई 160 से०मी० रखी गयी है। उप-निरीक्षकों के मामलों में निर्धारित न्यूनतम लम्बाई 167.5 से०मी० है और पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों, जनजातियों और आदिवासियों के मामले में न्यूनतम लम्बाई 165 से०मी रखी गई है। यह [illegible], महाराष्ट्र सहित, देश के सभी क्षेत्रों पर लागू होते है।

(घ) से (च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सचालानात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित न्यूनतम लम्बाई को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूतपूर्व पूर्वी-पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

4435. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से असम में केन्द्रीव सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग ने आई०टी०ए० योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बंगला देश के विस्थापितों को पुनर्वास की सुविधा दी थी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो व्यक्ति वहां बहुत पहले से बसे हुए हैं उन्हें उनकी भूमि के अभी तक पट्टे नहीं मिले है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को जो विभाजन के बाद से 1958 तक और पुनः 1-1-64 से 25-3-71 तक भारत में आए थे, सरकार की पैटर्न स्कीम के अन्तर्गत असम सहित विभिन्न राज्यों में बसाया गया था।

(ख) जी हां, श्रीमान्। तथापि, पुनर्वास योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो कृषि और वास के प्रयोजकों के लिए भूमि का आवंटन करने, और उस पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए जिम्मेवार हैं।

(ग) पात्र परिवारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने असम सरकार सहित,राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध किया है।

अस्पतालों का दर्जा बढ़ाना

4436. **श्री प्रवीन डेका :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में माध्यमिक अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी०सिल्वेरा) : (क) से (ग) जी, हां। मौजूदा स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं, विशेषरूप से अभिघात परिचर्या, कैंसर नियंत्रण तथा क्षयरोग के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए एक प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव असम राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है और वित्त मंत्रालय से सिफारिश की गई है कि वह वित्तीय सहायता के लिए इस प्रस्ताव को यूरोपीय समुदाय को प्रस्तुत करे।

[हिन्दी]

कोयला परियोजनाएं

4437. **श्री गुमानमल लोढा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी वित्तीय संस्थाओ की सहायता से मार्च, 1994 तक कई कोयला उत्पादन परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब से ऐसी संस्थाओं द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं हो सका अथवा यह सहायता रद्द कर दी गयी;

(घ) यदि हां, तो इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कितनी वित्तीय सहायता रद्द की गई;

(ङ) विदेशी वित्तीय संस्थाओं ने मार्च 1994 तक कुल कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की और उसमें से कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(च) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अप्रयुक्त धनराशि हेतु प्रतिबद्धता के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1994 तक, चालू परियोजनाओं, सहयोगकर्ता देश/अभिकरण, ऋण की कुल राशि/स्वीकृत ऋण तथा उपयोगिता स्थिति संबंधी विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है :—

क्रम सं०	परियोजना/ कंपनी का नाम	क्षमता (मि०टन प्रतिवर्ष)	सहयोगकर्ता देश/अभिकरण	कुल ऋण/ ऋणदाता की मुद्रा में ऋण (मि०)	ऋणदाता की मुद्रा में 3/94 तक कुल प्रयोग में लायी गई राशि (मि०)
1.	राजमहल-ओ०का० (ई०को०लि०)	10.5	कनाडा	166.00	155.300
2.	कोटाडीह-भू०ग० (ई०को०लि०)	1.38	फ्रांस	215.562	189.763
3.	सोनपुर बाजारी ओ०का० (ई०को०लि०)	3.00	वर्ल्ड बैंक	97.86	59.765
4.	पीपरवार एकीकृत खान एवं परिष्करण परियोजना (ई०को०लि०)	6.5	आस्ट्रेलिया	206.600	158.028
5.	रामागुंडम, ओ०का० परि० II (सिं०को०कं०लि०)	2.0	जर्मनी	172.387	92.117
6.	जी०डी०के०-10-भू०ग० ब्लास्टिंग गैलरी) (सिं०को०कं०लि०)	0.25	फ्रांस	63.650	53.400
7.	जी०डी०के०-8-भू०ग० (ब्लास्टिंग गैलरी) (सिं०को०कं०लि०)	0.20	फ्रांस		
8.	जी०डी०के०-10 "ए"-भू०ग० (सिं०को०कं०लि०)	0.57	यू०के०	6.300	6.120
9.	वकीलपल्ली ब्लॉक-ए (सिं०को०कं०लि०)	0.45	यू०के०	4.950	[illegible].719

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) इस संबंध में सूचना प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दे दी गई है।

(च) वर्ष 1993-94 के दौरान अप्रयुक्त विदेशी ऋणों पर कुल 1.35 करोड़ रु० की राशि प्रतिब प्रभारों के रूप में दी गई।

[अनुवाद]

टी०वी० के लिए जांच समिति का गठन

4438. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गवर्नमेंट डिटरमाइंड टू रिड टी०वी० आफ वलगैरिटी" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या फिल्म डिवीजन के सेंसर बोर्ड की तरह टी०वी० के लिए जांच समिति बनाए रखने की परम्परा रही है;

(ग) क्या टी०वी० के लिए उपयुक्त जन प्रतिनिधियों को शामिल करके जांच समिति या सेंसर समिति नियुक्त करने हेतु कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट की जाने वाली सभी फीचर फिल्मों को परिवार सहित देखने की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए कला, संस्कृतिक, साहित्य, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों के गैर-सरकारी सदस्यों वाली एक समिति द्वारा पहले पूर्वदर्शन (प्रिव्यू) कर लिया जाता है। यह प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है।

[हिन्दी]

भूमिगत जल संस्थान

4439. **श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में भूजल संस्थान स्थापित करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य रक्षा के लिए विश्व बैंक की सहायता

4440. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में कार्यान्वयन हेतु कोई कार्यक्रम विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के लिए भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(I) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

(II) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

(III) मोतियाबिन्द के कारण होने वाली दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मस्तिष्क-ज्वर (एंसीफेलाइटिस) का उन्मूलन

4441. **श्री राम पाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विकसित देशों ने यह मत व्यक्त किया है कि जापानी मस्तिष्क-ज्वर (एंसीफेलाइटिस) उत्पन्न करने वाले मच्छरों का उन्मूलन करने में सादी पाइरेथ्रम की अपेक्षा साइनरेसाइज्ड पाइरेथ्रम अधिक उपयोगी है;

(ख) क्या इस समय भी विकासशील देश सिनरेसाइज्ड पाइरेथ्रम का उपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या हमारे देश में इसका प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) कुछ उपलब्ध साहित्य के अनुसार सिनरेसाइज्ड पाइरेथ्रम में साधारण पाइरेथ्रम से अधिक जैव-प्रभावकारिता है।

(ख) विकासशील देशों में उपयोग के विवरण ज्ञात नहीं हैं।

(ग) से (ङ) सिनेराइज्ड पाइरेथ्रम का पहले ही देश के कुछ राज्यों में प्रयोग किया जा रहा है। फिर भी, लागत प्रभावकारिता तथा संसाधनों की उपलब्धता जैसे घटकों को ध्यान मे रखते हुए इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

4442. **श्री अनंत राव देशमुख :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से इस बोर्ड में उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु कोई अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी अंतिम निर्णय कब तक कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) मौजूदा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के सदस्य 7-10-1991 से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे। मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर अक्तूबर, 1994 में बोर्ड को पुनर्गठित किए जाने का प्रस्ताव है। बोर्ड हेतु व्यक्तियों के नामांकन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदन/सुझावों को बोर्ड के पुनर्गठन के समय ध्यान में रखा जाएगा।

दूरदर्शन ट्रांसपोजर

4443. **डा० साक्षीजी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने दूरदर्शन ट्रांसपोजर काम कर रहे थे;

(ख) क्या पूरा राज्य दूरदर्शन नेटवर्क कार्यक्रम के प्रसारण क्षेत्र में आ जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) उत्तर प्रदेश में चुरक, मंसूरी, न्यू-टेहरी और श्रीनगर में चार ट्रांसपोजर हैं।

(ख) से (घ) हालांकि, समग्र राज्य दूरदर्शन की उपग्रह सेवा द्वारा कवर किया जाता है तथापि, राज्य के 79% क्षेत्र में रहने वाली 92.4% जनसंख्या को स्थलीय ट्रांसमीशन उपलब्ध है। राज्य में टी०वी० कवरेज के और विस्तार हेतु भिन्न-भिन्न शक्तियों के 64 टी०वी० ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं।

स्वायत्तशासी निकाय

4444. **डा० विश्वनाथम कैनिथी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अस्पतालों तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं को स्वायत्तशासी निकायों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य-पूर्व में दूरदर्शन

4445. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन इस समय मध्य-पूर्व में रह रहे भारतीयों तक अपने प्रसारण पहुंचाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) वर्तमान में दूरदर्शन के पास विदेश सेवा उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सहायकता हेतु अनुरोध

4446. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों ने हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) "पीपुल वार ग्रुप" और वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 203.70 करोड़ रु० की सहायकता की मांग की है। जिन मदों के लिए सहायता मांगी गयी है उनमें पुलिस बलों में बढ़ोत्तरी करना, थानों को सुदृढ़ करना, एस०एस०एफ० क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का स्तर बढ़ाना और सामरिक महत्व के उपकरण प्राप्त करना सम्मिलित हैं। कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उग्रवादी गति-विधियों से निपटने में राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के पूरक के रूप में प्रभावित राज्यों को विशेष सहायता दिए जाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

क्षेत्रीय रक्त-जांच केन्द्र

4447. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में कितने क्षेत्रीय रक्त जांच-केन्द्र हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में ऐसे और केन्द्रों को स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) पांच।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को मद्दे-नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापन एजेंसियां

4448. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री सनत कुमार मंडल :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विज्ञापन एजेंसियों ने दूरदर्शन और आकाशवाणी को काफी समय से भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एजेन्सी के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है; और

(ग) बकाया देय राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बकाया राशि के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आकाशवाणी और दूरदर्शन बैंक गारण्टी को भुनाने/पथभ्रष्ट एजेंसियों के अप्रत्यायन, मध्यस्थता और कानूनी कार्रवाई सहित सभी संविदात्मक प्रावधानों का सहारा ले रहे है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों ने वाणिज्यिक सौदों के कम्प्यूटरीकरण हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है।

विवरण

दूरदर्शन और आकाशवाणी वाणिज्यिक सेवा के संबंध में एजेंसी वार देयों का ब्यौरा

दूरदर्शन (30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार पुनर्मेलित)

क्र०सं०	एजेन्सी का नाम	धनराशि
1	2	3
1.	टेवन्टियथ सैन्चूरी	1454

1	2	3
2.	ए०वी०आई० इंटरनेशनल	17000
3.	एसिल	2368293
4.	एड् एन्वायस	542764
5.	एडराईट	139400
6.	एडसाइट	166887
7.	एडविज	1641404
8.	एडवरटाइजिंग एवेन्यूज	336600
9.	एडवेव एडवरटाइजिंग	16450
10.	एडवेल	24807
11.	ढ एडविट	17850
12.	एड्वर्ल्ड सी०सी०	614642
13.	एयर एड्स	555900
14.	एजेक्स एडवरटाइजिंग	61200
15.	अक्षर एडवरटाइजिंग	47600
16.	अक्षर एडवरटाइजिंग	316200
17.	अलख एडवरटाइजिंग	6800
18.	एम्बियन्स	595850
19.	आनन्द एडवरटाइजिंग	161500
20.	अंकुर एडवरटाइलिंग	14025
21.	अंथेम कम्यु०	71400
22.	अनुग्रह इडवरटाइजिंग	281350
23.	एपेक्स एडवरटाइजिंग	591600
24.	एक्वायरस पब-सेर	144500
25.	एरिज	320450
26.	आर्म्स एडवरटाइजिंग	790168

1	2	3
27.	आर्म्स कम्यु०	32300
28.	आरोही	337578
29.	आर्ट एडवरटाइजिंग एजेन्सी	326613
30.	आर्ट कॉमार्सिया	587240
31.	आर्टिग एडवरटाइजिंग	306850
32.	ए०एस०पी०को०	380674
33.	एशोशियेटेड एडवरटाइजिंग	1420049
34.	आडियो एडवरटाइजिंग	1549955
35.	एक्सिस	1692362
36.	अयप्पा एजेन्सीज	22440
37.	बी०डी० खन्ना	44002
38.	बी०वाई० पाधे	412250
39.	ब्यूटैक्स एडवरटाइजिंग	917125
40.	भारत	8747
41.	विधान एडवरटाइजिंग	917400
42.	ब्लैज	550800
43.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	1938000
44.	सी०सी०आई०	4373
45.	चैत्र एडवरटाइजिंग	1596001
46.	क्लेरिऑन एडवरटाइजिंग	2251050
47.	क्लीया एडवरटाइजिंग	89250
48.	कमर्शियल एडवरटाइजिंग	499584
49.	कन्सेप्ट एडवरटाइजिंग	502554
50.	कान्टोर एडवरटाइजिंग	262206
51.	कान्ट्रैक्ट एडवरटाइजिंग	1507775

1	2	3
52.	क्रियेटीव आई	552100
53.	क्रियेटीव यूनिट	1214050
54.	क्रियेटीव वर्कशाप	53550
55.	करन्ट एडवरटाइजिंग	80325
56.	डकुन्हा एशोशिएट	336007
57.	डार्ट	146150
58.	दत्ता राम	86889
59.	डैजल्ड	2142
60.	डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एज्युकेशन	11011
61.	डायरेक्टरेट आफ स्माल सेविंग्स	1017675
62.	एज काम्यु०	119000
63.	एफिसिएन्ट पब्लिकेशन	228120
64.	एलिजेन्ट पब्लिकेशन	75643
65.	एम्मिज	303343
66.	एनर्जी मैनेजमेन्ट	510000
67.	इन्टरप्राइज एडवरटाइजिंग	2052488
68.	एवरेस्ट एडवरटाइजिंग	4707063
69.	एफ०सी०आई०	44510
70.	एफ०डी० स्ट्रीयर्ट	220613
71.	फिल्म क्राफ्ट	948175
72.	फ्रांक सिमोज एडवरटाइजिंग	557600
73.	फ्रेन्ड्स	539396
74.	फ्यूजन एडवरटाइजिंग	15300
75.	जी०आई०सी०	41336
76.	जेमिनी एडवरटाइजिंग	1004400

1	2	3
77.	गोल्डवायर कम्यु०	30600
78.	गोपालरत्नम	190400
79.	गोवन एडवरटाइजिंग	54825
80.	गवर्नमेंट आफ ए०वी०	7650
81.	गवर्नमेंट आफ गुजरात	487276
82.	गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र	418200
83.	गवर्नमेंट आफ वेस्ट बंगाल	488750
84.	ग्रॉन्ट	10411
85.	ग्राफिक आर्ट	1607
86.	एच०एम०टी०	1676416
87.	एम०पी०जी०	51000
88.	हिन्दुस्तान थामसन एडवरटाइजिंग	4538286
89.	हन्सविजन	553800
90.	हेडस्टार्ट एडवरटाइजिंग	769250
91.	हेराल्ड एडवरटाइजिंग	57588
92.	हीरो पब्लिसिटी	40800
93.	हिन्दुस्तान फर्टीलाईजर्स	59500
94.	हिटेड्स	113750
95.	हैदराबाद एल्विन	1877225
96.	आई०बी० सर्विस	5100
97.	ईफको	37400
98.	इमेजियड्स	223550
99.	इम्प्रेशन	284780
100.	इन्सेन्टिव मार्केटिंग	314530
101.	इंडियन एडवरटाइजिंग	10735
102.	इंडियन नेवी	7650

1	2	3
103.	इंटरनेशनल एडवरटाइजिंग	50363
104.	इनोवेशन	24650
105.	इन्साइट एडवरटाइजिंग	580050
106.	इन्टरेड्स	127361
107.	इंटरफेस कम्यु०	28050
108.	इंटरफब	467500
109.	जयश्री पी०आई०सी०	724799
110.	जयसन्स एडवरटाइजिंग	1168797
111.	जेतियार पब्लिसिटी	213776
112.	जया एडवरटाइजिंग	234897
113.	जेलिट्टा	192950
114.	जाइन्ट पब्लिसिटी	127500
115.	के०एल०आई०	96407
116.	के०वी०आई०सी०	69615
117.	कामरेड न्यूज	223550
118.	कैनरा एडवरटाइजिंग	311903
119.	करिश्मा एडवरटाइजिंग	448129
120.	कोफी	25500
121.	कृषक भारती	28645
122.	कुनाल एड्स०	207875
123.	एल०आई०सी०	975297
124.	एल०आर० स्वामी	476804
125.	लेख एडवरटाइजिंग	17000
126.	लिंक वर्ल्ड कंपनी	409775
127.	लिंटास	9239332

1	2	3
128.	एम०सी०ए०	259391
129.	एम०एल० एसोशिएट	1891550
130.	मा	1133050
131.	मा कम्यु०	967300
132.	मेडिसन एडवरटाइजिंग	196775
133.	मैगनाविजन	1586100
134.	मैप	23800
135.	मार्केट मोवर्स	1217540
136.	मार्केट प्लस	119000
137.	मार्कफेड	56100
138.	मारूती	36159
139.	मॉस मार्केटिंग	284600
140.	माऊलिस एडवरटाइजिंग	14535
141.	मीडिया एड	1094250
142.	मीना एडवरटाइजिंग	85850
143.	मेहानिक्स	311653
144.	माइलेज	436900
145.	माइलेविजन	20400
146.	मॉडर्न एडवरटाइजिंग	712400
147.	मुद्रा कम्यु०	755572
148.	एन०ए०सी०	102000
149.	एन०ए०एस०	180804
150.	एन०टी०सी०	3443
151	नन्दकिशोर शर्मा	9350
152.	नेशनल एडवरटाइजिंग एजेन्सी	35275

1	2	3
153.	नेशनल एडवरटाइजिंग सेर	55084
154.	नेशनल फर्टिलाइजर्स	116726
155.	नेशनल इन्सुरेन्स	17850
156.	नेशनल पब्लिसिटी सर्विस	59768
157	नेशनल सेविंग्स	30600
158.	नेक्सस एडवरटाइजिंग	381650
159.	निम्बस काम्यु०	367000
160.	नोवा एडवरटाइजिंग	285600
161	नोवल एड्स	12750
162.	एन०टी०पी०सी०	188700
163.	ओजिल्वी एण्ड माथर प्रा० लि०	3124819
164.	आरेन्ज सिटी	8500
165.	पी०पी० लि०	2652
166.	पदमाजा	76500
167	पर्ल पब्लिसिटी	3952
168.	परसेप्ट एडवरटाइजिंग	59500
169.	प्रताप	8500
170.	प्रतीभा एडवरटाइजिंग	51000
171	प्रैस सिंडीकेट	61625
172.	प्रैसमैन	430400
173.	प्रोग्रेसिव पब्लिसिटी	17000
174.	पब्लिसिटी पार्लर	150025
175.	पंजाब नेशनल फर्टीलाइजर्स	13750
176.	पुर्णिमा एडवरटाइजिंग	438498
177.	आर०सी०एफ०	161185

1	2	3
178.	आर०के० स्वामी	3290975
179.	आर०के०यू०एम०पी०	177650
180.	आर०टी०एस०	157582
181.	आर०टी०वी०सी०	74800
182.	रेड्स एडवरटाइजिंग	186150
183.	रेडियो एन्टरप्राइजेज	112625
184.	रेडियो पब्लिसिटी सर्विस	1637111
185.	रंजीत सेल्स	9259
186.	राष्ट्रीय एडवरटाइजिंग एजेन्सी	8500
187.	रशिक पब्लिसिटी	326925
188.	रतन बत्रा	242888
189.	रिडीफ्यूजन एडवरटाइजिंग	2329998
190.	रनुके एडवरटाइजिंग	186489
191.	रिसपोन्स इंडिया	815300
192.	रोशन एडवरटाइजिंग	275327
193.	साई एडवरटाइजिंग	248625
194.	सरस्वती इन्टरप्राइजेज	26775
195.	स्कूटर इंडिया	236435
196.	सीजन्स एडवरटाइजिंग	237150
197.	शिकारी	10200
198.	शंकर एडवरटाइजिंग	22100
199.	सेम्स एडवरटाइजिंग	1556350
200.	शिल्पी	4080
201.	श्री प्रभाकर	683204
202.	सिस्ताज (प्रा०) लि०	1201600

1	2	3
203.	सिच्युवेशन एडवरटाइजिंग	902913
204.	स्काई लार्क	8160
205.	स्माल सेविंग्स	1540425
206.	सौभाग्य एडवरटाइजिंग	242250
207.	स्पेक्ट्रम	10625
208.	श्रीराघवेन्द्र	2902124
209.	श्रृष्टि	124100
210.	स्टैण्डर्ड पब्लिसिटी	445152
211.	स्टील आथोरिटी आफ इंडिया	689000
212.	स्टर्लिंग	122606
213.	स्वर सुधा	46308
214.	तारा सिन्हा एसोसिएट्स	2141932
215.	टी० सरकार	621088
216.	थ्री ब्रदर एण्ड फिल्म्स	506600
217.	टाइम एण्ड स्पेस	8925
218.	ट्रेसर एडवरटाइजिंग	571200
219.	त्रिकाया ग्रे	622325
220.	ट्राइटन एडवरटाइजिंग	621350
221.	तुलिका एडवरटाइजिंग	613700
222.	यू०टी०आई०	51000
223.	उल्का एडवरटाइजिंग	2795832
224.	ऊमा एडवरटाइजिंग	244038
225.	अपट्रान	71400
226.	विक्टा	51000
227.	विकल्प	1785

1	2	3
228.	विकास	797963
229.	विशेष एडवरटाइजिंग	326400
230.	विशाल	3400
231.	विजन एडवरटाइजिंग	444826
232.	यूथ इंका	232475
	कुल योग	121028196

आकाशवाणी (23 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार पुनर्मेलित)

क्रम सं०	एजेन्सी का नाम	धनराशि
1	2	3
1.	वी०आर०जी० एजेन्सीज	1184904
2.	रेडियो टी०वी० कमर्शियल	11269980
3.	मोड एडवरटाइजिंग	805286
4.	हेडस्टॉर्ट एडवरटाइजिंग	536341
5.	हिन्दुस्तान थामसन एडवरटाइजिंग	333709
6.	ओजिल्वी एण्ड माथर प्रा० लि०	270013
7.	क्रियेटिव यूनिट	242916
8.	लिन्टास	212207
9.	कान्ट्रैक्ट एडवरटाइजिंग	151585
10.	रायर कम्यु०	146997
11.	श्रृष्टि एडवरटाइजिंग	125919
12.	रिडिफ्यूजन एडवरटाइजिंग	121224
13.	मुशिरक्का कैसेट्स इनकारपोरेट	100376
14.	रेनुके एडवरटाइजिंग	98490
15.	डाउन मोड	88976

1	2	3
16.	प्रगति रेडियो	78939
17.	सी०डी० खन्ना	66726
18.	पब्लिसिटी पार्लर	66430
19.	विधान एडवरटाइजिंग	63962
20.	मुद्रा कम्युनिकेशन	61801
21.	सैटेलाइट एडवरटाइजिंग	61154
22.	श्री बदर्स	49436
23.	जेटीयार	45168
24.	युथिका	43537
25.	पूर्णिमा एडवरटाइजिंग	39439
26.	विश्व विजय	34126
27.	आर्टिक एडवरटाइजिंग	17031
28.	करे एडवरटाइजिंग	9652
29.	राधा श्री	9623
30.	इन्टर पब्लिसिटी	7095
	कुल योग :	6200060

इसके अतिरिक्त, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए बुक किए गए विज्ञापनों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा वसूल की जाने वाली धनराशि क्रमशः 44.67 और 23.93 लाख रुपये है।

परिचय-पत्र

4449. कुमारी सुशीला तिरिया :
प्रो० रासा सिंह रावतः
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेशी सीमाओं पर कितने गांव हैं; और

(ख) 31 जुलाई, 1994 तक सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को फोटोयुक्त परिचय-पत्र जारी करने में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले जिलों में 14, 135 गांव तथा बंगलादेश की सीमा के साथ लगने वाले जिलों में 23,235 गांव हैं। तथापि, ये सभी अनिवार्य रुप से सीमावर्ती गांव नहीं है।

(ख) सरकार ने असम,बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, राजस्थान, गुजरात और पंजाब राज्यों के घुसपैठ बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान-पत्र जारी करने की एक योजना आरम्भ करने का फैसला किया है। संबंधित राज्य सरकारों से आधार-भूत कार्य शीघ्रता से पूरा कर लेने का अनुरोध किया गया है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान और पंजाब राज्यों ने पहचान-पत्र तैयार करने और जारी करने के लिए पहले ही कम्पयूटरीकृत लेज़र पहचान-पत्र मुद्रण पद्धति (सी०एल०आई०पी०एस०) प्राप्त कर ली है।

महाराष्ट्र में कार्यान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत परियोजना

4450. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में आठवीं योजना के दौरान प्रसारण सेवा और दिल्ली दूरदर्शन नेटवर्क को विकसित करने/आधुनिक और सुदृद बनाने के लिए विचाराधीन नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष और अगले वर्ष के दौरान अलग-अलग कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी और इसके फलस्वरूप क्या-क्या फायदे होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देब) : (क) आठवीं योजना के दौरान आकाशवाणी के पास कई जारी/परिकल्पित स्कीमें हैं जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिया गया है जबकि दूरदर्शन के पास महाराष्ट्र में अपने नटवर्क को मजबूत करने/उसका आधुनिकीकरण करने के लिए 3 कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, 4 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 40 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें हैं।

(ख) संलग्न विवरण II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार चालू वर्ष और अगले वर्ष के दौरान पूरी की जानेवाली परियोजनाओं के परिणामस्वरूप आकाशवाणी द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य को और दूरदर्शन द्वारा जनसंख्या की दृष्टि से 90.1% और क्षेत्र की दृष्टि से 81.7% सीमा तक कवरेज प्राप्त होगी।

विवरण-I

महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वयनाधीन आठवीं योजना की स्कीमें (चालू और नये) का ब्यौरा

1. धुले में 2x3 कि वा एफ०एम० ट्रांसमीटर, एम०पी० स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
2. नासिक में 2x3 कि वा एफ०एम० ट्रांसमीटर, एम०पी० स्टूडियों सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
3. ओस्मानाबाद में 2x3 कि वा एफ०एम० ट्रांसमीटर, एम०पी० स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केंद्र।
4. बंबई में राष्ट्रीय चैनल सेवा के लिए 2x5 कि वा एफ०एम० ट्रांसमीटर।
5. बंबई में स्टीरियो सेवा के लिए 2x5 कि वा एफ०एम० ट्रांसमीटर।
6. बंबई में 10 कि वा० शीवे ट्रासमीटर (क्षेत्रीय सेवा) का 50 कि वा तक उन्नयन।
7. परभनी में 10 कि वा मी वे ट्रासमीटर का 20 कि वा शाक्ति तक उन्नयन।
8. सांगली स्थित पुराने 20 किवा मीवे ट्रांसमीटर का नये 2x10 किवा मीवे ट्रांसमीटर द्वारा प्रतिस्थापन।

9. बंबई में बहु-ट्रैक रिकार्डिंग स्टूडियो को स्थापना।

10. परभनी में स्थायी टाइप I (आर) स्टूडियो की प्रावधान।

11. बंबई में खाड़ी सेवा के लिए टाइप III (आर) स्टूडियो।

12. बंबई में कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) की स्थापना।

विवरण-II

चालू और अगले वर्ष के दौरान पूरा करने हेतु आकाशवाणी और दूरदर्शन की परियोजनाएं

क० आकाशवाणी

क्र०सं०	स्कीम	लक्ष्य तारीख
1	2	3
1.	बम्बई में क्षेत्रीय सेवा के लिए 10 कि वा शावे ट्रांसमीटर का 50 कि वा शक्ति में उन्नयन।	1994
2.	परभनी में टाइप I (आर) स्थाई स्टूडियो।	1994
3.	नासिक में 2x3 कि वा एफ०एम० ट्रांसमीटर सहित स्थानीय रेडियो केंद्र।	1994
4.	उस्मानाबाद में 2x3 कि वा एफ०एम० ट्रांसमीटर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।	1994
5.	परभनी में 10 कि वा मी वे ट्रांसमीटर का 20 कि वा शक्ति में उन्नयन।	1994
6.	सांगली में मौजूदा 20 कि वा मीवे ट्रांसमीटर का नये 20 कि वा ट्रांसमीटर द्वारा प्रतिस्थापन।	1994
7.	बहु-ट्रैक रिकार्डिंग स्टूडियो।	1995
8.	बम्बई में राष्ट्रीय चैनल के लिए 2x5 कि वा एफ एम ट्रांसमीटर।	1995

ख० दूरदर्शन

1.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर बम्बई (डी०डी०-III)	वर्ष 1994 और 1995 के दौरान चरणबद्ध तरीके से तैयार किए जाने की आशा है।
2.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
	अकलुज	-वही-
	चिपलून	-वही-

1	2	3
	देवरुख	-वही-
	हिंगनघाट	-वही-
	कंकौली	-वही-
	खामगांव/म्हास्ले	-वही-
	मेहकर	-वही-
	मोर्शी	-वही-
	संगमनेर	-वही
	शिरपुर	-वही-
	उमरगर	-वही-
	वनी	-वही-
	चिखली	-वही-
3.	**अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**	
	अदयाल टेकड़ी	-वही-
	चिकलधारा	-वही-
	जुन्नार	--वही-
	कारजात	-वही-
	खेड़	-वही-
	राजापुर	-वही-

कोयले का उत्पादन

4451. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राज्यवार तथा कम्पनीवार कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश को कितनी रायल्टी दी गई; और

(ग) कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले की उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान राज्य-वार तथा कंपनी-वार कोयले के उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है :—

(आंकड़े मिलियन टन में)

राज्यों में कोयले का उत्पादन	1991-92 1.	1992-93 2.	1993-94* 3.
आंध्र प्रदेश	20.59	22.51	25.28
असम	0.59	1.10	1.20
बिहार	69.16	71.14	73.28
जम्मू और कश्मीर	0.02	0.01	0.02
मध्य प्रदेश	69.40	70.99	72.86
महाराष्ट्र	18.88	19.68	20.4[illegible]
उड़ीसा	20.71	23.14	24.30
उत्तर प्रदेश	11.49	12.17	12.14
पश्चिम बंगाल	18.15	18.11	16.6[illegible]
अखिल भारतीय	**229.35**	238.49	246.15

कम्पनी-वार कोयले का उत्पादन	1.	2.	3.
कोल इंडिया लिमिटेड	204.15	211.44	216.10
सिं०को०कं०लि०	20.59	22.51	25.21
अन्य	4.61	4.54	4.84
जोड़	229.35	238.49	246.15

* वर्ष 1993-94 के आकंड़े अनन्तिम हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान उड़ीसा, बिहार, तथा मध्य प्रदेश को दी गई रायल्टी की राशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रु० में)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
उड़ीसा	43.47	63.14	72.82
बिहार	317.80	504.31	555.05
मध्य प्रदेश	240.20	384.52	369.56

(ग) कोयला उत्पादन की लागत को कम करने के लिए को०इं०लि० ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(1). श्रमशक्ति योजना में सुधार, जिसमें अतिरिक्त कार्मिकों का पुनः नियोजन तथा स्वाभाविक रूप में उत्पन्न हुई रिक्तियों की व्यर्थता के एवज् में नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक शामिल है।

(2). स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से श्रमशक्ति में कमी।

(3). "आल मैन-आल जॉब" की पद्धति को जहां कहीं भी संभव हो, प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाना।

(4). उचित वर्कशाप सपोर्ट, कलपुर्जों के प्रबंधन में सुधार तथा समयबद्ध रूप में उपकरणों का पुनर्वास उपलब्ध कराकर, उपकरणों की उपलब्धता तथा उपयोगिता में सुधार किया जाना।

(5). उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जाना, जिसमें भूमिगत खानों पर विशेष बल दिया जाए।

(6). भूमिगत खानों में, प्रणाली तथा प्रबंधनीय में सुधार का शुरू किया जाना।

[हिन्दी]

मितव्ययिता के उपाय

4452. **श्री मंजय लाल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा खर्च में कटौती करने हेतु किए गए मितव्ययिता के उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त मितव्ययिता के उपायों को अपनाकर अब तक कितना धन बचाया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सदा ही व्यय में मितव्ययिता के उपायों की आवश्यकता ध्यान में रखी गई है तथा सरकार द्वारा इस बाबत जारी अनुदेशों को कड़ाई से लागू किया जाता है। चूंकि यह एक सतत् प्रक्रिया है, लिहाज़ा मितव्ययिता के उपाय अपनाने से हुई बचत राशि का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता। तथापि, इस मंत्रालय ने 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के पिछले किसी भी तीन वित्तीय वर्षों के दौरान स्वीकृत बजट अनुदान से अधिक अतिरिक्त राशि नहीं मांगी है।

[अनुवाद]

तम्बाकूरोधी कानून

4453. **श्री ए० अशोकराज :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों के अनुमोदन हेतु प्रारूप तम्बाकूरोधी विधेयक परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने कितनी स्वीकृति दे दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन रिजर्व बटालियन

4454. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार का विचार राज्य के लिए दो इंडियन रिजर्व बटालियन गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बटालियनों की मांग होने पर अन्य राज्यों में तैनात किया जाएगा;

(ग) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए व्यय बराबर-बराबर वहन किया जायेगा;

(घ) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसे बटालियन गठित करने को कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार के 4 इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन के प्रस्ताव को दो-दो बटालियनों के दो चरणों में क्रमशः 11-6-1993 तथा 15-3-1994 को स्वीकृति प्रदान की गई।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) राज्य सरकार को इन बटालियनों के गठन पर आई केवल मानक लागत की प्रतिपूर्ति 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत लम्बी अवधि के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में, की जाएगी।

(घ) और (ङ) अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनके द्वारा इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन की स्वीकृति, संलग्न विवरण के अनुसार दे दी गई है।

विवरण

विभिन्न राज्यों द्वारा गठित की जाने वाली इण्डिया रिजर्व बटालियनों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	योग
1	2	3	4	5
1.	असम	2	—	2
2.	हिमाचल प्रदेश	1	—	1

1	2	3	4	5
3.	मिजोरम	1	—	1
4.	मणिपुर	1	—	1
5.	पंजाब	5	5	10
6.	राजस्थान	2	—	2
7.	सिक्किम	1	—	1
	योग	13	5	18

कोयला खानों को बन्द करना

4455. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अलाभकर कोयला खानों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ अलाभकर कोयला खानों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय की समीक्षा करने तथा उन अलाभकर कोयला खानों को फिर से चालू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इण्डिया लि० के अनुसार 1993-94 के दौरान उनकी 326 खानों ने घाटा उठाया।

(ख) से (घ) निम्नलिखित कारणों से कुछ पुरानी खानों को बंद करना अनिवार्य हो जाता है :—(1) भंडारों का समाप्त होना, (2) प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां (3) विपरीत खान सुरक्षा परिस्थितियां और (4) आर्थिक अलाभप्रदता (जबकि विलय, दक्षता वृद्धि, प्रौद्योगिकी सुधार आदि के द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी क्रियाकलापों की लाभप्रदता में सुधार विफल हो जाए)।

कोल इंडिया लि० के अनुसार अगले 3-4 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप में हर मामले की समीक्षा करके उचित कारणों के अंतर्गत उनकी 11 खानों को बंद किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

(ङ) कोल इंडिया लि० ने घाटे उठाने वाली खानों की आर्थिक हालत यथासंभव सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जो कि निम्न हैं :—

(1) आर्थिक रूप से अलाभप्रद यूनिटों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए उनका विलय, एकीकरण/पुनर्गठन।

(2) आधुनिक प्रौद्योगिक प्रविधियों का समावेश।

(३) श्रमशक्ति का युक्तिकरण।

(4) उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लघु अवधि अल्प निवेश योजनाओं का अंगीकरण।

(5) खानों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत आपूर्ति में सुधार।

पोट्टेरू सिंचाई परियोजना

4456. **श्री के० प्रधानी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोट्टेरू सिंचाई परियोजना को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उस परियोजना को पूरा करने में हुए विलम्ब के लिए मुख्य कारण संसाधनों की कमी हैं; और

(घ) यदि हा, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस परियोजना के लिए आवंटन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (ग) निधियों की कमी, भूमि अधिग्रहण समस्याओं तथा कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाने की वजह से परियोजना में विलम्ब हुआ है।

(घ) अब इस परियोजना को जून, 1996 में पूरा करने का कार्यक्रम है। परियोजना का 102.39 करोड़ रुपए का संशोधित प्राक्कलन सितम्बर, 1993 में अनुमोदित किया गया है। इसमें से, केन्द्र का हिस्सा 94.83 करोड़ रुपए है। केन्द्र ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को 70.36 करोड़ /रुपए की राशि निर्मुक्त की हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग को इस परियोजना के प्रबोधन का कार्य सौंपा गया है ताकि सशोधित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को पूरा किया जा सके।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का विस्तार

4457. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊपरी असम में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन नेटवर्क की और वृद्धि करने/विस्तार करने हेतु सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) डिब्रूगढ़ में कार्यरत रेडियो तथा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की क्षमता कितनी है और उनकी प्रसारण परिधि कितनी है;

(ग) क्या डिब्रूगढ में 100 किलोवाट क्षमता का एक रेडियों ट्रांसमीटर लंबे समय से अप्रयुक्त पड़ा है; यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऊपरी असम में हिन्दी भाषी विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उक्त ट्रांसमीटर का उपयोग करने वाला एक और चैनल शुरू करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) यद्यपि वर्तमान में आकाशवाणी के पास अपर असम में अपने नेटवर्क को बढ़ाने/का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है, दूरदर्शन के पास इस क्षेत्र में अपने नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने के लिए ये योजनाएं हैं —जोरहाट में एक उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर की स्थापना करना; उत्तर लखीमपुर, सोनारी, तिनसुखिया, बोकाखाट और मार्धरिटा में 5 अल्प शक्ति के टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करना तथा दिग्बोई में एक अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करना।

(ख) आकाशवाणी के पास डिब्रूगढ़ में 300 कि वा मी वे का एक ट्रांसमीटर है जो 57,700 वर्ग कि०मी० के क्षेत्र को दिन के समय की कवरेज देता है। दूरदर्शन के पास डिब्रूगढ़ में 10 कि वा का एक टी०वी० ट्रांसमीटर है जो भू-भागीय हालात को मद्देनजर रखते हुए 50 कि०मी० की परिधि वाले क्षेत्र को प्राइमरी ग्रेड सेवा प्रदान करता है।

(ग) 300 कि वा मी वे वाले ट्रांसमीटर के सहारे के रूप में एक पुराने 100 कि वा मी वे ट्रांसमीटर का प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) 100 कि वा मी वे वाला ट्रांसमीटर अपने जीवनकाल से ज्यादा समय के लिए उपयोग किया जा चुका है और अब नियमित सेवा के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

आई०पी०एस० अधिकारी

4458. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अगस्त 1994 के "द हिन्दुस्तान टाईम्स" में "रूल्स वेरी फार आई०पी०एस० आफिसर्स, कोप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्।

यह लेख दिल्ली के एक अपर पुलिस आयुक्त के मामले से संबंधित प्रतीत होता है। अधिकारी का मिजोरम में स्थानातंरण कर दिया गया था। तथा उसे दिल्ली पुलिस से कार्यभार मुक्त करने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए थे। इस बीच, अधिकारी ने बीमारी के कारण कुछ दिन का आकस्मिक अवकाश ले लिया तथा उसके बाद पहले सरकारी डिस्पेंसरी के चिकित्सा प्रमाण-पत्र और फिर सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, के चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के साथ चिकित्सा-अवकाश हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया।

उपर्युक्त को देखते हुए किसी प्रकार के उपचारी-उपाय किए जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

आयुर्वेदिक औषधियां

4459. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय केमिस्ट, विशेष रूप से दिल्ली में, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ के

प्रेसक्रिपसन पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों द्वारा दिए जा रहे इंडेण्ट पर भी नेचुरोलेक्स सहित कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति इस तर्क के आधार पर नहीं कर रहे हैं कि उनके आयुर्वेदिक औषधियों के बिल स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा पास नहीं किए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों को सुलझाने तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वृद्ध-लाभार्थियों की सहायता हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र

4460. एस०बी० सिदनाल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक मे दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों के उन्नयन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आकाशवाणी के पास, गुलबर्ग स्थित मौजूदा 10 कि०वाट मी० वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 20 कि०वाट मी०वेव करने की योजना है तथा इस ट्रांसमीटर के उन्नयन की योजना, पूरा होने की अग्रिम चरण में है।

गुलबर्ग स्थित मौजूदा 1 कि० वाट ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 10 कि०वा० करने की दूरदर्शन की योजना है। इसके अलावा, हसन मंगलूर, मैसुर तथा रायचूर स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का भी उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नयन किया जाना परिकल्पित है।

अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम

4461. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम को संशोधित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

प्रसारण अवधि का बढ़ाया जाना

4462. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण अवधि को निकट भविष्य में बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दूरदर्शन केन्द्रों की कितनी प्रसारण अवधि बढ़ाइ जायेगी;

(ग) प्रसारण अवधि में वृद्धि कब से लागू हो जाएगी;

(घ) क्या "मनोरंजन", शिक्षा संबंधी कार्यक्रम आदि के लिए बढ़ायी गई अवधि का उपयोग करने के संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं; और

(9) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एड्स नियंत्रण

4463. **श्री रवि राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अगस्त, 1994 के "स्टेट्समैन" में "एड्स" कैन क्रिपल एशियन इक्रोमी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने तेजी से फैलते हुए एड्स का हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि एच०आई०वी०/एड्स को रोका नहीं गया तो इससे अनेक आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

(घ) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एच०आई०वी०/एड्स को फैलने से रोकने और उस पर नियंत्रण पाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक खतरे वाले आचरण समूहों और खतरे वाले व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें इसके बारे में जानकारी देना, रक्त निरापदता, यौन संचारित रोग नियंत्रण, कण्डोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देना तथा बेहतर नैदानिक उपचार और निगरानी कार्य करना हैं।

बिहार में कोयला धोवनशाला

4464. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री संजय लाल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्तमान कोयला धोवनशाला का ब्यौरा क्या है और इनकी वार्षिक क्षमता कितनी है;

(ख) उन्हें किन आधारों एवं शर्तों पर कोयले की आपूर्ति की जाती है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार स्थित कोयला खानों की क्षमता और उत्पादन के अनुरूप धोवनशालाओं की आवश्यकताओं का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने इन कोयला धोवनशालाओं के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) बिहार में को०इं०लि० की कोयला वाशरियां तथा उनकी वार्षिक धुलाई क्षमता का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

वाशरियों के नाम	प्रचालन क्षमता (कच्चा कोयला मि०टन प्रति वर्ष)
1	2
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	
दुग्दा (I तथा II)	3.80
पाथेरडीह	1.60
सुदामडीह	2.00
भोजुडीह	1.70
मूनीडीह	2.00
लोदना	0.40
बरोरा	0.42
मोहुदा	0.63
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	
कारगली	2.72
कठारा	3.00
स्वांग	0.75
गिड्डी	2.00
राजरप्पा	3.00

(ख) विभिन्न खानों तथा सीमों से कच्चा कोलया वाशरियों के साथ संयोजित, जो कि वाशरी के डिजाइन संबंधी पैरामीटरों के अनुरूप कोयला की धुलाई संबंधी विशेषताओं के अनुरूप हो। वाशरी स्थल पर किए गए विश्लेषण के आधार पर कोलरियों को पुनः प्रेषित किए गए कच्चे कोयले की कीमत की अदायगी की जाती है।

(ग) से (ङ) अधिकांश वाशरियां 1960 तथा 1970 के दशक में चालू की गई थी। वर्तमान में कच्चे

कोयले फीड की गुणवत्ता इन वाशरियों के निर्मित कच्चे कोयले की गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। विद्यमान वाशरियों की क्षमता का विस्तार किए जाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। किन्तु, 10 विद्यमान वाशरियों के आधुनिकीकरण का कार्य, (जो कि 6 भा०को० को०लि० और 1 सें०को०लि० में विद्यमान हैं) सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार शुरू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य अधिकतम क्षमता उपयोगिता को हासिल करना है।

विदेशी टेलीविजन कंपनियां

4465. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "जी", "एम" और अन्य विदेशी टेलीविजन कंपनियों के कार्यक्रमों पर निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी भी विदेशी मीडिया यूनिट के लिए सेंसरशिप निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) आकाशवाणी की केन्द्रीय मानीटरिंग सेवा द्वारा चयनात्मक आधार पर इनमें से कुछ चैनलों के कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। विदेशी उपग्रह चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम इस देश के कानून द्वारा विनियंत्रित नहीं होते।

सुरक्षा प्रबंध

4466. **श्री छीतू भाई गामीत :**
श्री बीरेन्द्र सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक दिल्ली में कितने वी०आई०पी० व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में आतंकवाद में कमी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सुरक्षा व्यवस्था पर 1993-94 के दौरान कितना खर्च हुआ ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) इस समय पुलिस द्वारा दिल्ली में 502 विशिष्ट व्यक्तियों/संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

(ख) और (ग) सुरक्षा की आवश्यकता और सुरक्षा के पैमाने की सावधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। सुरक्षा प्रबंधों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाता/वापस ले लिया जाता है।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान, सुरक्षा प्रबंधों पर 18.56 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

[हिन्दी]

पुलिस का आधुनिकीकरण

4467. **श्री विलासराव नागनाथराव गून्डेवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान देश के विभिन्न भागों में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मंजूर की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ अभी तक कितनी राशि जारी की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के तहत, भारत सरकार, राज्य पुलिस बलों के कार्यकरण दक्षता में सुधार लाने के उनके प्रयासों को तेज करने के लिए मदद देती आ रही है। इस योजना के तहत संघ शासित क्षेत्रों को कोई निधि जारी नहीं की जाती है। 1994-95 के दौरान आबंटित और अब तक जारी की गई निधियों को संलग्न विवरण में दिखाया गया है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि निधियां दो किस्तों में जारी की जाती हैं। पहली किस्त पिछले-से-पिछले साल के लिए जारी की गई राशि के संबंध में "पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र" प्राप्त होन के बाद जारी की जाती है, जबकि दूसरी किस्त पिछले साल का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के बाद जारी की जाती है। निधियां राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर जारी की जाती है।

विवरण

(रुपये लाखें में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1994-95 के दौरान आबंटित निधियां	पहली किस्त (1994-95) में जारी की गई निधियां।
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	209.56	
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.27	23.135
3.	असम	95.43	
4.	बिहार	233.12	116.56
5.	गोवा	58.96	
6.	गुजरात	150.18	
7.	हरियाणा	71.71	
8.	हिमाचल प्रदेश	40.69	20.345
9.	जम्मू और कश्मीर	81.54	40.77

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	150.80	
11.	केरल	113.99	56.995
12.	महाराष्ट्र	251.29	118.91
13.	मध्य प्रदेश	237.82	
14.	मणिपुर	34.63	17.315
15.	मेघालय	25.94	
16.	मिजोरम	43.89	21.945
17.	नागालैंड	38.43	
18.	उड़ीसा	104.61	52.305
19.	पंजाब	84.65	
20.	राजस्थान	154.92	
21.	सिक्किम	17.22	8.610
22.	तमिलनाडु	196.75	98.375
23.	त्रिपूरा	46.53	23.265
24.	उत्तर प्रदेश	336.30	
25.	पश्चिम बंगाल	174.77	
	योग :	3000.00	598.530

[अनुवाद]

विविध भारती कार्यक्रम

4468. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से विविध भारती कार्यक्रमों की शुरूआत हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या आकाशवाणी के जबलपुर, शोलापुर और बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के स्थानीय केन्द्रों से विविध भारती कार्यक्रमों के प्रसारण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विविध भारती कार्यक्रमों की शुरूआत हेतु विचाराधीन योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) मुख्य मानदण्ड इस प्रकार से हैं :–

(1) जनसंख्या का धनत्व तथा श्रोतागणों का सहवर्ती आकार; तथा

(2) बाजार संभाव्यता।

(ख) और (ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान आकाशवाणी, जबलपुर से विविध भारती सेवा शुरू किए जाने की योजना है।

दूरदर्शन में पंजीकृत गैर-सरकारी पार्टियां

4469. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर नाटक, मिश्रित कार्यक्रम, लोक और पौराणिक महाकाव्य, लोकगीत, कठपुतली का खेल, जादू का खेल आयोजित करने वाली दूरदर्शन में पंजीकृत गैर-सरकारी पार्टियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु कतिपय कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) देश भर में अवस्थित दूरदर्शन केन्द्र अपने कार्यक्रमों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए नाटक, लोकनृत्य, संगीत, पुतली के तमाशों, जादू के तमाशों के क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय प्रतिभाओं का उपयोग करते हैं। ऐसी प्रतिभाओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी उपयोग किया जा रहा है। तथापि ऐसी निजी पार्टियों के ब्यौरों का संकलित रूप में केन्द्रीय तौर पर रखरखाव नहीं किया जाता तथापि अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

फाइलेरिया

4470. **श्री एन० डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर फाइलेरिया रोग का प्रकोप है; और

(ख) सरकार ने फाइलेरिया के नियंत्रण और उन्मूलन के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) फाइलेरिया के रोगियों की सूचना आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दमण और द्वीव, लक्षद्वीप और दादरा और नागर हवेली से मिली है।

(ख) फाइलेरिया नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही इस प्रकार है –

(i) रोगाणु मच्छरों के नियंत्रण के लिए साप्ताहिक आधार पर आवर्ती लार्वा-रोधी उपाय।

(ii) लार्वा-भक्षी मछलियों के उपयोग सहित जैव पर्यावरणिक नियंत्रण विधियां।

(iii) समुचित जल निकासी आदि के लिए घोल डालकर मच्छर पैदा करने वाले स्रोतों में कमी करना।

(iv) शुरू में ही पता लगाना और रोगियों का तुरंत उपचार।

आई०एस०आई० की गतिविधियां

4471. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आई०एस०आई०) ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सीमा पर एक नियंत्रण केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला धोवनशालाएं

4472. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कुछ कोयला धोवनशालाओं को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

4473. **श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में चालू सिंचाई परियोजनाओं हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धन आवंटित किया गया और चालू वर्ष के लिए कितना प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या चालू सिंचाई परियोजनाओं पर धनाभाव के कारण काम रूक गया है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के अंदर कितनी अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने लगेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) महाराष्ट्र में 1991-92 से वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित व्यय/परिव्यय अनुमोदित किये गये हैं :

वर्ष	वृहद और मझौली सिंचाई परियोजना के लिए व्यय/परिव्यय (करोड़ रुपए)	
1991-92	311.41	(वास्तविक व्यय)
1992-93	457.36	-वही-
1993-94	568.23	(प्रत्याशित व्यय)
1994-95	618.09	(परिव्यय)

(ख) और (ग) निधियों का परियोजना-वार आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, योजना आयोग ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के परिव्यय का निर्धारण करना प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग को विशिष्ट वृहद सिंचाई परियोजनाओं के प्रबोधन का कार्य सौंपा गया है।

(घ) महाराष्ट्र की निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं की चरम सिंचाई क्षमता 24,60,910 हेक्टेयर है, जिसमें से 726, 950 हेक्टेयर की क्षमता का सृजन मार्च, 1994 के अंत तक किए जाने की प्रत्याशा है।

आई०एस०आई० की गतिविधियां

4474. **कुमारी सुशीला तिरिया :**
श्री गुरूदास कामत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस ने कच्छ की खाड़ी के अनुपयोगी तराई क्षेत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों को भी अपनी भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाने के पाकिस्तान की आई०एस०आई० के नापाक मंसूबों की जानकारी सरकार को है। सरकार चौकस है और आसूचना तंत्र को सुचारू बनाकर, केन्द्र और राज्य की संबंधित एजेंसियों द्वारा आसूचना के आदान-प्रदान एवं समन्वित कार्रवाई को सुनिश्चित करके, महत्वपूर्ण स्थलों पर अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती में वृद्धि करके, सघन गश्त लगवाकर, नदी तटीय/क्रीक क्षेत्रों में गश्त के लिए नावों/मोटर बोटों की आपूर्ति करके, स्थलीय एवं तटीय सीमाओं पर अतिरिक्त चैक-पोस्ट बनाकर, दिन और रात के दौरान प्रभावशाली निगरानी के लिए विभिन्न उपकरणों, की आपूर्ति करके सभी संभव कदम उठा रही है।

कोयला

4475. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक कोयला धारक राज्य में कोयले के कितने भंडार होने का अनुमान है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला भंडारों का विकास करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने दिनांक 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार 196891.87 मिलियन टन कोयला भण्डार होने का अनुमान लगाया है। राज्यवार वितरण निम्न प्रकार है :—

(मिलियन टन में)

राज्य	प्रमाणित	विनिर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
आंध्र प्रदेश	6182.68	916.37	3738.70	10837.75
अरुणाचल प्रदेश	31.23	11.04	47.96	90.23
असम	133.38	67.17	94.63	295.18
बिहार	29796.02	28632.14	6172.96	64601.12
मध्य प्रदेश	10013.55	21306.88	8960.43	40280.86
महाराष्ट्र	3194.41	1170.07	1912.05	6276.53
मेघालय	88.99	69.73	300.71	459.43
उड़ीसा	6661.44	22312.14	17553.09	46526.67
उत्तर प्रदेश	662.21	400.00	—	1062.21
प० बंगाल	11280.05	11191.95	3969.95	26441.95
नागालैंड	3.43	1.35	15.16	19.94
जोड़	68047.39	86078.84	42765.64	196891.87

(ख) विद्यमान खानों और चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त, आठवीं योजना के दौरान निधियों के उपलब्ध होने पर विकास के लिए 108 नई कोयला खनन परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट/किया गया था। विनिर्दिष्ट की गई परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है :—

आंध्र प्रदेश	—	8	
बिहार	—	38	
मध्य प्रदेश	—	17	
महाराष्ट्र	—	26	
उड़ीसा	—	5	
उत्तर प्रदेश	—	2	(1 म०पू० से उभयमिष्ठ सहित)
प० बंगाल	—	12	
	जोड़	108	

इन्द्रावती बहु-उद्देश्यीय परियोजना

4476. **श्री के० प्रधानी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा उड़ीसा स्थित इन्द्रावती बहु-उद्देश्यीय परियोजना के लिए अब तक कितनी सहायता राशि उपलब्ध करायी गई;

(ख) अब तक इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या हाल ही में विश्व बैंक ने इस परियोजना को अपनी सहायता बंद कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (घ) अपर इन्द्रावती बहु-प्रयोजनी जल विद्युत परियोजना 156.4 मिलियन अमेरिकी डालर विश्व बैंक के ऋण और 170 मिलियन अमेरिकी डालर के क्रेडिट के लिए मई, 1978 मे स्वीकृत की गई थी। 5 दिसम्बर, 1991 को परियोजना के दोनों घटकों के सम्बन्ध कुछ सहायता रद्द कर दी गई। तथापि, 24 दिसम्बर, 1991 को 170 मिलियन अमेरिकी डालर के क्रेडिट घटक को बरकरार रखा गया और क्रेडिट समाप्त होने की तारीख 31 दिसम्बर, 1994 तक बढ़ा दी गई। 30 जून 1994 तक क्रेडिट के 186.823 मिलियन अमेरिकी डालर की संचयी प्राप्ति की गई। विश्व बैंक सहायता को आस्थगित करने के मुख्य कारणों में ये शामिल है: परियोजना का असंतोषजनक कार्यान्वयन और प्रबन्ध परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुर्नवार्स और पुर्नस्थापन वांछित स्तर तक न किया जाना, उड़ीसा सरकार द्वारा लेखापरिक्षित वित्तीय रिपोर्टो की प्रस्तुति विलम्ब से करना और बैंक के साथ हस्ताक्षारित किए गए प्रतिज्ञापत्र का अनुपालन न करना।

महिला वकीलों पर हमले

4477. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में महिला वकीलों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जुलाई और अगस्त, 1994 में हुई ऐसी प्रत्येक घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है.

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने बताया है कि 1 जुलाई, 1994 से 15 अगस्त, 1994 तक की अवधि के दौरान राजधानी में महिला वकीलों पर हमले की केवल दो घटनाओं की सूचना है।

(ख) से (घ) दोनों मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

I) श्रीमती जसवन्त कौर, (वकील, चैम्बर नं० 159, पटियाला हाउस कोर्ट) से एक शिकायत प्राप्त हुई कि श्री पी०सी० चोपड़ा नामक एक व्यक्ति (वकील) ने उनके चैम्बर में उनसे दुर्व्यवहार किया है। तदनुसार, थाना-तिलक मार्ग, नई दिल्ली में भा०द०सं० की धारा 451/323/506/509/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

II) श्रीमती सुजाता कोहली, वकील (निवासी-गगन बिहार, दिल्ली) की एक अन्य शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि 10-8 1994 को श्री राजीव खोसला (सचिव, दिल्ली बार एसोसिएशन) ने श्री जी०एस० राठी एवं अन्य वकीलों के साथ उससे दुर्व्यवहार किया और उस पर हमला किया तथा उसका निजी सामान फैंक दिया। थाना-सब्जी मंडी दिल्ली में भा०दं०सं० की धारा 323/441 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है।

मेडिकल कालेज

4478. **श्री एस०बी० सिदनाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कितने मेडिकल कालेज हैं;

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने कालेजों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता नहीं मिली है;

(ग) राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मेडिकल कालेजों को किसी भी विश्वविद्यालय से अभी तक सम्बद्ध नहीं किया गया है; और

(घ) कितने मेडिकल कालेजों के मान्यता संबंधी आवेदन पत्र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के समक्ष विचाराधीन है और विलंब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा०सी० सिल्वेरा) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद ने सूचित किया है कि एक अप्रैल, 1994 को देश में 146 चिकित्सा कालेज हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) ऐसे 24 चिकित्सा कालेज है जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद ने अभी तक मान्यता नहीं दी हैं रांज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) ऐसे 15 कालेज है जिनके आवेदन-पत्र भारतीय चिकित्सा परिषद के पास विचाराधीन हैं और वे विचार करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण-I

देश में मेडिकल कालेजों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	10
असम	3
बिहार	10

1	2
गोवा	1
गुजरात	6
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू व कश्मीर	3
कर्नाटक	18
केरल	5
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	31
मणिपुर	1
उड़ीसा	3
पंजाब	5
राजस्थान	6
तमिलनाडु	14
उत्तर प्रदेश	9
पश्चिम बंगाल	7
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	4
पांडिचेरी	1
योग	146

विवरण-II

ऐसे मेडिकल कालेजों की संख्या जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अभी मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संख्या
1	2
बिहार	2
	1

1	2
जम्मू व कश्मीर	1
कर्नाटक	1
महाराष्ट्र	15
राजस्थान	1
तमिलनाडु	2
चण्डीगढ़	1
योग	21

डाक्टरों का अनुपात

4497. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में इस समय प्रति एक हजार व्यक्तियों के अनुपात में डाक्टरों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) प्रति हजार व्यक्ति के अनुपात में अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन दो स्वास्थ्य मानदंडों के संदर्भ में विश्व में देश की क्या स्थिति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार प्रति एक हजार व्यक्तियों पर डाक्टर-जनसंख्या अनुपात 0.48 एलोपैथिक डाक्टर (वर्ष 1992) और अस्पताली पलंग जनसंख्या अनुपात प्रति एक हजार व्यक्तियों पर 0.95 (वर्ष 1991) है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के अर्हताप्राप्त चिकित्सकों की संख्या के हिसाब से यह अनुपात लगभग 1.05 होगा।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 1988.91 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रति हजार व्यक्तियों पर न्यूनतम और उच्चतम डाक्टर-जनसंख्या अनुपाती की सीमा नाइजर में 0.002 है तो इटली में 4.75 है। बहरहाल, विभिन्न देशों में अस्पताली पलंग-जनसंख्या अनुपात उपलब्ध नहीं है।

मन्द बुद्धि व्यक्ति

4480. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दबुद्धि बच्चों के कल्याण संबंधी दिल्ली समिति ने मन्दबुद्धि विकलांगों के पुनर्वास के मुद्दे पर अगस्त, 1994 में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यशाला में क्या सुझाव दिए गए और इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए;

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने मन्दबुद्धि व्यक्तियों की संख्या, उनकी समस्याओं तथा गैर-सरकारी और सामाजिक संगठनों का कोई आकलन किया है;

(च) यदि हां, तो राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) मन्दबुद्धि व्यक्तियों के पुनर्वास और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या उपाय किए गए है/किए जाने का विचर है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। मंदबुद्धि बच्चों की दिल्ली समिति ने मानसिक रूप से विकलांगों के पुनर्वास के तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए इंडियां इन्टरनैशनल सेंटर में 7 अगस्त, 1994 को एक दिवसीय एक राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित किया था। तथापि, कल्याण मंत्रालय को इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्बद्ध नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) इस सेमीनार में की गई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने जुलाई से दिसम्बर, 1991 के दौरान किए गए 47 वें सर्वेक्षण में 1-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों में देरी से विकास की विद्यमानता का अनुमान लगाया था। ऐसी विद्यमानता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

मंदबुद्धि व्यक्तियों को जिन मुख्य समस्याओं का सामना करना होता है वे है घर में उचित देखभाल का अभाव, शिक्षा और रोजगार में पहुंच का अभाव। इन समस्याओं का सामना करने में सीमित संसाधन तथा पर्याप्त प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव जैसी मुख्य कठिनाईयां है।

(छ) मंदबुद्धि बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाए निम्नलिखित है :—

1. विकलांगों के संगठनों को सहायता

2. विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।

3. प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में मानवशक्ति विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।

इसके अतिरिक्त मंदबुद्धि व्यक्तियों को विशेष शिक्षा में मानवशक्ति का प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए हैदराबाद में एक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना की गई है।

विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रति 1000 में देरी से विकास होने और सुस्त व पीछे रहने वाले बच्चों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु-1-14 वर्ष	
	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	25	20
अरुणाचल प्रदेश	54	132

1	2	3
असम	71	60
बिहार	36	29
गोवा	5	3
गुजरात	15	25
हरियाणा	31	33
हिमाचल प्रदेश	22	16
जम्मू और कश्मी	40	31
कर्नाटक	14	17
केरल	15	32
मध्य प्रदेश	36	18
महाराष्ट्र	31	35
मणिपुर	16	3
मेघालय	19	26
मिजोरम	9	2
नागालैंड	92	83
उड़ीसा	47	21
पंजाब	49	18
राजस्थान	32	25
सिक्किम	55	28
तमिलनाडु	38	20
त्रिपुरा	64	18
उत्तर प्रदेश	22	34
पं० बगाल	44	39
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	6
चंडीगढ़	1	5

1	2	3
दादर और नगर हवेली	4	9
दमन और द्वीव	2	4
दिल्ली	2	47
लक्षद्वीप	21	28
पांडिचेरी	25	12
अखिल भारतीय	31	29

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधाएं

4481. **श्री प्रेम चन्द राम :**
श्री मंजय लाल

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी और विधवाएं सरकारी और अन्य अस्पतालों में उपचार की सुविधाएं प्राप्त करने की हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सुविधा को प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या इस सुविधा को कर्मचारियों, पेंशन भोगी और विधवाओं को उनकी इच्छा से उपलब्ध कराने के लिए इसके और विस्तार का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अन्तर्गत चिकित्सीय सुविधाओं के हकदार हैं। पेंशनभोगी और उनकी विधवाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय सुविधाओं के हकदार हैं।

केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कवर किए गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी केन्द्र और राज्यों के सरकारी अस्पतालों और यदि उन्हें प्राधिकृत चिकित्सा परिचर/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विशेषज्ञ इत्यादि द्वारा भेजा जाता है तो मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों में उपचार का लाभ उठा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कवर किये गए पेंशनभोगी और उनकी विधवाएं भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ इत्यादि द्वारा उन्हें भेजे जाने पर अस्पताल के उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बाल और युवा फिल्म केन्द्र

4482. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केंद्र की क्या भूमिका है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल और युवा फिल्म केन्द्र को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय बाल और युवा फिल्म केन्द्र द्वारा कितनी फिल्मों का निर्माण किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र की इस संगठन के विधान में यथावर्णित भूमिका संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र को गत तीन वर्षों के दौरान उसकी योजना स्कीमों के लिए निम्नलिखित सहायता अनुदान दिया गया था :—

1991-92	--	1,13,69,209/-रुपये
1992-93	—	1,16,61,275/-रुपये
1993-94	—	1,11,50,000/-रुपये

(घ) राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र द्वारा 1993-94 के दौरान पांच फीचर फिल्म तथा दो लघु एनिमेशन फिल्में पूरी की गई थीं।

विवरण

राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र की भूमिका/उद्देश्य

(क) फिल्मों के जरिए शिक्षा व संस्कृति को विशेषकर बच्चों व किशोरों में बढ़ावा देना।

(ख) बच्चों व किशोरों में स्वस्थ मनोरंजन के प्रयोजन से फिल्मों की कद्रदानी पैदा करना व उसका विकास करना।

(ग) विशेष रूप से बच्चों व किशोरों को अनुकूल या विशेष रुचिपूर्ण फिल्मों के निर्माण वितरण तथा प्रदर्शन का उत्तरदायित्व, वहन सहायता, देना, प्रायोजन, संवर्धन तथा समन्वयन।

(घ) अन्य देशों में निर्मित बाल फिल्मों का आयात करके उन्हें प्रयोगानुकूल बनाना।

(ङ) भारत तथा विदेशों में बाल फिल्मों के वितरण एवं प्रदर्शन की व्यवस्था करना।

(च) अन्य देशों के समरूपी संगठनों के साथ बाल फिल्मों का विनिमय।

(छ) बाल फिल्मों से संबंधित विषयों पर व्याख्यानों, प्रदर्शनों तथा विचार-गोष्टियों की व्यवस्था करके बाल फिल्मों व पुस्तकों की लायब्रेरी बनाना।

(ज) बाल फिल्मों से संबंधित सभी मामलों के आंकड़ों व सूचनाओं का संकलन।

(झ) बाल फिल्म क्लबों का आयोजन।

(ञ) फिल्मों पर बच्चों की प्रतिक्रिया का अन्वेषण करवाना।

(ट) बाल फिल्मों से संबंधित मामलों में जनसामान्य का प्रबोधन।

(ठ) बाल फिल्मों से संबंधित सभी मामलों की बाबत सूचना समाशोधी गृह के रूप में काम करना।

(ड) बाल फिल्मों संबंधी पुस्तकों, विनिबंधों, (मोनोग्राफों), पत्रिकाओं, मैगजीनों, समीक्षाओं, लेखों, इश्तिहारों तथा अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करना।

(ढ) इसी प्रकार के उद्देश्यों वाले अन्य संगठनों से संपर्क साधना।

(ण) सोसायटी के प्रयोजनों से वचनपत्रों, हुंडियों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों का आहरण उन्हें सकारना, बनाना, अनुमोदन करना तथा बट्टा काटना तथा सौदे करना।

(त) सोसायटी की निधियों या उसके पास निक्षिप्त रकम को कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर विनिश्चित रूप से निक्षेपों में लगाना तथा समय-समय पर उनकी बिक्री या अंतरण (अदला-बदला) से अर्जित आय या लाभ की सोसायटी के उद्देश्यों के संवर्धनार्थ विनियोग करना।

(थ) सोसायटी के लिए जरूरी या सुविधाजनक कोई भूमि, भवन या कोई अन्य अचल सम्पत्ति खरीदना, पट्टे पर लेना उपहार-स्वरूप सकारना या उसका अन्यथा अधिग्रहण।

(द) सोसायटी के लिए जरूरी किसी भवन का निर्माण करना या उसमें कोई रद्दो-'बदल करना।

(ध) सोसायटी की समूची सम्पत्तियों या उनके किसी अंश को बेचना, पट्टे पर देना, उनका विनिमय करना तथा उन्हें अन्यथा अंतरित करना।

(न) सोसायटी के उद्देश्यों के संवधनार्थ, बाल फिल्मों के निर्माण, वितरण या प्रदर्शन के लिए निर्माताओं, वितरकों तथा प्रदर्शकों से समझौते करना।

(प) सामान्यतः, सोसायटी की योजनाओं तथा उद्देश्य लब्धियों के संवर्धनार्थ समय-समय पर जरूरी समझे जाने वाले ऐसे काम करना या अन्य ऐसे काम करने का दायित्व लेना।

कुरियारकुट्टी करप्पारा बांध

4483. श्री वी०एस० विजयराघवन :
श्री पी०सी० चाक्को :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कुरियार कुट्टी-करप्पारा बांध के संबंध में केरल सरकार से मंजूरी के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये रिपोर्ट कब से लम्बित है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना को तत्काल स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): *(क) से (ग) 231.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (सिंचाई-100 करोड़ रुपए और विद्युत 131.03 करोड़ रुपए) पर कुरियार कुट्टी कारापारा बहुप्रयोजनी परियोजना की संशोधित रिपोर्ट जिसमें 39640 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई और 84 मेगावाट की प्रतिष्ठापित विद्युत क्षमता की परिकल्पना की गई है, केन्द्रीय जल आयोग में मार्च, 1994 में हाल ही में प्राप्त हुई है। राज्य सरकार को परियोजना के विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामले सुलझाने हैं और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय व वन स्वीकृति प्राप्त करनी हैं।*

(घ) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालन करती है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण व वन स्वीकृति प्राप्त करती है।

समाचारपत्रों का पंजीकरण

4484. **श्री एस०बी० सिदनाल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार से समाचारपत्रों के पंजीकरण हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने समाचारपत्रों का पंजीकरण किया गया; और

(ग) शेष समाचारपत्रों का कब तक पंजीकरण कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनो की संख्या	पंजीकृत समाचारपत्रों की संख्या
1991	148	73
1992	227	50
1993	236	80

(ग) शेष समाचारपत्रों को पंजीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि पंजीकरण हेतु प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित कागजात उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए थे। उनसे पूर्ण ब्यौरे प्राप्त होने पर उनके मामले पर विचार किया जाएगा।

मानवाधिकार आयोग

4485. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग स्थापित किया है/स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 6 अगस्त, 1994 को दक्षिण राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर के मानवाधिकार आयोग स्थापित करने पर बल दिया है जैसा कि 7 अगस्त, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार, किसी भी राज्य ने अभी तक राज्य मानव अधिकार आयोग गठित नहीं किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान राज्य उल्पसंख्यक आयोग का पुनः अभिमुखीकरण करके, पुनः पदनामित करके और उसकी कार्य-परिधि को बढ़ाकर एक मानव अधिकार आयोग गठित किया गया था। हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का मामला सरकार के विचाराधीन हैं। असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का निर्णय सिद्धान्तरूप से कर लिया गया हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन जल्दी ही किया जा रहा हैं। मिजोरम, मेघालय और गोवा राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन आवश्यक नहीं समझते है।

(ग) दक्षिणी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोग के गठन की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों पर जोर दिया है।

(घ) जैसा कि उपर (क) और (ख) में उल्लिखित अधिनियम में राज्य सरकारों द्वारा राज्य में मानव अधिकार आयोग के गठन के लिए पहले से ही प्रावधान हैं, इसलिए उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करने का कार्य राज्य सरकारों का है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आपातकालीन सेवाएं

4486. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं में लाये गये रोगियों को देखने के लिए कनिष्ठ स्तर के चिकित्सकों को नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राधिकारी रोगी की दशा गंभीर होते हुए भी पलंग उपलब्ध न होने का बहाना लेकर आपातकालीन सेवाओं में लाये गये रोगियों को भर्ती करने से इंकार कर देते हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या अस्पतालों में आपातकालीन सेयाएं बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों डाक्टर आपाती विभाग में तैनात किए जाते हैं।

(ग) और (घ) पलंगों की अनुपलब्धता के मामले में रोगियों को उपयुक्त पुनरूज्जीवक परिचर्या से स्थिर करने के पश्चात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की अस्पताल-गाड़ी में पास के सफदरजंग अस्पताल में भेजा जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल सीटें

4487. **श्री प्रेमचन्द राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित आल इंडिया मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए विभिन्न राज्यों में सीटों का आबंटन करता है;

(ख) क्या मेडिकल क्षात्रों को अन्य राज्यों से दिल्ली में कालेज बदलने संबंधी अनुमति नहीं दी जाती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन छात्रों को उसी स्थिति में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी जाती है जब कि इच्छुक छात्र अपेक्षित राज्य का असली निवासी हो, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन छात्रों के मामले में क्या प्रावधान किया है जो दिल्ली के असली निवासी हैं और इन दूर दराज वाले स्थानों से दिल्ली अथवा दिल्ली से निकटतम राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हरियाणा जाना चाहते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति के बारे में असली निवासी होने की शर्त अपेक्षित नहीं है।

कोल इंडिया लि० के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप

4488. **श्री वीर सिंह महतो :**
श्री लाल बाबू राय :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) कोल इंडिया लि० के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप के कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) सरकार इस संबंध में जांच करके इन मामलों को कब तक निपटा देगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इण्डिया लि० के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई आरोपित मामला लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

12.00 मध्याह्न

आन्ध्र प्रदेश में मेडिकल कालेजों के बारे में अतारांकित प्रश्नसंख्या 2701 के 11 अगस्त 1994 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०सी० सिल्वेरा) : मैं 11 अगस्त, 1994 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2701 के उत्तर की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रश्न का उत्तर टाइप करते समय उसके भाग "क" की पंक्ति एक में गलती से "नौ" का अंक छूट गया था। अतः उत्तर को इस प्रकार पढ़ने का कष्ट करें :—

(क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में नौ सरकारी और एक प्राइवेट कालेज चल रहे हैं।

हिन्दी रूपान्तर सही था। असुविधा के लिए खेद है।

प्रमुख धात्विक व गैर-धात्विक अयस्कों के उत्पादन के बारे में श्री सैयद शाहबुद्दीन द्वारा 13-12-1993 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 1667 के उत्तर में खान राज्य मंत्री द्वारा दिया गया विवरण।

मैंन अपने उपरोक्त लोक सभा अतारांकित प्रश्न के उत्तर में एक विवरण संलग्न किया था।

वर्ष 1992-93 के लिए अभ्रक के उत्पादन आकंडों तथा 1993-94 के लिए चांदी के अनुमानित उत्पादन के संबंध में उसके विवरण में अनजाने में गलती हो गई थी।

वर्ष 1992-93 के लिए अभ्रक के उत्पादन आंकडे तथा 1993-94 के लिए चांदी के अनुमानित उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित विवरण पढ़ा जाए :—

	इकाई	वर्ष	उत्पादन
अभ्रक	टन	1992-93	2997 के स्थान पर 2507
चांदी	कि०ग्रा०	1993-94 (अनुमानित)	19910 के स्थान पर 49910

गलती का पता लगाने और सही आंकड़े एकत्र करने में समय लगा और इसलिए इस विवरण को प्रस्तुत करने में देरी हुई इस गलती तथा विलम्ब के लिए खेद है।

12.01 म०पू०

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा की सभी कार्यवाहियों को दूरदर्शन पर सीधे प्रसारित करने हेतु लोक सभा में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर का लगाया जाना।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय :— मुझे एक घोषणा करनी है। हमने लोक सभा में एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगाया है। अब लोक सभा की समूची कार्यवाही को दूरदर्शन पर दिखाया जा सकता है। इन कार्यवाहियों को अब उन क्षेत्रों में देखा जा सकता है जो ट्रांसमीटर के प्रसारण क्षेत्र में आते हैं। मुझे बताया गया है कि कार्यवाही लगभग 10 से 15 कि०मी० तक की परिधि में कार्यवाहियों को देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों के लोग सभा की कार्यवाहियों को अपने-अपने कार्यस्थलों और घरों में देख सकेंगे। नियमों और परिपाटियों के अनुसार चलने वाली समूची कार्यवाही अब दूरदर्शन पर देखी जा सकती है। दलों के नेताओं ने इस कदम का अनुमोदन किया है। हमें आशा है कि सभा भी इससे सहमत होगी।

आपकी स्वीकृति से आज से समूची कार्यवाही को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा सकता है। हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गये इस अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हैं और उन्हें इसके लिए धन्यवाद देते हैं।

माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई।

एक माननीय सदस्य :— महोदय, इस कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर अधिक शक्ति का ट्रांसमीटर लगवाईये।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह ट्रांसमीटर हाई पावर कब तक हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत जल्दी हो जायेगा।

12.2 म०पू०

मुम्बई नगर निगम पार्षद श्री राम दास नायक की हत्या के बारे में

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं शोकदायक समाचार देने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज सवेरे बम्बई प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राम दास नाईक की हत्या कर दी गई।

वह सवेरे घर से तैयार होकर निकले थे। वह बम्बई में रहते थे। बम्बई में बांदरा बस्ती में उनका मकान था। वह जब घर से बाहर निकले तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनकी ताक में खड़े थे। उनपर गोली चलाई गई। पहले उनका सुरक्षाकर्मी मारा गया। वह घायल अवस्था में अस्पताल ले जाये गये, वहां उन्होंने प्राण त्याग कर दिया।

बम्बई बम विस्फोटों के लिए कुख्यात है। वहां तरह-तरह के माफिया गिरोह सक्रिय हैं। उनमें से कुछ के तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी हैं। वहां हालत इस हद तक बिगड़ गई है कि दिनदहाड़े घर से निकलते ही श्री राम दास नाईक की हत्या कर दी गई। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

वे एक दबंग नेता थे। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, वह विधान सभा के सदस्य थे। अभी बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के दल के नेता थे। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। हो सकता है, यह आवाज हमेशा के लिए शान्त करने के लिए यह हत्या की गई हो। अभी गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए थे। आप सरकार को निर्देश दे कि इस सम्बन्ध में सारे तथ्य इकट्ठे करे और सदन को सूचित करे। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि हत्यारे तुरन्त पकड़े जाने चाहिए, तत्काल पकड़े जाने चाहिए। पिछले दो साल में यहां तीन विधायकों की हत्या हो चुकी है।

यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा ? क्या प्रदेश सरकार इसको रोकने में समर्थ है या रोकना नहीं चाहती है ? महाराष्ट्र की सरकार अपराधियों को पकड़े, क्योंकि ऐसी घटना से लोगों का उत्तेजित होना स्वाभायिक है। मैं नहीं चाहता कि लोग अपना धैर्य छोड़े। मैं नहीं चाहता कि लोग उत्तेजित हो, लेकिन इसके लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से कहना चाहूंगा कि वे यहां वक्तव्य दें और महाराष्ट्र की सरकार से तत्काल संबंध स्थापित करके इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही कराने के लिए निर्देश दे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो मामला नेता विरोधी दल ने उठाया है, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। हम सब लोग सियासत के लोग हैं, राजनीति करते है। सामाजिक कार्यकर्ता है। तीन-तीन विधायकों की बात कही गई कि उनकी हत्या हुई है। इस तरह की जो हत्यायें होती है, वह किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। हम लोग इनकी भावनाओं के साथ शेयर करते है। गृह मंत्री जी को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। आज इस मुद्दे के अलावा मैं दूसरा मुद्दा नहीं उठाता हूं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के संबंध में आज भी जो रिपोर्टें आई हैं, डीआईजी का और खैरनार का मामला है और दूसरे मामले हैं। यह न सिर्फ एक सरकार की बात है, बल्कि पूरे का पूरा हमारा जनतन्त्र है। जो सामाजिक निष्ठावान कार्यकर्ता है,नेता हैं, उन सभी के ऊपर कलंक की बात है। आज मैं इन मुद्दों को न उठा करके इस मुद्दे के संबंध में सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कार्यवाही करे।

मैं एक बात और आग्रह करना चाहता हूं, बार-बार चेयर की तरफ से निर्देश दिया जाता है और सरकार कह भी देती है कि हम कार्यवाही करेंगे और सदन में लौटकर आयेंगे, लेकिन न कार्यवाही की जाती है और न सदन में स्टेटमेंट के साथ लौट कर आती है। मेरे पास ऐसे पिछले 10-15 उदाहरण हैं, मैं बतला सकता हूं कि सरकार इन मुद्दो पर कार्यवाही करे और सदन को बतलाने का काम करे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भावना व्यक्त की है, हम लोग उनकी भावना के साथ हैं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, श्री वाजपेयी के साथ-साथ मैं भी अपने दल की ओर से दुःख प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम एक विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे। हम इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात, हम दुःख और संवेदना प्रकट करेंगे। यह तो सदस्यों पर एक प्रहार है। हम अपनी संवेदनाए व्यक्त नहीं कर रहे है। हम अपनी संवदेना एक अलग तरीके से व्यक्त करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बिल्कुल ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को छोड़ दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि इस हिंसक राजनीति को तिलांजलि नहीं दी जाती है, तो इससे हमारे लोकतंत्र का विनाश हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में सभा को जानकारी दे कि क्या घटना घटी है; क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाने आवश्यक है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा, मैं देख रहा था और आपने निर्देश भी संभवतः यही दिया है कि गृह मंत्री आकर इस पर प्रकाश डाले। वाजपेयी जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही चिन्ता का विषय है और बहुत गम्भीर है। हम अखबारों से और समाचारों में देखते आ रहे है कि राम दासजी नायक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निरन्तर आवाज उठायी है। संभवतः उच्च न्यायालय में भी वे किसी मामले को लेकर गए। मैं समझता हूं कि देश में हत्या की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, यह एक चिन्ता की बात है। सिर्फ राजनीतिक लोग ही नहीं, पत्रकार भी, जो स्पष्ट रूप से साफ-साफ बात कह रहे हैं, किसी भी जुल्म, ज्यादति और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे है, उनके ऊपर भी हमले किए जा रहे है। इसमें असामाजिक तत्वों को भी शामिल किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि वाजपेयी जी ने जो बात कही है और आप सरकार को अभी निर्देश दे कि वह फौरन इस बात के ऊपर क्या उन्होंने कार्यवाही की है और अपनी बात यहां आकर बताये।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : श्री वाजपेयी जी ने जो बात उठाई है वह एक गंभीर चिंता का विषय है। राजनीति में मतभेद तो रहते ही हैं। लेकिन एक राजनीतिक की हत्या कर देना और हिंसा का आश्रय लेने से तो हमारे लोकतंत्र की जड़े ही हिल जायेंगी। इस तरह से, यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह समूची सभा इस मामले में अपनी चिंता व्यक्त करती है।

मुझे मालूम है कि श्री रामदास नाईक को इससे पूर्व दो या तीन बार धमकी मिली थी और यह बात समाचार-पत्रों में भी छपी थी। इसलिये, राज्य सरकार को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए था* ··· **(व्यवधान)**

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तरमध्य) : वह किसी राज्य सरकार पर दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक गम्भीर आरोप है। यह बात अनाधिकारिक रूप से कही गयी है।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : मैंने चिंता इस बात पर जताई है कि उन्हें पहले कई बार धमकियां मिली थी। यह बात समाचारपत्रों में आई थी। राज्य सरकार को चाहिए था। कि उन्हें संरक्षण प्रदान करती क्या यह एक चिंता की बात नहीं है ? इसलिए, स्वाभाविक रूप से संदेह हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करने का कर्त्तव्य तो सरकार के ऊपर है।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केन्द्रीय सरकार को भी यह मामला गंभीरता से लेना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ऐसी बातें दोबारा न हों। हम सभी राजनैतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम राजनीतिक में हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगें, क्योंकि यह हमारे देश, हमारे लोकतंत्र और सभी लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री पी० जी० नारायणन (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं बम्बई में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की तीव्र भर्त्सना करता हूं। यह एक जघन्य हत्या है। दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह की राजनैतिक हिंसा सहन नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। श्री रामदास नाईक की हत्या का मतलब है कि सार्वजनिक जीवन में राजनैतिक नेताओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है।

राजनैतिक नेताओं की इस तरह की जघन्य हत्सा पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। मैं पुनः इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं।

श्री शरद दिघे : बम्बई की राजनीति में अत्यन्त सक्रिय रहे श्री रामदास नाईक पर हुए इस हमले की भर्त्सना करने में मैं विपक्षी नेताओं के साथ हूं। इस बात का पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए कि यह हमला कैसे हुआ और इसके पीछे कौन लोग है। शीघ्रातिशीघ्र जांच की जानी चाहिए और इसके पश्चात विशेषरूप से उन अन्य सभी राजनैतिक नेताओं, जो भ्रष्टाचार और इस तरह की प्रणालियों के विरुद्ध अभियान चला रहे है, की सुरक्षा पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना अथवा किसी राज्य सरकार पर आक्षेप लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जिन बातों को मैंने कार्यवाही वृत्तान्त से निकलवाया है, पुनः वही बातें कही जा रही हैं। **(व्यवधान)**

श्री शरद दिघे : लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राज्य सरकार पर आक्षेप लगाया है। **(व्यवधान)** अतः, मेरा यह आग्रह कि जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, कोई भी निष्कर्ष जल्दबाजी में नहीं निकाला जाना चाहिए।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : महोदय, मैं अपने दल की ओर से बम्बई के (भारतीय जनता पार्टी) नेता, श्री रामदास नाईक की नृशंस हत्या की भर्त्सना करता हूं।

हाल ही में विभिन्न स्थानों पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले चिरपरिचित राजनैतिक नेताओं की इस तरह की हत्या आम बात हो गई है। इस तरह कि नृशंस हत्या की सभी लोगों द्वारा भर्त्सना की जानी चाहिए। और मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और चाहता हूं कि दोषी व्यक्ति को तत्काल दंडित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो यह मामला उठाया है, निश्चय ही यह बहुत गंभीर मामला है और हम सब की उनके प्रति हार्दिक संवेदना है।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं अपनी बात भी जोड़ना चाहता हूं, मैं 4 दिन पहले आपसे इस संबंध में मिला भी था कि मेरी हत्या करने के लिए भी गुमनाम पत्र मेरे पास आए हैं, जिनको मैंने दिखाया भी था। हमारा कुसूर सिर्फ इतना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां से मैं आता हूं, वहां गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार बहुत अधिक है और हम बराबर इसका विरोध करते हैं। 15 अगस्त को जब हमारी मीटिंग हो रही थी, तब भी मैंने यह मामला उठाया था कि हमारे यहां गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके तुरंत बाद ही

हमको यह सूचना मिली कि अगर आप यहां किसी भी सभा में भाषण करेंगे और भ्रष्टाचार की बात उठाने की मांग करेंगे, तो आपको उसी सभा में उसी समय गोली मार दी जाएगी। मान्यवर, वहां की लोकल पुलिस ने हमारे घर पर अरेंजमेंट किया है। कल रात को भी मेरे यहां गुमनाम टेलीफोन आते रहें कि आपके परिवार को तत्काल उड़ा दिया जाएगा। मान्यवर ये बड़ी अजीब घटनाएं हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया राज्य सरकार को इस संबंध में गृह मंत्री जी द्वारा निर्देश दिलवाएं कि राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करे।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, हम राज्य सरकार के संपर्क में हैं। जैसे हमें पूरी सूचना मिलेगी हम वह सदन को भी देंगे। हम एक वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हमले के बारे में प्रारंभिक सूचना क्या है ?

श्री राजेश पायलट : सूचना प्रश्न काल के दौरान टेलीफोन पर आयी है। हो सकता है यह पूरी सूचना न हो। हमें अभी-अभी सूचना मिली कि उन्हें अपने घर से बाहर आते समय गोली चला कर मार दिया गया मुझे बस इतनी ही सूचना प्राप्त हुई है। मैं उनके पास चर्चा करने भी नहीं गया। केवल फोन पर ही बात हुई। अतः हम पूरी सूचना प्राप्त करके ही आपके पास आएंगे।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : हाल ही में उड़ीसा में एक पूर्व विधायक श्री चन्द्रकांत सिंह देव को उन्हीं के दल के विधायकों ने एक मंत्री की उपस्थिति में मार डाला है। इसलिये मैं यह भी मांग करता हूं कि गृह मंत्री इस मामले पर इस सदन में वक्तव्य दें कि कारण क्या था और पूर्व विधायक को क्यों मारा गया

इसी प्रकार, केवल इतना ही नहीं है कि विधायकों और पूर्व-विधायकों को ही मारा जा रहा हो, बल्कि कुछ मंत्री, जिनके सवैधानिक कर्त्तव्य और दायित्व हैं, भी कुछ विधायकों और मंत्रियों की हत्या में शामिल हैं। इसलिये, मैं अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया जाना चाहिये और कुछ अनुशासनात्मक कदम उठाए जाने चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी राजनैतिक हत्याएं करने से बचने की चेतावनी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम दास नाईक के बारे में ऐसा दुखद सूचना पाकर हमें बहुत खेद हुआ है और सदन ने बहुत सही परिप्रेक्ष्म में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस सदन के सदस्यों पर हमला हुआ है। कुछ सदस्य अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक सुस्पष्ट योजना बनायी जानी चाहिये। संसद सदस्यों के और भी अधिक बड़ा निशाना बनने की संभावना है। इस प्रयोजनार्थ विशेष व्यवस्था और योजना बना कर उन्हें राज्य सरकार से और, यदि आवश्यक हो, तो केन्द्र सरकार से भी, सुरक्षा प्रदान करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिये। सरकार द्वारा की गयी विशेष व्यवस्था की चर्चा मुझसे की जानी चाहिये। इस पर नेताओं की बैठक में भी चर्चा की जानी चाहिये।

यथोचित समय के अंदर योजना बनायी और मुझे दिखायी जाये। सरकार इस घटना के संबंध में आज ही एक वक्तव्य दे। इस घटना की अत्यंत सावधानीपूर्वक और शीघ्र जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कल सत्र का अन्तिम दिन है और हम मूल्य वृद्धि जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं हैं। लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है। सब्जियों, अनाज, चावल, गेहूं, औषधों —सभी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। गरीबों, खेतिहर मजदूरों तथा समाज

के अधिक निर्धन वर्गों की दशा शोचनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति खराब है। गरीब और मध्यम वर्गों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नहीं की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरूस्त करने के नाम पर सरकार अब इस प्रणाली को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया यह ध्यान में रखें कि इस मामले पर बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की जानी है और इस पर अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे। बहुत लम्बा भाषण न दें।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे आशा थी कि आप नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति देंगे। परन्तु समय की कमी के कारण इसकी अनुमति नहीं दी जा सकी।

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण आपको अपनी बात अत्यन्त संक्षेप में कहनी चाहिये।

श्री बसुदेव आचार्य : मुद्रास्फीति की दर में कमी हुई है परन्तु इसका आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अतः हम चाहते हैं कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाये।

महोदय, एक माह बाद, अक्तूबर में उत्सव काल शुरू हो जायेगा।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : सरकार से चीनी का फिर से आयात करने को मत कहिये।

श्री बसुदेव आचार्य : हम नहीं चाहते कि यह फिर हो। हम आत्म-निर्भर होना चाहते हैं।

12.21 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एक माह पश्चात उत्सव काल शुरू हो जायेगा। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाये जाते हैं और यदि जमाखोरों और सट्टे बाजों के विरुद्ध कुछ ठोस कदम नहीं उठाये जाते हैं तो संकट और भी अधिक गंभीर हो जायेगा तथा जनता के अधिक निर्धन वर्गों और मध्यम वर्गों की स्थिति दयनीय हो जायेगी।

पहले ही एक आंदोलन **जेल भरो आंदोलन** की शुरूआत पूरे देश में की गयी है। सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये प्रतिदिन हजारों लोग इस **आंदोलन** के अंतर्गत जेल जा रहे हैं।

कल मुझे कलकत्ता से टेलीफोन पर एक संदेश मिला कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कामगारों को पिछले दो माह से उनके वेतन नहीं मिले हैं।

औद्योगिक एकक बन्द किये जा रहे हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। लोग कहां जायेंगे? राजधानी दिल्ली में टमाटर 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जा रहे हैं। सभी सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे आलू, टमाटर, प्याज, चीनी, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद आदि अधिक मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं। चीनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है। अतः सरकार को मुद्रास्फीति रोकने, मूल्य कम करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अधिकाधिक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग लेना चाहते है। अतः, उन्हें भी बोलने दीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम लोग मांग करते रहे हैं कि चौदह आवश्यक यस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, औषधियां, अनाज, कपड़े आदि, जो लोगों की दैनिक आवश्यकताएं हैं, की सप्लाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा तथा कम मूल्यों पर की जानी चाहिये ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य महोदय, आप अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर दें।

श्री बसुदेव आचार्य : इस हेतु, सरकार को राजसहायता देने पर विचार करना चाहिये। इसलिये, हमारी यह मांग है कि मुद्रास्फीति रोकी जानी चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लानी चाहिए और सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चौदह आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजस्थान में आई भारी बरसात और उससे हुई क्षति की तरफ दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में कहीं-कहीं भारी बरसात के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसले बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मैं अपने चुनाव क्षेत्र का दिनांक 20 और 21 अगस्त को दौरा करके आया हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में छोटी-छोटी नदियां है। इन छोटी नदियों में दिनांक 19-8-1994 को भारी उफान रात्रि के समय आया, जिसके कारण रात्रि में सोये हुए लोगों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। उनके मकानों, दुकानों में पानी भर गया। बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। परन्तु उनके पास जो भी सामग्री थी वह पूरी तरह नष्ट हो गई और पानी में बह गई।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मीणा जी, यदि आप तैयार किया हुआ भाषण पढ़ते है, तो यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा। आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सभा में तैयार किया हुआ भाषण पढ़ना निषिद है। अगर आप को तैयार किया हुआ भाषण पढ़ना ही है, तो आप को इसके लिए पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा : (सलूम्बर) मेरे क्षेत्र में छोटी-छोटी नदियां है, उनमें 19 तारीख को रात्रि को भारी वर्षा होने से उफान आया और नदियों के किनारे जितने भी आदिवासियों के खेत और फसलें थी, वह नष्ट हो गई। उनके घरों में भी काफी नुकसान हुआ। इसी प्रकार हिन्दुस्तान जिंक लि० के एक बड़े पावर हाउस, जावर माइन्स के अस्पताल, बैंक और पोस्ट आफिस में पानी भर गया। उसके कारण हजारों लोगों के बैंक खाते पानी में डूब गये और करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया। खातों में जो पैसों का इन्दराज हुआ है, उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। अब राजस्थान में बी०जे०पी० की सरकार है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां की सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। केन्द्र सरकार इस मामलें में पहल करे और लोगों की मदद करें,

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मीणा जी, आप तो संक्षिप्त भाषण दिया करते हैं। आप जब कभी भी हाथ उठाते है, तो आपको बोलने का अवसर दिया जाता है क्योंकि आप बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं। लेकिन आज आप काफी समय ले रहे हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। ***(व्यवधान)**

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा। अब श्रीमती कमला कुमारी बोलेंगी।

श्रीमती कमला कुमारी करेदुला (भद्राचलम) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल में गोदावरी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण श्वम्माम और पश्चिमी गोदावरी जिलों में बाढ़ आने की खबरें आई है जिससे कतिपय गांव जलमग्न हो गये हैं और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के माल की भारी हानि हुई है। वहां राहत कार्य तत्काल शुरू करने की आवश्यकता है।

श्वम्माम जिले में भद्राचलम के निकट 47 गांव पूरी तरह से तथा 57 गावं आंशिक रूप से बाढ़ के पानी से घिर गये हैं। पश्चिमी गोदावरी जिले में कोवयूर और पोलावरम मंडल बाढ से सबसे अधिक प्रभावित हुए है। प्रभावित लोगों के लिए कतिपय राहत केन्द्र बनाए गये हैं; लेकिन अभी तक इस संबंध में उठाए गए कदम पूरी तरह से अपर्याप्त है। पीड़ित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास हेतु केन्द्र द्वारा और अधिक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

गोदावरी और साबरी नदियों से प्रतिवर्ष मेरे निर्वाचन-क्षेत्रों भद्राचलम में भारी तबाही और नुक्सान होता है। मैं चाहता हूं कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास का कार्य स्थायी रूप से कर दिया जाये। भद्राचलम पर प्रति वर्ष बाढ़ का सबसे बुरा असर पड़ता है।

यदि पोलावरम परियोजना पूरी कर दी जाये, तो यह समस्या हल हो जायेगी। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अन्बारासु अब बोल सकते हैं। अन्बारासु महोदय, आप तैयार किए गये भाषण से नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री आर० अन्बारासु (मद्रास मध्य) : श्रीमान् मैं तैयार किए गए भाषण को नहीं पढूंगा।

महोदय, मैं बड़ी पीड़ा और दुःख के साथ आपका और इस सामान्य सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज रेल मंत्रालय बड़ी जीर्ण अवस्था में है। दक्षिण रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक परीक्षा आयोजित की थी और लगभग 1000 लोग उसमें उत्तीर्ण हुए थे। उनके इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् रेलवे ने उन्हें एक और परीक्षा में बैढने के लिए कहा है। इस पर वे अभ्यर्थी उच्च न्यायालय और तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय में गये। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि उन सभी लोगों को जिन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, नियुक्ति दी जानी चाहिए। रेलवे अधिकारियों ने प्रतिशोध स्वरूप उन सभी अभ्यार्थियों को अमृतसर और वाराणसी जैसी और इसी तरह की जगहों पर नियुक्त किया है जबकि यह परीक्षा दक्षिण रेलवे क्षेत्र में रिक्त पदों के लिए ही ली गई थी।

महोदय, रेलवे विभाग में इस तरह की बातें आम है। अतः मेरा आग्रह है कि रेलवे विभाग में व्याप्त इन विसंगतियों की जांच करने, तथा उन विसंगतियों को ठीक करने तथा उन अभ्यार्थियों जिन्होंनें दक्षिणी रेलवे भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की को न्याय देकर उन्हें दक्षिण क्षेत्र में ही तैनात करने संबंधी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए। धन्यवाद।

***श्री वी०एस० विजयराघवन** (पालघाट) : केरल में छोटे मूल्य-वर्ग के नये करेंसी नोटों की भारी कमी है। एक रुपया, दो रुपये और पांच रुपये के नये करेंसी नोट बैंकों में उपलब्ध ही नहीं है। बैंक अधिकारी कहते है कि त्रिवेन्द्रम स्थित भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गम विभाग नये करेंसी नोट जारी ही नही कर रहा है। इस कारण

* मूल रूप से मलयालम में दिए गए भाषण का अग्रेजी अनुवाद

राज्य में फटे पुराने नोट ही प्रचलन में हैं। इससे गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। ग्राहक और व्यापारियों तथा बस कंडक्टर और यात्रियों के बीच झगडा होना आम बात हो गई है। यहां तक की बैंक भी ऐसे नोट नही ले रहे है। व्यापारियों के पास फटे पुराने नोटों के बंडल इकट्ठे हो गये हैं। सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक को केरल स्थित बैंकों को छोटे मूल्य वर्ग को नये करेंसी नोट सप्लाई करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना चाहिए कि छोटे वर्ग मूल्य के सिक्के की नियमित सप्लाई की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जैसा दूरदर्शन पर नेशनल न्यूज़ के समय "सत्य शिव सुन्दरम्" लिखा हुआ आता है और यह दूरदर्शन पर पिछले 32 वर्षों से दिखाया जा रहा है, परंतु पिछले एक दो महीने से इस "सत्य शिव सुन्दरम्" को दिखाना बंद कर दिया है। यह किनके दबाव में हुआ, यह मैं नहीं जानता पर मैं इतना जानता हूं कि आज से दो वर्ष पहले भी इसमें "शिव" की जगह "प्रिय" कर दिया गया था और "सत्य प्रिय सुन्द्रम्" दिखाया जाता था। मतलब कहीं न कहीं इनको "शिव" से ऐलर्जी है और इसके कारण इसको बंद किया गया है।

उपाध्यक्ष जी, जब मैंने दो वर्ष पूर्व यह मुद्दा उठाया था तो मंत्री महोदय ने कहा था कि हमने "सत्य प्रिय सुन्दरम्" नहीं किया है और वही "सत्य शिव सुन्दरम्" चल रहा है। परंतु वह "प्रिय" किया गया था और देश में सब लोगों ने उसको देखा था और उसके बाद मंत्री महोदय ने एक पत्र द्वारा मुझे बताया था कि हम उसको जारी रखेंगे पर उसके बाद अचानक इसको बंद कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इतने राष्ट्रीय महत्व की चीज़ का निर्णय क्या अधिकारी अपने स्तर पर ही कर लेते है या मंत्री महोदय के स्तर पर यह पहुंचता भी है ? इसकी जांच की जाए कि -"सत्य शिव सुन्दरम" किनके आदेश से हटाया गया और मैं मांग करता हूं कि इसको दूरदर्शन पर पुनः प्रतिष्ठित किया जाए।

[अनुवाद]

डा० जी०एल० कनोजिया (खीरी) : श्रीमान् धन्यवाद महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा का ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कनोजिया, आपको मालूम है कि मैं तीसरी बार इस सभा में यह बात दुहरा रहा हूं कि शून्यकाल में तैयार भाषणों से बोलना स्पष्टतः मना है।

[हिन्दी]

डा० जी०एल० कनोजिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बार जो यू०पी०एस०सी० की प्रिलिमिनेरी परीक्षा हुई है उनमें ओ०बी०सी० का एक भी कैण्डीडेट नहीं लिया गया है। जबकि 2693 कैण्डीडेट्स को लेना चाहिए। एस०सी०एस०टी० में कैण्डीडेट लिये गए हैं और ओ॰न केटागरी में भी लिये गए हैं लेकिन ओ०बी०सी० का एक भी नहीं लिया गया है। 1225 कैण्डीडेट जो लिये गए है वह केवल ओपन जनरल कंपीटीशन में सेम स्टैण्डर्ड द्वारा ही आए है। मैं जब सचिव साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई रिलेक्सेशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एस०सी०एस०टी० के साथ जो हुआ था कि 1949 में फैसला हुआ था और 1961 में लागू हो पाया नहीं वही न हो। मेरे पास इनके अर्द्ध शासकीय पत्र और कार्यालय ज्ञापन है जिसमें साफ लिखा है कि —

[अनुवाद]

जो छात्र सामान्य स्तर की खुली प्रतियोगिता में अन्य छात्रों के साथ बैठे हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी अन्य पिछड़ी जातियों के एक भी उम्मीदवार को नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

जब ये नहीं लिये जाएंगे तो उसी तरह से होगा जिस तरह से एस०सी०एस०टी० में 13 साल का डिले हुआ था और बाद में जब हम इसे लागू करेंगे तो यह रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी सरकार से मांग है कि इनको क्यों नहीं लिया गया है ? इसके लिए मैं यू०पी०एस०सी० के सचिव से मिला और प्रधान मंत्री को भी एक पत्र लिखा है और हम केसरी जी से भी मिले हैं। कल अल्वाजी से मिले थे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

डा० जी०एल० कनोजिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने समस्या प्रस्तुत कर दी और उसका समाधान भी दे दिया। अब समस्या को हल करना सरकार पर निर्भर करता है। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान 12 अगस्त, 1991 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित संकल्प की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के नामों की सूची मेरे पास है। मैं तदनुसार उनको नाम लेकर बुला रहा हूं। नियमानुसार यदि किसी नियम का पालन नहीं होता है तो उसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है। एक बार ऐसे ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। शायद आप सबको इसका पता है। इसलिए मुझे नियमों का उल्लंघन, मत करने दीजिए।

श्री मानवेन्द्र शाह : महोदय, 1991 के संकल्प के द्वारा उत्तरांचल बनाने की केन्द्र से सिफारिश की गई थी। यदि यह सिफारिश मान ली गयी होती तो आरक्षण के मुद्दे पर स्थिति नहीं बिगड़ती। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार बार-बार कह रही है कि वे हमारे लिए उत्तराखंड बनायेंगे। परन्तु दुर्भाग्यवश इस मुद्दे पर उनका अस्थिर रवैया है क्योंकि या तो वे इसके बारे में गम्भीर नहीं हैं अथवा वे आरक्षण, रोजगार और अन्य मामलों में हमें सम्पन्न कार्य सौंपना चाहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को मजबूरन उग्र ढंग से प्रतिक्रिया करनी पड़ी और उत्तर प्रदेश सरकार ने विवश होकर परसों एक संकल्प पारित किया जिसमें बहुमत से उत्तराखंड बनाने की सिफारिश की गई है। इसलिए मैं भी केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता हूं कि उन्हें भी कम से कम इस मामले में तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। अन्यथा स्थिति यथावत बनी रहेगी। **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इसका जबाब दे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसको कार्यान्वित करें।

मानवेन्द्र शाह : महोदय, हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करें। और मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री महोदय यथाशीघ्र इसका सकारात्मक उत्तर देंगे। **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, आप केन्द्रीय सरकार को निर्देश दीजिए कि वह इस पर वक्तव्य दें। सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देने हेतु निर्देश दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : उपाध्यक्ष जी, आज सारे उत्तरांचल मे आग लगी हुई है, मेरी कांस्टीटूएसी में 7 दिनों से बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। हजारो लोग सड़कों पर आ गये है। अनेक जगह धरने दिये जा रहे हैं। सारे उत्तरांचल में आग लगी हुई है ....

(व्यवधान)

डा० जी०एल० कनोजिया : उपाध्यक्ष जी, वहां बहुत गम्भीर स्थिति है और यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जिस पर केन्द्र सरकार को तुरन्त कदम उठाना चाहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं हैं मैंने माननीय सदस्य, श्री हाराधन राय का नाम पुकारा है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अनेक महिलाओं के सिर फोड़ दिये गये है। पिछले 15 दिनों से वहां लोगों का रोटी खाना मुश्किल हो गया था। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। खन्डूरी जी, क्या यह अनुमेय है ? मैंने श्री शाह का नाम पुकारा है और उन्होंने तथ्य बताए हैं। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं जो इस मामले को किसी अन्य मंच पर उठाइए। शून्य काल का मतलब यह नहीं है कि आप इस मुद्दे को उठाये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि सदस्यों में उत्तेजना है और वह उत्तेजना अकारण नहीं है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आन्दोलन चल रहा है, हड़ताल है, काम-काज ठप्प है और यहां तक कि सरकारी कर्मचारी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति को लेकर पैदा हुई है। वह नीति आरक्षण से संबंधित है। सभी दल आरक्षण के पक्ष में हैं, सभी दल आरक्षण के समर्थक है लेकिन उत्तरांचल की विशेष परिस्थितियों में, कौन से कदम उठाये जाये, इस पर विचार बहुत आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश की असैम्बली ने कल फिर एक प्रस्ताव पास किया है कि प्रथक उत्तरांचल का निर्माण होना चाहिये, अलग राज्य बनाना चाहिये। जब हमारा वहां बहुमत था, हमारी सरकार थी तब भी हमने एक प्रस्ताव

पास करके केन्द्र के पास भेजा था। लेकिन केन्द्र फैसला नहीं करता है और मामला लटकाये रखता है। आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो नीति है, उसकी कांग्रेस पार्टी आलोचना व विरोध कर रही है। एक तरफ वह आलोचना कर रही है और दूसरी तरफ सरकार को समर्थन भी दे रही है और यहां पर चुप्पी साधे बैठी है।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति विस्फोटक है और अराजक तत्वों के हाथ में जा सकती है सत्र कल समाप्त होने वाला है। उत्तरांचल की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में आप सरकार को निर्देश दे कि वह इस पर एक वक्तव्य दे जिससे सदस्यों की समस्याओं का समाधान हो सके व उनको संतोष प्राप्त हो सके

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गंभीर है। उत्तरांचल में आंदोलन चला हुआ है कि वहां पर एक अलग सूबा बनाना चाहिए। आरक्षण के नाम पर उनका जो गुस्सा फूटा है,वह अकेला मामला नहीं है। आरक्षण को टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। यह सिद्धांत तो सूबे का है। सिद्धांततः यह बात ठीक नहीं है कि किसी एक जिले में जहां एक कास्ट की आबादी रहती है, उसको उस जिले से बाहर नही किया जा सकता। आरक्षण के मामले पर मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि इसे टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन उत्तरांचल के लोगों की जो मांग पृथक् सूबा बनाने की है अगर वह कर दी गयी होती तो आरक्षण का सिद्धांत भी वहां ठीक से लागू होता और इस सिद्धांत पर बिगाड़ पैदा न होता।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपके पास दोनों सरकारों-भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दो बार यहां यह प्रस्ताव पास करके भेजा और वहां के लोग आजादी से लेकर आज तक की सब चीजों में हिन्दुस्तान के बड़े हिस्से रहे हैं, पूरे देश भर में वे काम करते हैं तो यह उन लोगों की भावनात्मक मांग है कि उनका सूबा पृथक् किया जाये। आरक्षण के नाम पर बदनाम करवाने के लिए आप इसको लम्बा खिंचवा रहे हैं। पूरे देश में इस आग को फैलाना चाहते हैं और एक विग्रह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं।

समाज में जो समरसता बनी है, आरक्षण के नाम पर जो एक आम राय बनी है, यदि लगातार इस तरह से काम होगा तो यह आम राय टूट सकती है। जब इस पर आम राय है, आम सहमति है तो केन्द्रीय सरकार विरोधी दलों के सारे लोगों को बुलाकर उसको हल क्यों नहीं करती ? आरक्षण जैसा बड़ा सिद्धांत हजारों बरसों से दबाये हुए वे कुचले हुए लोगों का है, उनको यह अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है। आज उस अधिकार के खिलाफ पूरे देश में प्रचार हो रहा है।

इस देश में कुछ ही लोग है जिनका इरादा इन गरीब दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने का नहीं है। यह सच्चाई का बहाना बनाकर उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूं कि उत्तरांचल के लोगों की भावना पृथक् सूबा बनाने की थी। आप उस सूबे को मान्यता देने का काम क्यों नहीं करते ? क्यों आप उसमें आग लगा रहे हैं ? अटल जी ने ठीक ही कहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य प्रस्ताव पास करके यहां भेज देते हैं और यहां आकर वह आंदोलन में शरीक होकर आग लगाने का काम करते है। उन्होंने कम्पयुनज्यिम के नाम पर देश को बिगाड़ने का काम किया है।

हिन्दुस्तान में जाति व्यवस्था एक बीमारी है। इस बीमारी से ऊपर उठने के लिए इसके समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। आरक्षण एक लोकतंत्रीय व्यवस्था का एक रास्ता है जिसको हमारे संविधान और हमारे पुरखों ने दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत गंभीर है। इस मामले को सरकार जिस तरह से टालने और देखने का काम कर रही हैं, निश्चित तौर पर उसमें आग लगाने का काम कर रही है। सरकार आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी को लड़ाने का काम कर रही है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल इस मामले को हल करके वहां पृथक सूबा बनाये जिससे वहां के लोगों की समस्या का समाधान हो सके जिससे आन्दोलन का रास्ता दूसरी तरफ न बढ़ सके

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत गंभीर है। ··· **(व्यवधान)** हमारे सूबे से इसका संबंध है। मैं समझता हूं कि यदि सही बात, सही समय से न की जाये तो उसका परिणाम बुरा होता है और यही इस समस्या को लेकर भी हो रहा है। यही उत्तराखंड में हो रहा है। अटल जी ने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश में जब बी०जे०पी० की सरकार थी, उसने भी इस बात को कहा था कि उत्तराखंड अलग राज्य बनना चाहिये और इसके लिये केन्द्र सरकार को सिफारिश की थी। मौजूदा मुलायम सिंह की सरकार ने ही नहीं बल्कि विधान सभा ने भी एक राय से प्रस्ताव पास किया है कि उत्तराखंड अलग राज्य बनना चाहिये। जब सभी सदस्यों की एक राय हो तो केन्द्र सरकार को भी इसकी स्वीकृति प्रदान करनी चाहिये। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिये हम संविधान संशोधन करने जा रहे हैं क्योंकि वहां की विधान सभा ने एक राय से ऐसी मांग की थी। जब उत्तराखंड के लिए भी एक राय बन गई है तो क्यों केन्द्र सरकार इसमें विलम्ब कर रही है ? एक अच्छे काम को जब राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है तो समस्या गम्भीर और पेचीदी बन जाती है।

अटल जी बहुत चतुर हैं। उन्होंने बहुत चतुराई से उत्तराखंड को और आरक्षण को बैकिट में कर दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी निन्दा हो रही है या तारीफ हो रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपकी निन्दा तो कर ही नहीं सकता हूं। मैं आपकी चतुराई की प्रशंसा कर रहा हूं। यह बात सही है कि पूरे उत्तरखंड में इसको लेकर गहरा असंतोष है। लोगों की एकतरफा राय यह है कि उनका अलग राज्य बनना चाहिये मैं इस बात की मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इस को मान कर अपने दायित्व को पूरा करें। जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, अटल जी मेरी इस बात से सहमत होंगे ··· **(व्यवधान)** मैं इसमें नहीं फंसना चाहता। 27 परसैंट आरक्षण के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, यह बात बहुत साफ हो जानी चाहिये। केन्द्र सरकार अपनी नीतियों के कारण इसको लागू नहीं कर रही है। अभी डा० कनोजिया ने कुछ आंकड़े दिये। आप इसे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं ? आप फिर से दूसरा आन्दोलन शुरू करवाना चाहते हैं। आपका आरक्षण में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है। आपके ऊपर आरक्षण विरोधियों का प्रभाव पड़ता है। आप आरक्षण विरोधी आन्दोलन चलाते है। इसलिये इसको ईमानदारी से लागू नहीं करते हैं। आज इसी कारण ये समस्यायें पैदा हो रही हैं। इसके न होने से पहाड़ों के नौजवानों का नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषित किया है कि उत्तराखंड के विद्यार्थियों को 8 परसैंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल और विश्वविद्यालयों में आरक्षण मैदान में भी मिलेगा। अब अगर आप आरक्षण का विरोध करेंगे तो उनको भी इसके अन्दर नुकसान हो जायेगा।

शरद जी ने ठीक कहा कि आरक्षण के मामले को खंडित करके नहीं देखा जा सकता है। 27 परसैंट आरक्षण सारे देश में लागू करना है जबकि पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी 52 प्रतिशत है। अभी तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों की आबादी 50 परसैंट है। उनको 50 परसैंट आरक्षण वहां दे दिया गया। आजादी के 42 वर्षों के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27 परसैंट आरक्षण रखा गया है। और वह भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद किया गया। सरकार ने इस काम में विलम्ब किया। सरकार इसके लिये जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि वह 6 महीने में इसको लागू करे। अभी भी इसे लागू नहीं किया जा रहा है। आप मेहरबानी करके आरक्षण को उत्तराखंड के साथ मत जोड़िये। अगर उत्तराखंड अलग राज्य बन जायेगा तो वहां जितनी बेकवर्ड क्लासिज की आबादी होगी, उनके अनुसार उन्हें आरक्षण मिल जायेगा और यह अपनी जगह सही है।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब को जब से तीन हिस्सो में यानी कि पंजाब, हरियाण और हिमाचल प्रदेश में बांटा गया तब से उन्होंने खूब तरक्की की। इस कारण उत्तर प्रदेश और बिहार को भी कई हिस्सो में बांट दिया जाये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 10 बजे से पहले दफ्तर आए हैं उनके नाम भी सूची में हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, रामकृपाल जी पांच दिन से नोटिस दे रहे हैं लेकिन इनको मौका नहीं मिलता है। ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस पर बहस कराई जाए, तो कई व्यक्ति बोलने के लिए उत्सुक होंगे। उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल सकेगा। मैं श्री हाराधन राय को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष जी, मैं समाजवादी पार्टी का मैम्बर हूं और उत्तर प्रदेश की सरकार को यहां बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे आप इसपर बोलने का मौका क्यों नहीं देते हैं ? ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिये। यह आपकी सभा है आपने ही नियम बनाये हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने नोटिस नहीं दिया, उनको क्यों बोलने दिया जा रहा है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर सामान्य वाद-विवाद की तरह चर्चा नहीं की जा सकती है। इसमें प्रत्येक माननीय सदस्य भाग लेना चाहता है। अतः कृपया मुझे माफ करें, मैं श्री हाराधन राय को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामसागर : उत्तर प्रदेश की सरकार का मामला यहां उठाया गया है। इसपर सभी लोगों ने यहा नोटिस दिया है और आपने सब को बोलने का मौका दिया है तो मुझे मौका क्यों नहीं दे रहे हैं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी लोगों में सब्र है, तो मैं बोलने के लिए और छः नामों को पुकार सकता हूं। किन्तु दुर्भाग्यवश, हम व्यर्थ का वाद-विवाद कर रहे हैं, इससे जो आहिस्ता बोलते हैं, उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है और जिनकी ऊंची आवाज है, वे बोलते रहते हैं। ····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अतः मेरा यह कहना है कि हमारे अपने इन मित्रों पर भी ध्यान दीजिये, मेरा प्रश्न यह है कि यदि हमारे मित्रों के नाम सूची में होंगे, तो मैं निश्चिततौर पर उनका नाम भी पुकारूंगा। श्री सोमनाथ चटर्जी इस बात पर बल दे रहे हैं कि श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य और श्रीमती सुशीला को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाये। दुर्भाग्यवश, उनका नाम सूची में ऊपर नहीं है। यदि मैं सूची के अनुसार नहीं चलता हूं ····

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम सागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दो दिन पहले श्री रमेश ने इस पर स्वयं आपत्ति की थी। इसका एक तरीका होना चाहिये, इसीलिए मैंने श्री हाराधन राय को पुकारा है। उन्हें बोलना है।

[हिन्दी]

श्री राम सागर : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे आपने मौका देने का आश्वासन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आश्वासन तो दिया था, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है।

श्री राम सागर : जब यह अवसर निकल जायेगा, जब दूसरे लोग दूसरे विषय पर बोलेंगे तो उसके बाद बोलने का फायदा क्या होगा। ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा भडांरण के प्रयोजनार्थ दामोदर नदी के किनारे से बालू निकाले जाने के कारण बर्दवान जिले के रानीगंज, अन्डोले और दुर्गापुर पी०एस० में तथा इसके आस-पास नदी के बायें किनारे पर प्रायः प्रतिदिन खतरनाक रूप से भू कटाव हो रहा है। नदी द्वारा भू कटाव किए जाने के कारण कई गावों और कस्बों पर प्रभाव पड़ रहा है तथा इन्हें खतरा पैदा हो रहा है। भू कटाव के कारण हजारों हैक्टेयर कृषि भूमि तथा निकटवर्ती रिहायसी इलाका बहने के कगार पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोल रहे हैं।

श्री हाराधन राय : मैंने कई बार संबंधित मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है, किन्तु लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। मेरी मांग है कि इस संबंध में तत्काल सुरक्षोपाय किये जायें, ताकि लोगों को किसानों को तथा कृषि भूमि को कटाव से बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्त में नाम पुकारूंगा ....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामसागर : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

आज इस सदन में जो उत्तराखंड का मामला उठाया गया है, यह मामला कल भी यहां पर उठाया गया था। उत्तराखंड के आन्दोलन के मामले में यहां पर दो बाते मुख्य तौर से उठाई गई थीं। एक तो पृथक राज्य बनाने की और दूसरे आरक्षण की मांग उन लोगों की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कल भारत सरकार के पास उत्तराखंड बनाने का वहां से प्रस्ताव किया है।

जहां तक सामाजिक न्याय का मामला है, आरक्षण का मामला है, वह मंडल कमीशन के अनुसार है। मैं वहां की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि 27 परसैण्ट आरक्षण जो पूरे देश के लिए दिया हुआ है, उसे पूरे सूबे में लागू किया गया है।

1.00 म०प०

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे आप ·· छोड़ता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम सागर : जैसा कि शरद जी ने बताया और अन्य माननीय सदस्यों ने बताया, इसकी अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, जहां तक वहां के विकास का मामला है, जहां तक वहां के लोगों को सुविधायें देने के मामला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से उत्तराखन्ड के लिए वहां की समाजवादी सरकार, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया है, वह कोई भी सूबे की सरकार नहीं कर सकती है।.... **(व्यवधान)**

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : सारे उत्तरांचल में आग लगी हुई है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। वहां के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। पन्द्रह दिन से वहां आग लगी हुई है और लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब वह बोल रहे है तो क्या आपका बीच में बोलना सही है ? आप सभा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम सागर : सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी है, आबादी के हिसाब से, संख्या के हिसाब से यह पहली मुलायम सिंह जी की सरकार है, जिसने आरक्षण देने का काम किया है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, वहां, पर जो आन्दोलन चलाया जा रहा है, उसके पीछे यह साजिश है कि नौजवानों को भड़का कर, कुछ विशेष दल के लोगों के द्वारा, वहां पर जो 27 परसैंट

का आरक्षण दिया है, उसका समाज को फायदा न मिलने पाए। इसको दबाने के लिए वहां आन्दोलन किया जा रहा है और इसको तूल दिया जा रहा है। इसकी मैं निन्दा करता हूं। **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जी, यदि कोई सदस्य बोलना चाहता है, तो उसे अपना हाथ खड़ा करना होगा और जब वे अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कर लेंगे तथा जब अध्यक्ष उनका नाम पुकाऐगा, तभी वे बोल सकते है। आप जब चाहो तब नहीं बोल सकते हैं। यह प्रतिष्ठित और सम्माननीय सभा है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले हम लोगों ने पार्टीबाजी को भुलाकर विदेशी समाचार पत्रों की एन्ट्री को विरोध किया था। मैं आज एक बहुत ही सैद्धान्तिक सवाल सदन में उठाना चाहता हूं। 9वीं लोकसभा में जो सदस्य रहे होंगें, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। 12 सितम्बर, 1990 को 9वीं लोकसभा में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जो एक्ट बना था। वह प्रसार भारती एक्ट था। उस वक्त-वीपीसिंह जी कि सरकार थी और राजीव गांधी विरोधी दल के नेता थे। दोनों की साझेदारी से प्रसार भारती बिल पारित हुआ था। उस बिल को पास हुए अब चार साल हो जायेंगे। चार साल पहले लोक सभा और राज्य सभा ने प्रसार भारती बिल को पारित किया, जो 25-30 सालों के आन्दोलन के बाद हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रसार भारती एक्ट का कार्यान्वियन अभी तक क्यों नही किया गया? मैं सारे संसद सदस्यों से कहना चाहता हूं कि चार साल पहले हम लोगों ने यहां बैठकर उस प्रस्ताव को पारित किया था और एक्ट बना था, जिसका मकसद या देश में टी०वी० रेडियो को सरकारी तन्त्र से मुक्त करें। यह देश की नीति बन चुकी थी। लोक सभा, राज्य सभा में सर्वसम्मति से पारित होने के बाद वह राष्ट्र की सम्पत्ति बन गई थी लेकिन मैं आज आपके जरिए सरकार से पूछना चाहता हूं कि 4 साल बीत जाने के बाद भी उस पर कार्यान्वियन नहीं हुआ। .... **(व्यवधान)** ... कंसलटेटिव कमेटी में सरकार ने कहा कि हम अमेंडमेंट लाएंगे, उस अमेंडमेंट को कंसलटेटिव कमेटी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि प्रसार भारतीय कानून को, एक्ट को कार्यान्वियन करने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार एक बहाना बनाती है कि सेटेलाइट टेलीविजन का इन्वेंशन हो रहा है, हम क्या करें। सरकार के दिमाग में यह चीज है कि सी०एन०एन० के साथ, स्टार टी०वी० के साथ हमारे दूरदर्शन को जोडने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सेटेलाइट टेलीविजन का तो बहाना बना रहे हैं, यह असत्य है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। असल बात यह है कि सरकार ने उदारीकरण के रास्ते को अपना लिया है, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को तिलांजलि देने के लिए मान चुकी है। इसलिए मौजूदा हालत में जरूरी हो गया है, प्रसार भारती एक्ट के ऊपर कार्यान्वियन करने के लिए मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं सरकार को निर्देश दें कि सर्वसम्मत इस एक्ट को कार्यान्वियन करें।

सरकार बात स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? मेरा यह सवाल है कि इसके बारे में गवर्नमेंट क्यों नहीं देशवासियों और संसद को विश्वास में लेती है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपको यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार की साजिश है कि इस तरीके से वे उस पर कार्यान्वियन नहीं करेंगे, सर्वसम्मति से फैसले पर कार्यान्वियन नहीं करेंगे और आगे चल करके

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

टेलीविजन को विदेशी मल्टीनेशनल के तहत सौंप देंगें। इसलिए मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार प्रसार भारती एक्ट, जो हमारी सम्पत्ति है उसका तुरंत कार्यान्वयन करे। इतना ही मेरा आपके जरिए संसद और सरकार को निवेदन है। **(व्यवधान)**

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। पार्लियामेंट का जो समय है वह कुछ पार्टियों के जो लीडर है उन्हीं को दिया जाएगा, लगता है बाकी जो मेम्बर हैं ये लोग ऐसे ही चले आए हैं और जो कुछ लीडर लोग हैं वे सारा समय बर्बाद कर देते हैं।... **(व्यवधान)** ...अगर यही सिलसिला रहा तो हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे।... **(व्यवधान)** ... ऐसा लगता हैं कि कुछ लोगों को मनोपली हो गई है कि वही बराबर बोलेंगे और बाकी कोई मेम्बर नहीं बोलेगा। क्या हम लोगों को अपनी बात को कहने का मौका नहीं दिया जाएगा ? जब कोई सवाल उठता है तो पूरा बहस का मौका दे देते हैं।... **(व्यवधान)** ... ऐसा लगता है कि हम लोग पार्लियामेंट के सैकिंड ग्रेड मेम्बर हैं। इसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा, करेंगे। ... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। आज की कार्य सूची की मह संख्या-11 अर्थात् श्री सीता राम केसरी संविधान (पिचासिवां संशोधन) विधेयक पर 3 बजे से चर्चा शुरू की जायेगी। इसलिए हम आधा घन्टा और बैठेंगे।

माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया है। अतः मैं सूची में दर्ज नामों हो पढ़ता हूं। अगले वक्ताओं के नाम इस प्रकार है : श्री मंजय लाल, श्री सत्यनारायण जटिया, श्री रमेश चेन्नित्तला, श्री वीरेन्द्र सिंह, डा० परशुराम गंगवार, श्री शिवराज सिंह चौहान, मेजर जनरल खंडूरी, श्री राम टहल चौधरी तथा अन्य।

अतः अब मैं श्री मंजय लाल को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार सभी माननीय सदस्यों का नाम पुकारूंगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सूची किसने बनाई ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सूची मानव ही बनाते हैं और ईश्वर नहीं।

(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : किस क्रम से ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे और जब आप नोटिस देते हैं। श्री मंजय लाल।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें और नाम भी हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, यह सूची मनमाने ढंग से बनाई गई है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं चलेगा, आप बताइये कि सूची कैसे बनती है, किस आधार पर बनती है और आर्डर कौन तय करता है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नाम पढ़ता हूं : श्री राम टहल चौधरी, श्री राम कृपाल यादव, श्री लाल बाबू राय; श्री छेदी पासवान, श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री शरद दिघे, श्री राम प्रसाद सिंह, श्री जगमीत सिंह बरार।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं बहुत अहम सवाल यहां पर उठाना चाहता हूं, मेरा नाम क्यों काटा गया?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : सदस्यों की सूची बनाने के लिए एक विशेष विधि अपनाई जाती है अथवा इसकी कोई विधि नहीं है, क्योंकि कुछ नाम सूची में कभी नहीं दिखाई देते हैं अथवा सूची में सबसे नीचे होते हैं। श्री सैयद शहाबुद्दीन ने पूछा है कि क्या नामों को क्रमानुसार सूची करने की कोई पद्धति अथवा प्रक्रिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुकुल वासनिक को एक सुझाव देता हूं। इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखना उचित है। वह उस समिति की बैठक में यह बात उठा सकते हैं ताकि सभी को मान्य एक उपयुक्त प्रणाली तैयार की जा सके।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : जैसा कि आप सुझाव दे रहे हैं, कोई पद्धति विकसित करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं। अब, श्री मंजय लाल बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य समस्तीपुर जिले में पूर्वोत्तर रेलवे मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय है और वहां रेलवे का एक बड़ा पुराना कारखाना है। वर्ष 1990-91 में रेल मंत्रालय द्वारा समस्तीपुर में 50 डीजल शेड के निर्माण की मंजूरी दी गई थी और इसके लिए वित्तीय राशि भी आवंटित की गई थी। जमीन का प्रबंध भी हो चुका था। परंतु बाद में अज्ञात कारणों से यह काम स्थगित रहा। बार-बार सदन में इसकी चर्चा की गई, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। इधर इसी माह में रेल महा प्रबंधक गोरखपुर ने रेल मंत्रालय को समस्तीपुर में डीजल शेड की आवश्यकता को देखते हुए अपनी जोरदार अनुशंसा के साथ वहां डीजल शेड खोलने का आग्रह किया है।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि बिहार के समस्तीपुर में पूर्व-प्रस्तावित डीजल-शेड का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान कर अविलंब निर्माण के आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : लिस्ट बनाने का मापदंड क्या है ?

श्री विजय कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपने लिस्ट के अनुसार दर्जन सदस्यों के नाम लिए, लेकिन इसमें सीपीआई का एक भी नाम नहीं है। यह क्या मामला है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। आप दस बजे से पहले जाइस और अपनी याचिका पेटी में डालिए ···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नामों की सूची बनाने के बाद सूची यहां आती है। मै इस सूची के अनुसार नाम पुकारता हूं।······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियमों से हटकर कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी मर्जी से नाम नही पुकार रहा हूं। ···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए। मैंने श्री मुकुल वासकिन से कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में कोई प्रक्रिया विकसित करने का अनुरोध किया है। मेरे विचार से वह कोई प्रक्रिया तैयार कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : वे अपना अवसर नहीं खोते हैं। परन्तु हमें मौका ही नहीं मिलता है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यहां ऐसे प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

श्री उमराव सिंह : मैंने कई बार नोटिस दिए है। परन्तु मुझे मौका ही नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष जी, देश के हजारों कपड़ा मजदूर बेकार और बेरोजगारी की स्थिति में हैं। हर दिन कोई न कोई कपड़ा मिल बंद हो जाती है, उसके कारण कपड़ा मिल में काम करने वाला मजदूर बेकार हो जाता है। मजदूर चाहे एनटीसी, एसटीसी या प्राईवेट मिल में है तो उसके बारे में सरकार विचार करने के लिए तैयार नहीं है,न तो टैक्सटाईल मंत्रालय और न लेबर विभाग तैयार है? आज स्थिति यह है कि उज्जैन, इंदौर और रतलाम की मिलों का मामला बहुत गड़बड़ है। उज्जैन में विनोद और विमल मिल बंद है। उसके कारण हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं। वे मिले बंद है तो ऐसी घोषणा नहीं की गई है। उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा और रक्षा बंधन पर भी पैसा नहीं मिला है। नागदा में स्थिति और विस्फोट हो गई है। वहां पर ग्रेसिम में हजारों की संख्या में काम करने वाले मजदूरों के बारे में कोई सुनने के लिए तैयार नही है। वहां पर हमने सरकार से, लेबर कमिश्नर से और वहां के संभाग आयुक्त से बात की है, लेकिन कोई मैनेजमेंट या सरकार हल नहीं निकाल रही है। हजारों मजदूर भूखमरी की स्थिति में आ गए हैं और स्थिति विस्फोटक बन गई है। ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे क्यों दोहरा रहे हैं ? आप किसी अन्य सदस्य का समय क्यों ले रहे हैं ? यह बहुत ही गलत बात है। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए और अपने साथियों को भी वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इन मजदूरों के बारे में कोई न कोई बोलने के लिए तैयार हो और ग्रेसिम के मजदूर बेकारी से परेशान हो रहा है जबकि वहां पर उत्पादन बंद हो गया है। इसके बारे में कोई न कोई जवाब दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। सौभाग्य से हमारे पर्यावरण मंत्री यहां उपस्थित हैं। हमारे देश में अत्यधिक जैव-विविधता है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत गर्व है।

महोदय, कुछ विदेशी एजेंसियों के बारे में चौंकाने वाली रिपोर्टें मिली हैं कि ये इन संसाधनों का दोहन करके काफी मुनाफा कमा रही हैं और यह हमारे देश के हित में नहीं होगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय औषध कंपनियों के बारे में ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि वे लाखों डालर मूल्य की दवाइयां बनाने के लिए हमारे वन संसाधनों का दोहन कर रही हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और समुद्री जीव शामिल हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। भारत से राडवोईफा सर्पेन्टीना' नामक पौधा, जिससे कुछ औषध बनते हैं, केवल अमरीका में ही इसकी सालाना 260 डालर मूल्य की बिक्री होती है। 'हमारे देश से भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से इन एजेंसियों द्वारा ऐसे पोधों की तस्करी की जाती है।

दूसरी प्रकार की रिपोर्टें भी आ रही हैं जिनमें कुछ जापानी और जर्मन एजेंसियों द्वारा देश से भारी संख्या में दुर्लभ तितलियों और कीड़ों की तस्करी किए जाने की बात कही गई है। इन्हें हिमालय क्षेत्र से पकड़ा गया हैं। वैज्ञानिकों को यह आशंका है कि इन कीड़ों का आनुबंशिक परिवर्तन किया जा सकता है और इनसे भारतीय फसलों पर जैबिक आक्रमण किया जा सकता है। यह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह समृद्ध जैव-विविधता को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह एक गम्भीर मुद्दा है और वे इस सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्रीकमलनाथ) : महोदय, यह सच है कि हमारा देश इन मामलो से चिन्तित है। हमने जैव-विविधता के सम्बन्ध जनवरी 1992 में हुए अन्तराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षार किए हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारा मंत्रालय जैव-सामग्री अर्थात् अनुवांशिक संसाधन अथवा अनुवांशिक सामग्री जो हमारी जैव-प्रौद्योगिकी का आधार है, का देश से ब्राहर अवैध निर्यात रोकने के लिए कानून बना रहा है। हमने अपने निर्यात-आयात विनियमों संबंधी आदेश जारी करने पर विचार किया है। इसे वाणिज्य मंत्रालय को भेजा गया है। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी है। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि कई कंपनियां, बिना उचित नियंत्रण और प्रतिबंध के, हमारे बहुमूल्य आनुवांशिक संसाधन ले जा रही हैं। इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि अगले सत्र तक इसके नियंत्रण हेतु विधान ला सकूंगा। इस दौरान इस दिशा में हम आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत यथासम्भव प्रयास कर रहे हैं।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय कृपया मुझे केवल दो मिनट के लिए बोलने की अनुमति दीजिए। मैं उड़ीसा के गजपति जिले में महेन्द्रगिरि पहाड़ियों की अद्वितीय जैव-विविधता के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। इन पहाड़ियों पर बड़ी संख्या में जीव-जन्तुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां हैं जो तेजी से लुप्त हो रही हैं। मैंने इससे पहले भी माननीय पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया था और मैंन उनसे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी अनुरोध किया था। अब, मै उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे महेन्द्रगिरि पहाड़ियों को जैव-आरक्षित क्षेत्र घोषित करें।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं सवाल उठाना चाहता हूं वह देश के सम्मान के लिए चिन्ता की बात हैं मैं नवम्बर, 1994 में हिरोशिमा में होने वाले एशियाड के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे पहले बीजिंग में जो एशियाड हुए थे उसमें भारत की जबर्दस्त पराजय हुई थी। बार्सिलोना के ओलम्पिक में भी ऐसा ही हुआ था। उसकी सदन में काफी चर्चा हुई थी। हिरोशिमा एशियाड के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया था और कहा गया था कि प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे। जिस तरह से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था को देखते हुए फिर से देश की पराजय के संकेत मिल रहे है। खेलों की व्यवस्था तीन विभागों में विभक्त है। एक खेल प्राधिकरण है, दूसरा खेल मंत्रालय है, जिसके मंत्री मुकुल वासनिकजी हैं, जो यहां बैठे हुए हैं, तीसरा खेल संघ है। तीनों विभागों में खेल से सम्बन्धित जानकार व्यक्ति नही हैं। इसका जीता-जागता प्रमाण एक उद्योगपति हैं, इनको खेलों की व्यवस्था की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का काम * देखते हैं, जो इसके महानिदेशक हैं, एक आई०ए०एस० अधिकारी हैं, इनका कभी खेल से सम्बन्ध नहीं रहा। ऐसे ही * हैं, उनका भी कभी खेलों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। एथेलेटिक्स संघ के अध्यक्ष हैं, उनका खेल से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रहा। बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष * हैं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इन नामों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नियमानुसार उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है जो यहां अपने बचाव के लिए उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह : यह चिन्ता का विषय है। यह रिकार्ड में आना चाहिए। यह क्यों नहीं रिकार्ड में आ सकता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : इन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। यह खिलाड़ियों का अपमान होगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उनके नामों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। इसे कार्यावाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह : एक खेल संघ के अध्यक्ष भी विद्याचरण शुक्ल हैं। इनका भी खेलों से कभी कोई

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सम्बन्ध नहीं रहा। खेलों का सवाल हिरोशिमा एशियाड में पराजय का नहीं है, यह देश के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। अगर यह सवाल हल नहीं होगा तो भविष्य वासनिकजी आपसे और नरसिंह रावजी से सवाल पूछेगा। यह भविष्य की पीढ़ी के लिए खतरनाक होगा। चीन जब आजाद हुआ तो उसने योजना बनाई कि हम तीस-पैंतीस साल तक ओलम्पिक वगैरह में भाग नहीं लेंगे। आज आप देखिये कि वह खिलाड़ियों का देश बना हुआ है। इसलिए यह सवाल देश के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। इसको शीघ्र हल करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : मैं, माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा अभी-अभी खेलकूद के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा और माननीय सदस्य और इस सभा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम भारतीय खेलकूद के स्तर को बढ़ाने के लिए हर सम्भव कदम उठाएंगे जिससे हम अपने खिलाड़ियों और उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रदर्शन पर गर्व कर सकें। यहां मैं सभा के सूची सदस्यों से यह अपील करता हूं कि यह पूरे देश का प्रयास होना चाहिए और यदि हम केवल किसी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद के समय पर या उससे पहले अथवा बाद में ही खेलकूद से संबंधित कोई मामला उठाएंगे तो हमारी उम्मीदों को पूरा करने में हमारे प्रयास अधूरे रहे जाएंगें। इस मामले में लगातार बातचीत और प्रयास अपेक्षित है। अन्यथा, यदि हम एशियाई खेलों के एक महीने पहले पदकों और खेलों की समाप्ति के एक दिन बाद ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करते हैं तो इससे देश में खेलकूद का अच्छा माहौल बनाने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। महोदय, हमारे देश की जनसंख्या 90 करोड़ है। पहले हमें यह सोचना होगा कि इन 90 करोड़ लोगों में कितने लोग विद्यालयस्तर और महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद में भाग लेते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अपने-अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय खेल-कूद में विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर अधिकाधिक छात्र भाग लें।

हमनें राष्ट्रीय स्तर पर के०पी० सिंह देव समिति की सिफारिशों को पहले ही स्वीकार कर लिया है जिसमें यह कहा गया है कि खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसे पाठ्यक्रम में यथाशीघ्र शामिल करने के सम्बन्ध में भी हम राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जब तक खेलकूद के लिए व्यापक आधार नहीं होगा तब तक उच्च स्तर पर इसे उपयुक्त स्तर तक नहीं लाया जा सकेगा।

इसलिए, महोदय, हम अपने खेलकूद के स्तर के बारे में बहुत चिंतित हैं। हमने संघों को निर्देश जारी किए है कि वे चार वर्षो की दीर्घावधिक योजनाएं तैयार करें क्योंकि एक वर्षीय योजनाओं से कोई परिणाम नहीं निकलेंगे। हमनें उनको यह भी निर्देश भी दिया है कि वे दस से पन्द्रह वर्षीय संदर्शी योजनाएं तैयार करें ताकि खेलकूद के विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घावधिक विकास परिलक्षित हो सके।

महोदय, हम इस मामले में सुझाव देने वाले विभिन्न सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे और मैं इस सम्बन्ध में सभी लोगों के सुझावों का स्वागत करता हूं। इन संघों का काम मुख्य रूप से हमारे एथलीटों को प्रशिक्षण देना है, लेकिन जो भी जिम्मेदारी हमें दी जायगी हम उसे निभायेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : एक राष्ट्रीय खेल नीति क्यों नहीं बनायी जाती हैं ? सब कुछ दिल्ली या बम्बई के लिये है, रूरल ऐरिज के लिए कुछ नहीं है।

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पं० गोविन्द वल्लभ पंत

विश्वविद्यालय, पंत नगर, जिला नैनीताल (उ०प्र०) में कार्यरत सह प्राध्यापक की काली करतूतों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इन प्राध्यापकों द्वारा 10 वर्ष पूर्व एक छात्रा कुमारी रश्मि अग्रवाल, जिला पीलीभीत के साथ कुकृत्य किया गया और उसकी मौत हो गयी। उसके बाद अब से दो वर्ष पूर्व कुमारी अनुभा गुप्ता, हज़ारा कबीरगंज, पूरन पर जिला पीलीभीत के साथ उसी प्राध्यापक ने यही कुकर्म किया और उसकी भी मृत्यु हो गयी। उसके बाद कुछ समय पहले श्री आन्नद सिंह रावत की पुत्री, जो बी०एफ०एस०सी० में प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और आयु 20 वर्ष है तथा इंट्रोडक्टरी कम्प्यूटर में ट्रेनिंग कर रही हैं, उसको बुलाया कि वह गणित में कमजोर है, इसलिये अकेले में आकर पढ़ों। उसके न मानने पर क्लास में छेड़खानी की गयी तथा यह क्रम जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इस सदन के माध्यम से मांग है कि उपरोक्त दोनों मौतों की जांच कराई जाये और दोषी प्राध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही दुख के साथ इस मामले को उठा रहा हूं कि कल प्रश्नकाल में आदिवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात हो रही थी लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात तो दूर रही, उनको दो जून की रोटी तक मुहैय्या नहीं करायी जा रही है। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय , आंदिवासी जिला बस्तर के गांव राजापुर में एक विधवा आदिवासी महिला को 7 दिन भूखा रहने के कारण जान से हाथ धोना पड़ा। वह भूख के मारे तड़प-तड़प कर मर गयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सभी विकास के कार्य ठप्प पड़े हैं। काम के अभाव में आदिवासी लोग रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं और रोजी रोटी न मिलने पर भूखों मर रहे हैं। जब उन लोगों को काम नहीं मिला तो पेड़ों की जड़ें और वन के बीज खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आदिवासी महिला भी तीन महीने से काम की तलाश में भटक रही थी, काम न मिलने के कारण कुछ दिन वन्य बीज उबालकर खाकर अपना पेट भरा किन्तु अत्यधिक कमजोर होने के कारण फिर वन्य बीज एकत्रित करने के लिए न जा सकी और अंततः भूख से तड़प-तड़प कर प्राण त्याग दिए। लोग उसकी लाश को उठाकर जगदलपुर ले गये। उसका पोस्ट मार्टम भी इसलिये किया गया ताकि असलियत सामने न आ जाये। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी तब भूख से मोत का समाचार सुनकर प्रधानमंत्री जी ने सरगुजा जिला का दौरा किया था, अब भी यदि उनमें संवेदना बाकी है तो तत्काल बस्तर का दौरा करें और वहां भूख से हुई मौतों की जांच करें। माननीय प्रधान मंत्री जी जगदलपुर-बस्तर जाकर देखें कि यहां आदियासी भूख से किस तरह तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। उसकी जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि भूख से कोई आदियासी न मरे।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : मेरे खरगोन जिले में भी एक आदियासी की भूख से मौत हो गई है। **(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बोलने के लिए यहां समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1970 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जब वहां महात्मा गांधी सेतु का शिलान्यास करने गई थी जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम कर रहा है, उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि हम केन्द्र की सहायता से पटना में गंगा के किनारे दानापुर से लेकर फतुहा तक एक बड़ी सड़क का निर्माण करेंगे और इस सड़क का निर्माण हो जाने से शहर पर उत्तरी इलाके के लोगों के आने

का दबाब घट जायेगा। मगर आज करीब-करीब 24 साल हो गए। तत्कालीन प्रधान मंत्री की घोषणा ही रह गई। कई बार इस ओर केन्द्र सरकार का ध्यान खींचा गया मगर केन्द्र सरकार का ध्यान बिहार और पटना की गरीब जनता की ओर नहीं गया। जिस तरह से बंबई में समुद्र के किनारे एक बड़ी सड़क का निर्माण किया गया है जिससे बंबई शहर की जनसंख्या का दबाव यातायात पर कम होता है। उसी तरह से पटना शहर और बिहार के उत्तरी इलाके की जनता के आने से यातायात पर काफी दबाव पड़ रहा है। जनसंख्या 1970 के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। यातायात की समस्या वहां पैदा हो गई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि एक विशेष परियोजना के तहत तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिहार की जनता को और पटना की जनता को जो उपहार स्वरूप देने का काम किया था, वह कार्य केन्द्रीय सरकार तत्काल जनहित में पूरा करे जिससे पटना की जनता और बिहार की जनता को जो संकट शहर में उठाना पड़ रहा है वह दूर हो सके और गंगा के किनारे एक खूबसूरत सड़क बने जिससे पटना शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी और यातायात के दबाव में भी कमी आएगी। यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने मेरा नाम पुकारा था तो चौथे नंबर पर था अब नौवें नंबर पर कैसे आ गया ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री, यदि आप इच्छुक हैं तो मै आपको एक लिस्ट भेजूंगा जो मेरे पास है तथा उससे अलग हटकर यदि कुछ हुआ तो आप मुझे जिम्मेदार मान सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के वैशाली लोक सभा क्षेत्र में जनता दल के उम्मीदवार की हार से बौखलाकर * व्यापक हिन्सा और आतंक का माहौल व्याप्त है।

चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत साहेबगंज थाना के धरमपुर गांव में बिहार पीपल्स पार्टी समर्थित खखन बैठा की निर्मम हत्या जनता दल के समर्थक अपराधियों ने कर दी। नामित अभियुक्त खुले-आम घूम रहे हैं। अब तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है।

25 मई को चुनाव के दरम्यान ही वैशाली जिलांतर्गत वैशाली थाने के वैशाली गांव के श्री बबलू का अपहरण कर लिया गया जो आज तक लापता है। बबलू का अपराध सिर्फ इतना था कि वह बिहार पीपल्स पार्टी का समर्थक था।

चुनाव के बाद 29 जून को मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत पारू थाने के डुमरी गांव के बालेश्वर सिंह का अपहरण* के समर्थकों ने कर लिया। गंडक नदी पार कराते समय श्री सिंह ने अपनी जान बचाई। उसी तरह वैशाली जिलांतर्गत भागवानपुर थाने के खिरखौआ ग्राम निवासी नवीन सिंह का अपहरण कर लिया गया जिसे बाद में बिहार पीपल्स पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा नेशनल हाईवे जाम और व्यापक आंदोलन के दबाव के कारण छोड़ दिया गया। परंतु इन दोनों मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक शब्द या वाक्य है तो यह कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद (वैशाली) : 1 जुलाई, 1994 को पारू थाने के मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत उस्ती गांव के बिहार पीपल्स पार्टी समर्थक एक किसान जयनारायण सिंह और 3 जुलाई, 1994 को साहेबगंज थानांतर्गत माधोपुर हजारी के मेरे समर्थक शंभु सिंह का * अपराधी गिरोह द्वारा अपहरण कर 4 जुलाई की सुबह पारू थाने के रामचन्द्रपुर गांव में एक पेड़ से लटकाकर गोली मारकर जघन्य हत्या कर दी गई। इस मामले में भी अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य विधान सभा में उठाने का है न कि संसद में, और इसका उत्तर यहां कौन देगा। .... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद : मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि बिहार* में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए शीघ्र कार्यवाही करे तथा संबंधित मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसका यह अर्थ नहीं है कि आप नियमों का उल्लंघन करें।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद : मैं अनुरोध करती हूं कि * जंगल राज को खत्म करने और निर्दोष लोगों की हत्या तथा सामान्य लोगों में व्याप्त आतंक को समाप्त करने के उपाय किये जायें

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह किसी राज्य के खिलाफ है, तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद : मैंने नोटिस दिया है। मैं चूंकि बिहार प्यूपिल पार्टी की अकेली सदस्य हूं इसलिये मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। यह सभा राज्य से संबंधित किसी मामले पर यहां चर्चा करने की अनुमति नहीं देगी। अतएव मैं आपत्तिजनक माग को कार्यवाही वृत्तांत से निकालता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं हैं, मेरी मांग है कि उनके नामों को कार्यवाही से डिलीट किया जाये। यहां नई परम्परा न डाली जाए। नए सदस्यों को ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग कैम्प लगाया जाय।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपत्तिजनक भागों के कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : लोकसभा के नए सदस्यों को ट्रेनिंग कैम्प लगाकर प्रशिक्षण शिविर लगाकर ट्रेनिंग दी जाय कि किसी राज्य के मामले को यहां कैसे उठाया जा सकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, यदि यह राज्य से संबंधित है,तो ऐसी चीजों को कार्यवाही वृत्तांत से निकालना पड़ेगा। मैने ऐसा किया है, आप चिता न करें। यह कार्यवाही वृतात्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री खंडूरी

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान सोमालिया में मारे गए। सैनिकों की ओर दिलाना चाहूंगा। सात लोग सोमालिया में मारे गए हैं तथा उनमें से छह गंभीर रूप से घायल हुए है। महोदय, यह पहली बार हुआ है कि भारतीय सैनिक देश के बाहर मारे जा रहे हैं। चार लोग पहले भी सोमालिया में मारे गए थे, चार कम्बोडिया में मारे गए थे तथा दो मोजाम्बिक में मारे गये। महोदय, यह काफी आश्चर्य की बात है कि भारतीय सैनिक जिन्हें देश के अन्दर ही काफी परेशानी उठानी पड़ती हैं, जिनका देश के अन्दर ही सही या गलत ढंग से उपयोग किया जाता है उन्हें विदेश में ऐसी लड़ाइयां लड़ने के लिए भेजा जाता है जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है।

जब यह दल सोमालिया भेजा जा रहा था तो हमने सरकार को सलाह दी थी कि वह "उन्हें न भेजें, यह हमारी लड़ाई नहीं है। हमारे सैनिकों को बिना जरूरत के मौत से न भिड़ने दें।" लेकिन इस सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी। अब तक हमारे 17 आदमी बिना किसी कारण के मारे जा चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल अब समाप्त होता है। मैं माननीय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, को वक्तव्य देने के लिए बुलाया हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष जी, मैं लगातार 3-4 दिन से नोटिस दे रहा हूं लेकिन मेरा नाम नहीं पुकारा जाता है। मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं।

[अनुवाद]

नहीं नहीं। यह असंभव है। यह कब तक चल सकता है ? इसे समाप्त होना ही चाहिए।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

1.41 म०पू०

[अनुवाद]

(1) पाकिस्तान की परमाणु क्षमता

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : हमने पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के इस बयान पर सावधानीपूर्वक गौर किया है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। यह पहला मौका है जबकि पाकिस्तान के किसी ऐसे नेता ने इस प्रकार का साफ-साफ बयान दिया है, जो सरकार के उच्चतम पद पर रहा हो। अब पाकिस्तान अपने नाभिकीय अस्त्र कार्यक्रम के इरादों और उसके असली प्रयोजन के विषय में कोई अस्पष्ट रवैया नहीं अपनाए रख सकता।

हमारा एक अर्से से बराबर यही कहना रहा है कि पाकिस्तान शास्त्रोन्मुखी नाभिकीय कार्यक्रम पर चल रहा है। पाकिस्तान का नाभिकीय अस्त्र कार्यक्रम प्रारम्भ से ही चोरी-छिपे जिस तरह आगे बढ़ा है और जिस तरह गुप्त रूप से इसका विकास हुआ है उस पर स्वाभाविक तौर पर नजदीकी से बराबर हमारी निगाह रही है। हमें इस बात पर बहुत निराशा हुई है कि पाकिस्तान ने अपने नाभिकीय अस्त्र कार्यक्रम को न केवल मनवाछित निष्कर्ष तक पहुंचाया है बल्कि वह भारत को अपने अनसुलझ मतभेदों को सुलझाने के लिए नाभिकीय अस्त्रों को धमकी भी दे रहा है। यह हमारे लिए बहुत गंभीर चिन्ता की बात है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात का सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए कि पाकिस्तान राष्ट्र समुदाय के जिम्मेदार सदस्य की तरह व्यवहार करे। निःसंदेह एक नाभिकीय अस्त्र राज्य के रूप में पाकिस्तान के उभरने पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की गई है। पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर किया जाना चाहिए कि वह अपने नाभिकीय अस्त्र कार्यक्रम को तत्काल बंद कर दे और अपनी सीमाओं में रहकर आचरण के लिए राजी हो जाए। हाल की खबरों से यह पता चलता है कि पाकिस्तान अपने नाभिकीय अस्त्र कार्यक्रम पर बराबर आगे बढ़ रहा है और जहां से भी मिल सके इस काम के लिए लुक-छिप कर सामग्री हासिल कर रहा है। आज वास्तविकता यह कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और स्थायित्व के लिए एक गंभीर खतरा बन रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और विध्वंस को सहायता देने और उसे भड़काने के सम्बन्ध में पाकिस्तान का रिकार्ड निंदनीय तो है ही और अब इसी के साथ वह नीतिगत आधार के रूप में नाभिकीय अस्त्र का प्रयोग करने की खुली धमकी भी दे रहा है।

आतंकवाद के प्रश्रयदाता पाकिस्तान की ओर से आने वाले खतरे और जम्मू तथा कश्मीर को लेकर भारत के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग करने की उसकी घोषित मंशा के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में मत जाग्रत करने के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार अधिकतम सतर्कता रखेगी और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए दृढ़निश्चय और कृतसंकल्प के साथ कार्रवाई करेगी।

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। माननीय

मंत्री ने अभी-अभी अपना वक्तव्य दिया है। मेरा प्रश्न विदेश मंत्रालय विभाग से संबंधित था। विदेश मत्रांलय के सचिव श्री श्रीनिवासन ने, जिनका नाम सभी राष्ट्रीय अखबारों में छपा था, ने कहा है कि उन्होंने एक पत्र लिखा था। उसके बाद उन्होंने इस बात का खंडन कर डाला कि वह जाली चिट्ठी थीं जिसका संबंध पंजाब में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद से है। प्रश्न यह है कि श्री श्रीनिवासन ने ब्रिटेन कनाडा तथा अमरीका के दूतावास को एक पत्र लिखा था। ऐसा बताया गया है कि अकाल तख्त के जथ्थेदार जो कि देश के सिक्खों के पोप माने जाते थे इन तीनों देशों की यात्रा करने वाले थे।

यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। श्री श्रीनिवासन के पत्र में यह कहा गया है कि अकाल तख्त के जथ्थेदार की देखभाल की जानी चाहिए तथा उन्हें एक करोड़ पचास लाख रुपये देने चाहिए और वह पैसा कनाडा, अमेरिका तथा इंग्लैंड में दिया जाना चाहिए था। यह श्री श्रीनिवास के लैटर-हेड पर लिखा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह जाली पत्र था या वास्तविक था यह सिक्ख संस्था को बदनाम करने के उद्देश्य से ही किया गया था।

महोदय, विदेश मंत्रालय विभाग को गुमराह किया गया है। **(व्यवधान)**

महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। मैंने एक सुसंगत प्रश्न पूछा था जोकि राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर चाहता था।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मामला इस तरह से उठाया गया है कि पाकिस्तान का अतंर्राष्ट्रीय समुदाय नोटिस ले। हमारा कल सवाल उठाने का उद्देश्य यह था कि भारत सरकार मिझ हो कि हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है। मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसपर चर्चा की आवश्यकता है। आपका स्टेटमैंट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का है, वह विकट लेकिन सरकार यहां पर क्या कदम उठाएगी, यह भी चर्चा आवश्यक है।

1.44 म०प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति (अत्याचार विवरण) अधिनिंयम, 1989 के बारे में पहला वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के०वी० तंग्काबालु) : श्री सीताराम केसरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के बारे में वर्ष 1990 के पहले वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6353/94]

(3) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : —

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी० 6354/94]

प्रमुख धात्विक और अधात्विक अयस्कों आदि को उत्पादन के बारे में 13 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित **प्रश्न संख्या** 1667 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं (एक) प्रमुख धात्विक और अधात्विक अयस्कों के उत्पादन के बारे में श्री सैयद शहाबुद्दीन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1667 के 13 दिसम्बर, 1993 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6355/94]

सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं लोकसभा के विभिन्न सूत्रों के दौरान मत्रियों द्वारा किए गए विभिन्न आश्वसनों, बचनों, और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) विवरण संख्या 28 — चौदहवां सत्र, 1984 सातवीं लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 6356/94]

(2) विवरण संख्या 26 — ग्यारहवां सत्र, 1988 आठवीं लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 6357/94]

(3) विवरण संख्या 30 — दूसरा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 6358/94]

(4) विवरण संख्या 23 — पहला सत्र, 1991
[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 6359/94]

(5) विवरण संख्या 20 — दूसरा सत्र, 1991 दसवीं लोक सभा
[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०6360/94]

2

(6) विवरण संख्या 18 तीसरा सत्र, 1992
[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०6361/94]

(7) विवरण संख्या 16 — चौथा सत्र, 1992
[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०6362/94]

(8) विवरण संख्या 13 — पांचवां सत्र, 1992
[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०6363/94]

(9) विवरण संख्या 12 — छठा सत्र, 1993
[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०6364/94]

(10) विवरण संख्या 8 — सातवां सत्र, 1993 दसवीं लोक सभा
[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०6365/94]

(11) विवरण संख्या 7 आठवां सत्र, 1993
[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०6366/94]

(12) विवरण संख्या 5 नौवां सत्र, 1994
[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०6367/94]

(13) विवरण संख्या 2 — दसवां सत्र, 1994

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०6368/94]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घोटावार) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6369/94]

1.45 म०प०

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का दसवां ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवदेन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.45 ½ म०प०

सभा की बैठकों से सदस्यों भी अनुपस्थिति संबंधी समिति
सातवां प्रतिवदेन

श्री ए० वेंकट रेड्डी (अनंतपुर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का सातवां प्रतिवदेन (हिन्दी और अग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.46 म०प०

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थाई समिति
बारहवां प्रतिवदेन

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तैनाली) : मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थाई समिति और राष्ट्रीय संस्कृति नीति "एक दृष्टिकोण पत्र, 1992" के बारे में बारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.46 ½ म०प०

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 81,82 और 170 में संशोधन)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 25-8-1994 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

1.47 म०प०

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल स्थित हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, बेल्लोर को उद्योग मंत्रालय के सीधे नियन्त्रण में लाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : केरल में बेल्लोर स्थित हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है जो काफी समय से लाभ अर्जित कर रही है। अब यह कम्पनी हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड भी एक सहायक कम्पनी है। यह निगम घाटे में चल रहा है। असम स्थित एकक इस एकक की खरीद होता बोली लगाने वाले को आमंत्रित कर रहा है। मैसूर और नागालैंड स्थित एककों की बिक्री हेतु दो वर्ष पूर्व प्रस्ताव आमंत्रित किए जा चुके हैं।

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड का लाभ इसकी धारक कम्पनी हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जा रहा है और करोड़ों रुपये मुख्यालय को स्थानान्तरित किए जाते हैं। वर्तमान मुख्यालय केरल से बहुत दूर स्थित है और स्थानीय वातावरण और परिस्थितियों से अनभिज्ञ है जिसके कारण निर्णय लेने और उसके कार्यान्वयन में परेशानियां पैदा होती है। हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड में स्थानीय जनशक्ति की उपलब्धता को देखते हुए एक प्रथक भर्ती और पदोन्नति नीति हैं। निगम, हिन्दुस्तान टाइम्स न्यूज प्रिन्ट लिमिटेड से 8 करोड़ रुपये का विपणन खर्च वसूलता है। यह ज्ञात हुआ है कि हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन को औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को दिया जा रहा है और अन्ततः हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड को भी इस बोर्ड को दे दिया जाएगा। उन परिस्थितियों में हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड को, जोकि मेरे चुनाव क्षेत्र में स्थित है और जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक बड़ा उपक्रम है, बचाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसे सीधे उद्योग मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन लाया जाए।

अतः मैं, केन्द्रीय सरकार से हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड को सीधे उद्योग मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन लाने का अनुरोध करता हूं।

(दो) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी छोड़ने के मूल स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में वाटर अलाउंस 5.23 क्यूसेक था जो कि 3.00 क्यूसेक कर दिया गया है। इससे इस क्षेत्र की पैदावार में काफी कमी आयेगी।

वाटर अलाउंस कम करने का आधार सेम वाटर लौगिंग माना गया है। परियोजना क्षेत्र में किसी भी ब्रांच या माइनर का सम्पूर्ण क्षेत्र सेमग्रस्त नहीं है। ब्रांच या माइनर का बहुत कम हिस्सा सेम प्रभावित है। क्षेत्र का वाटर अलाउंस कम करना पैदावार की दृष्टि से न्यायोचित नहीं होगा।

खरीफ में प्रभावित क्षेत्र में पिछले 3-4 वर्षों से धान की फसल ली जा रही है तथा अच्दी पैदावार हो रही है। अगर सेम क्षेत्र में वाटर अलाउंस कम कर दिया जायेगा तो धान की खेती कर पाना सम्भव नहीं होगा। खेत पड़त रह जायेंगे। पड़त खेत में सेम क्षेत्र में ऐरा नाम का शीघ्र पनपने वाला खरपतवार पैदा हो जायेगा तथा जमीन ऊसर हो जायेगी। ऐसे खेतों को बाद में सुधार पाना बहुत मुश्किल हो जायेगा। सेम प्रभावित क्षेत्र म आधुनिक उपकरण लगा कर या नाला (ड्रेन सिस्टम) बना कर या किसी अन्य विकल्प द्वारा ही इस समस्या का निराकरण किया जाये।

सेम का बहाना बना कर प्रथम स्टेज का पानी कम करके द्वितीय स्टेज में दिया जा रहा है जो कि इस क्षेत्र के कृषकों के साथ न्यायोचित नहीं होगा। प्रथम स्टेज की भूमि दोमट है तथा सैकिण्ड स्टेज की भूमि अधिकतर रेतीली है। अतः यहा की भूमि अच्छी पैदावार वाली होने के कारण भी वाटर अलाउंस कम करना न्यायोचित नहीं होगा। अगर वाटर अलाउंस कम किया जाता है। तो इस क्षेत्र के किसान अपने हक के लिये जन आन्दोलन कर सकते हैं।

अतः मैं भारत सरकार से निवदेन करता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में यथास्थिति रखते हुए वाटर अलाउंस 5.23 क्यूसेक ही रखा जाये।

[अनुवाद]

(तीन) उड़ीसा राज्य सरकार को दक्षिण उड़ीसा, विशेषकर गंजाम जिले में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त द्वितीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : यह विडम्बना ही है कि उत्तरी उड़ीसा के तटीय क्षेत्र भारी बाढ़ से प्रभावित हैं जबकि दक्षिण उड़ीसा के अन्य जिलों में कम वर्षा और सूखे की परिस्थितियां हैं। जून में बहुत कम वर्षा हुई थी यद्यपि जुलाई में कुछ वर्षा हुई थी लेकिन समीपवर्ती गंजाम, गजपति और कोरापुट जिलों में फसल की बुआई नहीं हो पाई। यांखेमोन्डी और दिगापोहॉडी प्रखण्डों में धान की खेती के अन्तर्गत 5 प्रतिशत से कम क्षेत्र था जबकि गजांम जिले के हिन्दिलीकट, रंगीकुन्डा, चिकिनी, पटरापुर, छतरपुर और आस्का प्रखण्डों में धान की खेती के अन्तर्गत 5 से 10 प्रतिशत क्षेत्र का।

गंजाम जिले में लिफ्ट सिंचाई के 1009 स्थानों में से अधिकांश चालू हालत में नही हैं। चालू खरीफ मौसम के दौरान 16,600 एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य था लेकिन 2,800 एकड़ भूमि की सिंचाई ही हो पाई है। लिफ्ट सिचांई के सभी स्थानों को शीघ्रतिशीघ्र चालू किया जाना चाहिए और बांधों तथा नहरों इत्यादि में दरारों भी युद्ध स्तर पर मरम्मत की जानी चाहिए। राज्य सरकार को उपरोक्त तीनों जिलों के सभी प्रखण्डों को 'सूची प्रवण' घोषित किया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा पीड़ित किसानों की पर्याप्त राहत और राजसहायता प्रदान की जानी चाहिए।

चूंकिं उड़ीसा सरकार किसानों को पर्याप्त राहत और राजसहायता प्रदान करने में असमर्थ है, मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वह उड़ीसा के लिए शीघ्र ही राहत और सहायता जारी करें।

(चार) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मंडल की विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में बन अधिनियम के उपबन्धों में ढील देने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा पारित बन अधिनियम, 1980 पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिए बहुत बड़ी बाधा बन गया है। यद्यपि यह अधिनियम अच्छे उद्देश्यों से बनाया गया था, किन्तु इससे विकास के कार्य जैसे सड़क, पानी, बिजली, सिचाई इत्यादि से सम्बम्धित अनेक प्रोजैक्ट 10-10 साल से रुके हुए हैं।

वन अधिनियम के तहत स्वीकृति लेने की प्रक्रिया लम्बी एवं जटिल होने के कारण लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन का प्रावधान इस तरह से बनाया गया है कि वनीकरण के लिए स्थान ढूंढने में बहुत अधिक समय लगता है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खासकर उत्तरांचल में गढ़वाल मण्डल के लिए वन अधिनियम, 1980 को विकास कार्यों पर लागू न किया जाय। साथ ही जितने पुराने विकास कार्य रूके हैं, उन्हें एक विशेष टीम बनाकर 6 महीने के अन्दर स्वीकृति दी जाय।

(पांच) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राज मार्ग 24 पर मुरादाबाद और रामपुर में रेलवे 3 परि पुलों के निर्माण की आवश्यकता।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय मार्ग सं० 24 के मुरादाबाद एवं रामपुर मार्ग पर दो ओवरब्रिज रामगंगा एवं कोसी नदियों के पास रेलवे लाइन पर पिछले कई वर्षों से विचाराधीन है ओवरब्रिज न होने के कारण राष्ट्रीय मार्ग पर ट्रैफिक से बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है एवं पिछले वर्षों में रेल फाटक पर दो भंयकर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगभग 70 लोगों की मृत्यु हो गई। बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण जनता को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनता को असुविधा न हो, इस दिशा में केन्द्र सरकार तुरन्त ध्यान दे।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय मार्ग सं० 24 के मुरादाबाद तथा रामपुर मार्ग पर रामगंगा एवं कोसी नदियों के पास रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र काराया जाय।

(छः) बिहार में जोनल रेलवे का मुख्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में जोनल रेलवे मुख्यालय की मांग काफी पुरानी है। वर्तमान में भारतीय रेल 9 जोन में विभक्त हैं। जिनके मुख्यालय बंबई (1), कलकत्ता (2), नई दिल्ली, गोरखपुर, मालीगांव, मद्रास एवं सिकंदराबाद में अवस्थित है।

उक्त जोनल विभाजन के अनुसार 4 रेलवे जोन का कार्य क्षेत्र बिहार राज्य में पड़ता है यथा पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर-पूर्व सीमीत रेलवे किन्तु इन चारों के मुख्यालय बिहार प्रदेश से बाहर हैं। राज्य सरकार द्वारा रेलवे के साथ विकासात्मक कार्यों एवं अन्य मुद्दो पर सांमजस्य स्थापित करने में होने वाली कठिनाईयों का अन्दाजा इसमें लगाया जा सकता है:—

1. बिहार में रेलवे लाईन की लम्बाई वर्ष 86-87 के आंकड़ों के अनुसार 5332 किलोमीटर है, जो पूरे देश के रेलवे की लम्बाई का 8.7 प्रतिशत है।
2. जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
3. रेलवे का आय की दृष्टिकोण से बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्व एवं दक्षिण पूर्व रेलवे जो सम्पूर्ण रेलवे के माल ढुलाई का अधिकांश वहन करते हैं —इसी प्रदेश में मुख्य रूप से कार्यरत हैं।
4. एक सही दृष्टिकोण से भी यदि अनुमान लगाया जाए, तो केवल कोयला के परिवहन से ही बिहार राज्य रेलवे की कुल माल की ढुलाई का लगभग 17 प्रतिशत आय देता है।
5. और यदि सभी खनिजों एवं तैयार माल की ढुलाई का योग लिया जाए, तो यह 25 प्रतिशत से ऊपर जा पहुंचता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार में जोनल रेलवे मुख्यालय के न्यायोचित मांग को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए,

(सात) अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उड़ीसा के क्योंझर जिले में पेट्रोल पंप खोलने हेतु लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : महोदय, उड़ीसा में क्योंझर एक आदिवासी क्षेत्र है। यहां गत पांच वर्षों से अनसूचित जनजातियों के किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल पम्प का लाइसेंस नहीं दिया गया है जबकि ऐसे लाइसेंस सामान्य वर्ग के लोगों को दिए जा रहे हैं। इससे पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जनजातियों के लोगों मे बड़ा असन्तोष है। इसके लिए उन्होंने विरोध भी प्रकट किया है। अतः, सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि क्योंझर जिले को कम से कम दो पेट्रोल पम्प अविलम्ब आबंटित किए जायें ताकि अनुसूचित जनजातियों के लोगों मे असंतोष कम किया जा सके।

(आठ) सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के कारण विस्थापित हुए आदिवासी लोगों का पुनर्वास करने और वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए आबंटित धनराशि शीघ्र जारी करने की आवश्यकता।

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : उड़ीसा के मयूरभंज स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान सार्वाधिक बड़ा और घना वन है जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है और यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस वन में एक राष्ट्रीय उद्यान -- राम तीर्थ (जाशीपुर) भी है। इसके अलावा चाहला, नताना अपर बोरोकामुला और मेघासानी जैसे हरेभरे स्थान केवल राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। परन्तु, सबसे ऊंचाई पर 11.45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित-कैरीबर्न नामक स्थान तक कोई सड़क मार्ग न होने के कारण पर्यटकों को अत्यधिक परेशानी हो रही है।

हालांकि इस वन में बाघ, चीते, हाथी और अन्य जंगली पशुओं की बहुतायत थी तथापि इस समय इन सभी पशुओं की संख्या घटती जा रही है।

इस वन को 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके पहले इसे 1973 और 1979 में क्रमशः बाघ परियोजना और अभयारण्य घोषित किया गया था।

इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करते समय वहां वे जनजातिय के लोगों को इस आश्वासन पर यह स्थान छोड़ने के लिए कहा गया था कि उनका अन्यत्र कहीं पुनर्वास किया जायेगा परन्तु उनका पुनर्वास अब तक नहीं किया गया है। पुनर्वास कार्यक्रम के लिए निर्धारित 30 लाख रुपए की राशि लम्बे समय से अप्रयुक्त पड़ी है।

बाघ परियोजना जाशीपुर में है जबकि इसका कार्यालय बारीपाड़ा में है, इसका जिला मुख्यालय इस इलाके से 120 किलोमीटर दूर है। पर्यटकों की सुविधा के लिए कार्यालय को जाशीपुर में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

हालांकि इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है परन्तु इसके लिए आबंटित धनराशि जारी नहीं की गई है। मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि वह इस मामले पर विचार करे तथा बिना विलम्ब किए जनजाति के लोगों का पुनर्वास करे। वन्य जीवों की सुरक्षा और राष्ट्रीय उद्यान को सुन्दर बनाने के लिए वन्यजीव अभयारण्य को आबंटित धनराशि जारी की जाए।

2.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.02 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.02 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

[अनुवाद]

संविधान (पिचासीवां संशोधन) विधेयक

(नौवीं अनुसूची में संशोधन)

राज्य सभा द्वारा यथापारित

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सीताराम केसरी।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें, तो आप विधेयक के उपबंधों की व्याख्या कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, यह विधेयक संविधान की 9 वीं अनुसूची में तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (राज्य सेवाओं के अधीन पदों अथवा नियुक्तियों तथा शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण) अधिनियम, 1994 को शामिल करने के बारे में है। राज्यसभा इसे दिनांक 24 अगस्त, 1994 को पारित कर चुकी है।

19वीं सदी के अंतिम चरण मे सरकारी सेवाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उस समय मैसूर राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण उपलब्ध कराया था। तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था 1921 में की गई थी। समय-समय पर तमिलनाडु सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। ऐसा अधिकांश जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया था और अब यह 69 प्रतिशत हो गया है, जिसमें 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए, एक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए और 50 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ तथा अन्य (जो मंडल केस के रूप में जाना जाता है) के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मामला दायर हुआ था, जिसमें इस आदेश के लिए दलील दी गई थी कि शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा वर्ष 1994-95 के दौरान आरक्षण घटा कर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने विशेष याचिका दायर की और बाद में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख आया जिसने अपने पहले के आदेश को ही दोहराया कि शैक्षिक संस्थानों के प्रवेश के मामले में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

तमिलनाडु विधान मंडल के विशेष सत्र में 9 नवम्बर 1993 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया

था कि सरकारी सेवा में तथा शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण जारी रखा जाना चाहिए और भारत सरकार से अनुरोध किया जाना चाहिए कि इस संबंध में भारत के संविधान में समुचित संशोधन करे। 26 नवम्बर, 1993 को तमिलनाडु में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भी यही विचार सामाने आया। तमिलनाडु सरकार द्वारा इस मामले में बनाया गया विधान राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित था और इसे 19 जुलाई, 1994 को राष्ट्रपति जी का अनुमोदन मिल गया है।

तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि उनके द्वारा लागू किए गए विधान को अर्थात 1994 के अधिनियम संख्या 45 को, संविधान की ९वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इस अधिनिमय को न्यायिक पुनरीक्षण के मामले में संविधान के अनुच्छेद ३१ (ख) की सुरक्षा प्राप्त हो सके।

मान्यवर, तमिलनाडु विधेयक को राष्ट्रपति जी की मंजूरी के माध्यम से भारत सरकार ने राज्य विधान के उपबंधों का पहले ही समर्थन कर दिया है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि तमिलनाडु अधिनियम को संविधान की नौंवी अनुसूची के क्षेत्राधिकार में लाया जाए जिससे इस विधान के विरुद्ध कानूनी चुनौती न आ सके और तमिलनाडु के पिछड़े वर्गों को राज्य सरकार के अधीन सेवाओं मे तथा शिक्षा संस्थानों में 69 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता रहे।

इस समय मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि मात्र आरक्षण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। फिर भी पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय प्राप्त होने की दिशा में राज्य की सेवाओं तथा शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अंशपूंजी से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कर दी है। इस पूंजी में से 82 करोड़ रुपए मार्च, 1994 तक वितरित कर दिए गए हैं। 55.90 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि निगम को 1994-95 के दौरान और दिए जाने की संभावना है। निगम ने 134 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं तथा 1993-94 के दौरान 57 करोड़ रुपए की राशि वितरित कर दी गई है। मंजूर किए गए ऋणों से लगभग एक लाख पिछड़े वर्ग के लाभग्राहियों को लाभ मिलेगा।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने नेता तथा प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव के कुशल मार्गदर्शन में हम सतत् समतावादी समाज के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार वास्तव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में अपनी जिम्मेदारी की एक पुनीत कर्त्तव्य मानते हुए संकल्प लिया है कि उन्हें सामाजिक न्याय दिलाएगी और राष्ट्र के निर्माण में उन्हें समान भागीदार बनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

> **"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए।"**

अब, श्री राम विलास पासवान बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रासेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, राज्य सभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक यहां पर लाया गया है। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें भाषण की आवश्कयकता नहीं है, लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मामले इससे जुडे हुए हैं। खासकर जनता दल का जहां तक मामला है, चूंकि मंत्री जी ने बतलाया है कि कितने दिन से यह मामला चल रहा था, ज्यों ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मंडल कमीशन पर आया और यह मामला उठा, उसी समय से हम लोग बार-बार सदन में माग कर रहे हैं कि सारे मामले को एक बार तय किया जाये। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें जहां कुछ दिया है वहां पर कुछ चीजें ली भी हैं। इसलिए जब आप अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति की बात बोलते हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अभी आप एक तमिलनाड़ का मुद्दा लेकर आये हैं जिसको संविधान की नौवीं सूची में जोड़ दिया जाये। लेकिन आर्टिकल 15-4, 16-4 और 335 का क्या होगा, इस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। हमने इसमें एक संशोधन दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि आप कहेंगे कि वह इसमें नहीं आ सकता है। हमने कहा है कि जितने भी आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान है उनको संविधान की नौवीं सूची में डाल दीजिये। क्योंकि आप एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ ले लेते भी हैं। यहां पर शंकरानंदजी बैठे हुए हैं। अगर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गवर्निंग बाडी में कोई है, मंडल कमीशन के तहत 50 प्रतिशत आरक्षण आप लागू कर दिया तो दूसरे दिन ही कोर्ट में जा सकते हैं और हो सकता है कि कोर्ट स्टे कर दें। ऐसे ही कर्नाटक का मामला है, वहां आपकी पार्टी की सरकार है। वहां पर 73 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया है। वहां भी कोई आदमी कोर्ट से चला जायेगा और कोर्ट रूटे दे सकती है। अब कोर्ट पर तो किसी का अधिकार नहीं है एस०सी०/एस०टी० की प्रमोशन में आरक्षण का मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के सामाने कोई मुद्दा नही था. एस०सी०,एस०टी० का मामला भी नहीं था, यदि मामला रहता तो जो लाइन लोगों का बैंच बना था उसमें भी एस०सी० का सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको रखा जा सकता था, लेकिन एस०सी०, एस०टी० के जज को नही रखा गया। जब जजमेंट का मामला आया तो कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन पांच साल से अधिक नहीं चलेगा। आपने तात्कालिक तौर पर समस्या का निदान किया है, आपके पर्सोनल विभाग से नोटिफिकेशन चला गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन चलेगा। बीच में बन्द कर दिया गया था, फिर खोल दिया है। लेकिन मैं आपकों चेतावनी देना चाहता हूं कि 1997 के बाद यह अपने आप खत्म हो जायेगा। क्योंकि संविधान की व्याख्या करने वाली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र बाडी है। उसने व्याख्या कर दी कि पांच साल के बाद रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा जब तक आप संविधान संशोधन नहीं करते हैं। इसी सम्बन्ध में कर्नाटक के सम्बन्ध में भी वहीं रूलिंग हो सकती है जो तमिलनाडु के सम्बन्ध में हुई है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जब कोई बीमारी होती है तब उसका इलाज क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं करते है, क्योंकि

[अनुवाद]

इलाज से बेहतर परहेज हैं।

[हिन्दी]

आज तमिलनाडु का मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। वहां से जनवरी के महीने में भारत सरकार को भेज दिया गया था। लेकिन राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी 16 जुलाई को होती है। नतीजा यह हुआ कि जिस दिन राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करते हैं, उसी दिन फैक्स से वहां यह जाता है और गजट में आता है। जब कोर्ट

में मामला गया, तब आपको संविधान संशोधन करना पड़ रहा है जिसमें भी आप कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कोई चर्चा न हो। आप अलग से 335 है, जो एस०सी०, एस०टी० का है, जिसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू मेरिट, उसको हटाइये। उसमें यह जोड़िये कि यह प्रावधान प्रमोशन और रिजर्वेशन में भी लागू रहेगा यदि वहां नहीं करना चाहते हैं तो आर्टिकल 54 में जाकर एक्सप्लेनेशन एक और दो जोड़ने का काम करें। 16 4 में जोड़कर उसको जोड़ने का काम नहीं करेंगे तो यह बीमारी हमेशा उत्पन्न होती रहेगी। मैं बतलाना चाहता हूं इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। जिस दिन से आप पार्लियामेंट में आये हैं, तब से कहते रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का रिज़र्वेशन है।

श्री सीताराम केसरी : 8 महीने नहीं थे।

श्री राम विलास पासवान : तो 1991 में लगातार आपने संसद के भीतर और बाहर कहा कि एस०सी० का रिज़र्वेशन है और वह सरकार के आर्डर के मुताबिक चल रहा है, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है। हम उसके लिये पार्लियामेंट में बिल लायेंगे और एक्ट बनायेंगे। आज मुझे खुशी होती यदि वह एक्ट बन गया होता तो उसके साथ 9वीं अनुसूची मे डालने का काम करते लेकिन आज वह एक्ट नहीं है तो हम कहां से कहेंगे कि इसमें डालने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आपके पास तीन मंत्रालय हैं। अखबारों में आ रहा है आप कुछ चाहते हैं, डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल कुछ चाहती है, ला मिनिस्ट्री कुछ चाहती है तो इन तीनों में को-आर्डिनेशन है नहीं हां, आप कहते हैं कि आपके नेता श्री नरसिंह राव है लेकिन प्रधान मंत्री के पास जो मिनिस्ट्री है, उसकी क्या नीयत है? आपके साथ है? वे तो कहते हैं कि केसरी जी बोलते रहते हैं, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि सरकार इस मामले में सिंसियर है तो करें। आप लाख कोशिश करें, जैसे तमिलनाडु को 69 प्रतिशत किया है और आपने भी उसको किया, कोई शौक से नहीं किया है और न आप कोई भीख दे रहे हैं, वे अपने अधिकार के बल पर ले रहे हैं। कल तक जो लोग विरोध करते थे, ये भी चाहते हैं। कर्नाटक में 80 प्रतिशत सर्वसम्मति से प्रस्ताव हो रहा है। इसलिये जो सामाजिक न्याय की धारा चली है, आरक्षण का मुद्दा है आप इसको प्यार से दें या रो कर दें, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। यदि सरकार इस बात का एश्योरेंस दे कि हमने जो अमेंडमेंट मूव किया है, किसी राज्य पर यह लागू नहीं होता है तो वह करे या न करे। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम 80 प्रतिशत पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये करेंगें। यदि वहां यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाता है तो फिर सैंट्रल गवर्नमेंट इस पर रोक लगाने वाली कौन होती है? राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया जाये कि जिस राज्य में जिसकी पापुलेशन की जैसी स्थिति हो, उसी प्रकार से वह कर सकती है। यदि कोई ऊंची जाति का आदमी कहता है कि हमारे अधिकार का हनन होता है तो जितनी आबादी हो उस कास्ट को उतना रिजर्वेशन दे दिया जाये। इससे किसी कास्ट को दुख नहीं होगा। और सरकार में सब जातियों का रिप्रेजेंटेशन हो जायेगा। इसमें सरकार को आर०ए०एफ० बनाने की भी जरूरत नहीं होगी।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात यह है कि आप सब राज्यों को यह अधिकार दे दीजिये कि संविधान संशोधन द्वारा इसमें अपनी जरूरत के अनुसार जोड़ दिया जाये कि पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिये कानून का प्रावधान करेंगे। धारा 16 (4) और 15 (4) के अनुसार शिक्षा, सरकारी नौकरी के अंतर्गत रिजर्वेशन किया जायेगा। यदि यह कर दिया जाता है तो बार-बार राज्य सरकारों को यहां नहीं आना पड़ेगा। यदि यह हुआ होता तो आज आप देख रहे हैं कि एस०सी०एस०टी० के मामले में क्या परिणाम निकला है? संघ लोक सेवा आयोग के मामले में मंत्री सदन में मिसगाईड करते रहे हैं या मिसगाईडेड

होते रहे हैं। आपने बार-बार कहा कि जो पिछड़ी जाति के नौजवान हैं, उनको ऐज रिलेक्सेशन दिया जाएगा। आपने इसी सदन में कहा था और उसकी परीक्षा 26 जून हो गई थी। एक लड़का भी उसमें रिज़र्वेशन के नाम पर नहीं आया है। जो 12 प्रतिशत आए हैं, वह जनरल कैटागरी से कंपीट करके प्रिलिमिनरी टैस्ट में आए हैं। आज तक उस संबंध में सरकार द्वारा कुछ नहीं बताया जा रहा है। दो लड़कों ने धमकी दी है कि वे आत्मदाह करेंगे। इस तरह से सारे लोगों को बांटने का काम किया है और सरकार चुप्पी साधे हुए है। यह कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह गारंटी लेकर मत चलिये कि शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्ज और बैकवर्ड क्लासेज़ को आइना दिखलाते रहेंगे और लौलीपौप द्वारा उनको शांत करने की कोशिश करेंगे। यह लौलीपौप देनें का काम बंद करें। अगर सरकार इस मामले में सिन्सियर है तो उसे एक बार अच्छी तरह से यह काम करना चाहिए। यह किसी पार्टी का मामला नहीं है। हम लोग जब किसी शैड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्ज़ की मीटिंग में बैठते हैं तो चाहे बीजेपी के लोग हो या जनता दल के या कांग्रेस के हों चाहे कम्यूनिस्ट हो, सब एक स्वर से प्रस्ताव रखने का काम करते हैं। पार्टी स्तर से ऊपर उठकर काम करते हैं लेकिन यहां कुछ नहीं होता है।

संविधान में लिखा है कि शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्ज़ को उनकी पौपुलेशन के अनुसार रिज़र्वेशन दिया जाएगा। 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या 21.56% है जबकि रिज़र्वेशन सिर्फ 22.54% है। इसमें नियो बुद्धिस्ट भी जुड़ गए, गूजर, मकरवाल भी जुड़ गए। बहुत सारी जातियां उसमें जुड़ रही हैं। उनको मिलाकर आपको रिज़र्वेशन देना है। उसके लिए भी संविधान संशोधन लाना होगा। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए गए तो उन्होंने भी माना कि आपकी मांग बड़ी जायज़ है कि जब पब्लिक सैक्टर प्राइवेट सैक्टर में बदल रहे हैं तो फिर प्राइवेट सैक्टर में भी रिज़र्वेशन होना चाहिए। आज एक कांस्पिरेसी चल रही है कि कल जहां जहां रिज़र्वेशन था उसे खत्म किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : राष्ट्रपति महोदय ने यह भी कहा था कि आप ये बात लोक सभा में कह दीजिए?

श्री राम विलास पासवान : वह अलग बात है। उपाध्यक्ष जी, वाजपेयी जी बड़े चतुर हैं। मैं इनका समर्थन करता हूं लेकिन सवेरे जो चंद्रजीत यादव जी ने कहा कि वाजपेयी जी बहुत चतुराई से डाइल्यूट करते हैं। मैं चतुराई शब्द नहीं कहना चाहता लेकिन हमने राष्ट्रपति जी से कहा था कि हम इतनी बात जरूर सार्वजनिक तौर से कहेंगे कि आपने कहा है कि यह मुद्दा जायज़ प्रतीत होता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का शब्द लिमिटेड शब्द होता है। लेकिन शंकर दयाल शर्मा जी के लिए इतने शब्द कहना मैं समझता हूं कि काफी मायने रखता है। जब पब्लिक सैक्टर में रिज़र्वेशन है, बैंक में भी है तो उन बैंकों के प्रावेटाइज़ होने के बाद वहां रिज़र्वेशन नहीं रहेगा। कल रेवले को प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो वहां रिज़र्वेशन नहीं होगा। इस देश में कोई आदमी, कोई संस्था संविधान से बड़ी नहीं है। संविधान सर्वोपरि है और जब संविधान में शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज के लिए रिज़र्वेशन की व्यवस्था की गई है, बेकबर्ड क्लासेज़ के लिए रिज़र्वेशन की व्यवस्था की जा रही है तो चाहे प्राइवेट सैक्टर हो या पब्लिक सैक्टर हो या सरकारी सैक्टर हो, रिज़वेशन की व्यवस्था करनी होगी। आज नहीं तो कल आपको * करना होगा और जो सरकार नहीं करेगी, उस सरकार को सत्ता से बाहर फेंक दिया जाएगा। ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदय * यह असंसदीय है और इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह असंसदीय है तो हम इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप कमिटमेंट करें सदन को आश्वासन दें कि आप संविधान संशोधन लाएंगे और उसमें इन बातों को शामिल करने का काम करेंगे। उसमें स्टेट को अधिकार दिया जाना चाहिए कि जो स्टेट जितना परसेंटेज चाहे, उतना रिज़र्व कर सकता है।

दूसरे, जो प्रोमोशन में रिजर्वेशन को खत्म करने की साजिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की डेट बांधी है कि 1997 में जाकर औटोमैटिकली रिजर्वेशन खत्म हो जायेगा, मेरी मांग है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये प्रोमोशन में आरक्षण होना चाहिये। संविधान की धारा 33 और 35 में संशोधन करके, उसमें जो एफीशियेंसी क्लॉज जबर्दस्ती रखी गयी है, उसको निकालना चाहिये।

तीसरी मेरी मांग है कि आपने जैसा कहा है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए हम जी०ओ० के मुताबिक एक्ट याक कानून बनायेंगे, हमारी बिहार सरकार ने उस तरह का कानून बनाया है जिसमें कहा गया है कि जो ऑफिसर रिजर्वेशन के कोटे को पूरा नहीं करेगा, उसे तीन महीने की जेल की सजा होगी। भारत सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिये क्योंकि आजादी के 48 साल बाद भी अनुसूचित जाति और जनजातियों का कोटा सरकारी नौकरियों में 10 परसेंट प्रथम श्रेणी में पूरा हो पाया है, कोई मिसाल नहीं बता सकता कि यू०पी०एस०सी० में, आई०ए०एस०, आई०पी०एस० में अनुसूचित जाति या जनजाति का योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता। जब योग्य उम्मीदवार मिलता है तो कलर्क की नौकरी के लिये कैसे उसे अयोग्य करार दिया जाता है। इसलिये जो ऑफिसर उसके लिये दोषी हो, उसे तीन महीने की जेल की सजा मिलनी चाहिये और इस प्रावधान के साथ सदन में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाना चाहिये।

इसके अलावा जिस गति से देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की पौपूलेशन बढ़ रही है, उसके मुताबिक उनका रिजर्वेशन भी बढ़ना चाहिये और प्राईवेट सैक्टर में भी आरक्षण का प्रावधान लागू होना चाहिये।

मैंने जिन 7-8 प्वांइट्स की ओर आपका ध्यान दिलाया है, उसके लिये जिस संविधान संशोधन की आवश्कयता हो, इन तमाम प्वाइंट्स को एकसाथ लेकर, यह संशोधन विधेयक सदन में लाया जाना चाहिये तब तो आपका यह बिल लाना सार्थक होगा। ठीक है, आज तमिलनाडु में हंगामा हुआ तो आप तमिलनाडु से संबंधित बिल यहां ले आये, यदि कल किसी दूसरी जगह लोग आन्दोलन करेंगे क्या तब जाकर आप कोई बिल लाने का काम करोंगे। यह सामाजिक न्याय नहीं है, यह सामाजिक अन्याय है। दबाव में आकर किया गया कोई काम न तो आपके लिये अच्छा है और न हमारे लिये अच्छा है।

इसलिये हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि पार्टी पोलिटिक्स आदि चीजों को छोड़कर, आप प्रधानमंत्री जी का नाम लेते रहिये लेकिन साथ-साथ काम भी करते रहिये। जिन प्वाइंट्स की ओर मैंन ध्यान दिलाया है, उनको एकसाथ लेकर एक संविधान संशोधन विधेयक यहां लाने का काम करिये। मैंने जो अमेंडमेंट दी हैं, हमें तो पता नहीं रूल्स के मुताबिक उन्हें एक्सैप्ट किया जायेगा या नहीं, वोटिंग के लिये यहां लाया जायेगा या नहीं लेकिन हमने वे अमेंडमैंट इसी आशय से दी है कि आप संविधान संशोधन विधेयक के बारे में यहां रैस्पौंड करें, सरकार को यहां एश्योरेंस देनी चाहिये, यदि इस सत्र में आप नहीं ला सकते तो यह स्पष्ट करे कि कब तक वह ऐसा संविधान संशोधन विधेयक सदन में लायेगी। इन शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) *: उपाध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन यह विधेयक बहुत ही सीमित उद्देश्य के लिये लाया गया है। इस देश में लम्बे समय से आरक्षण पर चर्चा चल रही है। सरकार की ओर से तात्कालिक तौर पर, तमिलनाडु* की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, वहां के एक विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये, यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। इससे समस्या का तमिलनाडु में तो तात्कालिक तौर पर समाधान हो सकता है, वहां स्थिति शांत हो सकती है, वहां सभी पार्टियों के लोगों ने इसकी मांग की है लेकिन देश भर में इस सवाल को लेकर जो विवाद है तथा बहस छिड़ी हुई है, उसका निराकरण निकालने में सरकार की कोई दिलचस्पी दिखायी नहीं देती है।

संविधान का संशोधन रोजाना की घटना नहीं होनी चाहिये। एक बार जब संविधान में संशोधन किया जाये तो समस्या के सभी पहलुओ को, पूरे मामले को शामिल करके किया जाये। आरक्षण का आयाम बहुत विस्तृत है। इस सवाल पर जितने विवाद उभरकर सामने आये हैं, जितनी संविधान में कमियां हैं, उन सब कमियों को एक बार दूर करने के लिये संविधान संशोधन विधेयक लाया जाना चाहिये। आज तमिलनाडु के लिये बिल लाया गया है, कल कर्नाटक के लिये बिल लाया जायेगा, परसों किसी और राज्य के लिये लाया जायेगा, मैं समझता हूं कि यह सरकार की बिल्कुल अदूरदर्शी नीति का परिचायक है। सरकार की कोई दिलचस्पी दिखायी नहीं देती कि इस सवाल पर सार्थक बहस चलाकर किसी निश्चित स्थिति में पहुंचा जाये या इस सवाल को सर्वदा के लिये हल कर दिया जाये। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरक्षण की सीमा 50 परसेंट होगी और इस फैसले के चलते, इसकी व्याख्या के चलते, आज पूरे देश में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई हैं, वह बहुत चिन्ताजनक है। किसी भी स्थिति में, इससे अधिक आरक्षण हम नहीं दे सकते, कोई भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार नहीं दे सकती जबकि स्थिति बदल रही हैं। जबकि स्थिति बदल रही है। अभी पासवान जी ने कहा कि यहां एक तरफ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वहां दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोगों में भी इस बात को लेकर आक्रोश की भावना बढ़ती चली जा रही है कि उनको नौकरियों में जितने स्थान मिलने चाहियें, उतने नहीं मिल रहे हैं। जब आरक्षण का विवाद चला था तो कहा गया था कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 5 से 10 परसैंट आरक्षण दिया जायेगा। उसके लिये इस सीमा को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

ऐज रिलैक्सेशन का भी सवाल आया। उसके चलते यू०पी०एस०सी० का प्रीलिमिनरी टैस्ट का नतीजा आया। मैंने कुछ दिन पहले इस सदन में इस सवाल को उठाया था और जो समाचार पत्रों में आंकड़ें छपे, उसके आधार पर साबित किया कि आपकी आरक्षण देने की मंशा साफ नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया गया हैं, जो मैरिट के आधार पर आते हैं, उनको पिछड़े वर्ग की श्रेणी में डाल दिया जाता है। जबकि यह विशेष अवसर का सिद्धांत है। जो जनरल कैटेगिरी में कम्पीट नहीं कर सकेंगे, उनके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिये। आज आरक्षण की जो व्याख्या हो रही है, उसके चलते पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण नहीं है बल्कि गैर पिछड़े वर्गों, गैर अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जन जातियों के लिये 50 परसैंट आरक्षण होकर रह गया है। इसलिये यह स्थिति बदलनी चाहिये। देश में विवाद चल रहा था और कहा जा रहा है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिये।

इस देश में 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, उसके बाद कास्ट सैन्सस नहीं हुआ। आज हर जाति यह दावा करती है कि हमारी आबादी इतनी है, इसलिये एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिये। जाति के आधार पर जनगणना करने के बाद जितनी भी जातियां इस देश में बसती है, सब को आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाये। इससे किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और आरक्षण हो जायेगा। किसी को कोई हक छीनने वाला नहीं होगा और न ही किसी की आत्मदाह करने की नौबत आयेगी। इन तमाम विषयों पर एक साथ विचार होना चाहिये।

मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि ऐज रिलैक्सेशन होना चाहिये। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगो को मंडल कमीशन लागू करने के बाद पहली बार मौका मिला। हमने एक नहीं अनेक कारण गिनाये। सबसे पहले 1990 में वी०पी० सिंह जी की सरकार ने इसे लागू कराया। अगर कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई होती तो यह 1990 में लागू हो गया होता और 4 साल से उनको लाभ मिला होता। उसके चलते ऐज रिलैक्सेशन होना चाहिये। उनका इसमें कोई कसूर नहीं है।

9 वर्गों को यू०पी०एस०सी० की परीक्षाओं में आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। इनको ऐज रिलैक्सेशन की सुविधा मिली हुई है। सिर्फ ओ०बी०सी० को नहीं मिली है। इस आधार पर मैंने इस चीज की वकालत की थी। जब मैंने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी तो उसका जवाब कार्मिक राज्य मंत्री की तरफ से यह आया कि यह पहली बार लागू हुआ है, इसलिये इसको देखना पड़ेगा कि अमल करने पर क्या नतीजे सामने आते हैं नतीजा सामने आ गया। अन्य पिछडे वर्ग के लोग प्रीलिमिनरी टैस्ट में 12.25 परसैंट ही निकल पाये। ऐसी स्थिति में 27 परसैंट आरक्षण का कोटा भरने वाला नहीं है। यह सरकार की बदनीयती का द्योतक है। सरकार की इस मामले में नीयत साफ नहीं है। एक जगह हंगामा हुआ तो उसको लेकर इसको व्याख्या की गई।

प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर में सरकारी नौकरियां सिमटती चली जा रही हैं। सारे उद्योग प्राइवेट सैक्टर के सुपुर्द किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ से देकर दूसरी तरफ से छीना जा रहा है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सैक्टर में आरक्षण देंगे तो दूसरी तरफ उदारीकरण की नीति के चलते निजीकरण हो रहा है और विदेशी कम्पनियां आ रही हैं। यही नहीं सरकार का कई प्रकार की संस्थाओं के साथ व्यापार है। वे भी आरक्षण के दायरे में नहीं लाई गई है। रेलवे में जो मजदूर काम करते थे उनको हटा कर ठेके पर काम दिया जा रहा है। इनके लिये आरक्षण नही है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट सैक्टर को भी इस आरक्षण के दायरे में लाना चाहिये। आप इन तमाम बिन्दुओं पर विचार करें और राष्ट्रीय आरक्षण नीति बनायें। कहां किस आधार पर और किस अनुपात से आरक्षण होगा, उसको इसमें स्पष्ट करें। इन पर सभी दल के नेताओं से बातचीत करें। एक नतीजे पर पहुंच कर आरक्षण के सम्बन्ध में एक काम्प्रीहेंसिव बिल कॉस्टीट्यूशन अमैंडमेंट के माध्यम से लाये।

3.35 म०प०

(श्रीमती संतोष चौधरी, पीठासीन हुई)

सभापति महोदया, आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार उस काम्प्रीहेंसिव बिल को लाना नहीं चाहती है क्योंकि इनकी दिलचस्पी आरक्षण देने में नहीं है। इनकी दिलचस्पी तो कोई सवाल उठ खड़ा हुआ, उसके समाधान के लिए थोड़ी सी देर के लिए समाधान ढूंढने में है और उसके लिए ये एक विधेयक ले आए। आज हमारी मजबूरी है। आज अगर यह विधेयक पास नहीं होगा, तो तमिलनाडु के साथ अन्याय होगा। इसलिए तमिलनाडु की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार की निन्दा करना चाहता हूं कि इनकी नीयत आरक्षण देने की नहीं है। इनकी बदनीयती की निन्दा करता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जब इसका जवाब देगी, तो केसरी जी से उम्मीद करता हूं कि वे अपने जवाब में इन बिन्दुओं पर अपने विचार प्रकट करेंगे।

सभापति महोदया, हमें नहीं मालूम कि उनके क्या विचार है, लेकिन जब दूसरे मंत्रियों से कहते हैं, तो वे कहते हैं कि यह तो केसरी जी का आश्वासन हैं। मानो केसरी जी का आश्वासन सरकार का आश्वासन नहीं है। यदि ऐसा है, तो यह ठीक नहीं है।

इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोलते रहना, केसरी जी की ऐसी नीति ठीक नहीं है। हालांकि उनके इस कुछ भी बोलने का भी हम फायदा उठाएंगे, लेकिन जो इस नीति का निचोड़ है वह यह है कि हकीकत में जब कुछ भी देने की मत आएगी, तो नहीं देंगे और उससे मुकर जाएंगे।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केसरी जी से कहना चाहता हूं कि अभी आपने प्रधान मंत्री जी की बहुत प्रशंसा की, लेकिन आपकी बात कहां तक चलती है वह इसी के प्रतीत हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर बहस हो रही है। लेकिन प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थिति नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनकी नीयत क्या है? हमें लगता है कि उनकी दृष्टि साफ नहीं है और हर सवाल पर प्रधान मंत्री जी मौन धारण कर लेते हैं। वे वोट की राजनीति कर रहे हैं। आपके माध्यम से वे वोट भी लेना चाहते हैं। आपको सामने खड़ा करके वे वोट लेना चाहते हैं और आपकी बात को नहीं मानते हैं, यदि उनकी यह नीयत है, तो वह वदनीयत है।

सभापित महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विरोध दर्ज करते हुए, जो मूल विधेयक है, उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि भाषण देने वाले कई लोग हैं और हमें यह सब चार बजे तक पूरा कर लेना चाहिए और उसके बाद हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदया, मैं 3-4 मिनट का समय लूंगा। मैं थोड़ी आपत्तियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से इनका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं और मेरे विचार से यह पूरी सभा सरकार की आरक्षण नीति से परेशान है। इसमें कई खामियां और कमियां हैं और मैं सरकार का विचार जानना चाहता हूं। मैं श्री राम विलास पासवान अथवा मेरे पार्टी सहयोगी श्री नीतीश कुमार द्वारा पूछे गए प्रश्नों को दुबारा नहीं पूछूंगा।

श्री नीतीश कुमार : मैं आपका सहयोगी नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : इससे यह पता चलता है कि सरकार की आरक्षण नीति के बारे में देश भर में कितनी गलत धारणाएं बन गयीं है।

बदलती हुई परिस्थितियों में हम एक ही बात पर किस तरह अड़े रह सकते हैं? मेरे विचार से अब समाज में उत्पन्न हुई नई मांगों, उभरे कर आए नए कारकों और सामाजिक न्याय की सभी मांगों को देखते हुए इस मामले की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए और संविधान में व्यापक संशोधन किए जाने चाहिएं।

महोदया, मैं बहुत ही संक्षेप में दो प्रश्न रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम, तमिलनाडु विधेयक को न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने हेतु सरकार के वर्तमान प्रस्ताव का समर्थन करते समय मेरे मन कुछ प्रश्न उभर रहे हैं। मेरे विचार से सभा को विधेयक की विषयवस्तु की व्याख्या करने माननीय मंत्री की जिम्मेवारी है जबकि हमारे समक्ष सारी बातें रखी नहीं गई है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मैंने इसके अलग-अलग ब्यौरे के बारे में पूछा था और मुझे यह बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत, अनुसूचित

जनजातियों के लिए एक प्रतिशत और पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। इस समय चाहे हम माने या न माने हमारे समक्ष उच्चतम न्यायालय का फैसला हैं। इसमें यह कहा गया है सामान्यतः आरक्षण पदों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो और आमतौर पर इसे आबादी के अनुसार रखा जाता है। अब, यहां पर आप केवल पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 19 प्रतिशत निकाल लेंगे तो यह कुल मिलाकर 81 प्रतिशत हो जायेगा। उदाहरणार्थ उच्च वर्ग व और अल्पसंख्यक लोगों का 10 प्रतिशत के बराबर हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि इनकी वास्तविक संख्या कितनी है। तमिलनाडु में यह 71 प्रतिशत मंडल सूत्र के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 35.5 प्रतिशत तक सीमित रखना चाहिए परन्तु इसे 50 प्रतिशत रखा गया है। इस समस्या को सुलझाने की आवश्यकता है। इसे हरेक राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय करने के लिए ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए कुछ सिद्धान्त बनाए जाएं। कुछ मार्ग निर्देश बनाने चाहिएं। हम आरक्षण चाहते हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हम समाज के दलित वर्गों के लिए आरक्षण चाहते हैं। यहां श्री राम विलास पासवान का सबके लिए आरक्षण का सूत्र लागू किया जा सकता है। आबादी के अनुसार विभिन्न वर्गों और विभिन्न समुदायों सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। तथापि, संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अपनी आबादी के अनुसार आरक्षण का पूरा लाभ मिलना चाहिए और अन्यों को आरक्षण उनके पिछड़ेपन के आधार पर मिलेगा एवं इसके बाद इस तरह से बहुत थोड़ा हिस्सा ही बच जाता है। मोते तौर पर हमने अन्य लोगों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही है। परन्तु यदि कोई समुदाय अथवा कोई समूह अन्य वर्गों की तुलना में अत्याधिक पिछड़ा हो तो उसे आबादी के 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाए। अतः, सभी पर लागू होने वाला कोई सूत्र बनाया जाये और इसे संविधान में संशोधन करके संसद द्वारा लागू किया जाए जिससे इसकी सीमा बढ़ाने की मांग होने पर प्रत्येक राज्य इसे लागू करें।

महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न इस प्रकार है। इसमें कई कानूनी अडचनें थीं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को भी इन सबकी जानकारी है। समाचार पत्रों के अनुसार इस संशोधन की वैधानिकता के बारे में विधि मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय के बीच मतभेद पैदा हो गया था। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे हमें इसके कानूनी आयामों के बारे में बताएं। वर्तमान स्थिति यह है कि तमिलनाडु के विधेयक को चुनौती दी जा सकती है। तमिलनाडु विधेयक को समर्थन देते हुए मुझे कावेरी विवाद वाली स्थिति याद आती है। उच्चतम न्यायालय के पास यह मामला लंबित था और राज्य विधानमंडल ने इसपर कार्यवाही शुरू की। तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप हमारे पीछे इस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। जब मामला न्यायालय के विचाराधीन हो, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे आशा है कि सरकार इन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगी। मैं यह नहीं समझता कि यह सभा विधेयक को गंभीरतापूर्वक ले तथा पारित कर दे। यह महत्वपूर्ण मामला होने के कारण यदि आप आज संविधान में संशोधन करते हैं तो कल उच्चतम न्यायालय कहेगा आप इसे गलत ढंग से ऐसा नहीं कर सकते हैं आप हमारे पीछे ऐसा नहीं कह सकते है, अत इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है।" अतः मैं समझता हूं कि सरकार बिना गंभीरता के और बिना सोचे-समझे कार्य कर रही है। केवल कुछ लोगों की संतुष्टि के लिए ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह केवल राजनीतिक स्थिति से निपटने की कोशिश कर रही है। यह एक उत्तरदायी सरकार के व्यवहार करने का तरीका नहीं है। मैं एक बार फिर श्री केसरीजी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वह यथाशीघ्र एक व्यापक विधेयक लेकर सभा में आयें, जिसमें श्री राम विलास पासवान तथा श्री नीतीश कुमार द्वारा उठाए गये सभी मुद्दे सम्मलित हों । आप सभी को धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सोमजीभाई डामोर (दोहद) : सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि हर राज्य हर वक्त अपना-अपना अधिकार मांगेगा तो कितनी बार आप संविधान में संशोधन करेंगे ? हमारे यहां 25-26 राज्य हैं, उनके लिए कितनी बार आप संशोधन करते रहेंगे ?

मेरी तो मांग है कि आप पिछड़े वर्ग के आरक्षण को छोड़ दें और जितनी ब्राह्मण बनियाद आदि जातियां है उनके लिए 10-54 परसैन्ट आरक्षण आप कर दें। इसके लिए आप यहां एमेंडमेंट वापस ले लें। यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : सभापति महोदया, तमिलनाडु एसेम्बली द्वारा पास रिजर्वेशन से संबंधित जो बिल सदन में लाए हैं, उसका हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं। नवम्बर में तमिलनाडु एसेम्बली में पास होनें के बाद, ए०आई०डी०एम०के० द्वारा पूरे तमिलनाडु को बन्द करने के बाद और केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालने के बाद यह बिल केन्द्रीय सरकार लाई है। माननीय सदस्यों ने कहा है, यू०पी०एस०सी० में बैकवर्ड क्लासेस को 27 परसैंट नहीं मिल रहा है, 12 परसैंट ही मिल रहा है। क्या इस अन्याय को केसरी जी ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा० जी०एल० कनौजिया (खीरी) एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया। मैंने माननीय मंत्री से मुलाकात की प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वह खुली प्रतियोगिता के लिए किया गया था।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : आज तमिलनाडु का आया है, फिर कल आन्ध्र प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी और कर्नाटक में, सभी प्रान्तों में ऐसी ही भावना उभरेगी, इसलिए पिछड़े हुए वर्ग की जनगणना जल्दी करके और सहमति के साथ सभी दलों का कन्सैंसस लेकर, देश में द्वेश की भावना न पैदा होते हुए, सभी वर्गों को कान्फिडेंस में लेते हुए, इस समस्या को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार के जल्दी से जल्दी कानून लाना चाहिए। इसके साथ ही मंडल कमीशन में प्रमोशन और रिजर्वेशन के बारे में जो कहा है, अभी तक उसके बारे में भी मंत्री जी ने अमेंडमेंट नहीं किया है। मैं केन्द्रीय मंत्री, श्री सीता राम केसरी जी से दरख्वास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अन्याय न होते हुए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में कान्स्टियूशन में अमेंडमेंट करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं केवल एक मिनट बोलूंगा। मेरी पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण संबंधी इस संविधान (संशोधन) विधेयक को समर्थन देने का निर्णय लिया है। हमने विधेयक को समर्थन देने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि तमिलनाडु में 50% से अधिक आरक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्णय काफी पहले से दिया जा रहा था। इसलिए हम इसे समर्थन दे रहे हैं। हम तमिलनाडु के गरीब, पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मन में यह भावना नहीं आने देना चाहते हैं कि अब तक उन्हें दिए गए अधिकार छीन लिए गए हैं। यदि किसी अन्य राज्य में उच्चतम न्यायालय में फैसले से पहले 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था हो तो हम उन्हें भी अपना समर्थन देंगे। धन्यवाद महोदया।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : वास्तव में मैं तो इस चर्चा में भाग लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं। परन्तु कतिपय मुद्दे हैं, जिन पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस ऐतिहासिक विधेयक अर्थात् संविधान (पिचासीवां संशोधन) विधेयक को हमारे द्वारा अधिनियम के रूप में पारित करते समय मैं श्री राम विलास पासवान द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों का उस सीमा तक समर्थन करता हूं, जहां तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संबंध है। यह अनुचित था; यह संदर्भ से हट कर था; यह निदेशपदों के अनुरूप नहीं था; उच्चतम न्यायालय की पीठ इस पर विचार नहीं कर रही थी, परन्तु उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण की नीति का विस्तार पूर्वक निरूपण किया है। मैं कहूंगा कि उस सीमा तक यह निर्णय ही असंवैधानिक है और इसे ठीक करने के लिये हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिये। हमने सभी राजनैतिक पार्टियों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी संसद सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त एक विस्तृत ज्ञापन सरकार को दिया है। लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

दूसरी बात जो श्री शहाबुद्दीन ने उठायी है, उस पर भी अब गंभीर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले दिये गये निर्णय के विरुद्ध हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस विधेयक को अधिनियम बनाने से पूर्व सरकार ने पूरी तरह विचार किया होगा और ऐसा नहीं हो कि विधेयक हर तरह की निदात्मक टिप्पणियों सहित सदन में वापस आ जाये।

महोदया, एक बात मैं अभी एक मिनट के अन्दर कहूंगा और वह यह है कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ से उठे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी मुद्दे हटाये जाने चाहिये। वे अकारण हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। पीठ उन पर विचार नहीं कर रही थी। उदाहरण के लिये पदोन्नोति में आरक्षण, मलाईदार परत के सिद्धान्त को लागू करना तथा एक वर्ष का कोटा दूसरे वर्ष में ले जाने जैसे मुद्दों को ही लें। अब दो तीन बातों का पता चल चुका है यथा सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और अन्य उपक्रमों का भारत सरकार द्वारा निजीकरण किया जाना इसके बाद सामान्य रूप से सरकारी विभागों जैसे रेल विभाग, डाक तथा तार तथा बहुत बड़े विभाग जिनमें लाखों मजदूर लगे हैं, में सेवाओं का निजीकरण किये जाने के कारण उन्हें ठेकेदारों और अन्य निजी संस्थाओं के लिये खोला जा रहा है। वे हमें आरक्षण के तत्व से वंचित कर रहे हैं। इसलिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति फोरम (मच) की पिछली बैठक में एक सामान्य और सर्वसम्मत मांग की गयी थी कि हमें गैर सरकारी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग को उठाना चाहिये।

महोदया, हमने नवीनतम जनगणना अर्थात् 1991 की जनगणना के अनुसार आरक्षण समुचित रूप से बढ़ाने की मांग भी की थी।

मंत्री महोदय को इन मुद्दों का खुलासा सदन के समक्ष करना चाहिये। यह इस कारण क्योंकि यह एक ही बार बनाया गया कानून होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि अन्य माननीय सदस्य ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेंगे। सदन के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि किसी भी राज्य द्वारा आरक्षण का कानून बनाये जाने के प्रत्येक अवसर पर हम भी वैसा ही विधेयक सदन में प्रस्तुत करें। जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का संबंध है इस आरक्षण नीति का कानून द्वारा पृष्ठपोषण होना चाहिये। सदन के समक्ष ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जिसे मंत्री महोदय द्वारा पहले ही विचारार्थ किया गया हो। मैं तो कहूंगा कि में सभी मुद्दे बहुत ही उपयुक्त और प्रासंगिक हैं। इस विधेयक को पारित करने के इस क्षण में इस विधेयक का कोई विरोध नहीं है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। यह विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित किया जा सकता

है। परन्तु ये मूलभूत मुद्दे हैं, जिन पर मंत्री महोदय द्वारा विचार किया जाना चाहिये और सदन को ध्यान देना चाहिये। अन्यथा, आप ऐसा कुछ कर रहे होंगे जो उचित नहीं है और जो दुर्बल वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अन्यायपूर्ण होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदया, मेरे दल की ओर से मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है, हम इसका पूरे मन से समर्थन कर रहे हैं। तमिलनाडु राज्य के संबंध में आरक्षण संबंधी नीति के पूरे इतिहास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1921 से चरण-दर-चरण ये वर्तमान स्थिति अर्थात् 69 प्रतिशत तक पहुँचे हैं।

स्पष्ट रूप से, जिस चीज की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि इतनी पुरानी है, उसे इस अर्थ में भिन्न प्रकार समझा जाना चाहिये कि इसे अचानक समाप्त नहीं किया जा सकता जो स्पष्टतः उन सभी सुपात्र लोगों के प्रति किया गया घोर अन्याय होगा, जो इतने अधिक समय से आरक्षण के लाभ ले रहे थे। यह किसी राज्य के उस दृष्टिकोण से भिन्न है जिसका यह विचार हो कि भविष्य में उसे आरक्षण को एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ाना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं कि प्रत्येक राज्य को यह अधिकार होना चाहिये। कम से कम आज मै इससे सहमत नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि इस बात के क्या परिणाम निकल सकते हैं कि प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिये। मेरे विचार से यदि इस बात को उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाया गया, तो कोई नहीं बचेगा। खैर, फिलहाल, जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, इसका पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिये।

महोदया, मैं केवल एक बात पर कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा और यह है कि भारत सरकार ने इस विधेयक पर जो दृष्टिकोण अपनाया है उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के नवंबर, 1992 के निर्णय को, जो प्रसंगवश, उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पूरी पीठ का निर्णय था, उसे अनिवार्य नहीं मानती।

सरकार उस निर्णय को अनिवार्य नहीं मानती; शायद वह उसे अनुशंसात्मक मानती है; मैं नही जानता यदि उसने इसे अनिवार्य और बाध्यकारी माना होता, तो वह राष्ट्रपति को इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करने की सलाह न देती। अतएव, सरकार पहले ही एक कदम आगे रख चुकी थी; और अपनी कार्यवाही से उन्होंने यह दर्शाया है कि वह उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को अनिवार्य तथा बाध्यकारी नहीं मानती है।

इसलिये मैं अब केवल एक ही बात जानना चाहता हूं। जब हम इस विधेयक को नौवीं अनुसूची के अंतर्गत संरक्षण देने का प्रयत्न कर रहे है तो क्या वह संरक्षण वास्तव में किसी भी प्रकार के प्रभाव से परे होगा? क्या यह उच्चतम न्यायालय को किसी भी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप से प्रतिकारित करता है? क्या वे अब भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते अथवा हमारे द्वारा इस विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का कानून बनाये जाने के बाद भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्या यह 100 प्रतिशत संरक्षण है। क्या इसके बाद न्यायिक हस्तक्षेप की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का कहना है, "नहीं, आपने हमारे निर्णय का उल्लंघन किया है।" इसलिये, वे कुछ निदात्मक टिप्पणियां कर सकते हैं; वे कुछ निषेधों अथवा संशोधनों का सुझाव दे सकते हैं और उस समय हम कठिनाई में पड़ जायेंगे।

इसलिये, हम इस पर सरकार से आवश्वासन चाहते हैं। राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति प्रदान करने की सलाह देने से पहले उन्होंने इन सभी पहलुओं पर विचार कर लिया होगा। यह सोच कर इससे हटने का कोई लाभ नहीं है कि अब इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिये जाने के बाद अब आगे कोई अनिश्चयात्यकता अथवा

खतरा अथवा जोखिम या ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं मेरे विचार से यह भ्रम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय चाहे तो वह हस्तक्षेप कर सकता है; यदि वह इस बात पर अपमानित अनुभव करे कि संसद ने ऐसा कुछ किया है जो उसके विरुद्ध जाता है।

आधार भूत ढांचे का तर्क एक और तर्क है जिसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। अतः हम यहां अब जो कानून बना रहे हैं हमें उसका ठीक-ठीक ज्ञान होना चाहिये। जहां तक इसके आरक्षण वाले भाग का संबंध है, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं।

3.56 म०प०

(श्री पी०सी० चाको पीठासीन हुए)

जहां तक नौवीं अनुसूची के अंतर्गत संरक्षण का संबंध है, हम सरकार से आश्वासन चाहेंगे कि क्या न्यायिक हस्तक्षेप की कोई संभावना है अथवा इसे बिल्कुल प्रतिवारित किया जा रहा है। हमें यह बताया जाये।

3.57 म०प०

[अनुवाद]

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सभा में या राज्य विधानमंडल में इस अधिनियम विधि सम्मत होने का प्रश्न यदि उठाया जाता है, तो मेरी समझ से, यहां महाधि ावक्ता को बुलाया जाना आवश्यक है। अन्यथा हम सभी उपहास के पात्र बन जाएंगें।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गौड्डा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण करने के लिए जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, इसका हम लोग सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने राज्य के बारे में और जिस इलाके से मैं आता हूं, उस इलाके की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इलाके की स्थिति के बारे में इस समय मत कहिए। ऐसा ठीक नहीं है, किसी भी बात को कहीं भी नहीं कह सकते।

श्री सूरज मण्डल : जब तमिलनाडु की स्थिति के बारे में बात हो रही है तो बिहार के बारे में बात क्यों नही हो सकती?

अध्यक्ष महोदय : नहीं हो सकती, कहीं भी किसी भी बात को नहीं किया जा सकता। यह ठीक नहीं है, आप बैठ जाइए।

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है, उसके बाद से मेरे प्रांत के अंदर कई ऐसे जिले हैं, जहां किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त आपके प्रांत की बात नहीं हो रही, तमिलनाडु की बात हो रही है।

श्री सूरज मण्डल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सरकार को इस संबंध में पूरे देश के लिए एक समान बिल लाना चाहिए और इसको 9वें शेड्यूल में डालना चाहिए, ताकि सभी राज्यों को इसका लाभ समान

रूप से मिल सके। आज तमिलनाडु सरकार केन्दबाव में यह बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है और बिहार में एक आंदोलन खड़ा करने की स्थिति पैदा की जा रही है। जब वहां पर 80 प्रतिशत आरक्षण की बात आएगी, तब आप क्या करेंगे। तब राज्य बंद किया जाएगा, कोयला बंद किया जाएगा, रेलसेवा बंद की जाएगी, तब क्या स्थिति होगी। ऐसी स्थिति देश में पैदा नहीं होनी चाहिए।

अतः मेरा कहना यह है कि पूरे देश के सभी राज्यों में समानरूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले, इस तरह का बिल यहां पर लाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं और मेरा दल इस बिल का समर्थन करते है।

4.00 म०प०

[अनुवाद]

श्री आर० अन्बारासु (मद्रास मध्य) : संसद के इतिहास में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जबकि ऐतिहासिक विषमताओं को दूर करने के लिए और इस देश की अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े लोगों पर ढाएं गए ऐतिहासिक अन्यायों को मिटाने के लिए ऐसा संशोधन लाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और कल्याण मंत्री जी को भी बधाई देता हूं।

साथ ही मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि एक राजनीतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह केवल एक आंशिक प्रबंध हें इस समस्या का यदि कोई स्थाई समाधान है तो वह केवल आनुपातिक आरक्षण है, जैसाकि श्री राम विलास पासवान और श्री नीतिश कुमार ने सुझाया था। वस्तुतः ब्रिटिश राज के जमाने में 1921 में ही एक अत्यंत समुदाय प्रणाली के अंतर्गत समुदाय विशेष की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक आरक्षण हुआ करता था। अतः उसी से समस्या का समाधान हो पाएगा।

मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की एक न्याय पीठ ने फैसला दिया है कि तमिलनाडु से दिल्ली चला जाने वाला हरिजन अपनी विशिष्ट हैसियत खो देगा और उसे हरिजन नहीं कहा जाएगा। मैं सभी हरिजनों से चाहे ये जहां कहीं भी हो, अपील करता हूं कि वे उठ खड़े हो और जागृत हो जाएं। उन्हें यह भूलना नही चाहिए। यह उन पर किया जा रहा एक अन्याय है। इन भूली बिसरी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े लोगों पर उच्चतम न्यायालय का यह एक प्रहार है। इसे असफल किया जाना चाहिए। इससे पिछड़े वर्ग के लोग भी प्रभावित होंगें। अतः, मेरे विचार से जाति केआधार पर एक जनगणना की जानी चाहिए और हमें पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक समुदाय को कितना आरक्षण मिले। केवल इसी प्रकार समस्या का समाधान हो पाएगा।

जैसा कि बताया गया है जो ठीक भी है कि यह प्रत्येक राज्य पर छोड़ दिया जाए कि वह राज्य विशेष में जाति के आधार पर जनसंख्या का प्रतिशत तय करे, क्योंकि स्वयं राज्य ही अपनी सही सही संख्या जान पाएगा।

अतः मैं माननीय कल्याण मंत्री जी से भी अत्यंत सचेत रहने का आग्रह करूंगा। इस संशोधन के विषय में मेरी कुछ अपनी भी आंशका यह है कि यहां स्वीकृत हो जाने के बाद इसकी वैधता को में उच्चतम न्यायालय चुनौती दे सकता है यह संभावना है कि उच्चतम न्यायालय इसे अस्वीकार कर दें।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में आरक्षण के बारे में बात हो रही है। मैं

यह कहना चाहता हूं कि एससी एसटी के आरक्षण के पद आज तक भरे नहीं गए इसलिए उसमें बैकलाग है, हजारों की संख्या में वे पूरे होने चाहिए। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन का मामला चल रहा था, लेकिन प्रमोशन में एससी एसटी को जोड़ दिया, इसके विरोध में हमने मंत्री जी से कहा है कि इसके लिए जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट लाकर इस महत्वपूर्ण काम को पूरा किया जाए। सारे हिन्दुस्तान में ऐसे लोग है जो आरक्षण में प्रमोशन के कारण बैठे हुए हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। दूसरी एनुअल रिपोर्ट की रिकेमन्डेशन नं० 432 में कहा गया था कि क्लास थी और फोर्थ में जिला स्तर पर पापुलेशन को ध्यान में रखकर आरक्षण का प्रतिशत तय किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी रिपोर्ट को आज तक मान्यता नहीं दी गई है। ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह नाईन्थ शेड्यूल में डालने की बात है। आप जिला परिषद या ग्राम पंचायत की बात लायेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री रतिलाल वर्मा ··· **(व्यवधान)** सही रूप में जो काम होना चाहिए वह नहीं हुआ है। एससी एसटी के लिए सही रूप में आरक्षण होना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लीग की ओर से तमिलनाडु मे पिछड़े वर्गों को 69 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का पूर्ण और भरपूर समर्थन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि गत कई शताब्दियों से इस देश में पिछड़े वर्ग पीड़ित रहे हैं और इन लोगों के साथ न्याय किया जाता है।

मुझे पूरी आशा है कि यह विधेयक तमिलनाडु राज्य की आबादी के सभी पिछड़े तबको के लिए वरदान सिद्ध होगा। यह भी अच्छी बात है कि विधेयक को नवीं अनुसूची में लाकर इसे न्यायिक प्रतिरक्षिता प्रदान की गई है। मैं आशा करता हूं कि इसे उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं देगा।

यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी श्री राम विलास पासवान की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आबादी के सभी तबको को जो पिछड़े हैं, आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि जहां तक मुसलमानों का प्रश्न है, तो वे इस देश में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। इस कारण केरल में नेट्टूर आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि केरल में सभी मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण किया जाए। केरल के मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार गोपाल सिंह पैनल ने सुझाया है कि मुसलमान शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और इसलिए इस आधार पर मुसलमानों को पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों के कुछ तबकों को पिछड़ा वर्ग कोटे के अंतर्गत आरक्षण मिलता है पर यह पर्याप्त नहीं है। यह सन्तोषप्रद भी नहीं है। मुसलमान चूंकि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, अतः उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा सुझाव है कि कोटा, ढांचे के अंतर्गत और पिछड़ा वर्ग कोटा के अंदर और बाहर तय किया जाना चाहिए। इससे मुसलमानों को संतोष मिलेगा। उसका अर्थ होगा कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है।

जनसंख्या के सभी पिछड़े तबकों के साथ न्याय किया जा रहा है। अतः इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के साथ भी न्याय होना चाहिए। यह समुदाय शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है।

मुझे आशा है, सरकार इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी ताकि देश की आबादी का यह तबका संतुष्ट हो सके।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थक करता हूं और वास्तव में इस विधेयक को स्वीकृत करने के लिए तमिलनाडु की जनता, वहां की राजनीतिक पार्टियों, वहां के मुख्यमंत्री और सरकार को बधाई देता हूं। अब हम इसे नवीं अनुसूची में लाएंगें। कारण और उद्देश्यों का कथन पढ़ते समय मुझे एक शंका हुई। मैं माननीय मंत्री जी से वास्तविक स्थिति के विषय में जानना चाहूंगा जिसे इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विषय में कारणों और उद्देश्यों के कथन में बताया नहीं गया हैं इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके बाद पूर्ण विराम हैं पर फैसले में ऐसा कोई पूर्ण विराम नहीं है। फैसले में जोड़े गए एक और वाक्य के अनुसार यह विशेष क्षेत्रों में बढ़ सकता है। इस बात का जिक्र यहां नहीं किया गया हैं कारणों और उद्देश्यो के कथन उच्चतम न्यायालय का फैसला पूर्णतः परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार कारणों और उद्देश्यों के इस कथन से केंद्रीय सरकार द्वारा गलतफहमी पैदा की जा रही है।

मेरे माननीय सहयोगी श्री शहाबुद्दीन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है यह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि यह 50 प्रतिशत से नहीं बढ़ेगा। उन लोगों ने कहा है : इसे 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। इसकी प्रकृति परामर्शात्मक है और केंद्र सरकार ने अलग ही रूख अपनाया हैं एक बार तमिलनाडु सरकार विशेष अवकांश याचिका लेकर उच्चतम न्यायालय गई। उन्होंने कहा हां, हम मानते हैं यह नहीं होगा। पर उच्चतम न्यायालय ने यह रूख नहीं अपनाया है।

उन्होंने अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की व्याख्या की है। अनुच्छेद 16(4) में अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि यदि वे समझते हैं कि अगर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को राज्य सेवाओं और शिक्षा में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो राज्य किसी भी हद तक शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण कर सकते हैं। अतः केन्द्र सरकार द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण वास्तव में विवादास्पद है। आखिर स्थिति क्या है ?

विधि मंत्री कहते हैं कि यह अनिवार्य हैं। कल्याण मंत्री कहते हैं कि यह अनिवार्य नहीं हैं। यह विरोधाभास क्यों हैं? विधि मंत्री को इस संबंध में भारत सरकार को ठीक-ठीक सही स्थिति है को स्पष्ट करना चाहिये क्योंकि उद्देश्यों और कारणों के कथन में तो इसे समुचित रूप में बताया नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमें यह समझ लेना चाहिए कि कानूनी स्थिति क्या है, यह निर्णय सभा में नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार के कानून की आप यहां व्याख्या कर रहे हैं, वहीं कानून आप बनाइये।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या अंतिम है। किन्तु में यह जानना चाहता हूं कि क्या 'इन्दिरा साहनी व अन्य लोग बनाम भारत सरकार व अन्य लोग' बाद में दिया गया निर्णय राज्य को मानना होगा। क्या यह सरकार की राय है ? मेरे विचार से यह बाध्यकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप किसकी राय के बारे में पूछ रहे है ?

श्री श्रीकान्त जेना : सरकार कह रही है कि यह बाध्यकारी है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार ऐसा नहीं कह सकती।

श्री श्रीकान्त जेना : सरकार को उच्चतम न्यायालय की पीठ से इस पर स्पष्टीकरण लेना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे समझ लेनी चाहिए यह कानून तमिलनाडु विधान सभा द्वारा पारित किया

गया है। और आज आप इस कानून को संविधान को नौंवी अनुसूची में शामिल कर रहे हैं। बात इतनी ही सरल है।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय मुझे स्पष्ट करने दीजिए। बात यह है कि मान लीजिए यह इसलिये बाध्यकारी है क्योंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय "चाहिये" नहीं है बल्कि यह है कि "होगा" तो आपको संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में सशोधन करना होगा और इस विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल करने लेने मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अन्यथा, जब उच्चतम न्यायालय की व्याख्या है "होगा" तो तमिलनाडु विधान सभा यह कानून बनाने की शक्ति कहां से प्राप्त करेगी?

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में आपने अपनी विशद टिप्पणी में स्वयं ही यह बात स्पष्ट कर दी हैं कि "होगा" और "चाहिए" में क्या अन्तर है। आपने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया है।

श्री श्रीकान्त जेना : बात तो यह है कि इस सामान्य सभा को इस तरीके से नहीं चलना चाहिए जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया है। मैं यह प्रश्न क्यों उठा रहा हूं? इस मामले पर संविधान सभा में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 164 की ओर दिलाना चाहता हूं।

> "(1) मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्य मंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे :
>
> परन्तु बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा।"

यह प्रावधान मात्र तीन राज्यों के लिए ही क्यों रखा गया है? संविधान में यह प्रावधान केवल तीन राज्यों के लिए ही किया गया है। मैं आपका ध्यान संविधान सभा और श्री ए०वी० ठक्कर की अध्यक्षता में गठित समिति में हुई बहस की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। श्री ए०पी० ठक्कर की अध्यक्षता में संविधान सभा में एक समिति गठित की गई थी। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और यह मामला चर्चा के लिए उठा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को इन तीन राज्यों में विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए और पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसी कारण से संविधान के अनुच्छेद 164 में यह विशेष प्रावधान किया गया था।

इसका अर्थ यह है कि यदि कोई विशेष दर्जा दिया जाना है तो वह दिया ही जाना है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रावधान है एक मंत्री रखे जाने हेतु है।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं यही कहना चाहता हूं। मेरी बात यह है कि यह प्रावधान अन्य राज्यों के संबंध में नहीं है। यह प्रावधान मात्र इन तीन राज्यों के लिए ही क्यों है?

अध्यक्ष महोदय : इसका कारण है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ....

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, यह आपकी अथवा मेरा मत नहीं है; यह मत तो संविधान सभा का था। महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान सभा में ए०वी० ठक्कर समिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस पर संविधान सभा में वाद-विवाद किया गया था। इसी लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा ...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। आज की कार्यसूची में स्पष्ट लिखा है कि 4.00 बजे नियम 193 के अधीन बहस शुरू होनी थी और अभी जिस विषय पर बहस चल रही है, बिना बहस के पास करने की बात कही गयी थी। यदि डिस्क्शन ही करनी होती तो हम लोग भी इसमें पार्टीसिपेट करते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको व्यवस्था प्रश्न को वैध मानता हूं और मैं चर्चा के लिए समय बढ़ा रहा हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : बात यह है कि तमिलनाडु विधान सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक के आशय के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। इसका पारण इस प्रकार न किया जाये कि कल इसका कहीं अता-पता हो न हो; और हम हंसी के पात्र ही बन कर रह जायें।

श्रीमन् मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया था। मुझे नहीं मालूम कि इसे विचारार्थ स्वीकार क्यों नहीं किया गया। मेरे संशोधन के अनुसार :

> "जहां अन्य पिछडे वर्गों की जनसंख्या 50% से अधिक है और राज्य विधान मंडल की राय में वे अभी भी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं, राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गये सांविधिक आरक्षण के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत की आरक्षण करने वाला ऐसा कोई अधिनियम भविष्य में पारित किया जाये।"

इसका अर्थ है कि भविष्य में बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विधान सभाओं के संबंध में कोई प्रतिबंध ही नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या उसे नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जायेगा ? आप क्या चाहते हैं ?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं मंत्री महोदय और केन्द्रीय सरकार से बस यह जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर उनका क्या दृष्टिकोण है ?

मैं इस मुद्दे पर यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मंडल मामले में उद्देश्यों और कारणों के कथन में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सम्पूर्ण मूल-पाठ को रखने के स्थान पर इस तरह से अव्यवस्थित रूप में क्यों रखा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए और विशेष मामलों में यह 50 प्रतिशत से अधिक भी हो सकता है।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 40 प्रतिशत है। और अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 54 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है। कि उड़ीसा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की कुल जनसंख्या 94 प्रतिशत है। आज उनके लिए आरक्षण कितना है? यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 40 प्रतिशत हो जाता है, तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मात्र 10 प्रतिशत आरक्षण रह जाता है। भविष्य में यदि उनकी जनसंख्या 42 प्रतिशत हो जाती

है, तो उनके लिए आरक्षण घट कर 8 प्रतिशत ही रह जाता है। उड़ीसा की कुल जनसंख्या का चौरानवें प्रतिशत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग हैं। यही बात माननीय श्री अर्जुन सिंह के राज्य मध्य प्रदेश पर लागू होती है जहां पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 12 प्रतिशत ही है परन्तु उनकी जनसंख्या 54 प्रतिशत से अधिक है।

इसीलिए एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। अन्यथा, इसका अन्त अव्यवस्था के रूप में होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं संविधान (पिचासीवां संशोधन) विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं जिसमें तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण के नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह अच्छी तरह ज्ञात है कि कई दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु, केरल और आपका राज्य महाराष्ट्र भी सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक न्याय आंदोलन तथा हमारे समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने में आगे रहा और आरक्षण वास्तव में इन संघर्षों का परिणाम है। सरकारी तंत्र में कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसीलिए उनके साथ कई अन्याय हुए। स्वतंत्रता के बाद ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त करने से बहुत पहले दक्षिण भारत की जनता के संघर्षों के परिणाम स्वरूप आरक्षण को राज्य की नीतियों में शामिल किया गया। कर्नाटक में मैसूर के महाराजा द्वारा 19वीं शताब्दी में आरक्षण लागू किया गया था। तत्पश्चात् महान नेता, सामाजिक सुधार के श्री रामास्वामी पेरियार ने तमिलनाडु में इस संघर्ष का नेतृत्व किया और आखिरकार 1921 में तमिलनाडु के लोगों को आरक्षण दिया गया।

अब हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि 1950 में उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण पर विचार करने हुए इसे खारिज कर दिया था और उन्होंने यह कहा कि आरक्षण समानता तथा समान अवसर के सिद्धात के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 के अतर्गत आरक्षण मान्य नहीं हैं उन्होंनें इसे रद्द कर दिया।

तब संसद ने जनता के इस अधिकार को स्वीकार किया और तब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं इस संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान का पहला संशोधन आरक्षण के मुद्दे पर किया गया था जिसका प्रस्ताव पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इस प्रारूप को डा० भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था परंतु पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह कहा कि "आप विधि मंत्री है। आप कमजोर वर्ग के है। इस संशोधन को मुझे प्रस्तुत करने दें ताकि देश की जनता यह समझे कि यही हमारी राष्ट्रीय नीति है।" पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय संविधान का पहला संशोधन प्रस्तुत किया तथा अनुच्छेद 15 एवं 16 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16(4) को जोड़ा गया। अतः यह बड़े संघर्ष का परिणाम है और इसी के परिणामस्वरूप इस आरक्षण नीति को स्वीकार किया गया था।

अब प्रश्न यह है कि इसमें समस्याएं हैं। श्री अर्जुन सिंह यहां पर हैं। वे पिछड़े तथा कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के जबर्दस्त समर्थक रहे हैं।

मैं तमिलनाडू की जनता को बधाई देता हू जिन्होंने शुरू से ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर वास्तव में संघर्ष किया है। इस संघर्ष का नेतृत्व श्री पेरियाट ने किया फिर बाद में श्री अन्ना दुरई, श्री एम०जी०आर०, श्री करूणानिधि अब डी०के० नेता श्री के० वीरमणि नेतृत्व कर रहे हैं। इसके लिए तमिलनाडु विधानसभा बधाई की पात्र है। तमिलनाडु विधानसभा में सभी दलों ने एकमत से इस प्रस्ताव को पारित किया था। उन्होंने सर्वसम्मति से अधिनियम पारित किया। तत्पश्चात् वर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री जय ललिता ने एक सर्वदलीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व भारत सरकार के समक्ष किया तथा वे प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से मिली। अंत में सभी दलों

ने भी इसका समर्थन किया। सभी दलों द्वारा समर्थन किए जाने पर भारत के राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते थे। इस दृष्टि से अब यह संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है ताकि आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके।

महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दो मुद्दे उठाए है। वे यह जानना चाहते थे कि क्या भारत सरकार को विश्वास है कि इस प्रावधान को रद्द नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यही वास्तव में मुख्य मुद्दा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यही मुख्य बात है। यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं भी एक बैठक में था जहां विधि मंत्री का अलग दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा कि पचास प्रतिशत आरक्षण के संबंध में उंच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय विचाराधीन मुख्य मामले पर विचार करते समय नौवी अनुसूची में यह प्रावधान शामिल करने संबंधी इस संशोधन को वांछनीयता पर विचार करेगा, निर्णय देगा और इसकी समीक्षा करेगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम निर्णय में कहा है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। अब आप यह संशोधन नौंवी अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सभी इसका समर्थन करते हैं। क्योंकि हम यह मानते हैं कि तमिलनाडु के लोग जिन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले ही वर्षों से 69 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता रहा है इसलिए उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। अतः हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है: आपने इसके साथ अनुच्छेद 14,15 और 16 में संशोधन के लिए व्यापक संविधान संशोधन क्यों नहीं प्रस्तुत किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। यदि आप इस मुद्दे पर गंभीरता से गौर करते हैं कि आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक हो जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, यदि आपने उसमें संशोधन किया है तो उसे रोका नहीं जाएगा। इससे एक दृष्टान्त बनेगा। अन्य राज्यों द्वारा इस लाभ को दिया जाना न्यायोचित होगा। ऐसा नहीं है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त या सी०पी०एम० इसका समर्थन कर रही है क्योंकि लोग 69 प्रतिशत आरक्षण का लाभ ले रहे इसलिए अधिकार नहीं लिया जाए। प्रश्न यह है कि 85 प्रतिशत लोगों की स्थिति क्या है, आरक्षण के संबध में आज स्थिति क्या है? पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अल्प संख्यक हमारी आबादी के 85 प्रतिशत है। कुछ अल्प संख्यक अर्थात जिन्हें पिछडे जाति का मुसलमान माना जाता है, भी मंडल आयोग पर आधारित आरक्षण से लाभान्वित होंगे। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में 22.5 प्रतिशत आरक्षण है। संविधान के लागू होने के 42 वर्षों के बाद भी उन्हें मात्र दस प्रतिशत लाभ मिला है। उन्हें आरक्षण का पूर्ण लाभ नहीं मिला। पिछड़ी जातियों की आबादी 52 प्रतिशत है परंतु आरक्षण का उन्हें मात्र चार प्रतिशत लाभ मिलता है। आज भी उनमें से मात्र चार प्रतिशत लोग सरकारी सेवाओं में हैं। मुसलमानों की आबादी 10 से 11 प्रतिशत है परंतु प्रशासन में उन्हें मात्र 1 प्रतिशत स्थान प्राप्त है। अतः 85 प्रतिशत आबादी वाले लोगों को सरकारी सेवाओं में मात्र 15 प्रतिशत स्थान मिला है। मैं यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह मात्र रोजगार का मुद्दा नहीं है। यहां प्रश्न सत्ता में भागेदारी का है। लोकतंत्र में यदि जनता का सत्ता में भागेदारी नहीं हो, यदि उनके अपने देश के प्रशासन में भागेदारी नहीं है, कानून बनाने वाली संस्थाएं जो नीति, कार्यक्रम बनाती है जो उन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करती है उनमें भागेदारी नहीं है, तो प्रजातंत्र अर्थहीन हो जाएगा? अतः प्रजातंत्र में इस देश की जनता की भागेदारी उसका मौलिक अधिकार है। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण उनका मौलिक अधिकार है। मैं इस संबंध में श्री सीमाराम केसरी से निवेदन करता हूं। आज हम इसे पारित करेंगे। मैं किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि हम विधायी निकाय हैं। हमारा कार्य केवल अधिनियम और कानून पारित करना हैं। उनकी व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का है। यह महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि न्याय संबंधी मुद्दा है। अतः हम इसे आज पारित करें। लेकिन सरकार आगामी सत्र में पुनः इस संबंध में काई व्यापक संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए। अन्यथा, न्यायालयों द्वारा समस्याएं पैदा की जाएंगी। जिन लोगों ने सिद्धांत रूप में कभी-भी आरक्षण को स्वीकार नहीं किया है वे इसका विरोध करने के लिए बहाना और अवसर तलाशते रहते है।

श्री अटल बिहारी ने आज कहा कि उत्तराखण्ड में पिछड़े वर्ग के लोग मात्र दो या तीन या चार प्रतिशत है। और 27 प्रतिशत आरक्षण के कारण समस्या उत्पन्न हो गई है। हमारा यह कहना है कि जिला और तालुका के आधार पर आरक्षण नहीं दी जा सकती है। एक ऐसी नीति होनी चाहिए जिसे आम तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

मैं श्री सीताराम केसरी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार ने भी सिद्धांत रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि अगड़ी जाति में आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें भी कुछ आरक्षण दिया जाना चाहिए। दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। उच्चतम न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? आप हमेशा कहते हैं कि आर्थिक मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। उच्चतम न्यायालय का यह कहना है, "वर्तमान संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।" पिछड़ेपन का निर्धारण केवल सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर किया जाएगा और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर निर्धारण नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अपने निर्णय में इन शब्दों का प्रयोग किया है:

"इस देश में जातियों का एक समूह वर्ग बन जाता है।"

उच्चतम न्यायालय के निर्णय में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया हैं यदि आप कुछ आरक्षण देना चाहते है तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ऊंची जातियों के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए आप को संशोधन प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अन्यथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए आप उन्हें आरक्षण नहीं दे सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके लिए व्यापक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न उठाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पांच वर्षों के बाद अनुसूचित जातीयों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नतियों में आरक्षण नहीं होगा। आपने भी इस आशय का वक्तव्य दिया हैं अब आपने इसके लिए परिपत्र भी जारी कर दिया है। आपने उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील क्यों नहीं की अपने इसकी समीक्षा करने के लिए क्यों नहीं कहा क्योंकि यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन नहीं था। उच्चतम न्यायालय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी। आपको इस निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहना चाहिए था। परन्तु आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप यह नहीं चाहते थे कि इस निर्णय की समीक्षा की जाए तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रोन्नति का लाभ मिले। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि कमजोरियों या गलत विचारधारा अथवा अस्पष्ट सोच या सुनिचारित दृष्टिकोण के कारण आपको इस मामले में कोई कार्यवाही करने की जारूरत है। आप केवल चापलूसी करते हैं। आप सब कुछ केवल कागजों पर ही करते है। आप इसे गम्भीरतापूर्वक लागू करके लोगों को वास्तविक लाभ नहीं देना चाहते हैं। सरकार के

गलत दृष्टिकोण और भ्रम के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो गई जिसके फलस्वरूप आन्दोलन हुआ। मेरा अनुरोध है कि इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। परन्तु शीतकालीन सत्र में आप को इस पर विस्तार से विचार-विमर्श करना चाहिए और व्यापक संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि जिन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है उन्हें इसका पूरा लाभ मिले।

श्री पी०जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक संविधान (संशोधन) विधेयक आरक्षण जिसे पिछले अनेक वर्षों से तमिलनाडु में लागू की जा रही है आरक्षण नीति की, रक्षा के नेक इरादे से प्रस्तुत किया गया है। यथास्थिति बनाए रखने और न्यायिक चुनौती से बचने के लिए इस विधेयक को लाना जरूरी था। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक चिंता का विषय है। तमिलनाडु में 88 प्रतिशत लोग पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। इसलिए हमारे समाज के दलितों को सामाजिक-न्याय देने और उनके उत्थान के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण जारी रखना नितान्त आवश्यक है।

हम यह भली भांति जानते हैं कि यद्यपि आरक्षण अधिनियम को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है फिर भी इसे चुनौती दी जाती है। परन्तु इस उपाय के द्वारा हमें कुछ राहत मिल सकती है। इस मामले में पूरी तरह सुरक्षा तभी मिल सकती है। जबकि राज्यों को जनसंख्या और इससे संबंधित अन्य स्थानीय बातों के अनुसार आरक्षण निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 15 और 16 के अन्तर्गत संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि इसी उद्देश्य के लिए कल मैं अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करने हेतु एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पुरःस्थापित करने जा रहा हूं।

यह विधेयक राज्य सभा में पहले ही पारित किया चुका है। सभी राजनैतिक दल इस बात पर सहमत हो गए हैं कि यह विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो जाना चाहिए। इसलिए हमें इस पर कोई विवाद नहीं करना चाहिए। मैं सभी राजनैतिक दलों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक का एकमत से समर्थन करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात का आश्चर्य है कि क्या यह विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित किया जाएगा।

श्री पी०जी० नारायणन : मैं सभी राजनैतिक दलों को धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार तथा प्रधानमंत्री महोदय को भी यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। यह विधेयक तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित हो चुका है। सरकार इस विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है। यह प्रासंगिक मुद्दा है आप आरक्षण के मुद्दे से संबंधित सभी बातों को इसमें शामिल नहीं कर सकते। यदि आप इन बातों को सरकारी सेवा, गैर-सरकारी सेवा, व्यापार, उद्योग आदि में शामिल करेंगे तो यह असीमित हो जाएगा।

श्री सीताराम केसरी : ऐसा हम कब तक करते रहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता। सदस्यों को मेरी बात समझनी चाहिए ?

श्री शोमनाडीश्वर राव वाड्डे (विजयवाडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं तेलगू देशम पार्टी की ओर से विधान सभा द्वारा यथापारित इस संविधान (संशोधन) विधेयक का, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करके अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की हितों की रक्षा करना है, पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मेरे सहयोगी पहले ही कह चुके हैं। मैं श्री राम विलास पासवान, श्री इन्द्रजीत गुप्त और अन्य माननीय सदस्यों के, जो मुझसे पूर्व बोले हैं, विचारों

से पूरी तरह सहमत हूं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आगामी सत्र में एक व्यापक संविधान (संशोधन) विधेयक लायें जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में लागू अलग-अलग प्रतिशतों में आरक्षण व्यवस्था की रक्षा की जाए क्योंकि शिक्षा और सामाजिक पिछडेपान की दृष्टि से उनकी जनसंख्या अलग-अलग है। भारत सरकार इन बातों को समझे और एक व्यापक विधान प्रस्तुत करें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस देश के लोगों का यह प्रबल विचार है कि समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर कथित अगड़ी जातियों के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को उच्चतम न्यायालय से यदि आवश्यक हो, तो पूर्ण खंडपीठ के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करना चाहिए ताकि समाज के कमजोर वर्गों के साथ न्याय किया जा सके ?

मैं तमिलनाडु सरकार को एक बार पुनः राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हेतु यह कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं। मैं सरकार को भी इस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान संशोधन बिल का समर्थन करता हूं। मंत्री जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं। अभी तमिलनाडु में इसे आप करने जा रहे हैं। बाकी स्टेट्स में भी ऐसी व्यवस्था कीजिये। वैलफेयर मिनिट्री इसके बारे में निदेश दे और नौवी अनुसूची में इसकी व्यवस्था करें।

रिजर्वेशन पालिसी में जो लैकुनाज हैं, उनको आप दूर करें। रेलवे ने रिजर्वेशन के मामले में अलग पॉलिसी बना रखी है। साईस एंड टैक्नॉलोजी विभाग में रिजर्वेशन नहीं है। सभी कमियों को दूर करके रिजर्वेशन के बारे में एक कॉम्प्रीहैंसिव बिल लायें।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं अपनी पार्टी, केरल कांग्रेस की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं ऐसे कल्याणकारी उपायो को संरक्षण देने के लिए नौवी अनुसूची में किए गये उपबन्ध के लिए संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता की प्रसंशा करता हूं। मुझे विश्वास है कि नौवीं अनुसूची में रखे जाने के बावजूद इसे चुनौती दी जा सकती है। सरकार और विधायिका के वर्तमान रूख के कारण अनुच्छेद 15 और 16 को चुनौती की गई है। मुझे विश्वास है कि और कानून बनाने तथा अनुच्छेद 15 और 16 में और संशोधन करने के लिए संसद के पास काफी शक्ति है।

मेरा विचार लम्बा भाषण देने का नहीं है, किन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं। समाज में अन्य वर्ग भी हैं जिन्हें आरक्षण, सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी उपायों की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया है। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म स्वीकार करता है, तो उसे अनुसूचित जाति के अधिकारों से वंचित किया जाता है। ऐसा दूसरा धर्म ग्रहण करने के कारण किया जाता है। मैं समझता हूं कि भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राज्य में, जहां हर व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। धर्म परिवर्तन करने मात्र से हरिजनों के रूप में उनकी स्थिति नहीं बदल जाती है। यह भी एक प्रश्न है, जिसे मैं इस समय सभा के विचारार्थ रखना चाहता हूं।

मैं एक बार पुनः इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं तमिलनाडु के लोगों, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के सभी राजनैतिक दलों और सरकार, प्रधानमंत्री तथा सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : मैं इस संशोधन विधेयक को लाने के लिए केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं। इस विधेयक को पारित कराने में सरकार का इरादा स्पष्ट है, हमारा विचार तमिलनाडु सरकार द्वारा यथापारित विधेयक का संरक्षण करने का है, जिसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

महोदय, इतिहास में हम पाते हैं कि 1921 से पूर्व तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। हम केवल तमिलनाडु विधेयक के संरक्षण के लिए इस संशोधन विधेयक — नौंवी अनुसूची में संशोधन का विधेयक पारित कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तमिलनाडु सरकार और इसकी विधान सभा ने एक मत से केन्द्रीय सरकार से इस विधेयक का संरक्षण करने को कहा है। अतः हमारा मुख्य कार्य इस विधेयक को संरक्षण प्रदान करना है। यह सम्मानित सभा, जो सर्वोच्च विधायी संस्था है, को तमिलनाडु सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आना चाहिये। मैं संसद सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने की जोरदार अपील करता हूं।

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, हमें बताया गया था कि इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी और शून्यकाल के तुरंत बाद इस पर मतदान कराया जायेगा मैं यह सोचकर दोपहर के भोजन के लिए भी नहीं गया कि कभी भी मतदान कराया जा सकता है और अब सभा में इस पर चर्चा हो रही है। मैं इस बात से आश्चर्य चकित हूं कि यह क्या हो रहा है। मुझे चर्चा कराये जाने पर आपत्ति नहीं है किन्तु मैं यह सोचकर दोपहर के भोजन के लिए भी नहीं गया कि किसी भी समय मतदान कराया जा सकता है। हमें इसे मतदान के लिए रखना चाहिये। इसका सभी समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा प्रदर्शित न कीजिये कि इस विधेयक से महत्वपूर्ण आपका भोजन है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु विधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से पारित संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए जो आरक्षण के बारे में कानून था, इसका हमारी पार्टी भी स्वागत करती है, आरक्षण का भी हम स्वागत करते हैं। हम सब चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मिले, हम सब चाहते हैं कि सत्ता में समाज के सभी वर्गों को भागीदारी मिले।

तमिलनाडु विधान सभा को भी हम बधाई देना चाहते हैं और आप और हम सभी सामूहिक रूप से बधाई के पात्र है। लेकिन एक खतरे की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि आज देश में वोट बैंक और सामाजिक न्याय के लुभावने नारों के नाम पर जातिवाद का जहर घोलकर सम्पूर्ण समाज की ममता, समरसता और संरचना को तोड़ने, अगड़ी और पिछड़ी जातियों में वैमनस्यता की सीमा तक विषवमन करने की जो दुष्प्रवृत्ति पनप रही है, वह राष्ट्र के लिए साम्प्रदायिकता से भी अधिक घातक है। इससे पूरे समाज का ताना-बाना बिखर जायेगा और इस देश में घृणा आपस में पनप कर इस देश को खोखला कर देगी। जहां हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, सामाजिक न्याय का समर्थन करते हैं, वहां हम यह भी याद रखें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो असंख्य त्याग और बलिदान किये, वह कोरे जातिवादी समाज के निर्माण के लिए नहीं किये थे। जातिवाद जहां प्रजातंत्र के लिए साधक बनता है, कई मामलों में वह आज बाधक बन रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि आगे आनेवाले समय में यह आरक्षण जहां हमारा कल्याण करने वाला बनना चाहिए था, समाज को सभी वर्गों को न्याय देने वाला बनाना चाहिए था, वहां यह कहीं ऐसा भस्मासुर नहीं बन जाय कि समाज के अन्दर खाई पैदा करे।

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह (बांका) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आज चर्चा के दौरान मेरे अनेक साथियों ने कई अच्छी बातें कही है। उनमें से कुछ मुद्दे सटीक हैं। श्री राम विलास पासवान और नीतीश कुमार जी ने कुछ सुझाव दिए हैं। उनमें से एक सुझाव यह है कि इस देश के विभिन्न समुदायों की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर समान रूप से आरक्षण का कोटा दिए जाने का विचार बुरा नहीं है।

इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार जी ने दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया है कि जितनी जल्दी सम्भव हो सके इस देश में जातियों के आधार पर जन गणना की जानी चाहिए। यह अति आवश्यक है। मैं समझता हूं यह असम्भव कार्य नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि कुछ वर्ष पहले तुर्की में सारे देश में जनगणना कराई गई थी और यह एक दिन में पूरी हो गई थी।

अध्यक्ष महोदय : हमें भारत तक ही सीमित रहना चाहिये।

श्री प्रताप सिंह : उन्होंने पूरे तुर्की देश में कर्फ्यू लगा दिया और 4 बजे सायंकाल तक जनसंख्या आकड़े उपलब्ध करा दिए गये। अतः मैं महसूस करता हूं कि ये दो सुझाव पूर्णतः वैध है और इन्हें यहां भी अपनाया जा सकता है। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हुए इसे अधिनियम के रूप में देखना चाहता हूं, फिर भी मैं महसूस करता हूं कि भविष्य में जाति-वार जनगणना करना उचित होगा, यद्यपि यह प्रतिगामी कदम लगता है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होगा। चर्चा के दौरान शुरू सुझाव दिये गए। यह मांग भी की गई कि अल्पसंख्यक समुदायों को 11 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिये। महोदय, मेरे विचार से इससे और समस्याएं पैदा हो जाऐगी क्योंकि यदि हमने धर्म के आधार पर आरक्षण देना शुरू किया तो यह बिल्कुल अलग मुद्दा बन जायेगा। यदि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो इसे देना चाहिये। किन्तु, यदि इस देश में आरक्षण अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के आधार पर दिया जाता है, तो हम इस देश के समुदाय, जैन समुदाय और अन्य समुदायों को क्यों भूल रहे हैं ? इससे कई किस्म की समस्याएं पैदा हो जायेंगी। शायद यह सुझाव सभा के दूसरे पक्ष के सदस्यों ने दिया है और यह बुरा नहीं है जबकि इस समस्या का समाधान ढूंढना इस पक्ष के लिए बहुत कठिन हो सकता है। यदि आप इस बात का निर्णय कर लें कि आप अगड़े समुदाय को सारे आरक्षण का कितना प्रतिशत देना चाहते हैं तो इस समस्या को हल करना आसान हो सकता है। आप इसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। यह 5 प्रतिशत हो सकता है, इससे अधिक या कम भी हो सकता है। पहले इस बात का समाधान कीजिये। सारा मामला आपके पक्ष में है और अब आप निर्णय लीजिये कि इसे कैसे किया जाये। महोदय, मैं समझता हूं इसके लिए यही अच्छा तरीका होगा।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। जो लोग आरक्षण के विरोध में हैं, जब हरिजन की बात आती है, शैड्यूल्ड ट्राइब्स की बात आती है या पिछड़ा वर्ग की बात आती है, तो उसमें जातिवाद इन्क्लयूड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। संविधान में वर्ग की बात की गई है, जाति की बात नहीं की गई है। यहां वर्ग के बारे में, पिछड़ा वर्ग के बारे में या शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में सवाल

उठाए जाते हैं। जातियाद की बात डिरेल करने के लिए और आरक्षण लागू न हो, इसके लिए उठाते हैं, ऐसे लोग लेकिन पोलिटिकल कम्पलशन की वजह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, अब इस सवाल पर सारे विरोधी दलों की मीटिंग हुई थी, तब भी मैंने कहा था। सारे सदन में जो बहस हुई है, मैं उस बहस की डिटेल में नही जाना चाहता हूं। मैं आपसे यह विनती कर रहा हूं, जो सारी बहस है, उस बहस को सुनकर ऐसा लगता है कि जितना हम लोगों को सोशियल पालिसी के बारे भ्रम है, उतनी शायद किसी और पालिसी के बारे में नहीं है। आपने ठीक कहा है कि यह तमिलनाडु से जो बिल आया है, उससे ही संबंधित है, लेकिन इतिहास में यह बात भी है कि तमिलनाडु के कारण ही पहले इस देश में संविधान संशोधन हुआ था। तमिलनाडु के आन्दोलन से जो संशोधन आया, वह सिर्फ एक सूबे तक ही लिमिटेड किया जा रहा है। सरकार के साथ बात करते समय, वाजपेयी जी भी वहां थे, मैंने बार-बार कहा था कि इस पर सम्पूर्ण बहस करके इस काम्प्रिहैंसिव बिल लेकर आना चाहिए और जो दूसरे सूबे हैं, उनका ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि यह अगर एक सूबे तक ही सीमित रहेगा, तो ठीक नहीं है। हो सकता है, कल आपके पास फिर शिकायत आए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 52 के पुर्खे ज्यादा समझदार थे। हम लोग जो आए हैं, तत्काल संकट से किसी तरह से जान बचाकर निकलना चाहते हैं, तो आप निकल लीजिए।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं, लेकिन चेतावनी के साथ कहता हूं, हम जो यह काम कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में उलझनें आयेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसके साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, शरद यादव जी ने जो आखिरी शब्द कहा वहीं से मैं शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि 1952 के बाद से लोगों में ज्यादा उत्साह घटा है, यह सभी दलों की हालत है। दूसरा प्रश्न उठा है कि क्या यह जो तमिलनाडु के संबंध में संशोधन बिल आया है यह और स्टेटों में लागू होगा या नहीं, तो साफ है कि यदि यह एक स्टेट के लिए है उसी तरह से दूसरे स्टेट का आएगा तो उस पर सोचना ही पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा। तीसरी बात जो हमारे चन्द्रजीत यादव जी ने कहीं है कि अटल जी ने कहा कि 2 प्रतिशत बैकवर्ड है वहां 27 प्रतिशत कैसे मिल सकता है।... **(व्यवधान)** ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह बात कहीं जा रही है, जबकि मैंने नहीं कहीं।

श्री सीताराम केसरी : तब मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यादव जी ने कहा मैंने कहीं है। अब आप कह रहे हैं मैंने कहीं है।... **(व्यवधान)** ...

श्री सीताराम केसरी : नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि यादव जी ने कहा है कि अटल जी ने 2 प्रतिशत की बात कही है।... **(व्यवधान)** ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस सारी बहस में मैं चुप रहा हूं लेकिन बार-बार मेरा नाम लिया जा रहा है तो यह मुझे भड़काने वाली कार्यवाही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सहमत हूं कि कोई आरक्षण जिले-जिले में अलग-अलग नहीं हो सकते। इसीलिए हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि उत्तरांचल में अगर आरक्षण संबंधी कोई नयी नीति बननी है तो उत्तरांचल आप पृथक राज्य कर दें और फिर उस स्तर पर उस नीति का निर्धारण हो। जब तक उत्तरांचल उत्तर प्रदेश का भाग है तब तक तो समस्या रहेगी, लेकिन उसमें से एक रास्ता

निकाला गया है कि जब तक अलग राज्य नहीं बनता तब तक इसको थोड़े दिनों के लिए निलम्बित कर दो और जो वर्तमान स्थिति पैदा हो गई है उसमें से रास्ता निकाला जाए।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मेरी राय यह है कि इस तरह के आन्दोलन अगर इस समय नहीं चलें और उसे प्रोत्साहन नहीं मिले तो सामाजिक टकराव की कमी हो जाएगी। जिस तरह से समाज टकराव की ओर बढ़ता जा रहा है, आरक्षण का मसला कोई एक व्यक्ति विशेष और जाति विशेष का नहीं है इसमें 3,700 जातियों का प्रश्न है और उनके अंदर यह भूख पैदा हो रही है, वहां भी आप मतभेद पाएंगे। वहां भी यह लोग चाहतें हैं कि 3,700 जातियों का जो भाग है उसमें भी कुछ एनक्रोचमेंट की राजनीति चल रही है ये सारी चीजें सामने हैं। इसलिए इस समय हम कुछ विशेष कहने की बजाए इतना ही कहेंगे, एक प्रश्न श्री रामविलास पासवान जी ने उठाया है जोकि इससे संबंधित नहीं है फिर भी उन्होंने उठाया कि पांच साल के बाद जो अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रमोशन बंद होने का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैंने इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार आश्वासन दिया है, वायदा किया है कि आप सभी लोगों की राय से इसे संशोधित किया जाएगा। ... **(व्यवधान)** ...

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह कब किया जाएगा ? ... **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : जब आप बैठेंगे तब किया जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : हम तो बैठते रहते हैं। ... **(व्यवधान)** ...

श्री सीताराम केसरी : सभी लोग बैठिए, फिर हो जाएगा। मैं एक चीज और बताता हूं, आरक्षण का मसला, जैसे हमारे पासवान जी ने कहा घनघोर टेंशन होगा, युद्ध होगा। मुझे संदेह है, क्योंकि आरक्षण के मानने वाले, सोशल जस्टिस की लड़ाई लडने वाले आपस में ही इतना लड़ रहे हैं कि मुझे शंका हो गई है कि यह लड़ाई क्या आगे चलेगी, मैं साफ बोलता हूं सोशल जस्टिस का मानने वाला मैं भी हूं और आज से नहीं जिस दिन से मैं कांग्रेस में आया, पोलिटिक्स में आया, 1930 से लेकर आज तक, मुझे आज भी याद है कि 1931 में सरदार पटेल के नेतृत्व में, सभापतित्व में फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन अडाप्ट हुआ था उस समय की बात भी मैं जानता हूं। इसी तरह से 1932 में भी आरक्षण आया था, गांधी जी के समय में, मुझे याद है। इसलिए यह आरक्षण का मसला कोई आज का मसला नहीं है, लेकिन आरक्षण के लिए जनमत चाहिए। चन्द्रजीत यादव जी ने ठीक कहा है मिशनरी की भावना का प्रश्न है। शरद यादव जी ने भी ठीक कहा कि 1952 से आज तक इसमें उत्साह की कमी रही है। इसलिए सिर्फ हमारे ऊपर दोष देना ठीक नहीं है, बजाए लोकसभा में आवाज बुलंद करने के आप जनमत जागृत कीजिए। जिस चीज की आवश्यकता है, वह नहीं हो रही है, माफ कीजिए, यह आवाज धीमी है, इस आवाज को जहां पर बुलंद करना चाहिए, वहां पर आवाज बुलंद कीजिए, केवल यहां पर आवाज बुलंद करने से काम नहीं चलेगा। आपकी आवाज अभी सही स्थान पर बुलंद नहीं हो रही है, मैं ऐसा मानता हूं।

तीसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि सभी दलों के लोगों ने यह फैसला किया कि बिना बहस के यह विधेयक पास हो जाएगा और राज्यसभा के लोगों ने इस पर अमल भी किया, लेकिन लोकसभा के सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर अपने विचार भी व्यक्त किए। कोई चीज एक कमरे में तय हो, देश को उसकी जानकारी न मिले, इस तरह से देश को अंधकार में नहीं रखना चाहिए, यह बात ठीक है। आपने बहस की और कई प्रश्न यहां पर प्रस्तुत किए, इसके लिए मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पास करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

5.05 म०प०

दीर्घायें खाली कर दी जायें —अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह **है** :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

5.00 म०प०

मत-विभाजन संख्या-1

पक्ष में

अजलोज, श्री थाइल जॉन

अंसारी, श्री मुमताज

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अजित सिंह, श्री

अडईकलराजू, श्री एल०

अन्तुले, श्री ए०आर०

अन्बारासु इरा, श्री

अब्दुल गफूर, श्री

अयूब खां, श्री

अय्यर श्रीमणि शंकर

अरूणाचलम, श्री एम०

अशोकराज, श्री ए०

असंश्रीमती चन्द्रप्रभा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

आचार्य, श्री बसुदेय

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी

इन्द्रजीत, श्री

इम्चालम्बा, श्री

इस्लाम, श्री नुरूल

उमराव सिंह, श्री

उम्ब्रे, श्री लाईता

उरांव, श्री ललित

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल

कनोजिया, डा०जी०एल०

कमल नाथ, श्री

कमल, श्री श्याम लाल

करेदुला, श्रीमती कमला कुमारी

कहांडोले, श्री जेड०एम०

कामत, श्री गुरूदास

कामसन, प्रो०एम०

काम्बले, श्री अरविन्द्र तुलशीराम

कालकादास, श्री

कालियापेरूमल, श्री पी०पी०

काले, श्री शंकर राव दे०

काष्या, श्री राम सिंह

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०

कुमार, श्री नीतीश

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुमारासामी, श्री पी०

कुरियन, प्रो० पी०जे०

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

केवल सिंह, श्री

केशरी लाल, श्री

केनिथी, डा० विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौरी, श्री गया प्रसाद

खन्ना, श्री राजेश

खनोरिया, मेजर डी०डी०

खंन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भवन चन्द्र

खां, श्री असलम शेर

खां, श्री सुखेन्दु

खुर्शीद, श्री सलमान

गंगवार, डा० परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपी नाथ

गहलौत, श्री अशोक

गामीत, श्री छीतूभाई

गालिब, श्री गुरु चरण सिंह

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गिरिजा देवी, श्रीमती

गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव

गुडाडिन्नी, श्री बी०के०

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा श्री ईश्वर भाई खोडा भाई

चिन्ता मोहन, डा०

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी कमल

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौरे, श्री बापू हरि

जंगबीर सिंह, श्री

जटिया, श्री सत्यानारायण

जनार्दनन, श्री एम०आर०कादम्बर

जयमोहन, श्री ए०

जागड़े, श्री खेलन राम

जाखड़ श्री बलराम

जावाली, डा०बी०जी०

जायनल अबेदिन, श्री

जैना, श्री श्रीकान्त

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा० श्री भोगेन्द्र

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

टिंडिवनम, श्री के०राममूर्ति

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

डामौर, श्री सोमजीभाई

डेनिस, श्री एन०

डेका, श्री प्रबीन

डेलकर, श्री मोहन एस०

डोम, डा० राम चन्द्र

तंग्काबालू, श्री के०वी०

तारा सिंह श्री

तिरिया, कुमारी सुशीला

तौमर, डा० रमेशचन्द्र

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि

त्रिवेदी, श्री अरविन्द

थामस, प्रो०के०वी०

थामस, श्री पी०सी०

थुंगन, श्री पी०के०

थौरात, श्री संदीपन भगवान

दलबीर सिंह, श्री

दादाहूर, श्री गुरूचरण सिंह

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारकानाथ

दास, श्री राम सुन्दर

दिघे, श्री शरद

दीवान, श्री पवन

दुबे, श्रीमती सरोज

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री चन्दूभाई

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह (कानपुर)

धूमल, प्रो०प्रेम

नंदी, श्री येल्लैया

नायक, श्री मृत्युंजय

नायक, श्री सुबास चन्द्र

नायक, श्री डी०के०

नारायणन, श्री पी०जी०

निकाम, श्री गोविन्दराव

नैताम, श्री अरविन्द्र

पांडियन, श्री डी०

पंवार, श्री हरपाल

पटनायक, श्री शरत

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री रामपूजन

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पटेल, श्री सोमाभाई

पटेल, श्री हरिलाल ननजी

डा० (श्रीमती) पद्मा

पवार, डा० वसंत

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाटील, श्री विजय एन०

पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पाल, श्री रूपचन्द्र

पाला-बोला, श्री वी०आर० नायडू

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पेरूमान, डा०पी० वल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु श्री आर०

प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण

प्रमाणिक, प्रो० आर०आर०

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ

फारूक, श्री एम०ओ०एच०

फूंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक

बंसल, श्री पवन कुमार

बरार, श्री जगमीत सिंह

बर्मन, श्री उद्धव

बर्मन. पलास

बसु, श्री चित्त

बालयोगी, श्री जी०एम०सी०

बीरबल, श्री

बूटासिंह, श्री

बैठा, श्री महेन्द्र

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपासिन्धु
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मंडल, श्री सूरज
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मनफूल सिंह, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०
मल्लू, डा० आर०
महतो, श्री बीर सिंह
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
माथुर, श्री शिव चरण
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, श्री भेरूलाल
मुखर्जी, श्री प्रमेथेश
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पार, श्री के०एच०
मुन्डा, श्री गोविन्द्र चन्द्र
मुरलीधरन, श्री के०
मुरूगेसन, डा० एन०
मुरूमु, श्री रूप चन्द्र
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मैथ्यू, श्री पाला के०एम०
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम लखन सिंह
यादव, श्री राम कृपाल
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, डा० एस०पी० सिंह
यादव श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्यनारायण
यादव, श्री शरद
युमनाम, श्री याइमा सिंह
राजनारायण, श्री
राजरविवर्मा, श्री बी०
राजुलू डा० आर०के०जी०
राजेन्द्रकुमार, श्री एस०एस०आर०
राजेश कुमार, श्री
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा
राठवा, श्री एन०जे०

राणा, श्री काशीराम	रोशन लाल, श्री
राम, श्री प्रेमचन्द्र	लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली	लालजान बाशा, श्री एस०एम०
राम बदन, श्री	वर्मा, श्री रतिलाल
राम बाबू, श्री ए०जी०एस०	वर्मा, श्री शिव शरण
राम सिंह श्री	वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
रामासामी, श्री राजागोपाल ना	वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया
राय, श्री एम० रमन्ना	वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
राय, श्री कल्पनाथ	विजयराधवन, श्री वी०एस०
राय, श्री नवल किशोर	वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
राय, श्री रवि	वीरेन्द्र सिंह, श्री
राय, श्री रामनिहोर	शंकरानन्द, श्री बी०
राय, श्री लाल बाबू	शर्मा, श्री चिरंजी लाल
राय, श्री हाराधन	शाक्य, डा० महादीपक सिंह
रायप्रधान, श्री अमर	शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
राव, श्री जे० चौक्का	शास्त्री, श्री विश्वनाथ
राव, राम सिंह, कर्नल	शिगडा, श्री डी०बी०
रावत, श्री प्रभु लाल	शुक्ल, श्री विद्याचरण
रावत, श्री भगवान शंकर	शल्कें, श्री मारूति देवराम
रावत, प्रो० रासा सिंह	श्रीधरण, डा० राजगोपालन
राही, श्री राम लाल	श्रीनिवासन, श्री सी०
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र	संगमा, श्री पूर्णों ए०
रेड्डी, श्री ए० वेंकट	सईद, श्री पी०एम०
रेड्डी, श्री एम० बागा	सज्जन कुमार, श्री
रेड्डी, श्री जी० मंगा	सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
रेड्डी, श्री एम०जी०	सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस
रेड्डी, श्री बी०एन०	सादुल, श्री धर्मप्पा मोडय्या

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा

सावन्त, श्री सुधीर

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंगला, श्री संतराम

सिदनाल, श्री एस०बी०

सिद्धार्थ, श्रीमती डी०के० तारादेवी

सिल्वेरा, डा०सी०

सिंह, श्री अभय प्रताप

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, कु० पुष्पा देवी

सिंह, श्री प्रताप

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सिंह, श्री सत्यदेव

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंह देव, श्री के०पी०

सुखराम, श्री

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुन्दरराज, श्री एन०

सुर, श्री मनोरंजन

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सैकिया, श्री मुहीराम

सैयद, श्री शहाबुद्दीन

सोडी, श्री मनकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

स्वामी, श्री जी० वैंकट

हरचन्द्र सिंह, श्री

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

*श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

---

* विपक्ष में गलती से मतदान किया गया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया सर्वश्री बी०एम० मुजाहिद, आर० जीवरलान, ए० इन्द्रकरन रेड्डी, पी० सी० चाक्को, स्वरूप उपाध्याय, बी० अकबर पाशा, राम शरण यादव, शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे, धर्मभिक्षम, मोहन सिंह (देवरिया) नरेश कुमार बालियान, डा० फैयाजुल आजम, श्री दिलीप भाई संघाणी, श्री योगानन्द सरस्वती, और कुमारी फ्रिडा तोपनों।

पक्ष में : 338

विपक्ष में : 001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि दीर्घाएं पहले ही खाली हो गई हैं। मैं खण्डों को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खण्डों को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें –

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब दीघायें खाली हो गयी है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

5.09 म०प०

मत विभाजन सं० 2

पक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जान

अंसारी, श्री मुमताज

अकबर पाशा, श्री बी०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अजित सिंह, श्री

अडईकलराजू, श्री एल०

अन्तुले श्री ए०आर०

अन्बारासु इरा, श्री

अब्दुल गफूर, श्री

अमर पाल सिंह, श्री

अयूब खां, श्री (झुंझुन)

अय्यर, श्रीमणि शंकर

अरूणाचलम, श्री एम०

अशोकराज, श्री ए०

अर्सश्रीमती चन्द्रप्रभा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्रजीत, श्री
इम्चालम्बा, श्री
इस्लाम, श्री नुरूल
उपाध्याय श्री स्वरूप
उमराव सिंह, श्री
उम्ब्रे, श्री लाईता
उरांव, श्री ललित
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल
कमल नाथ, श्री
कमल, श्री श्याम लाल
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी
कहांडोले, श्री जेड०एम०
कामत, श्री गुरूदास
कामसन, प्रो०एम०
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालकादास, श्री
कालिया पेरूमल, श्री पी०पी०
काले, श्री शंकर राव दे०
काष्वा, श्री राम सिंह
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०
कुमार, श्री नीतीश
कुमार, श्री वी० धनंजय
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुमारासामी, श्री पी०
कुरियन, को०पी०जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
केवल सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
केनिथी, डा० विश्वानाथम
कोंताला, श्री राम कृष्ण
कौरी, श्री गया प्रसाद
कौल, श्रीमती शीला
खन्ना, श्री राजेश
खनोरिया, मेजर डी०डी०
खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री सुखेन्दु
खुर्शीद, श्री सलमान
गंगवार, डा० परशुराम
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गगोई, श्री तरूण
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलौत, श्री अशोक
गामीत, श्री छीतूभाई
गालिब, श्री गुरु चरण सिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरिजा देवी, श्रीमती
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गुडा डिन्नी, श्री बी०के०
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला

गोमांगो, श्री गिरिधर
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी
चाक्को, श्री पी०सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चिन्ता मोहन डा०
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी, स्कैवड्रन लीडर कमल
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौरे, श्री बापू हरि
जंगबीर सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जनार्दनन, श्री एम०आर०कादम्बूर
जयमोहन, श्री ए०
जांगड़े श्री खेलन राम

जाखड़ श्री बलराम
जाफर शरीफ, श्री सी०के०
जावाली, डा०बी०जी०
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर० (अर्कोनिम)
जैना, श्री श्रीकान्त
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामौर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०
डेका, श्री प्रबीन
डेलकर, श्री मोहन एस०
डोम, डा० राम चन्द्र
तंग्काबालु, श्री के०वी०
तारा सिंह, श्री
तिरिया, कुमारी सुशीला
तीरकी, श्री पीयूष
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
तोमर, डा० रमेशचन्द्र
त्रिवेदी, श्री अरविन्द
थामस, प्रो०के०वी०
थामस, श्री पी०सी०
थुंगन, श्री पी०के०

थौरात, श्री संदीपन भगवान
दलबीर सिंह, श्री
दादाहूर, श्री गुरूचरण सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दास, श्री द्वारकानाथ
दास, श्री राम सुन्दर
दिघे, श्री शरद (मुम्बई-उत्तर मध्य)
दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)
दुबे, श्रीमती सरोज
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह
धर्मभिक्षम, श्री
धूमल, प्रो० प्रेम
नंदी, श्री येल्लैया
नायक, श्री मृत्युंजय
नायक, श्री सुबास चन्द्र
नायकर, श्री डी०के०
नारायणन, श्री पी०जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नैताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पंवार, श्री हरपाल
पटनायक, श्री शरत
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री रामपूजन
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री सोमाभाई
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
डा० (श्रीमती) पद्मा
पवार, डा० वसंत
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटील, श्री विजय एन०
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पायलट, श्री राजेश
पाल, डा० देवी प्रसाद
पाल, श्री रूपचन्द्र
पाला-बोला, श्री वी०आर० नायडू
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०
प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, प्रा० आर० आर०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
फारूक, श्री एम०ओ०एच०
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बसंल, श्री पवन कुमार
बरार, श्री जगमीत सिंह
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, पलास
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बालयोगी, श्री जी०एम०सी०
बालियान, श्री नरेश कुमार
बीरबल, श्री
बूटासिंह, श्री
बैठा, श्री महेन्द्र
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भौंसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपासिन्धु
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मंडल, श्री सूरज
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मनफूल सिंह, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मरन्डी, श्री कृष्ण
मरान्डी, श्री साईमन
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०
मल्लू, डा० आर०
महतो, श्री बीर सिंह
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
माथुर, श्री शिव चरण
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, श्री भेरूलाल
मुखर्जी, श्री प्रमयेश
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पार, श्री के०एच०
मुन्डा, श्री गोविन्द चन्द्र

मुरलीधरन, श्री के०

मुरूगेसन, डा० एन०

मुरूमु, श्री रूप चन्द्र

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर

मैथ्यू, श्री पाला के०एम०

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम लखन सिंह

यादव, श्री राम शरण सिंह

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, डा० एस०पी०

यादव श्री सत्यपाल सिंह

यादव, श्री सूर्यनारायण

यादव, श्री शरद

युमनाम, श्री याइमा सिंह

राजनारायण, श्री

राजरविवर्मा, श्री बी०

राजुलू डा० आर०के०जी०

राजेन्द्रकुमार, श्री एस०एस०आर०

राजेश कुमार, श्री

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा

राठवा, श्री एन०जे०

राणा, श्री काशीराम

राम, श्री प्रेमचन्द्र

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राम बदन, श्री

राम बाबू, श्री ए०जी०एस०

राम सिंह, श्री

रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू (पेरियाकुलम)

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, श्री कल्पनाथ

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री रवि

राय, श्री रामनिहोर

राय, श्री लाल बाबू

राय, श्री हाराधन

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री जे० चौक्का

राव राम सिंह, कर्नल

रावत, श्री प्रभु लाल

रावत, श्री भगवान शंकर

रावत, प्रो० रासा सिंह

राही, श्री राम लाल

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन

रेड्डी, श्री जी० मंगा

रेड्डी, श्री एम०जी०

रेड्डी, श्री बी०एन०

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

लालजान वाशा, श्री एस०एम०

वर्मा, श्री रतिलाल

वर्मा, श्री शिव शरण
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वाड्डे, श्री शोभानाद्रीश्वर राव
वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी०एस०
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र सिंह, श्री
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
साक्य, डा० महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शिंगडा, श्री डी०बी०
शुक्ल, श्री विद्याचरण
श्री धरणा, डा० राजगोपालन
श्रीनिवासन, श्री सी०
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी०एम०
सज्जन कुमार, श्री
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस
सादुल, श्री धर्मप्पा मोडय्या
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
सावन्त, श्री सुधीर
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगला, श्री संतराम

सिदनाल, श्री एस०बी०
सिल्वेरा, डा० सी०
सिंह, श्री अभय प्रताप
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, कु० पुष्पा देवी
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री मोहन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह, श्री सत्यदेव
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह देव, श्री के०पी०
सुखराम, श्री
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुर, श्री मनोरंजन
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सैकिया, श्री मुहीराम
सैयद, श्री शाहाबुद्दीन
सोही, श्री मनकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

स्वामी, श्री जी० वेंकट

हरचन्द्र सिंह, श्री

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

*श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 349

विपक्ष में : 001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि दीर्घाएं पहले ही खाली हो गई हैं, मैं समझता हूं कि अब हम इस खण्ड को सदन के मतदान के लिए रख सकते हैं।

प्रश्न यह है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*विपक्ष में गलती से मतदान किया गया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया : सर्वश्री एम० बागा रेड्डी, बी०एम० मुनाहिद, ए०वेंकट रेड्डी, रोशन लाल, डा० जी० एल० कनौजिया, डा० फैयागुज आजम, सर्वश्री जनार्दन मिश्र, लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी, दिलीप भाई संघाणी, योगानन्द सरस्वती, और श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

5.13 म०प०

मत-विभाजन संख्या ३

पक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जान

अंसारी, श्री मुमताज

अकबर पाशा, श्री बी०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अजित सिंह, श्री

अडईकलराजू, श्री एल०

अन्तुले, श्री ए०आर०

अन्बारासु इरा, श्री

अब्दुल गफूर, श्री

अयूब खां, श्री

अय्यर, श्रीमणि शंकर

अरूणाचलम, श्री एम०

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री कमालुद्दीन

आचार्य, श्री बसुदेव

आजम, डा० फैयाजुल

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी

इन्द्रजीत, श्री

इम्चालम्बा, श्री

इस्लाम, श्री नुरूल

उपाध्याय श्री स्वरूप

उमराव सिंह, श्री

उम्ब्रे, श्री लाईता

उरांव, श्री ललित

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल

कनोजिया, डा०जी०एल०

कमल नाथ, श्री

कमल, श्री श्याम लाल

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी

कहांडोले, श्री जेड०एम०

कामत, श्री गुरूदास

कामसन, प्रो०एम०

काम्बले, श्री अरविन्द्र तुलशीराम

कालकादास, श्री

कालिया पेरूमल, श्री पी०पी०

काले, श्री शंकर राव दे०

काष्वा, श्री राम सिंह

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०

कुमार, श्री नीतीश

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुमारासामी, श्री पी०

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुरियन, प्रो०पी०जे०

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

केवल सिंह, श्री

केशरी लाल, श्री

केनिथी, डा० विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौरी, श्री गया प्रसाद

कौल, श्रीमती शीला

खन्ना, श्री राजेश

खनोरिया, मेजर डी०डी०

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र

खां, श्री असलम शेर

खां, श्री सुखेन्दु

खुर्शीद, श्री सलमान

गंगवार, डा० परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गगोई, श्री तरूण

गजपति, श्री गोपी नाथ

गहलौत, श्री अशोक

गामीत, श्री छीतूभाई

गालिब, श्री गुरु चरण सिंह

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गिरिजा देवी, श्रीमती

गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव

गुडा डिन्नी, श्री बी०के०

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी

चाक्को, श्री पी०सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडा भाई

चिन्ता मोहन डा०

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, स्कैवड्रन लीडर कमल

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौरे, श्री बापू हरि

जंगबीर सिंह, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जनार्दनन, श्री एम०आर०कादम्बूर

जयमोहन, श्री ए०

जांगड़े श्री खेलन राम

जाखड़ श्री बलराम

जाफर शरीफ, श्री सी०के०
जावाली, डा०बी०जी०
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर०
जैना, श्री श्रीकान्त
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामौर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०
डेका, श्री प्रबीन
डेलकर, श्री मोहन एस०
डोम, डा० राम चन्द्र
तंग्काबालु, श्री के०वी०
तारा सिंह, श्री
तिरिया, कुमारी सुशीला
तीरकी, श्री पीयूष
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
तोमर, डा० रमेशचन्द्र
त्रिवेदी, श्री अरविन्द
थामस, प्रो०के०वी०
थामस, श्री पी०सी०
थुंगन, श्री पी०के०
थौरात, श्री संदीपन भगवान

दलबीर सिंह, श्री
दादाहूर, श्री गुरूचरण सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दास, श्री द्वारकानाथ
दास, श्री राम सुन्दर
दिघे, श्री शरद
दीवान, श्री पवन
दुबे, श्रीमती सरोज
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह
धर्मभिक्षम, श्री
धूमल, प्रो० प्रेम
नंदी, श्री येल्लैया
नायक, श्री सुबास चन्द्र
नायकर, श्री डी०के०
नारायणन, श्री पी०जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नैताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पंवार, श्री हरपाल
पटनायक, श्री शरत
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री रामपूजन

पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री सोमाभाई
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
डा० (श्रीमती) पद्मा
पवार, डा० वसंत
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटील, श्री विजय एन०
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पायलट, श्री राजेश
पाल, डा० देवी प्रसाद
पाल, श्री रूपचन्द्र
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, प्रो० आर० आर
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
फारूक, श्री एम०ओ०एच०
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बसंल, श्री पवन कुमार
बरार, श्री जगमीत सिंह
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, पलास
बसु, श्री चित्त
बालयोगी, श्री जी०एम०सी०
बालियान, श्री नरेश कुमार
बीरबल, श्री
बूटासिंह, श्री
बैठा, श्री महेन्द्र
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपासिन्धु
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार

मंडल, श्री सूरज
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मनफूल सिंह, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मरान्डी, श्री साईमन
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०
मल्लू, डा० आर०
महतो, श्री बीर सिंह
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
माथुर, श्री शिव चरण
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, श्री मेरूलाल
मुखर्जी, श्री प्रमयेश
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुजाहिद, श्री बी०एम०
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पार, श्री के०एच०
मुरलीधरन, श्री के०
मुरूगेसन, डा० एन०
मुरूमु, श्री रूप चन्द्र
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर
मैथ्यू, श्री पाला के०एम०
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम शरण सिंह
यादव, श्री राम लखन सिंह
यादव, श्री राम कृपाल
यादव, डा० एस०पी०
यादव श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्यनारायण
यादव, श्री शरद
युमनाम, श्री याइमा सिंह
राजनारायण, श्री
राजरविवर्मा, श्री बी०
राजुलू डा० आर०के०जी०
राजेन्द्रकुमार, श्री एस०एस०आर०
राजेश कुमार, श्री
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा
राठवा, श्री एन०जे०
राणा, श्री काशीराम
राम, श्री प्रेमचन्द्र
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम बदन, श्री
राम बाबू, श्री ए०जी०एस०
राम सिंह, श्री
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू

राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्पनाथ
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री रवि
राय, श्री रामनिहोर
राय, श्री लाल बाबू
राय, श्री हाराधन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री जे० चौक्का
राव राम सिंह, कर्नल
रावत, श्री प्रभु लाल
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, प्रो० रासा सिंह
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० बागा
रेड्डी, श्री जी० मंगा
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा
रेड्डी, श्री एम०जी०
रेड्डी, श्री बी०एन०
रोशन लाल, श्री
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लालजान बाशा, श्री एस०एम०
वर्मा, श्री रतिलाल
वर्मा, श्री शिव शरण
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी०एस०
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र सिंह, श्री
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शिंगडा, श्री डी०बी०
शुक्ल, श्री विद्याचरण
श्री धरणा, डा० राजगोपालन
श्रीनिवासन, श्री सी०
संगमा, श्री पूर्णो ए०
संघानी, श्री दिलीप भाई
सईद, श्री पी०एम०
सज्जन कुमार, श्री
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस
सादुल, श्री धर्मप्पा मोडय्या
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
सावन्त, श्री सुधीर
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगला, श्री संतराम
सिदनाल, श्री एस०बी०
सिद्धार्थ, श्रीमती डी०के० तारादेवी

सिल्वेरा, डा० सी०

सिंह, श्री अभय प्रताप

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, कु० पुष्पा देवी

सिंह, श्री प्रताप

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सिंह, श्री सत्यदेव

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंह देव, श्री के०पी०

सुख राम, श्री

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुन्दरराज, श्री एन०

सुर, श्री मनोरंजन

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सैकिया, श्री मुहीराम

सैयद, श्री शहाबुद्दीन

सोडी, श्री मनकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

स्वामी, श्री जी० वेंकट

हरचन्द्र सिंह, श्री

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 348

विपक्ष में : 000

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया : श्री वी० आर० नायडू पालाचोला, श्री मृत्युंजय नायक, श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स, सर्वश्री गोविन्द चन्द्र पुंडा, भेरू लाल मीणा, विजय कुमार यादव, जनार्दन मिश्र, लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी और योगानन्द सरस्वती।

5.14 म०प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

चीनी के आयात में विलंब के कारण इसके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, सदन में नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू हो मैं जानकारी चाहता हूं कि आज के एजेंडा पेपर में इस नियम के अधीन दो चर्चायें लिस्टिड हैं — एक चीनी के आयात के विषय पर है और दूसरी जैन कमेटी के संबंध में है — क्या हम ऐसा मान लें कि आज ही दोनों चर्चायें ली जायेगी, दोनों पर डिस्कशन होगा या जैन कमेटी वाली चर्चा पर डिस्कशन कल सम्भव है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग देर रात तक बैढने के लिए तैयार है तो हम दोनों मुद्दों को लेने के लिए तैयार हैं। अन्यथा, हम अगले मुद्दे को कल लें सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहते हैं, चाहे इस पर आज चर्चा हो अथवा कल।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट बम्बई की स्थिति पर होने वाला है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम लोग पता करेंगे। क्या गृह मंत्री वक्तव्य देने जा रहे हैं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह कुछ देर बाद होगा।

[हिन्दी]

5.15 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर देश में और खास कर के इस सदन में काफी चिन्ता रही है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से उत्तर कौन देंगे? यहां खाद्य मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन इस सवाल पर चर्चा में जितने लोग शामिल हुए हैं उसमें सिर्फ मंत्रालय का ही सवाल नहीं रहा है। इस सवाल में वित्त मंत्रालय भी शामिल है, वाणिज्य मंत्रालय भी शामिल हैं इसमें एक गैर सांविधानिक संस्था है पी०एम०ओ०, जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बार-बार पी०एम०ओ० की भी चर्चा होती है, वह शामिल है। इसमें बार-बार कैबीनेट सैक्रेट्री की चर्चा आती है। तो आखिर इस सवाल का जवाब कौन देंगे? अगर सिर्फ खाद्य मंत्रालय से

ही इसका सम्बन्ध होता, तो बात मानी जा सकती थी। यही नहीं, इस सवाल पर कई प्रकार के विवाद आए हैं। यह बात समझ में नहीं आती है कि इनका जवाब कौन देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी जब इस सवाल पर काम रोको प्रस्ताव के जरिये चर्चा हुई थी, तब इसका जिस ढंग से उत्तर आना चाहिए था वह नहीं आ सका। चूंकि खाद्य मंत्री ने खुद स्पष्ट तौर पर इल्जाम लगाया है और खाद्य मंत्री पर भी समाचार पत्रों में इल्जाम लगे है तथा खाद्य मंत्री ने भी अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा है। इसलिए पिछली बार जब इस सदन में चर्चा हो रही थी, तो खाद्य मंत्री के उत्तर से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि जैसा प्रधान मंत्री जी चाहेंगे, तो वैसा होगा। चन्द्र शेखर जी के सवाल में जिस बात को उन्होंने कहा था उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती थी कि जो कुछ हुआ है वह प्रधान मंत्री जी के आदेश पर हुआ है। वैसी स्थिति आज में प्रधान मंत्री अनुपस्थित है और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो फिर इस मामले में पूरी जवाबदेही खाद्य मंत्री की है जबकि खाद्य मंत्री पर भी इनके ही विभाग के सचिव ने कई आरोप लगाए हैं। इसके ऊपर भी सार्वजनिक तौर पर कई प्रकार की खबरे अखबारों में छापी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमने देखा था कि खाद्य मंत्री ने पी०एम०ओ० को ओवर रूल कर दिया। इस तरह की खबरें आती रही। आज यह विवाद पैदा नहीं होता अगर कल्प नाथ राय जी ने जो एफ०सी० आई० का ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया था उसको कैंसिल किया होता। तो इस पर कई प्रकार की चर्चा हो चुकी हैं, लेकिन इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब कि प्रधान मंत्री के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि इस घटना की हम जांच कराएंगे। पहले तो सरकार इन्कार करती है कि कुछ हुआ ही नहीं है और जब बात आगे बढ़ जाती है और जब शक की सुई घूमते-घूमते सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए आदमी के पास पहुंचने लगती है, तो उस पर लीपापोती करने के लिए जांच का आदेश होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जांच किसके द्वारा करवाई जाएगी, मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इस पूरे मामले की जांच, पूरे घोटाले की जांच, जिसको पूरा देश घोटाला कहता है और घपला कहता है, इसकी जांच करवाई जाएगी एक पूर्व सी०ए०जी० के द्वारा। यह जानकारी भी प्रकाश में आई है कि उन सी०ए०जी० का सम्बन्ध एक चीनी मिल के साथ है। जिसका एक चीनी मिल के साथ सम्बन्ध हो उससे जांच करवाई जाए, तो वह क्या नतीजा निकालेगा। जो जांच कराई जा रही है। पहले खबर थी कि उसकी रिपोर्ट एक महीने में आ जाएगी, लेकिन एक महीने से ज्यादा समय बीत गया है, जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई है और ऐसा लग रहा है कि उस समिति की अवधि का विस्तार किया जाएगा। कोई सुगबुहाट नहीं है कि जांच की कोई कार्रवाई चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत पीड़ा के साथ इस सवाल को उठा रहे हैं और सिर्फ पीड़ा ही नहीं है बल्कि हम लोगों के मन में गुस्सा है क्योंकि इस देश में कोई सवाल उठता है तो उस पर इसी तरह से पानी फेर दिया जाता है। कुछ बहस हो जाती है। कई प्रकार के लोगों के बयान अखबारों मं छप जाते हैं। सदन में चर्चा हो जाती है और मामला रफा-दफा कर दिया जाता है, लेकिन इस मामले में जितना अन्याय इस देश के उपभोक्ताओं के साथ हुआ है वह बतलाया नहीं जा सकता है और यह तब हुआ है जब कि हमारे पास पूर्व अनुभव था। 1989 में इस प्रकार की घटना हुई थी तब श्री सुख राम जी मंत्री थे।

उस समय भी सारा विवाद सामाने आया था। उसकी जांच हुई जो पी०ए०सी० ने की थी। पी०ए०सी० के चेयरमैन श्री वाजपेयी ने इसकी रिपोर्ट भी सदन के सामने रख दी। जब वी०पी० सिंह की हुकुमत थी, उस समय देखा गया कि इसमें काफी गड़बड़ी हुई है तो सी०बी०आई० की इन्क्वारी कारवाई गई और उसकी पूरी

रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास पहुंच चुकी है। लेकिन उसपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं बहुत पीड़ा और तकलीफ के साथ इस सवाल को उठा रहा हूं। जब इस मंत्रालय ने पी०ए०सी० की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन टेकन रिपोर्ट दी और उसे पी०ए०सी० ने चर्चा के लिए स्वीकार किया तो चर्चा के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। पी०ए०सी० की प्रोसीडिंग्स की चर्चा हम सदन में नही कर सकते लेकिन यह पूरे देश की संसदीय प्रणाली में प्रश्नचिन्ह लगाती है। एक्शन टेकन रिपोर्ट पर चर्चा करना पी०ए०सी० का हक था लेकिन एक मामूली सवाल को लेकर कमेटी चलने नहीं दी गई। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री श्रीकान्त जेना : उनके आगे बोलने से पहले, मैं चाहूंगा कि अध्यक्षपीठ से व्यवस्था दें। मुद्दा यह है कि प्रधान मंत्री कार्यालय और वाणिज्य मंत्रालय के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या खाद्य मंत्री केवल उनके मंत्रालय के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के दृष्टिकोण से उत्तर देंगे अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय और वाणिज्य मंत्रालय के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में उत्तर देंगे। प्रधान मंत्री कार्यालय के विरुद्ध प्रत्यक्ष आरोप हैं और वाणिज्य मंत्रालय के विरुद्ध भी। इस वाद-विवाद के दौरान प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री तथा वित्त मंत्री सभा में उपस्थित क्यों नहीं हैं ? उन्हें सभा को विश्वास में लेना चाहिये। वे मंत्री कहां हैं? वे यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं? पहले इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चर्चा शुरू करते ही इस सवाल को उठाया था, अभी माननीय सदस्य ने पाइंट ऑफ आर्डर के जरिए इसे उठाया है। इस सवाल का समाधान होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पाइंट ऑफ आर्डर है ?

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : जो बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वे बातें पहले हो चुकी हैं। हाउस में डिस्कस हुआ है, जवाब दे चुके है। ये सब रैपिटीशन कर रहे हैं। अब उन बातों को दोहराने का फायदा नहीं है, कोई नई बात हो तो कीजिए।

श्री नीतीश कुमार : इसपर नियमन होना चाहिए ताकि आगे की चर्चा चले।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, माननीय मंत्री श्री कल्पनाथ राय सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वह बहस का उत्तर देंगे। मेरे विचार से श्री श्रीकान्त जेना तथा श्री नीतीश कुमार द्वारा उठायी गयी बात में कोई ठोस तर्क नहीं है। यह चर्चा सदन में पहले भी हो चुकी है। तब भी श्री कल्पनाथ राय ने बहस का उत्तर दिया था। अब भी इस बहस का उत्तर वहीं देंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : नहीं, पिछले अवसर पर श्री कल्पनाथ राय ने कहा था कि प्रधान मंत्री कार्यालय के निदेश पर एक निविदा जारी की गई थी, जिसे उन्होंने बाद में रद्द कर दिया। इसका अर्थ है कि विश्वव्यापी निविदा के लिये प्रधान मंत्री कार्यालय का निदेश था। इस पहलू का उत्तर वह किस प्रकार देंगे?

यदि वह कहते हैं कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उत्तर देंगे, तो वह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। हमारी रूचि तो स्वयं प्रधानमंत्रीजी से जानकारी प्राप्त करने में है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : इसपर पहले भी चर्चा हुई है और उत्तर के समय खाद्य मंत्री द्वारा वाणिज्य से संबंधित और पी०एम०ओ० से संबंधित अनेक बातें कहीं गई थीं। सदस्यों को सन्तुष्टि नहीं हुई थी इसलिए यहां पर फिर से प्रस्ताव आया। यदि आज भी वहीं स्थिति बनी रहती है, दोनों मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं, तो चर्चा का क्या लाभ होगा। सामान्य चर्चा तो पहले भी हो चुकी है। इसलिए निश्चित रूप से यहां पर उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। उन्हें बुलाया जाय। यहां पर औचित्य का जो प्रश्न उठाया गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि आप इसपर अपनी व्यवस्था दें।

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं यहां बैठा हूं। संबंधित मंत्री उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : आपको स्मरण होगा, पिछले सत्र में चीनी के घोटाले का मामला एक काम रोको प्रस्ताव का विषय बना था। काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। उसके बाद अगर आज फिर यह प्रश्न उठाया जा रहा है तो इसलिए नहीं कि जिन्होंने पहले उत्तर दिया था वहीं उत्तर दे दे, जो प्रश्न पहले अनुत्तरित रहे थे, वे अभी भी अनुत्तरित पड़े रहे, मामले की सफाई ने हो। यह चर्चा कोई कर्मकांड नहीं है।

लेकिन आज एक कर्मकांड बनाया जा रहा है। कोई कारण नहीं है, प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर सदन में उपस्थित न रहें। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इस मामले की जांच कर रही थी। उसकी जांच में बाधा डाली गई और बीच में प्रधान मंत्री जी के दफ्तर से एक नई जांच के आदेश दे दिये गये। अलग जांच का क्या मतलब था? वह जांच किस स्टेज पर है? क्या कल्पनाथ राय जी इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते है? अब उस जांच की अवधि बढ़ायी गई है। कल्पनाथ राय जी सारे मामले में अपराधी बना कर खड़े किये गये थे। अब वह अपना बचाव करें, इतना तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन सारी सरकार के बचाव में वह ताल ठोक कर मैदान में उतर पड़े, यह बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती, लेकिन यही होगा। वाणिज्य मंत्री यहां नहीं हैं ··· **(व्यवधान)**

श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं यहां उपस्थित हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सारी चर्चा का महत्व घटाया जा रहा है। इसे एक साधारण सा विषय बनाया जा रहा है। यह बड़े घोटाले का मामला है। चीनी कम पड़ गई, वह ऊंचे भाव पर बिकी, गर्मियों के मौसम में व शादियों के दिनों में 20 रुपये किलो चीनी खरीदने पर लोग मजबूर हुए और इस विषय को इस तरह से लिया जा रहा है। मैं नहीं समझता, इस विषय पर इस ढंग से चर्चा करके कोई हल निकल पायेगा। हम इस पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : हम माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों का सम्मान करते

हैं। परन्तु यह कहना कि हम चर्चा को कोई महत्व नहीं देते अथवा गंभीरता से नहीं लेते तो यह, अधिक न कहें तो भी अत्यंत अनुचित है, जैसा मैंने पहले बताया है, श्री कल्पनाथ राय सरकार की ओ‍ से बहस का उत्तर देगें वह वहस के दौरान उठाये गये सभी मुद्दों पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, बात वही हुई। कल्पनाथ जी तो पहले भी उत्तर दे चुके हैं। वह कोई नई बात कहने वाले नहीं है। कल्पनाथ जी उत्तर दें और बाकी मंत्री यहां अनुपस्थित रहे, ऐसा नहीं चलेगा।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी ने जो सवाल उठाया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय अटल जी ने उस पर बल दिया। अब कल्पनाथ जी किस बात की सफाई देंगे। इस महीने "पॉयनियर" में पी०एम०ओ० आफिस के मुखिया का जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। **'द पायनियर'** को साक्षात्कार देते समय उन्होंनें कहा, "नहीं, पूरे मुद्दे का निर्णय वाणिज्य मंत्रालय को करना था।"

वह आगे कहते हैं; "प्रधान मंत्री के आदेश पर, भारतीय खाद्य निगम को चीनी का आयात करने को कहा गया।"

[हिन्दी]

क्या प्रधानमंत्री इस बारे में सफाई नहीं देंगे?

[अनुवाद]

अभी-हाल ही तक वह केबिनेट सचिव थे। वह इस पूरे मुद्दे में पूरी तरह शामिल थे। प्रधानमंत्री यहां नहीं हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के व्यवहार और प्रधानमंत्री के आदेश का खुलासा कौन करेगा ? पूर्व केबिनेट सचिव ने इस संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार पत्र में खुले रूप में कहा है। यही कारण है कि पहले श्री नीतीश कुमार और बाद में श्री श्रीकान्त जेना द्वारा उठाया गया मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस पर गंभीरता से विचार कराना चाहते हैं, यदि आप पहले बैंक घोटाले में और अब चीनी घोटाले में सरकार की अंतर्ग्रस्तता के इस घालमेल से निकल कर सत्य बताना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री का यहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। संसदीय कार्य के माननीय राज्यमंत्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों अथवा सुझावों में कोई दम नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : जो प्वाइंट आफ आर्डर जैना जी ने उठाया और जिसको माननीय अटल जी ने भी बहुत साफ-साफ शब्दों में रखने का काम किया उस पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मामला गम्भीर है। यह सत्र घोटालो के दौर से गुजरा है। आज यह मामला गम्भीर है, उस मामले से भी बड़ा गंभीर है, जो बहुत टीसेप्टली हुआ है। सरकार की तरफ से कल्पनाथ जी जवाब देंगे, वह खुद ही आकण्ड डूबी हुई स्थिति में है। इस मामले में उनको भी कई तरह के बयानों से घेरा गया है और विवादास्पद बनाया गया है। वह अपनी परिस्थिति

के बारे में तो सफाई दे सकते है लेकिन इसमें सी बी आई की रिपोर्ट है और उसी सी बी आई की रिपोर्ट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएसी के चेयरमैन थे, इन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट दी है कि किस तरह भविष्य में चीनी के आयात के मामले में काम किया जायेगा और सरकार ने इसको स्वीकार किया है सरकार की उस स्वीकृति के बाद भी यह सारी चीज वायलेट हुई है। यह मामला इतना रैलेवेट है कि इस बात के लिए कल्पनाथ राय अकेले जवाब दे, यह ठीक नहीं है। अभी सत्यदेव जी ने जो पढ़कर सुनाया, इसमें इतने बयान हैं, खाद्य मंत्री का वयान है, फाइनेंस सैक्रेन्ट्री का, कामर्स सैक्रेटरी का, कैबिनेट सैक्रेट्री का, फूड मिनिस्टर का, उनके सचिव का बयान है और उनकी दोनों की अलग-अलग प्रैस कांफ्रेंस हुई हैं। इसलिए इसमें पूरी सरकार को, चारों पांचो मंत्रालयों की तरफ से कोई एक आदमी यदि जवाब दे सकता था तो वैलिड यही था, उचित यही था कि प्रधान मंत्री यहां होते और वही जवाब देते। लेकिन प्रधान मंत्री नही हैं, यहां तो सिर्फ कल्पनाथ राय जी सरकार की तरफ से जवाब देंगे।

मैं यह नहीं मानता कि कल्पनाथ जी इसमें सक्षम है, क्योंकि, वह खुद इसमें विवादास्पद रहे हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए सारे विवाद को ढकने का काम करने लगे तो इसके साथ बहुत अन्याय हो जायेगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि आप बहुत कम बोलते हैं, कम रूलिंग देते हैं, आप इतने सज्जन पुरूष हैं इसलिए आप जैसे सज्जन पुरूष के मुंह से आज मामला ठीक निकल आया और आपने ठीक आदेश दे दिया . . .

श्री नीतीश कुमार : इसका मतलब चेयर पर बैठने वाले दूसरे लोग सज्जन पुरूष नही हैं।

श्री शरद यादव : मेरा मतलब है कि जो कभी बोलता नहीं, उसका ज्यादा वजन पड़ता है। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि आप आज जरूर इस सवाल पर फैसला दें कि सरकार जिस तरह से इसको हल्के ढंग से ले रही है कि इसमें स्टेट मिनिस्टर को छोड़कर एक भी कैबिनेट मिनिस्टर हाजिर नहीं है। जो पांचों आदमी यहां बैठे हुए हैं, वह स्टेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। आप बताइये कि किस तरह से सरकार इसको गम्भीरता से ले रही है? वासनिक साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि हम बड़े गम्भीर हैं। आप तो इतने गम्भीर हैं कि जरा सी डोर खींची जायेगी तो आप कह देंगे कि क्या करें। यहां तो आप बड़े जोर से कह रहे हैं लेकिन लाबी में कहेंगे कि हम क्या करें। सवाल यह है कि सरकार इतनी गम्भीर है कि आप भी जानते हैं, चाहे आप कुछ नहीं कहें लेकिन देश में हजार करोड़ रुपया गरीब लोगों का चला गया। यह देश घोटालों से बारह आयेगा कि नहीं आयेगा? यह तीन साल की बड़ी अपनी वर्षगांठ मना रहे हैं कि हमने तीन साल पूरे कर लिये। लेकिन आपने तीन साल कैसे पूरे किये, जैसे बकरी ब्याहती है, उसी तरह घोटाले आपके यहां ब्याहे हैं। जिस तरह बकरी बच्चा जनती है, उतनी ही जल्दी-जल्दी आप घोटाले करते हैं।

आज यह बहस गम्भीर है। बड़े पैमाने पर लोग यहां से भाग गये। हम लोग चाहते थे कि सब लोग इस चर्चा के दौरान रहते और यहां पर ऐसी बहस होती कि इसमें से टुथ बाहर आता। सच्चाई तीन साल से इस लोक सभा से बाहर नहीं निकल पा रही, यहां गुम्बद में ही दफन हो जाती है। यह सच्चाई चीनी के मामले में जरूर इस सदन के बाहर चली जाय, यह हम चाहते हैं। हम बड़े जैनरस होकर चाहते थे कि आप सुधर जाइये, सुधर जाइये और इतनी झंझट करने के बाद यहां आये हैं लेकिन आपने फिर आज यह काम कर दिया? आप सोच रहे हैं कि हम बहस करेंगे, गाल बजाएंगे और चले जाएंगे, आज यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम कम है तो हम कम रहकर भी आपको यहां से भागने नहीं देंगे। इस मामले में आप जो गम्भीर नहीं हैं, आपको गम्भीर बनाकर ही जायेंगे।

इसलिए, उपाध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनती है कि आप आज जरूर बोलें और इनको डांट लगायें, डांट लगायें। अभी शाम का वक्त है, प्राइम मिनिस्टर को और सारे मिनिस्टरों को, जितने इसमें इन्वोल्व हैं, जिस ज्ञान प्रकाश को बनाया गया है, वह गजब का आदमी है। वे पहले अच्छे आदमी थे या बुरे आदमी थे, मैं नहीं जानता हूं। जिसको आज प्रोब करने के लिए बनाया गया है, वे कहां कहां हैं, इन सब बातों के बारे में हमको कहना है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सोच समझकर कोई-न-कोई फैसला देना चाहिए। जिससे जो भ्रष्टाचार दबा रहता है, घोटाले के अन्दर ही चला जाता है, घोटाले से थोड़ा बाहर चला आए। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मुझे भी एक अनुरोप करना है। लेकिन यह कुछ भिन्न है। यह इस अर्थ में भिन्न है कि चीनी घोटाले से न केवल लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगा है, बल्कि सरकार को भी इससे करोड़ो रुपये का नुकसान हुआ है। इससे हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा क्योंकि इसपर राजसहायता दी जाती है।

महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे मंत्रिमंडल का कार्यकरण चर्चा में आ गया है। इसमें प्रधान मंत्री से लेकर वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य सभी मंत्रालय शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें सी०सी०पी०ए० भी संलिप्त है। इस समस्या के व्यापक आयाम है। समूची सी०सी०पी०ए० की गत तीन माह से कोई बैठक नहीं हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसलिए, यदि सरकार विपक्ष की राय सुनने के लिए तैयार है तो सभी सम्बंधित लोगों को यहां उपस्थित होना चाहिए और इसपर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जब सरकार इस मामले को इतना हल्के रूप में ले रही है तो और विचार से वह इस सभा को मात्र एक गपशप-स्थल बनाना चाहती है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप सही कह रहे हैं। आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। अन्य सदस्यों ने भी इस तरह के प्रश्न उठाए हैं। श्री नीतीश कुमार ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। श्री श्रीकान्त जेना ने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उनका प्रश्न यह है कि सभी मंत्रियों को सभा में उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने पीठासीन अधिकारी से मांग की है कि सभी संबंधित मंत्रियों को यहां पर उपस्थित होना चाहिए इस संबंध में मेरा यह निर्णय है कि संबंधित मंत्री सभा में उपस्थित है। सदस्य अपनी बातें प्रभावशाली रूप से कह सकते है और यहां उपस्थित संबंधित मंत्री उनकी बातें सुनकर उपयुक्त समय पर तत्संबंधी उत्तर देंगें।

दूसरी बात यह है, कि विनिर्णय दिए गए हैं ...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : — पीठासीन अधिकारी किसी मंत्री विशेष को सभा में उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यही विनिर्णय है। इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई है। अतः मेरा अनुरोध है कि सभा अपनी कार्यवाही चलाये और श्री नीतीश कुमार अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : जहां तक आपके विनिर्णया का संबंध है, वह अंतिम है। लेकिन यह समझौता हुआ था कि यह मामला नियम 193 के अधीन उठाया जायेगा। मामले वही हैं जो पहले थे। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए। केबिनेट सचिव के समाचारपत्रों को दिए गये साक्षात्कार

के सम्बन्ध में कौन उत्तर देगा, वाणिज्य मंत्री की निविदा सूचना के संबंध में उत्तर कौन देगा? केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्रधान मंत्री के समक्ष पड़ी है। उस संबंध में उत्तर कौन देगा?

उपाध्यक्ष महोदय :– अंतिम उत्तर के समय आप जो चाहें सो पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : प्रधान मंत्री ने एक जांच करवाई थी **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद के दौरान किसी मंत्री विशेष के सभा में उपस्थित रहने का प्रावधान करने वाला कोई भी नियम नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष भी सभा में किसी मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर सकते।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मुद्दा यह नहीं है। **(व्यवधान)** मामला प्रधान मंत्री कार्यालय से सम्बंधित है। अतः, प्रधान मंत्री को सभा में उपस्थित होना चाहिए और बहस का उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अंतिम उत्तर के समय आप इसकी मांग कर सकते है।

श्री श्रीकान्ता जेना : श्रीमन्, अगर यह आपका विनिर्णय है और यदि आप प्रधान मंत्री को सभा मे उपस्थित रहने और बहस का उत्तर देने का निर्देश देते हैं, केवल तभी हम इस चर्चा को जारी रख सकते हैं। ··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त होता है। वाणिज्य मंत्री सभा में उपस्थित हैं। सम्बंधित मंत्री भी सभा में उपस्थित है। हम अपनी-अपनी बातें कह सकते हैं। अंतिम उत्तर के समय आप जो पूछना चाहे वह पूछ सकते हैं।

श्री उमराव सिंह (जालन्धर) : महोदय, आप कृपया प्रस्ताव का पाठ पढें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। यह आप पर है कि आप इसे माने अथवा न माने। पीठासीन अधिकारी को किसी मंत्री को सभा में उपस्थिति सुनिश्चित करने की कोई शक्ति नहीं है। दूसरे, अंतिम उत्तर के समय आप किसी भी मंत्री की उपस्थिति की मांग कर सकते हैं।

. . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी तरह से बहस करते रहेंगे, तो इससे कोई भी प्रयोजन हल नहीं होगा।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो सुस्पष्ट विनिर्णय दिया है, उसके लिए यह सभा आपकी आभारी है। यह सभा बिना नियमों और प्रक्रियाओं के नहीं चल सकती। नियम में कहा गया है कि 4 म०प० इस समय हम समय से काफी पीछे चल रहे हैं श्री नीतीश कुमार चीनी के आयात में विलम्ब और इसके परिणामस्वरूप इसके मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि के संबंध में एक चर्चा शुरू करेंगे।

आप यहां वैसी परिकल्पना नहीं कर सकते जो विपक्ष के माननीय नेताओं ने आज करने की कोशिश की हैं वाद-विवाद चलते रहना चाहिए।

मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही जाती है। अधिकांश विभागों

के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। चर्चा होने दीजिये। आपने नियम पढ़ दिया उसके बाद तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि इस संकल्प के प्रस्तावक से अपना भाषण जारी रखने के लिए कहा जाए। इस प्रकार की बाधा विभिन्न राजनैतिक दलों की राजनैतिक चाल के अलावा कुछ नहीं है। हमें इस मुद्दे को राजनैतिक मुद्दा नहीं समझना चाहिए हमें इस मुद्दे के गुणों पर विचार करना चाहिए। श्री नीतीश कुमार अपना भाषण जारी रखें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं आपके द्वारा व्यक्त किये गये मत को देखते हुए एक-दो शब्द कहना चाहता हूं। यह बड़ी गम्भीर चर्चा है इसलिए प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी उपस्थित रहना चाहिए। हम इस बात का विरोध करते हैं कि सरकार इस चर्चा को गम्भीरता से नहीं ले रही है। यह बहुत बड़ा घोटाला है जिसके कारण देश की आम जनता को कष्ट सहना पड़ा क्योंकि उन्हें तीन-चार महीनों से चीनी के बहुत भारी मूल्य चुकाने पड़े थे। साथ ही चाहते हैं कि इससे संबंधित तथ्य भी प्रस्तुत किए जायें। आपके कहे अनुसार हमें आशा है कि उत्तर के समय प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। इस विरोध के साथ ही मेरा आपसे अनुरोध है कि श्री नीतीश कुमार को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी ने बताया था कि गृह मंत्री जी बयान देंगे। इस समय गृह मंत्री जी मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी बयान दें। . . . **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा को शुरू करते वक्त मैंने जो बात कही थी इस पर पूरी चर्चा तब तक नहीं हो सकती, जब तक इसमें शामिल सभी लोगों की तरफ से जवाब देने वाला कोई सक्षम मंत्री यहां पर न हो और वह सक्षम मंत्री, प्रधान मंत्री ही हो सकता है। पीएमओ का सवाल, फूड सेक्रेटरी का बयान, कामर्स सेक्रेटरी का खत, कामर्स सेक्रेटरी का बयान केबीनेट सेक्रेटरी के खिलाफ, ये तमाम बातें ऐसी है, जो बहुत गंभीर है। खाद्य मंत्री तो स्वयं विवाद के घेरे में हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने जो इनके बारे में कहा है। वह कोई मामूली बात नहीं हैं। यह पूरे संसदीय लोकतंत्र के लिए कलंक की बात है। मंत्री घोटाले में लिप्त हैं तो उनके लिए सजा मुकर्रर होनी चाहिए। मैं तो इस बात के पक्ष में हूं कि जिस तरह से चीन में भ्रष्टाचार करने वाले का फांसी को सजा दी जाती है, उसी तरह से यदि हमारे यहां फांसी की सजा रहती है तो सबसे पहले भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को फासी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज एक मंत्री के बारे में सरकार क्या बोलेगी, जो नोट सर्कुलेट होकर चारों तरफ घूम रहा है, जिस प्रकार के आरोप उसके अंदर लगाए गए हैं, यह सारा मामला बहुत गंभीर है। इन बातों का ध्यान में रखते हुए मैंने मांग की थी प्रधान मंत्री जी की मौजूदगी रहनी चाहिए और मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी इस बात का समर्थन किया।

उपाध्यक्ष महोदय, सैफुल्ला जो केबीनेट सेक्रेटरी थे, उनका इंटरव्य 8 अगस्त के "पायनियर" में छपा है, उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री जी के कहने पर यह सब कुछ हुआ है और प्रधान मंत्री कार्यालय से यह बात आती है के इसमें प्रधान मंत्री कार्यालय बिल्कुल इन्वाल्व नहीं हैं मंत्री दौरे पर जाते हैं और ग्लीबल टेडर काल कर लिया जाता है। मंत्री जी लौट कर आते हैं तो उस टेंडर को कैंसिल कर देते हैं। इस विवाद में कितने ही आयाम हैं। सारा घोटाल एक "जलेबिया घोटाला" बन गया है। हमारे यहां बिहारी में एक जलेबिया घाटी है इसी तरह से यहां भी घोटले में घोटाला, घोटाले में घोटाला, चलते-चलते यह लगेगा कि जहां से चले थे, वहां पहुंच गए, इस तरह का यह जलेबिया घोटला हो गया है।

इसलिए मेरी मांग थी कि प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद रहें। अब की। सारे प्रश्नों का जवाब देगा ?

वीपी सिंह सरकार ने सीबीआई इन्क्वारी आर्डर की, इसकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट प्रधान मंत्री जी के यहां गई। पिछली बार माननीय सदस्य उमराव सिंह जी बोल रहे थे, शायद पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें यहां पर हो चूकी है। हम लोग केवल "कर्मकांड" करने के लिए यहां पर नहीं इकट्ठे हुए हैं। स्थिति में 2 गुणात्मक परिवर्तन आए हैं। पहला तो यह कि लोक लेखा समिति ने जांच करने की कार्रवाई शुरू की, एक्शन टेकन रिपोर्ट के सिलसिले में, उसको काम नहीं करने दिया गया। दूसरी बात यह कि प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि इसकी जांच ज्ञान प्रकाश, भूतपूर्व सी०ए०जी० से कराएंगे।

तीसरी बात यह है कि सी०बी०आई इंक्वायरी की रिपोर्ट प्रधान मंत्री के पास पहुंच गई है। जब यह घटना हुई तो उसके बाद ये तीन घटनाएं प्रकाश में आई, इसलिए इस बात का महत्व था और सदन में इस बारे में चर्चा हो चुकी है कि किस दिन चीनी का दाम क्या थी? ये सारी बाते हो चुकी है इसलिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी की यहां मौजूदगी होनी चाहिए थी क्योंकि उनको छोड़कर उत्तर देने में कोई सक्षम नहीं हैं। हम आपकी रूलिंग को मानने के लिए बाध्य हैं। आपने कहा कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। सचमुच में मजबूर नहीं कर सकते। प्रधान मंत्री पर जब कोई आरोप लगता है तो ये गायब हो जाते हैं और गायब होकर अपनी देह बचाते है। इस राज में और क्या चल रहा है ? यहां भया दोहन का संतुलन चल रहा है यानि बैकस आफ ब्लैक में चल रहा है। श्री कल्पनाथ जी ने पी०एम०ओ० के डायरेक्टिव को रद्दी की टोकरी में फैंक दिया। इस बात के लिए मैं उनकी प्रंशसा करना चाहता हू। उनकी जानकारी के बगैर ग्लोबल टेडर कर दिया। वह आया तो कहा गया कि इसको कैंसिल कर दिए जाए। पी०एम०ओ० का डायरेक्टिव अपनी जगह पर है। इस मामले में उन्होंने मजबूती दिखाई है। बाकी मामलो में उनके हाथ विवाद के घेरे में सने हुए हैं। पी०एम०ओ० कौन कहता है? प्रधान मंत्री को सीधे कहना चाहिए और फाईल पर लिखना चाहिए। देश में अजीब परंपरा डाली गई है जबकि संविधान में और कानून में कहीं नहीं है और एक्जीक्युटिव बिजनैन में नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रधान मंत्री कार्यालय मैं सब कुछ हो जाता है। मुझे लगता है कि मंत्रियों का कोई वजूद नहीं है* जो मंत्री बने रहते हैं अभी उन्होंने ज्वाइंट कलैक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात की हैं इसमें क्या करेंगे? कोई मंत्री की इज्जत है? जब तककथित पी०एम०ओ० से निर्देश आता है तो मंत्री थर-थर कांपते रहते हैं और अपना निर्णय दो मिनट में बदल देते हैं। यह स्थिति जहां पर हो तो वहां पर क्या एकाऊंटेबिलिटी है और क्या कलैक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है? इस बात को ध्यान में रखकर हम पी०एम०ओ० के बजूद को स्वीकार नहीं करते यह क्या चीज है उसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं जनता ने चुनकर भेजा है और पोलिटिकल एक्जीक्यूटिव बनाया हैं। पोलिटिकल एक्जीक्युटिव संसद के प्रति जवाबदेह है और पी०एम०ओ० परदे के पीछे काम करता है। उसके बाद कौन जवाब देगा? इसलिए हमने आग्रह किया था कि प्रधान मंत्री की मौजूदगी रहनी चाहिए। हम चर्चा से भागना नहीं चाहते। जो तथ्य उभरकर सामने आए हैं तो उसका चिरफाड़ हम करना चाहते हैं और तथ्यों को सामने लाना चाहते है। टालमटोल उत्तर देना की कोशिश करेंगे तो हम उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सकते और न इस देश की जनता संतुष्ट हो सकती है। इसमें किसका दोष है? एकानोमिक सर्वे वित्त मंत्रालय तैयार करता है और हर साल बजट के पहले यह तैयार होता है। 1993-94 की रिपोर्ट में कहा जाता है :

[अनुवाद]

तथापि, चीनी के भंडार सन्तोषजनक हैं इसलिए देश में चीनी की सप्लाई में रूकावट का कोई खतरा नहीं है।

*अध्यपीठ के आदेशानुसार कार्ययाही-वृत्तांत से निम्नलिखित दिया गया।

[हिन्दी]

उसके बाद फीगर्स दी है और फरवरी में इकोनोमिक सर्वे हम लोगों के बीच में वितरित किया जाता है। शुगर सीजन अक्टूबर से शुरू होकर सितम्बर में खत्म हो जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि हमारी स्टाक पोजीशन ठीक है। इकोनोमिक सर्वे ठीक है तो स्केयरसिटी का हौवा खड़ा किया जाता है ताकि ट्रेडर्स और मिल मालिकों को प्राफिट कमाने की छूट मिल सके और बाहर से लोगों को किकबैंक कमाने की छूट दी जाती है। अगर सरकार यह तर्क देती है कि इकोनामिक सर्वे में हम इस बात को नहीं लिख सकते हैं। कि हमारी स्टाक पोजीशन खराब है और हमको चीनी का आयात करना पड़ेगा चूंकि उस हालत में विदेशी बाजार में चीनी के दाम बढ़ जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखकर लोगों के मन में कोई संशय पैदा न हो, बाजार में स्पेकुलेशन शुरू न हो जाए, जबकि इकोनोमिक सर्वे में स्टाक पोजीशन को संतोषजनक बताया गया है। उस हालत में सरकार का यह दायित्व बनाता था कि समय से पहले चीनी का आयात कर लें। फूड सेक्रटरी कहता है कि हमने नवम्बर में पत्र लिखा था श्री कल्पनाथ राय राज्य सभा में और अन्य जगहों, में ब्यान दे चुके हैं कि हमने 24 जनवरी को लिख दिया था। फिर यह बात प्रकाश में आती है कि फूड मिनिस्टर के रूप में उन्होंने दिसम्बर में मिल मालिकों के बीच में यह भाषण दिया कि चीनी किसी भी कीमत पर आयात नहीं की जाएगी। कौन सी स्थिति है, इकोनोमिक्स सर्वे कुछ बोलता है, फूड सेक्रेटरी बोलते हैं कि हमने नवम्बर में लिखा है दिसम्बर में फूड मिनिस्टर कहते हैं कि आयात की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जब संकट आता है तो 24 जनवरी को फूड मिनिस्टर कहते है कि चीनी का अयात किया जाना चाहिए। फिर क्यों नहीं किया गया? जब उन्होंने लिखा तो 24 जनवरी से लेकर 9 मार्च के बीच लोगों को जानकारी के छह बार सी०सी०पी०, यानि केबिनेट कमेटी आन प्राइसेज की बैठक मुल्तवी की गई। ऐसा क्यों किया गया फिर अचानक 9 मार्च को बैठक होती है, उसमें फैसला लिया जाता है कि ओपन जनरल लाइसेंस के तहत फ्री सेल चीनी मंगाई जाये। फूड मिनिस्टर ने लिखा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखने के लिए हमारे पास दस लाख टन चीनी की कमी होगी और इसको वाटर से मंगा लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कमी न आये। उस पर फैसला नहीं होता है। फ्री सल ओपन जनरल लाइसेंस का फैसला हो जाता हैं मई महीने में जो कोटा रिलीज किया गया, क्या वह काफी था ? क्योंकि यह महीना शादी-ब्याह का होता है और गर्मी के दिनों में वैसे भी चीनी की खपत ज्यादा होती है। उस समय 4.90 लाख टन चीनी का कोटा रिलीज किया गया। यह क्यो किया गया ? जबकि उसके बाद के दिनों में कोटा बढ़ा दिया गया। ओपन जनरल लाइसेंस से आयात करके चीनी बाजार में आ गई। मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया। यह गलती नहीं है या अनजाने में काम नहीं हुआ है, यह जानबूझ कर किया गया। यह खेल था जिसके चलते मई महीने में कोटा घटा दिया गया ताकि चीनी के दाम बढ़ जायें। जब फ्री सेल में चीनी की कमी नहीं थी तो क्यों कोटा घटा दिया गया? इसका जवाब देना होगा। दस लाख टन लेवी की चीनी मंगानी थी, उसके बारे में फैसला नहीं होता है, लेकिन फ्री सेल का फैसला होता हैं दस लाख टन की कमी क्यों पड़ी, वह सरकार की गलत नीतियां के कारण हुई।

पहले मिल मालिको को 60 प्रतिशत चीनी लेवी की देनी पड़ती थी और 40 प्रतिशत फ्री सेल में जाती थी। बाद में परिर्वतन किया गया और दोनों का 50-50 प्रतिशत हिस्सा कर दिया गया। उसके बाद 55 प्रतिशत फ्री सेल की चीनी और 45 प्रतिश्ता लेवी के रूप देने का फैसला किया गया। बाद में फिर निर्णय लिया गया कि 60 प्रतिशत चीनी फ्री सेल में और 40 प्रतिशत चीनी लेवी में जायेगी। दिन-ब-दिन लेवी की चीनी का अनुपात घटाया गया जिसके चलते लेवी सूगर के स्टाक में कमी आई और दस लाख टन की कमी का अनुमान किया गया।

फूड मिनिस्टर का कहना है कि उस समय लिखा था, तो क्यों नहीं फैसला हुआ। इसके लिए वित्त मंत्रालय को भी जवाब देना पड़ेगा। वाणिज्य मंत्रालय को कहा गया कि एफ०सी०आई० आयात नहीं कर सकती हैं फूड मिनिस्टर का कहना है कि एफ०सी०आई० आयात नहीं कर सकती है। इस आधार पर टेंडर कैंसिल किये। जब पिछली बार घोटाला हुआ था, उसके बाद लोक लेखा समिति ने जांच की थी और जांच करके कहा था कि राज्य व्यापार निगम से मंगानी चाहिए, अनरजिस्टर्ड कम्पनीज से नहीं मंगानी चाहिए। मैं उस रिपोर्ट को सदन का समय बचाने के लिए उद्धृत करना मुनासिब नहीं समझता हूं। पिछली डिबेट में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है। उसमें फूड मिनिस्टर लिखते हैं कि एफसीआई से और अनरजिस्टर्ड कम्पनीज से आयात नहीं किया जायेगा, एस०टी०सी० और एम०एम०टी०सी० से मंगाया जायेगा। कई प्रकार के वादे एक्शन टेकन रिपोर्ट में किये जाते हैं क्योंकि पी०ए०सी० ने कहा है कि चीनी आयात के बारे साफ नीति बनाई जानी चाहिए ताकि इस प्रकार के घोटाले या गड़बड़ी की सम्भावना न रहे। तब एक्शन टेकन रिपोर्ट में फूड मिनिस्टर ने यह सब कुछ लिखा। लेकिन एक्शन टेकन रिपोर्ट फरवरी महीने में पी०ए०सी० के पास जाती है तो कौन सी स्थिति आती है कि एफ०सी०आई० को अचानक आयात करने के लिए कहा जाता है, जबकि यह पिछली बार भी घोटाले में सनी हुई थी। उसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। पी०ए०सी० का रिकमेंडेशन थी और एक्शन टेकन रिपोर्ट में सारी बातें कही गई है और कहा गया कि बार-बार दबाव डाला जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सामूहिक जिम्मेदारी की बात कहते हैं। कामर्स सेक्रेटरी कुछ बोलते हैं, केब्रिनेट सेक्रेटरी कुछ बोलते हैं, फूड सेक्रेटरी कुछ बोलते हैं और फूड मिनिस्टर कुछ बोलते हैं। जब 9 मार्च को फैसला हुआ कि एस०टी०सी०, एम०एम०टी०सी० के माध्यम से खरीदी जाएगी और आयात किया जाएगा उसके बाद कामर्स मिनिस्टर पिक्चर में आते हैं। कामर्स मिनिस्टर का कहना है एस०टी०सी०, एम०एम०टी०सी० चीनी मंगायेंगे तो उसकी सब्सिडी कौन देगा, क्योंकि पी०डी०एस० के लिए चीनी मंगानी है। और पी०डी०एस० के दाम निर्धारित है, उनको नौ रुपये पांच पैसा किलो चीनी बेचनी है। इस हालत में अधिक दाम पर चीनी खरीद कर लायेंगे तो बीच की सब्सिडी की राशि कौन देगा, इसका निर्धारण कौन करता है? जब सी०सी०पी० बैठती है तो क्या इन विषयों पर चर्चा नहीं होती है ?

6.00 म०प०

सी०सी०पी० में फाइनेंस मिनिस्टर बैठते होंगे, कामर्स मिनिस्टर बैठते होंगे या कन्सर्ड मिनिस्टर भी बैठते होगे और इस साधारण सी बात का फैसला नहीं होता। अगर साधारण जगह पर छोटे लोग इस तरह की गलती करते होंगे तो उनको सजा दी जाती होगी, ऐसा मुझे लगता हैं लेकिन कैबिनट में बैठते हैं और उससे संबंधित सारे मसलों पर चर्चा नहीं करते हैं एक लाईन में फैसला हो गया कि हमें एस०टी०सी० और एम०एम०टी०सी० से इम्पोर्ट करना है। इस बात को खुला छोड़ दिया गया कि सबसिडी मिलेगी या नहीं? यदि मिलेगी तो कितनी मिलेगी?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, आपके कितना समय और चाहिए ?

श्री नीतीश कुमार : मुझे पांच-दस मिनट का समय और चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम समय बढ़ायें ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपने वक्तव्य के साथ तैयार है। नीतीश कुमार जी के भाषण क समाप्त होने के तुरंत बाद वह वक्तव्य देंगे।

इसलिए, क्या सभा चाहती है कि हम 7.30 म०प० तक बैठें ?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं, हमें यह चर्चा कल भी जारी रखनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसे आज ही समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अनेक सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं। कल सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देना कठिन होगा क्योंकि हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों पर भी विचार-विमर्श करना होगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह जवाबदेही फाइनेंस और कामर्स मिनिस्ट्री पर जाती है। जब उसे रोक दिया गया। कैबिनट सैक्रेटरिएट से सारी बातें जाती हैं, कैबिनट सैक्रेटरी के लैवल पर डिर्सजन होता है, प्रधानमंत्री के लैवल पर नहीं होता है। कैबिन्ट के लेवल पर चर्चा नहीं होती है तो इस घोटाले का सृजन होता है। मामला लम्बा खिंचता है। पहले खुला सामान्य लाइसेंस की चीनी आयात होती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का बाजार भाव बढ़ता है तो चीनी खरीदी जाती है तो बढ़े हुये दाम पर और वह खरीदने की मजबूरी होती है। इसके पीछे दो कारण हैं— एक चीनी का कृत्रिम अभाव पैदा किया जाना और चीनी का कम कोटा बाजार में रिलीज करना। दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये राज्य व्यापार निगम और सामान्य खुला लाइसेंस के जरिये चीनी का आयात करना तो इससे भयानक स्थिति उत्पन्न हो गयी और उसके पहले के सामान्य खुला लाइसेंस के तहत फ्री सेल के लिये चीनी खरीदनी होती है। आखिर इस प्रकार का निर्णय करने वाली कौन सी शक्तिया हैं जो इस प्रकार से गड़बड़ करती है? कौन शक्तिया है जो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा चीनी आयात करने के लिये दबाव डालती हैं? आखिर कोई शक्ति है तभी तो बात बाहर आयी। जब मंत्री जी ने आदेश दिया था कि ग्लोबल टैडर कैंसिल किया जाता है तो इसके बाद फेक्स मैसेज़ जाता है :

[अनुवाद]

नई दिल्ली मैसर्स डाटा नेंशन इन्टरनेशनल चीनी की खरीद और आपके द्वारा कोट की गई दरों के संबंध में निविदा जांच पर ध्यान दें। आप से अनुरोध है कि 21 मई 1994, शनिवार 21.00 बजे (आई०एस०सी० तक निविदा प्रस्ताव को खुला रखी और इसकी अनिपुष्टि से अवगत करायें।"

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के द्वारा यह चिट्टी भेजी जाती है। जब एक बार मंत्री द्वारा टैडर कैंसिल कर दिया जाता है तो उन के बाद भी 21 तारीख तक उस को जिन्दा रखा जाता है। जिससे लगता है कि कहीं न कहीं वरदहस्ते जरूर हैं। वह कैबिनट सैक्रटरी कामर्स सैक्रेटरी पर दबाव डालें या फूड सैक्रेटरी पर दबाव डालें और यह कहें कि अनरजिस्टर्ड कम्पनियों को बुलाया जाये और न केवल बुलाया ही जाये बल्कि उनको इस टैंडर में भाग लेने का मौका दिया जाये या इस टैंडर के फैसले पर उनके सामने दावा रखने का मौका दिया जाये। तो इस प्रकार की स्थिति पूरी एफ०ए०सी० की ए०टी०आर० में भेज दी जाती है और उस ए०टी०आर० को हवा में उछाल दिया जाता है। ऐसे कौन से कारण है कि श्री जाफरून्ला के रिटायर होने के बाद बयान आता है कि यह प्रधानमंत्री के कहने पर हुआ। समाचार पत्रों में छपता है कि प्रधानमंत्री क्लिंटन साहब से अपोयमेंट लेने के लिये अमरीका जा रहे है और यहां पर हवाई अड्डे पर विदा होते समय उनको चिन्ता होती है तो कैबिनट सैक्रटरी को अलग से बुलाकर कहते हैं कि इस मामले को देखो। कैबिनट सैक्रेटरी आनन-फानन में सब बातों की उपेक्षा करके अपने स्तर पर फैसला ले लेते हैं। तो इस मामले का कौन जवाब देगा? अगर इस मामले में

कोई कुसूरवार है तो वह प्रधानमंत्री आफिस है जो प्रधानमंत्री के पास है। चीनी के दाम बढ़ने और चीनी मंगाने के समय के बीच में और कार्यवाही नहीं हुई एक्नामिक सर्वे में कोई बात आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो बातें रखी है उनके हिसाब से फायनेस मिनिस्ट्री की जवाबदेही आती है। देर होने के चलते चाहे कोई भी बहाना बनाया जाए, उसके चलते एस०टी०सी० और एम०एम०टी०सी० इम्पोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए कामर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है और फूड मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है। ये सब लोग इस बात के लिए जवाबदेह हैं और अब आप सब लोग इसमें से अपना हाथ खीच कर निकालना चाहते हैं, यह कैसे सम्भव है।

जब ये बातें पी०ए०सी० के सामने जाती है, तो मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि संसदीय समिति की प्रोसीडिंग्स के बारे में संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन आज पूरे देश को मालूम है कि किस प्रकार से एक मुहिम बनाकर के एक दल विशेष के लोगों ने उस पी०ए०सी० को काम नहीं करने दिया। आखिर आपका क्या मतलब है ?

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सदन के पिछले घोटाले के मामले में जो सी०बी०आई० की इनक्वायरी की रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पर रखा जाए और बताया जाए कि उस रिपोर्ट में क्या-क्या है और कौन-कौन उसके लिए जवाबदेह है। एक घोटाले की बात लोग भूल जाते हैं और दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। सुख राम जी ने बयान दिया है। पिछले घोटाले के सम्बन्ध में सुख राम जी का ब्यान छपा है। उन्होंने सारी बातें कही हैं और वे सारी बातें उस समय के प्रधानमंत्री के ऊपर कही हैं, लेकिन वे तो मर गए। उन्होंनें कहा है कि अन्ततः प्रधानमंत्री जी के आदेश दिए थे। मतलब साफ है। इसमें सारी बातें सामने आनी चाहिए। एक घोटाले पर पर्दा डालकर दूसरे घोटले का सृजन नहीं किया जा सकता है। यह घोटालों की खेती करने वाली सरकार है। इसलिए हम इन सभी बिन्दुओं पर जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि पिछली सी०बी०आई० की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो बाते कहीं गई हैं और उसके बाद कितने वार्तालाप हुए है, केबीनेट सैक्रेट्री ने कामर्स सैक्रेटी को बार-बार फोन कर के दबाव डाला कि अनरजिस्टर्ड कम्पनी को इसमें शामिल करो। अगर यह बात सही है, तो इन बातों के बारे में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है, किस वक्त, किस आदमी ने किसको टेलीफोन किया, कम से कम इस की जानकारी वहां होती है तो ये सब बाते सामने आनी चाहिए। कितनी बार कैबीनेट सैक्रेटरी ने फूड सैक्रेटरी को फोन किया, कितनी बार केबीनट सैक्रेट्री ने कामर्स सैक्रेट्री को फोन किया और कितनी बार इस सम्बन्ध में क्या-क्या बातचीत हुई, इस सारे तथ्य को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए और यही नहीं कि कल्पनाथ राय जी को आप खडा कर देंगे। तो कल्पनाथ राय जी अपने से सम्बन्धित सवाल का जवाब दे देंगे कि कृषि मंत्रालय ने बताया कि शुगरकेन का पोडक्शन ठीक हुआ है इसलिए हमने दिसम्बर में कह दिया है कि शूगर के आयात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और बाद में अब हमें मालूम हुआ कि मुलायम सिंह यादव जी ने सब गन्ना गुड़ बनाने वालों को और खांडसारी बनाने वालों को देने के लिए कह दिया है, तो हमें चीनी कम होने की बात पता लगी। वहां जो चीनी मिल मालिक गए थे उसमें भी घोटाला है। यह एक घटना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे शीरे के डी कंट्रोल का मामला भी जुड़ा हुआ है। चीनी घोटाला ऐसे ही नही हो गया है। जब शीरा डी कंट्रोल किया गया था, तो यह कहा गया था कि इसका जितना मुनाफा होगा आधा किसानों को दिया जाएगा और आधें को बीमार चीनी मिलों को ठीक करने वाले फंड में जमा किया जाएगा।

हम जानना चाहते हैं कि शीरे से जो मुनाफा हुआ उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया गया और कितना बीमार मिलों के फंड में गया। शीरा बनाने वाले लोग गुड़ बड़े पैमान पर खरीद लेते हैं और गुड़ बनाने वाले लोग किसान को अधिक दाम दे रहे हैं और खांडसारी बनाने वाले लोग जब अधिक मात्रा में गन्ना खरीद लेते हैं, तो क्राइसिंस पैदा हो जाते हैं। क्यों नहीं किसान अपने गन्ने को गुड़ और खंडनारी बनाने वालों को बेचेगा। वहां उसको ज्यादा दाम मिलते हैं। इसलिए इस बात की भी सफाई होने चाहिए कि किसान को उसके गन्ने का वाजिब मूल्य क्यों नहीं मिलता है और समय पर बकाया का भुगतान नहीं होता है। इसलिए किसान दूसरी जगह पर बेचने के लिए मजबूर होता है। इस बात पर तो कल्पनाथ राय जी खड़े हो जाएंगे और अपनी सफाई दे देंगे कि हमने 24 जनवरी को लिख दिया हैं मेरी कोई गलती नहीं है लेकिन इस विषय पर कौन जवाब देंगे उपाध्यक्ष महोदय?

महोदय, जब तक इसका फैसला मजबूती के साथ इस आसान से नहीं होता है कि इसका जवाब प्रधान मंत्री जी ने और इस डिबेट में वित्त मंत्री जी को भी सफाई देना चाहिए, वाणिज्य मंत्री का भी सफाई देनी चाहिए और जब तक ये सारे के सारे सफाई देकर स्थिति साफ नहीं करते हैं तब तक संशय बना रहेगा। इस देश के लोगों की जेब से चीनी के दाम बढ़ने के कारण कम से कम 800 करोड़ रुपए निकले हैं इसकी देनदारी और जवाबदेही सरकार की बनती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस विषय पर जांच होनी चाहिए और लीपापोती की जांच नहीं होनी चाहिए

महोदय, श्रीमान् ज्ञान प्रकाश जी की जांच से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके हाथ खुद कहीं न कहीं सने पाए जाएंगे। जब वे एक चीनी मिल से सम्बन्धित हैं, तो वे क्या जांच करेंगे। एक चीनी मिल से सम्बन्धित होने के कारण वे भी इसमें फसे हुए होंगे, तो वे क्या जांच करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की जुडीशियल इन्कवायरी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इस पूरे घोटाले की जांच कराई जानी चाहिए। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा वर्ना इस देश में लोग घोटाले करते जाएंगे, बहस होती जाएगी, एक-दूसरे के खिलाफ लौबी करके बदनाम करेंगे, एक-दूसरे के खिलाफ कागज बाहर भेजेंगे और एक-दूसरे के खिलास आरोप-प्रव्यारोप लगेगा। कुछ लोग एक के पक्ष में और कुछ लोग दूसरे के पक्ष में खड़े हो जाएंगे और उसमें न्याय का गला घुटेगा और भष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा। अटल जी ने ठीक कहा कि यह बहस कर्मकांड एक सीमित नहीं रहनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी बातें पिछली बहस में भी आ चुकी हैं। उसके बाद जो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिसके चलते यह सब कुछ हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए इसपर चर्चा होनी चाहिए और जवाब आना चाहिए।

अन्त में मैं मांग करता हूं कि पूरी शुगर पॉलिसी को रिव्यू किया जाना चाहिए और रिव्यू करके जो फ्री सेल में ज्यादा चीनी और लैवी शुगर में कम चीनी दी गई हैं, उसके लिए फिर से पुरानी स्थिति को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए और कोई न कोई नीति इसपर बननी चाहिए।

आज ओ०जी०एल० के माध्यम से जो मंगा रहे हैं, वे कह रहे हैं। कि अब हम फजीहत में पड़ गए। अब सस्ती ला रहे हैं, बाजार भाव गिर गया, हमको माल नहीं मिल रहा। यह भी चर्चा है कि ओ०जी०एल० के माध्यम से शुरू के दिनों में उन लोगों ने इसका फायदा उठाया जो मिल मालिकों से संबंधित थे। उन्होंने निर्यात के नाम पर इस देश की चीनी को बाहर रख दिया और कीमत बढ़ने के बाद उसी का आयात कर लिया। इस प्रकार से दो बार मुनाफा कमाया। इसलिए इन बातों का भी खुलासा होना चाहिए।

इन्हें शब्दों के साथ मैं अपनी बात इस उम्मीद के साथ समाप्त करता हूं कि चर्चा के समय सब लोग अपनी बात रखेंगे और अंतिम तौर पर रिप्लाई प्रधानमंत्री देंगे। यदि प्रधानमंत्री रिप्लाई नहीं देंगे तो सीधा संदेश जाएगा और हम यह समझने के लिए मजबूर होंगे कि प्रधानमंत्री कहीं इस घोटाले से संलग्न हैं, प्रधानमंत्री से संबंधित लोग भी संलग्न हैं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए सज्जन लाबी की ओर ईशारा कर रहे हैं। अधिकारी दीर्घा की पहली पंक्ति में बैठे सज्जनों को सही व्यवहार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आज प्रातः हम चाहते थे कि गृहमंत्री मुम्बई में श्री रामदास नायक की हत्या के बारे में वक्तव्य दें। इस समय माननीय मंत्री अपना वक्तव्य देना चाहते है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : गृह मंत्री को दो बयान देने है एक तो सुबह की घटना के बारे में और एक चीनी घोटाले के बारे में सी०बी०आई० की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके बारे में।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब एक वक्तव्य। दिया जायेगा।

6.12 म०प०

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बम्बई के पार्षद श्री राम दास नायक की हत्या

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि आज प्रातः लगभग 10 बजे बम्बई नगर निगम पार्षद श्री रामदास नायक की हत्या, दो अज्ञात हमलावरों द्वारा हिल-रोड, बांद्रा के नजदीक उस समय गोली मारकर कर दी गई जब वे एक अम्बेस्डर कार में जा रहे थे। उनके पुलिस सुरक्षा गार्ड को भी गोली मार दी गई। दो हमलावार मोटर-साईकल पर आए और उन्होंने उस समय स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की जब श्री नायक की कार मुड़ रही थी। उसके बाद, घटना स्थल से लगभग 200 गज की दूरी पर दो खाली मैगजीन छोड़कर वे भाग गए। उन्होंने "खार" नामक उपनगर के नजदीक अपनी मोटर साईकल छोड़ दी, एक ऑटो-रिक्शे को रोका, ड्राईवर को बाहर खींचा और ऑटो-रिक्शे को स्वयं चलाकर ले गए। आटो-रिक्शे को उन्होंने खार रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर छोड़ दिया और गायब हो गए। परित्यक्त ऑटो-रिक्शे से दो ए०के० 56 राइफलें और दो खाली मैगजीनें बरामद की गयी। ऑटो-रिक्शे के ड्राईवर द्वारा बताए गए विवरण के अनुसार, हत्यारे गोरी रंगत और तीखे नाक-नक्श वाले थे और उनकी लम्बाई लगभग 5 फुट 6 इंच थी। वे दोनों कमीज और जींस पहने हुए थे। श्री नायक का वाहन चालक और वहां से गुजर रहे दो लोग भी गोली लगने से जख्मी हो गए।

राज्य प्रशासन मामले की गम्भीरता से पूरी तरह परिचित है और उसने अपराधियों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी शुरू कर दी है।

मैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनके जाने से पूर्व बात कर रहा था। मैं जानता हूं कि यह अत्याधिक गम्भीर घटना है और इसमें दोषी लोगों को सजा दी जानी चाहिए ताकि एक ऐसा उदाहरण कायम

हो कि दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं दुबारा न हों। मैं राज्य सरकार के सम्पर्क में हूं, और मैं माननीय मुख्य मंत्री से एक छोटा कृतिकवल गठित करने के लिए कह रहा हूं। उन्हें केन्द्र सरकार से अपेक्षित सहायता प्रदान की जायेगी ताकि इस कार्य को निश्चित समय सीमा में पूरा कर सकें और अपराधियों को सजा दे सकें। भविष्य में ऐसी घटनाएं पुनः न हों, मैं केन्द्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करूंगा जो कि विशेषतः कृतिकवल के रूप में दिया जायेगा ताकि हम अपराधियों का पता लगा सकें।

श्री राम नाईक बहुत ही मुख्य व्यक्ति रहे हैं। वे समाज-विरोधी तत्वों और भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध लड़ते रहे। वे ऐसी बातों के खिलाफ आवाज उठाते रहें हैं। अपराधियों का पता लगाना ऐसे कार्यों के प्रति समर्पित व्यक्ति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धान्जलि होगी।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि नार्थ और साउथ एवेन्यू में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा-पूरा अभाव है। मैं पिछले दो वर्षों में इस मामले की ओर गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाता रहा हूं। परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस समय जिस तरह से वहां लोग रह रहे हैं और जिस प्रकार तरह-तरह के कार्य कर रहें हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां कुछ भी हो सकता है। मैं इस संबंध में गृह मंत्रालय को तीन पत्र लिख चुका हूं। परन्तु, मुझे बडे दुख से साथ कहना पड़ रहा है कि इस मामले में कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है।

यहां तक कि वहां रहने वाले लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं है। अथवा न तो उनके पहचान किए जाने की कोई व्यवस्था है। आप यह सुनिश्चित करें कि वहां कोई अज्ञात व्यक्ति न रहें। हाल ही में साउथ एवेन्यू में एक कार में बम विस्फोट की एक घटना हुई थी। इसके बावजूद, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस पर शीघ्र ही कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। कई ससंद सदस्यों को धमकी दी गई है। यदि वहां सुरक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की ढील जारी रही तो वहां बहुत बडे संकट का सामना करना पड़ेगा।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : यह बात हमारे ध्यान में लायी गई है। हम निश्चित रूप से इसका ध्यान रखेंगे और हम इस पर माननीय मंत्री के साथ चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे घर के यहां से काले कपड़े पहने कुछ लड़के जीप चुरा कर ले जा रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे जीप छोड़ कर भाग गए। मैंने थाने में रिपोर्ट भी कराई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : बरामदे में से दो साइकिलों की चोरी हुई हैं। आप इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक समय में एक ही सदस्य बोलें। एक साथ चार अथवा पांच सदस्य कैसे बोल सकते हैं ?

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : संसद सदस्यों के लिए दिल्ली में ही सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकान्त जेना जी माननीय सदस्य सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आरोप लगा रहे हैं। माननीय मंत्री ने उनकी बात सुन ली थी, और वे उनका उत्तर देना चाहते थे।

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने गृह मंत्रालय की दो पंत्र लिखे हैं और माननीय अध्यक्ष को भी एक पत्र लिखा है। मैं यह नहीं बताना चाहूंगा कि मुझे गृह मंत्रालय में किस तरह का उत्तर प्राप्त हुआ हे। यदि मैं इसके बारें बताऊंगा तो आप चकित रहे जायेंगे।

वे सांसदों द्वारा भेजे गए गए पत्रों को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। गृह-मंत्रालय में यही हो रहा है।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : यह सच नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे सुनेंगे और उसका उचित उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से देश के अधिकाश हिस्सों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुझे भी गोली मारी गई। यह लोकतन्त्र पर बहुत बड़ा खतरा है लोकतंत्र में अगर कोई स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात कहना चाहता है और कुछ काम करना चाहता है, उसको काम करने से रोका जाता है। आज लोकतत्र खतरे में पड़ गया है। क्योंकि, राजनीति में काम करने वालों, समाज में काम करने वालों की हत्या लगातार हो रही है। बम्बई के अन्दर यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले तीन विधायक मारे जा चुके हैं, सभासद मारे जा चुके हैं और यह एक बहुत गम्भीर मामला है। मैं यह मानता हूं कि माननीय राजेश पायलट जी इस मामले से पूरी तरह से अवगत होंगे। यह लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारी एकाउण्टेबिलिटी है। अगर हम इस तरह से काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि यह देश चल पाएगा या लोकतंत्र इसमें सुरक्षित रह पाएगा, अगर इसमें काम करने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं हे। कल को अक्सर, माननीय मंत्रियों पर भी यह हमले हो सकते हैं, आप कोई इससे बाहर नहीं है। इस देश ने हमारे दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, प्रधान मंत्रियों को इसी आतंक के पीछे खोया है।

कृपया भविष्य में इस प्रकार की हमारी निधियां न जायें, इसलिए मेरी आवसे विशेष अपील है कि आप उसके लिए एक नीति बनाइये। आप मुख्य मंत्रियों से चर्चा कीजिए, डी०जी० से चर्चा कीजिए और इस सारी बात की चर्चा कीजिए कि कम से कम राजनीति में, समाज में काम करने वाले के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या आचरण किया जा सकता है, क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है।

इतना ही मुझे कहना है।

धन्यवाद।

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले भी इस बात को कहा है और इस वक्त से हटकर मैंने खुद कहा कि हम बम्बई के एक्सीडेंट का एक उदाहरण देना चाहते हैं और इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाना चाहते है, इसीलिए मैंने वालेण्टरीली कहा, जिससे जल्दी से जल्दी पता लग सके कि यह हादसा कैसे हुआ, किसने किया। उदाहरण के तौर पर आगे के लिए इसका एक नमूना बन सके, इसलिए मैंने सैण्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं उसमें सारी एजेंलीज को दूंगा, चाहे वह सी०बी०आई० के लोग हों, आई०बी० के लोग हों, रॉ के लोग हो, एक टीम बनाकर हम इसको बहुत सख्ती के साथ करेंगे।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने सिक्योरिटी की कही है। यह बात सही है कि कुछ सिक्योरिटीज के मामलों की शिकायत पहले भी आई है और खासकर नार्थ और साउथ एवेन्यू से आई है। जब मेरे ध्यान में बात लाई गई थी तो मैंने उसी वक्त पुलिस कमिश्नर को बुलाकर हिदारत दी थी। लेकिन आज की बातों से मुझे लग रहा है कि उसमें इफैक्टीनेस नहीं आई है, जो मैं आज आप की बातों से देख रहा हूं। आप भरोसा रखें कि इस बात पर बहुत सख्ती से जाकर आदेश दूंगा और जो बात भाई सत्यदेव जी ने कही है, यह आज के वक्त में बहुत जरूरी है, जहां हम जैसे लोग . . .

श्री नीतीश कुमार : लेकिन एक बात बहुत दुख के साथ कहनी पड़ती है कि जब कोई मसला उठता है तेा आप इसी तरह से बोल देते हैं और उसके बाद आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप बेचैन भारत है। आप एक काम में नहीं लगे हुए हैं, आप इतने कार्यों में व्यस्त हैं लगतार भारत भ्रमण पर आप रहते हैं कि आपके पास प्राब्लम देने का भी लाभ नहीं है। आपकी सैसियरटी को हम डाउट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप अगले दिन भूल जाते हैं।

श्री राजेश पायलट : जब नीतीश कुमार पर हमारे भाई डण्डे चला रहे थे, जब डण्डे बज रहे थे और यह बीच में खड़े थे तो मैं टेलीफोन पर आदेश दे रहा था कि ऐसा नहीं होने दें, आप जार्ज फर्नाण्डीज से पूछ लीजिए। आपने तो मुझसे नहीं कहा था। तब मैं भारत भ्रमण पर था और मुझपर खबर आ गई थी।

श्री नीतीश कुमार : हम तो कफन बांधकर निकले हैं, आपके भरोसे नहीं निकले, समझ गये न। लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहां राज्य सरकार का मसला है।

श्री राजेश पायलट : कर सकते नहीं, हमने किया है। मैं भारत भ्रमण पर था, वहां से फोन किया कि हमारे दो सांसद है, उनके साथ अगर प्रदेश में ऐसा होगा तो वह सहन नहीं किया जा सकेगा, आप जार्ज फर्नाण्डीज से पूछे। भ्रमण पर हम कहीं पर रहें, नीतीश कुमार जी, हम बात का ध्यान रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हैं और आपको याद है . . .

श्री सत्यदेव सिंह : सांसदों पर जब डण्डे पड़ते हैं तो आपको जानकारी रहती है।

श्री नीतीश कुमार : जब तक डण्डे नहीं पड़ जायें, तब तक आप नहीं चेतते। लेकिन उसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं की।

श्री राजेश पायलट : नीतीश जी, की यह बात सही है कि सबजैक्ट ऐसा हैं कि इसमें कितनी ही सख्ती और कोशिश करों तो भी कहीं न कहीं खामियां रह जाती है। यह विषय ऐसा है कि इसमें फुलप्रूफ, सिस्टम नहीं माना जा सकता जिसके के लिए मैं दो का इन्तजाम कर देता हूं। अगले दिन उसकी चिट्ठी आ जाती है कि दो काफी नही हैं, तीन और चाहिए, पांच से मेरी पूरी सुरक्षा होगी। मेरी भी कुछ मुसीबते हैं। आप बुरा मत मानिये, आज कुछ भाईयों को सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं है लेकिन यह अब एक सौशल स्टेटस सा हो गया है कि जिसके पीछे 10 सिक्योरिटी वाले नहीं चलते, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है और जिसके पीछे 10 सिक्योरिटी वाले हैं, यह बहुत बड़ा आदमी बनने लगा है। इससे भी नुकसान हो रहा है . . .

श्री नीतीश कुमार : आप रिव्यू करेंगे? देश भर में पहले से जो ब्लैक कैट कमाण्डों वांटे हुए हैं, उसकी आप रिव्यू करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : रिव्यू किया है लेकिन जिस दिन रिव्यू करते हैं, लोग इतनी चिट्ठी लेकर आ जाते हैं, नीतीश जी, कि आज मुझे 10 थैट आ गई हैं और फिर हमें डर लगने लगता है कि कहीं सचमुच कुछ हो

गया तो और बुरा हो जायेगा। आप थोड़ा वक्त मुझे दों आज जैसा हमारे साथियों ने नोर्थ और साउथ एवेन्यू की बात कहीं है,

[अनुवाद]

मैं कार्यवाही करूंगा। मैं निश्चित रूप से ठोस उपाय करूंगा।

[हिन्दी]

और नीतीश जी को दोबारा ऐसा कहने का मौका नहीं मिले, जरूर ऐसी कोशिश करेंगे ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम 193 के अन्तर्गत पुनः चर्चा शुरू करूंगा। श्री शरद दिघे।

(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह : नहीं, यह कोई नहीं चाहता।

नहीं, श्रीमान् ऐसा कोई नहीं चाहता क्योंकि पहले ही विलंब हो चुका है। इसपर चर्चा कल करेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी से गम्भीरता घट रही है। गृह राज्य मंत्री महोदय का व्यान आया है। यह बहुत गंभीर मामला है। और इस पर हम पूरी तरह से डिसकशन करना चाहते हैं। समय बहुत हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप इसको कल लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : समस्या यह है कि कल बहुत से सदस्यों को बोलना है और उन्हें तीन-चार मिनट का समय देना ठीक नहीं होगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हम भोजनावकाश का समय भी इसकी चर्चा में लगा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप भोजनावकाश का समय भी चर्चा में लगायेंगे फिर भी इससे कुछ नहीं हो पायेगा क्योंकि कार्यसूची बड़ी है। बाद-विवाद से बहुत से सदस्य बोलने वाले है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : हम लोग भोजनावकाश के दौरान और 3.30 म०प० तक चर्चा कर सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : चर्चा के महत्व तथा इसे जितनी गम्भीरता से हम ले रहे हैं को देखते हुए यदि हमलोग आज कुछ देर अर्थात् 7.30 अथवा 8 बजे तक बैठ जाएं तो कुछ और सदस्यगण चर्चा में भाग ले सकेंगे। लेकिन माननीय सदस्य गण ऐसा महसूस करते हैं कि आज देर रात तक नहीं बैठा जाए। कल सभा

का अंतिम दिन है तथा शुक्रवार होने के कारण गैर सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य भी होंगे, अतः मैं अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूं कि कल सभी सदस्यों को बोलने का मौका दे पाना मुश्किल होगा। आज कम से कम एक सदस्य अपना विचार रखे और फिर कल चर्चा जारी रहेगी ··· **(व्यवधान)**। हम समझते हैं कि श्री नीतीश कुमार ने चर्चा में काफी गम्भीरता से भाग लिया है। हम इसे महत्वपूर्ण चर्चा मानते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : क्या आप प्रधानमंत्री जी को यहां बुलाने का अनुरोध करेंगे ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम श्री शरद दिघे को बोलने दें . . .

(व्यवधान)

क्या सदन के सदस्य इस बात से सहमत हैं कि हम लोग कम से कम आधा घंटा और बैठें ?

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि जिन सदस्यों को मौका नहीं मिल सका था वे बहस में हिस्सा ले सकते हैं। जिन सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिल सका वे क्षुब्ध हैं।

कई माननीय सदस्य : कल।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

सभा कल 26 अगस्त 1994 के 11 म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.27 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 26 अगस्त 1994/भाद्र 4, 1916 (शक) के 11 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।